राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1] सप्तम् विधान सभा के प्रथम सत्र का 48वां दिवस [संख्या 23

बुधवार

दिनांक 20 अगस्त, 1980

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री हीरालाल आर्य, एवं दाऊदयाल जोशी ।

गैंता, ठींपरी, मांगरोल-बमोरी कलां तथा मांगरोल-किशनगंज सड़कों का निर्माण

574. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा), **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गैंता–ठींपरी–सुमेरगंज मंडी तथा मांगरोल–बमोरी कलां सड़क तथा मांगरोल–रामगढ़–किशनगंज सड़कों के प्रस्ताव अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत बनाने हेतु भेजे हुए हैं ?

(2) यदि हां, तो क्या उक्त सड़कों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री रामपाल उपाध्याय) : (1) जिला अकाल राहत कमेटी द्वारा निम्नलिखित सड़कों के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये गये थे ।

(1) गैंता–ठींपरी–इन्द्रगढ़ सड़क

(2) किशन गंज से मांगरोल सड़क

(3) मांगरोल से बमोरी कलां सड़क ।

किन्तु राज्य सरकार द्वारा केवल प्रथम दो सड़कों की स्वीकृति प्राप्त हुई । मांगरोल से बमोरी कलां सड़क की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है ।

(2) दोनों स्वीकृत सड़कों पर कार्य शुरू कर दिया गया है ।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि जो इन्द्रगढ़ से ठीपरी–गैंता सड़क है उस पर कितने रुपयों की स्वीकृति दी गई है ?

श्री रामपाल उपाध्याय : **अध्यक्ष** महोदय, इन्द्रगढ़ से ठींपरी–गैंता सड़क पर 36 किलो मीटर की प्रस्तावित सड़क में से 7 किलो मीटर की स्वीकृति हुई और

(श्री **रामपाल उपाध्याय**)

उसका अनुमानित तखमीना 15,79,365 रु. 36 किलो मीटर की सड़क का था जिसमें से उन्होंने अभी 6 किलोमीटर को माना है और मजदूरों की संख्या को देखते हुए 36,882 रुपयों के अनुमानित तखमीने की स्वीकृति दी है ।

श्री **हीरालाल आर्य** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय कृपया यह बतायें कि जो मांगरोल-बमोरी कलां सड़क है इस पर जो काम प्रारम्भ कर दिया गया है यह कब से प्रारम्भ किया गया है ?

श्री **रामपाल उपाध्याय** : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कब कहा कि मांगरोल बमोरी कलां सड़क का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है । माननीय सदस्य महानभाव की सूचना के लिए और स्पष्ट करने की दृष्टि से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 17-1-80 को अकाल राहत कमेटी की बैठक में 16 सड़कों की स्वीकृति दी गई और उसके लिए 1.96 लाख की स्वीकृति दी गई । तदनन्तर 8-4-80 को सम्बन्धित जिलाधीशों के समक्ष अकाल राहत विभाग की एक बैठक हुई और उसमें जो 16 सड़कों के प्रस्ताव थे उसमें से 9 सड़कों की ही स्वीकृति दी गई जिसमें मांगरोल-बमोरी कलां सड़क के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया इसलिए किसी भी प्रकार का कार्य करने का प्रश्न पैदा नहीं होता ।

श्री **अध्यक्ष** : अगला प्रश्न ।

श्री **हीरालाल आर्य** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री महोदय से निवदन करना चाहता हूं कि मांगरोल-बमोरी कलां बहुत बड़ा कस्बा है । करीब चार पांच हजार की आबादी का कस्बा है जिसके आस पास में 20-25 गांव और भी लगते हैं । ऐसी स्थिति में इसको अस्वीकृत करने का क्या कारण है, इसको बताने की कृपा करें ?

श्री **रामपाल उपाध्याय** : अध्यक्ष महोदय, अकाल राहत कार्यों में जो सड़कें मंजूर होती हैं वह अकाल राहत विभाग के दर्शाए हुए मार्ग दर्शक सिद्धान्तों के आधार पर होती हैं जिसमें जनसंख्या का आधार भी एक होता है । लेकिन जितने गांव अकाल में आए और उनको आधार मानकर ही इसको अस्वीकृत किया होगा और इसलिए राज्य सरकार ने ऐसा किया होगा यह मेरा मानना है ।

श्री **अध्यक्ष** : अगला प्रश्न......पर्याप्त है । श्री गुलाबचन्द कटारिया ।

खान सुधार शाखा की उपादेयता

575. श्री **गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर ग्रामीण) **एवं श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि खान एवं भू-गर्भ विज्ञान विभाग के अन्तर्गत एक खान सुधार शाखा कार्य करती थी ? यदि हां, तो यह शाखा कब से प्रारम्भ की गई व कब व क्यों इसे बन्द किया गया ? इससे सरकार को प्रतिवर्ष कितनी आय हुई ?

(2) क्या यह सच है कि खान सुधार शाखा गरीब, छोटे खान मालिक, आदिवासी शिक्षित बेरोजगारों की मदद के लिए ही प्रारम्भ की गई थी और इसके बन्द होने से उनको लाभ मिलना बन्द हो गया है ?

उप मंत्री, खनिज (श्री रामपाल उपाध्याय) : (1) जी हां, । खान सुधार योजना दिनांक 15-12-60 से प्रारम्भ हुई जिसे सितम्बर, 1979 को आयोजना समन्वय समिति की सिफारिश के आधार पर शासन के निर्णय दिनांक 10-1-80 की अनुपालना में 29-2-80 को बन्द किया गया। यह योजना व्यवसायिक पद्धति के आधार पर बनाई गई थी जिसमें प्राइवेट पार्टियों की प्रतिस्पर्धा और औजारों के बहुत कम इस्तेमाल के कारण प्रतिवर्ष निरन्तर हानि होने से, इसे बन्द करना पड़ा था।

प्रारम्भ होने की दिनांक से बन्द होने तक इस योजना पर वर्षवार ग्रास आय निम्न प्रकार थी:—

वर्ष	आय
1969-70	29,210.00
1970-71	2,74,340.00
1971-72	1,22,640.00
1972-73	90,970.00
1973-74	1,16,390.00
1974-75	1,79,720.00
1975-76	1,69,300.00
1976-77	2,27,500.00
1977-78	2,62,290.00
1978-79	3,31,530.00
1979-80	2,36,700.00

(2) अब राज्य सरकार छोटे खान मालिक, आदिवासी और शिक्षित बेरोजगारों की मदद के इरादे से और अधिक विकसित खान सुधार योजना चालू करने का विचार कर रही है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, यह योजना जब 60 में प्रारम्भ की गई तो उसको प्रारम्भ करने के पीछे राज्य सरकार की मंशा क्या थी–एक ?

दूसरा–क्या इसमें प्राइवेट जो डीलर हैं, जो कम्प्रेशर और ऑयल आदि की मशीनें रखते हैं उनकी मशीनें ठीक प्रकार से चलती रहें, इस कारण से विभाग को इस योजना को ठप्प करने की आपके अधिकारियों की मंशा इसके पीछे क्या थी ?

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महानुभाव से मैं निवेदन कर चुका हूं और मैंने 69-70 से 79-80 तक का आय का ब्यौरा दिया है और अब इसके साथ व्यय का ब्यौरा देना चाहूंगा ताकि यह आप देख सकेंगे कि निरन्तर नुकसान में रहा है:—

69-70 में आय 29 हजार और खर्च 33 हजार रुपये।

70-71 में आय 2 लाख 74 हजार रुपये और खर्च 1 लाख 94 हजार।

71-72 में आय 1 लाख 23 हजार रुपये और खर्च 2 लाख 79 हजार।

72-73 में आय 91 हजार रुपये और खर्च 2 लाख 18 हजार रुपये।

73-74 में आय 1 लाख 16 हजार रुपये के और खर्च 2 लाख 30 हजार रुपये।

74-75 में आय 1 लाख 80 हजार रुपये और खर्च 3 लाख 95 हजार रुपये।

75-76 में आय 1 लाख 96 हजार रुपये और खर्च 5 लाख 41 हजार रुपये।

76-77 में आय 2 लाख 27 हजार रुपये और खर्च 4 लाख 95 हजार रुपये।

(श्री रामपाल उपाध्याय)

77-78 में आय 2 लाख 62 हजार रुपये और खर्च 6 लाख 16 हजार रुपये।

78-79 में आय 3 लाख 32 हजार रुपये और खर्च 6 लाख 49 हजार और 79-80 में 2 लाख 37 हजार रुपये। इस प्रकार से स्पष्ट जाहिर है कि यह योजना 60 से चालू है और तब से यह बराबर 79-80 तक यह नुकसान में रही है। इसलिए तत्कालीन सरकार ने समन्वय समिति द्वारा मूल्यांकन करवाकर इसको बन्द करवाया और उसके बाद इसकी क्रियान्विति 10-1-80 के अनुपालन में 29-2-80 को हुई और इसको बन्द किया गया।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री गोविन्द सिंह।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जो जवाब आया है, मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ी सी अव्यवस्था के कारण नुकसान में जा रही है। यहां पर प्राइवेट वालों से कम्पीटिशन है। जान-बूझकर आपके विभाग के द्वारा कम्प्रेशर मशीन ठीक प्रकार से दी नहीं जाती है और खराब पड़ी रहती है, कोई चिन्ता नहीं करता है और इस कारण उनको अपना काम चलाने के लिए प्राइवेट वालों से लेनी पड़ती है। इसके कारण आपको नुकसान हो रहा है। आपकी करोड़ों रुपयों की मशीनें है, उनका अगर सही उपयोग करें तो नुकसान में जाने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अगर आदमी कम्प्रेशर मशीन मांगता है तो उसको 15 दिन बाद दी जाती है तो वह दूसरी जगह से ले लेता है। आपने जवाब में जो बात कही है कि फिर से विचार कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। लेकिन जो गरीब खान मालिक हैं उससे इसको राहत मिले। प्राइवेट वाले प्रबन्ध करेंगे तो मन-माने पैसे लेते हैं। उनके साथ आपका कम्पीटीशन है, इसलिए चला रहे हैं, आगे चल कर समस्या बन जायगी। सहानुभूति-पूर्वक विचार करके उसे चलायें।

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महानुभाव के सुझाव के अनुसार राजस्थान के गरीब लोगों को ध्यान में रखते हुए हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी। इस सारे परिप्रेक्ष्य में जैसाकि पहले बताया गया है कि विभाग को तीन वर्ष में 10 लाख की क्षति हुई है, इसको देख कर फिर से विचार किया जा रहा है और गरीब लोगों को यथा संभव सहायता दी गई है।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसिंह।

बुनकरों को उपलब्ध कराये गये हाथ करघे

576. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम लिडी, तहसील व जिला अजमेर के 16 बुनकरों को हाथ करघा उद्योग मंदिर, चौमू हाउस, जयपुर द्वारा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर की ब्यावर शाखा के मार्फत रु. 600 कर्ज व रु. 500 सब्सिडी के दिलाकर हाथ करघे मुहैया कराये गये ?

(2) क्या यह सही है कि यह हाथ करघे प्रारम्भ से बिलकुल चलने योग्य नहीं होने के कारण आज तक नहीं चलाये जा सके ?

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

(3) क्या इस संबंध में बुनकरों की शिकायत पर सरकार द्वारा कोई जांच की गई ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मंत्री, उद्योग (श्री अब्दुल रहमान चौधरी) : (1) जी हां ।

(2) जी नहीं । जब हाथ करघे लगाए गये थे, निरीक्षक द्वारा प्रमाणित किया गया था कि उक्त हाथ करघे सही हैं । इसके अतिरिक्त बैंक द्वारा ऋण राशि का भुगतान भी करघों के सही ढंग से लगने पर ही किया जाता है ।

(3) जी नहीं, बुनकरों से शिकायत 1979 में प्राप्त हुई, जबकि हाथ करघा अगस्त, 1977 में लगाए गये थे । इसकी जांच मंडल द्वारा की गई थी, क्योंकि शिकायत वहां ही प्राप्त हुई थी । चूंकि करघे लग जाने के पश्चात् बुनकरों की स्वयं की संपत्ति हो जाती है, एवं इनके टूट-फूट की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती है । तदनुसार बुनकरों को सूचित भी किया जा चुका था और साथ ही में यह भी बता दिया गया था कि करघों के लिए सूत किशनगढ़ आगार में उपलब्ध है । जो अधिकारी/कर्मचारी हाथ करघा परियोजना मण्डल में 1977 से 1979 तक वहां कार्यरत थे उनकी इस मामले में लापरवाही के लिय स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है । वैसे भी बुनकरों को सूचित किया गया है कि करघों की फिटिंग बुनकर सेवा केन्द्र के सहयोग से करवा दी जायगी ।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह करघे अनुसूचित जाति के बुनकरों को प्रदान किये गये हैं और मुझे बड़ा दुःख है, अध्यक्ष महोदय, यह सूचित करते हुए कि जिस दिन से यह करघे लगाये गय हैं उस दिन से आज तक यह चालू नहीं हुए हैं । और बारबार बुनकरों ने निवेदन किया । इन करघों को आपके चौमूं हाउस से अधिकारी आकर देखते हैं उनको कह जाते हैं, लेकिन एक भी दिन करघे चले नहीं हैं । उन बेचारे गरीब बुनकरों को बेवकूफ बना देते हैं । मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वह अपने विभाग के अधिकारियों को भेजकर उसकी जांच करायें । एक दिन भी करघे चले हों तो मैं यह समझूंगा कि जो मैंने प्रश्न रखा है वह गलत है । मेहरबानी करके गरीब बुनकरों से मजाक न करें । उनकी डिक्रियां आई हुई हैं । यह पूरी की पूरी साजिश थी जो चौमूं हाउस उद्योग मंदिर चलता है, बिल्कुल नाकाबिल चलने के करघे थे उनको पटक दिया । मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात की पूरी जांच करायी जाय और जांच के बाद यह पाया जाय कि एक दिन भी करघे नहीं चले हैं तो कम से कम जो गरीब अनुसूचित जाति के लोगों का कर्ज है उसको माफ करने की कोशिश करें ।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया और जो मैंने उत्तर दिया उससे स्पष्ट है कि 1977 में यह करघे सप्लाई किये गये थे और उनकी पहली शिकायत 79 में आयी । यानि दो साल तक कोई शिकायत नहीं थी इससे जाहिर होता है कि करघे सही थे ....

श्री **अध्यक्ष** : कर्ज वसूली की कार्यवाही नहीं हुई तब तक शिकायत नहीं हुई और कर्ज वसूल होने के समय शिकायत ने जोर पकड़ा है। आप जांच करावें।

श्री **गोविन्दसिंह गुर्जर** : मैं खुद····

(व्यवधान)

मंत्री महोदय अगर आप उनको देखेंगे तो महसूस करेंगे की इस तरह का काम हुआ है। यह मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री **अब्दुलरहमान चौधरी** : जांच कराली जायगी।

एक माननीय सदस्य : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उन लोगों के साथ इस तरह की बात हुई, जो आप जांच करेंगे, वह कब तक करा लगे ?

श्री **अध्यक्ष** : उत्तर आने दीजिये।

श्री **अब्दुल रहमान चौधरी** : जैसा कि माननीय सदस्य ने राय दी है उसकी जांच कराली जायगी।

श्री **महावीरप्रसाद जैन** (टोंक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, कोई उनको सब्सिडी दी जाने वाली थी, उनको सब्सिडी सरकार के द्वारा नहीं दी गई है और उसके ऊपर जो····

श्री **अध्यक्ष** : अलग प्रश्न है।

श्री **महावीर प्रसाद जैन** : उनको सब्सिडी जो दी गई और आज जो उसका ब्याज·····

श्री **अध्यक्ष** : सब्सिडी का प्रश्न, इसमें जो सूचना चाही गई है, उसकी परिधि में नहीं आता है।

श्री **महावीरप्रसाद जैन** : उन हाथ करघों को सब्सिडी नहीं दी गई और जो 4 पर्सेन्ट ब्याज था उसके बजाय 11 पर्सेन्ट और सब्सिडी की राशि थी, उन सबको मिला कर बैंक वाले मांग कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं और कोई भी हाथ करघा चालू नहीं है। जो करघे लगाये गये उनको सूत नहीं दिया गया और यह कहा गया था कि सूत दिया जाएगा और जो माल बनेगा, उसकी खरीद की व्यवस्था करेंगे। न खरीद की व्यवस्था की गई और न सूत की व्यवस्था की गई। मैं चाहता हूं कि इस बात की जांच करें, जिस प्रकार लोगों से 11 पर्सेन्ट ब्याज वसूल किया जा रहा है, उसको रोका जाना चाहिए और उसकी जांच की जानी चाहिए।

श्री **अध्यक्ष** : श्री मंत्री जी।

श्री **अब्दुल रहमान चौधरी** : जैसाकि मैं बता चुका हूं कि जांच की जायगी। उसमें यह सारे पहलू ले लिये जायेंगे। जांच कराली जायेगी।

श्री **ललितकिशोर चतुर्वेदी** (कोटा) : यदि जांच के बाद यह पाया गया कि वह हाथ करघे एक भी दिन नहीं चले तो क्या सरकार 600 रुपये का बैंक से कर्ज मिला है, उसके बारे में कुछ करेंगे ?

श्री **अब्दुल रहमान चौधरी** : जांच के बाद जो रिजल्ट आयेंगे, उस पर विचार करके कार्यवाही करेंगे।

श्री **अध्यक्ष** : अगला प्रश्न। श्री राम कंवार बैरवा।

श्री **रामकंवार बैरवा** : मोटे तौर पर, जिस तरह से मंत्री महोदय को विस्तार से बताना चाहिये था, नहीं बताया। तो मेरा

(श्री रामकंवार बेरवा)
निवेदन है कि यह मामूली बात थी, यह प्रश्न 6–7 दिन पहले एडमिट होता है तो प्रश्न का जवाब देते समय सारे विवरण आने चाहिये । जांच होगी, कब होगी, क्या होगी यह मेरी बात है ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

एक माननीय सदस्य : क्या जांच होने तक उनकी वसूली रोकी जायगी, स्थगित की जायगी ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : जल्दी जांच करेंगे । अगला प्रश्न । श्री माधवसिंह दीवान । श्री रामसिंह बिश्नोई । श्री माणकमल मेहता । श्री गोकुलचन्द शर्मा । श्री रामनारायण डूंडी ।

कृषि उपज मंडी के बोर्डस के चुनाव

577. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत),
श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी),
श्री माणकमल मेहता (पाली),
श्री गोकुलचन्द्र शर्मा (सुमेरपुर) व
श्री रामनारायण डूंडी (बिलाड़ा) :
क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बहुत समय से कृषि उपज मंडियों के बोर्डस के चुनाव नहीं होने से तथा यहां प्रशासक नियुक्त न होने से किसानों को नुकसान हो रहा है तथा व्यापारियों को फायदा हो रहा है ?

(2) बोर्डस के नये चुनाव जल्दी कराने में क्या कठिनाई है तथा नये चुनाव कब तक करा दिये जायेंगे ?

कृषि मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि वांछित व्यवस्था कायम नहीं है किन्तु किसान के हकों को नुकसान न हो इसको नियमों के अन्तर्गत प्रशासक देख रेख कर रहे हैं ।

(2) यथाशीघ्र कराये जाने का प्रश्न विचारणीय है ।

श्री रामसिंह बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, में दो सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछना चाहूंगा । एक तो यह कि कृषि उपज मण्डी समिति के चुनाव क्या राज्य सरकार की असेंबली और लोक सभा की तरह समय पर कराने के लिये प्रतिबन्ध लगायेंगे और दूसरा निवेदन यह है कि इसमें चुनाव की प्रणाली और प्रक्रिया इतनी लम्बी है कि इससे सस्ता और शीघ्र चुनाव कराना संभव नहीं है । मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर पुनर्विचार करें और चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें कृषि ग्राम सेवा सहकारी समिति के मैम्बर आदि की तरह चुनाव करा लिये जायें । यह तो इतना लम्बा प्रोग्राम है कि इसमें यदि निर्विरोध चुनाव न हों तो जो असेंबली का चुनाव होता है उससे भी ज्यादा खर्चा कृषि उपज मण्डी समिति में आदमी करते हैं । क्या इसको सीमित करने का आपका कोई विचार है ?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने चाहा है कि विधान सभा और लोक सभा के चुनावों की तरह से निश्चित समय पर चुनाव कराये जायें । इस प्रकार का तो संभव इसलिये नहीं है कि इसमें जो प्रतिनिधित्व करते हैं वे दूसरी संस्थाओं से भी आते हैं । नगरपालिका, मार्केटिंग सोसाइटी, पंचायत समिति और को-आपरेटिव बैंक के भी आते हैं इसलिये कभी कभी प्रतिनिधियों का

(श्रीमती कमला)

चुनाव नहीं होने के कारण दिक्कत होती है। इसीलिये किसी भी संस्था में चुनाव नहीं हुए हैं सभी में प्रशासक नियुक्त हैं लेकिन समितियों में चुनाव के बाबत जो नियम बने हुए हैं उनमें जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ लंबा प्रोसिजर है और कुछ धाराओं में कुछ बातें अस्पष्ट भी हैं। इसको मैंने देखा है। इसका सरलीकरण कर थोड़ा संक्षिप्त बनाने की जरूरत है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा इसको मैं दिखा रही हूं और विभाग की तरफ से एग्जामिन करवाना है। मैं इस बात को सोचती हूं कि अगर नगरपालिका पंचायत समितियों के प्रतिनिधि न भी आयें तो भी कृषक प्रतिनिधि इसमें आ सकें इस तरह का प्रोवीजन किया जा सके और वर्तमान व्यवस्था में लीगली एग्जामिन करने के बाद संभव हो सके तो इसकी जांच करवाई जा रही है और जल्दी ही इसकी व्यवस्था की जावेगी।

श्री रामसिंह बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से पूछना चाहूंगा कि आप सक्षम मंत्री हैं और आप समझती हैं कि प्रजातंत्र में 10 वर्ष तक, केवल 2-3 साल तक समिति उनके हित में रहे और 7-8 साल तक सरकारी अधिकारियों के हाथ में यह काम छोड़ देते हैं उसको देखते हुए क्या आप उचित समझती हैं कि जो पुरानी प्रणाली चली आ रही है उसकी जगह कोई ऐसे नियम बनादें कि आटोमेटिकली इलेक्शन डिपार्टमेन्ट समय पर काम कर दे इस प्रकार की कोई प्रणाली क्या आप उचित नहीं समझती, क्या आप इस प्रकार का वायदा सदन को देंगी कि आगे से चुनाव समय पर होंगे ?

श्रीमती कमला: अध्यक्ष महोदय, इस मामले में मैं बिलकुल सहमत हूं कि नियमित समय पर चुनाव होने चाहियें और सरकार इसके लिये कटिबद्ध भी रहेगी लेकिन यह घोषणा करना कि निश्चित अवधि में चुनाव हो ही जायेंगे इसके लिये यह मुश्किल है, क्योंकि दूसरी संस्थाएं भी इससे जुड़ी हुई हैं, उनका संबंध है और उनका नहीं होता है, तो दिक्कत होती है।

श्री अध्यक्ष श्री भारद्वाज ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से पूछना चाहूंगा कि मूलतः किसान प्रतिनिधि चुने जाते हैं इसलिये पहले तो सहकारी समितियों के ग्राम सदस्य इस को वोट देते हैं जैसा कि प्रश्नकर्त्ता ने भी कहा कि इससे बड़ी डिफिकल्टी है, तो मैं कहना चाहता हूं कि कृषि उपज मण्डी समिति के सदस्यों का चुनाव होता है उनके मतदाता के बारे में स्पष्टतः सरकारः को निर्णय लेना चाहिये कि क्या कृषि उपज मंडी समिति से संबंधित लोगों को····

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मैंने निवेदन किया कि इसकी जो मैम्बरशिप है उसके बारे में बहुत संशोधन करने के बावजूद भी इसमें लिखा है कि पंच और सरपंच जो किसान होंगे, या जो व्यापारी नहीं होंगे ऐसे बहुत से लोग जो किसान भी नहीं हैं व्यापारी नहीं हैं तो उनका प्रतिनिधित्व इसमें मिल जाने की गुंजाइश है दूसरे सिर्फ पंचों, सरपंचों को रख दें तो दूसरे सहकारी क्षेत्रों में, जो किसान हैं उनको इसमें इन्क्लूड नहीं किया गया है तो इन मामलों को एग्जामिन करके व्यापारिक आधार पर किसानों का रिप्रजेंटेशन हो

(श्रीमती कमला)
जाय ऐसी व्यवस्था करने के लिये प्रयत्नशील हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसिंह।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से पूछना चाहूंगा कि जैसा उन्होंने बताया कि इसमें काफी विलंब की संभावना है, तो जब तक चुनाव नहीं हों तब तक क्या किसी गैर सरकारी व्यक्ति को प्रशासक नियुक्त करने का विचार रखते हैं? दूसरा प्रश्न, कृषि उपज मण्डी का रोल घटता जा रहा है इसके लिये क्या आप उनके विधायकों को एक्स-आफिसियो अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, अन्य व्यवस्था होने तक मैंने जो बोला है उसमें यह भी शामिल है कि हम किसानों के प्रतिनिधियों को लेते हैं या नान-ऑफिशियल्स को बनायें या बोर्ड नामजद करें। आपने जो सुझाव दिया है कि इसमें इलेक्टेड एम. एल. ए. को भी शामिल कर लिया जाय, तो विचार के दौरान इस पर भी विचार होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री जनार्दनसिंह गहलोत।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली): अध्यक्ष महोदय, मेरा खास तौर से प्रश्न यह है कि जब यह मानते हैं कि इसकी चुनाव कराने की प्रक्रिया काफी लंबी है इसलिये समय पर चुनाव नहीं होते। क्या सरकार अपने इस इलेक्ट्रोल पर पुनः कोई विचार करेगी ताकि बराबर चुनाव समय पर हो सके जिससे प्रश्नकर्ता का खास मद्दा भी सुलझ जाय? तो क्या इसके सरलीकरण के लिये विचार करेंगे हैं जैसा कि गोविन्दसिंह जी ने प्रश्न उठाया और इस पर समय लगे तो क्या जल्दी ही इस पर कोई बोर्ड बनायेंगे?

श्रीमती कमला: मैं इन दोनों ही मुद्दों का जवाब दे चुकी हूं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

श्री भैरूलाल भारद्वाज: कृषि उपज मण्डी का पूरा पैसा किसानों से इकट्ठा होता है। यह सारा पैसा या तो अव्यवस्था में खर्च किया गया है या कृषि विश्वविद्यालय के अनुदान में दिया गया जब कि मूलतः उद्देश्य यह है कि किसानों की उपज में वृद्धि के लिये पैसा लगाना चाहिये।

श्रीमती कमला: अध्यक्ष महोदय, संभावनाओं के आधार पर माननीय सदस्य बोले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री समर्थलाल।

राजगढ़ (अलवर) के ग्रामों के लिये प्रस्तावित जल प्रदाय योजना

578. श्री समर्थलाल (राजगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजगढ़ (अलवर) नगरपालिका व कुछ ग्राम पंचायतों सहित जलदाय विभाग ने एक योजना बनाई थी? यदि हां, तो कब व किस योजना को इतने समय तक विचाराधीन रखने का क्या कारण हैं?

(2) सन् 1980-81 में राजगढ़ तहसील के कौन कौन से ग्रामों को जलदाय योजना में लेने का निश्चय किया गया है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(10)

(श्री **रामपाल उपाध्याय**) उपमंत्री, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी): (1) जी हां, राजगढ़ (अलवर) कस्बे की पूर्व में संधारित जल योजना के पुनर्गठन हेतु एक योजना प्रस्तावितहै जिसमें कस्बे में लगे हुए ग्राम करोट, थाना अलेई, पुराना राजगढ़ को भी सम्मित करने का प्रस्ताव है। योजना लगभग 9 माह पहले बनी थी तथा धनाभाव के कारण क्रियान्वयन नहीं किया जा सका।

(2) वर्ष 1980-81 में केवल 6 ग्रामों की हैण्ड पंप योजनाएं अभी तक स्वीकृत हुई हैं जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। चूंकि चालू वर्ष में ग्रामों के चयन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है अतः ग्रामों की पूर्ण सूची प्रस्तुत करना संभव नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री समर्थलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि योजना कितने लाख की बनी? क्या धनाभाव के कारण यह योजना पूर्ण नहीं हो पाएगी और इस योजना को कब तक पूरा करने की सरकार की योजना है?

श्री रामपाल उपाध्याय:माननीय अध्यक्ष, महोदय माननीय सदस्य महानुभाव को यह स्पष्ट मालूम होना चाहिए कि सारे राजस्थान की पेयजल समस्या का निदान करने का लक्ष्य पहले दस साल का था। अब सरकार ने इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए समय की अवधि पांच वर्ष कर दी है। पांच वर्ष में सारे राजस्थान को पेयजल की समस्या से मुक्त कराने का हमारा कार्यक्रम है। इसलिए इन सारी योजनाओं पर पुनर्विचार किया जा रहा है और उसके बाद पहले जो धनराशि का प्रावधान था वह दुगना,-तिगुना, यानि पहले से ज्यादा आवंटित किया जाएगा। इस प्रकार सारी योजनाओं का पुनर्गठन होगा। जो प्रश्न पूछा है वहां पर दो ट्यूब वैल्स हैं। वहां पर हार्ड पत्थर आ गया है जिसमें पानी नहीं है। इसलिये नया अनुसन्धान किया जा रहा है। आपके प्रश्न की जो मंशा है, राजगढ़ के किनारे-किनारे 3-4 गांव हैं उनकी जनसंख्या 425 है, उनको पेयजल उस सोर्स से देने का प्रश्न है। पहले वाले सोर्स से पानी दे रहे हैं वह कम पड़ रहा है और हमारे ट्यूब वैल्स को जितना पानी देना चाहिए, वह नहीं दे रहे हैं। इसलिए अनुसंधान किया जा रहा है। आपसे यह अनुरोध कर रहा हूं कि पेयजल की समस्या को नवीनतम रूप देने के लिए सरकार कृत संकल्प है।

श्री **समर्थलाल**: क्या यह सही है कि विभाग ने एक छोटी योजना भी बनाई है? नगरपालिका क्षेत्र की एक चौथाई जन संख्या को पानी अभी भी नहीं मिल रहा है। आसपास जो चार-पांच पंचायतें है उनके कुओं का पानी सूख गया है। नगरपालिका क्षेत्र से लगा हुआ एक हिस्सा है जो आधा किलोमीटर की दूरी पर है वहां पर एक नया ट्यूब वैल खुदा है। वहां पर ही दो चार ट्यूब वेल्स और खोदे जाएं तो उससे नगरपालिका क्षेत्र और आस पास की पंचायतों को पानी दिया जा सकता है। क्या यह सही है कि इन सब योजनाओं के अलावा अलग से कोई छोटी योजना भी बनायी गयी है?

श्री रामपाल उपाध्याय : यह सही है कि राजगढ़ के पास के छोटे-छोटे गांवों की पेयजल की समस्या के निदान करने हेतु योजना बनायी गयी है। यह सही है कि वर्तमान में जो स्त्रोत हैं-उन स्त्रोतों से इन गांवों को पानी दिया

(श्री रामपाल उपाध्याय)
जाए। माननीय सदस्य राजगढ के बारे में प्रश्न न पूछ कर दूसरे के बारे में फिर प्रश्न पूछेंगे तो मैं जबाब दे सकूंगा। अब हमने इसके लिये अनुसन्धान करवाया है। 8 मील की दूरी पर जल स्त्रोत मिला है। केवल चार पांच पंचायतें ही नहीं बल्कि ज्यादा को पानी दे सकते हैं। अब इसका तखमीना बनाने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। कुल 21 लाख का खर्चा होता है। इस पैसे से दूसरे गांवों को लाभ देने के लिए विभाग द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। सरकार इस दिशा में सचेष्ट है। विभाग सचेष्ट है। पेयजल की समस्या का निदान करने के लिए हम कृत संकल्प है।

श्री अध्यक्ष : अगल प्रश्न।

दस साल की अवधि को पांच साल कर दिया है। इससे आपको आशान्वित होना चाहिये।

श्री समर्थलाल : 21 लाख की जो योजना बनी है उसमें चार पंचायतें शामिल हैं।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है ?

श्री समर्थलाल : जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने बताया है 21 लाख की योजना के अलावा एक छोटी योजना विभाग द्वारा और बनायी गयी है जिसकी तत्काल मन्जूरी करनी चाहिए और जो पानी की वहां पर अव्यवस्था है, नगरपालिका का जो एरिया है, वह एरिया ऐसा है जिसमें शिड्यूल्ड कास्ट के लोग, कोली, भंगी वगैरह ज्यादातर रहते हैं और वहां पर पानी की प्राब्लम है। इसलिए 21 लाख की योजना के अलावा जो छोटी योजना 4 5 लाख की है उसको आप कब तक कार्यान्वित करेंगे, यह बताने का कष्ट करें ?

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले निवेदन किया है अनुरोध किया है, इस कार्यक्रम को अधिक गतिवान बनाने के लिए, जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं उसका लाभ ज्यादा हो, उसके लिए सरकार विचार कर रही है। जो छोटी योजना बनायी गयी है उसकी फिजीबिलिटी कितनी है, कितना लाभ होगा और उसके आसपास के गांवों को जो आप बता रहे हैं, उनको पानी मिल सकेगा या नहीं। इसके लिए राज्य सरकार चिन्तित है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, बेकवड क्लासेज को जल्दी से जल्दी और अधिकाधिक पानी मिले। इसके लिए हम कृत संकल्प हैं।

प्रश्न संख्या–472

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न !

श्री चुन्नीलाल !
(अनुपस्थित कृपया आगे देखें)

श्री देवीसिंह !

आयुर्वेद रसायनशालायें

580. **श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)**: क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितनी आयुर्वेद रसायन शालाएं हैं, जिनकी औषधियों के बिलों का पुनर्भरण सरकारी कर्मचारियों द्वारा कराई गई चिकित्सा के बदले किया जाता है?

(2) क्या इन रसायन शालाओं द्वारा निर्मित औषधियों की कीमतों पर सरकार का कोई नियन्त्रण है ?

(3) इन रसायनशालाओं को सरकार क्या-क्या जिन्सें नियन्त्रित मूल्य पर उपलब्ध कराती है ?

(श्री देवीसिंह भाटी)

(4) किन-किन चीजों के परमिट अथवा आयात लाइसेंस इन रसायनशालाओं को दिए जाते हैं ? कृपया ऐसी रसायन-शालाओं की सूची उनको दिये जाने वाले परमिटों की मात्रा सहित सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या इन रसायनशालाओं द्वारा निर्मित औषधियों के नमूने समय-समय पर लिए जाने का प्रावधान है ? क्या ऐसे नमूनों के आधार पर किसी भी रसायनशाला के विरुद्ध किसी प्रकार की कानूनी कार्य-वाही की गई है ? यदि की गई है तो कृपया उसका विवरण उपलब्ध करावें ।

अध्यक्ष महोदय, मैंने सूची मांगी थी वह उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : (चिकित्सा मंत्री आपने सूची नहीं मांगी है)

श्री देवीसिंह भाटी : मैंने लिखित में सूचना मांगी है ।

श्री अध्यक्ष : आप पहले जवाब सुन लीजिए ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपने प्रश्न के भाग एक में यह पूछा है राज्य में कितनी आयुर्वेद रसायनशालाएं हैं ?

श्री अध्यक्ष : आप पहले उत्तर दीजिए।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : (1) 45 आयुर्वेद रसायनशालायें हैं ।

(2) जी नहीं । अप्रूवल के समय दवाओं की कीमत लिस्ट में शामिल होती है ।

(3) इन रसायनशालाओं को केवल नारकोटिक ड्रग नियंत्रित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है ।

(4) भारत सरकार की वर्तमान नीति के अन्तर्गत किसी रसायनशाला को आयात लाइसेन्स प्रदान नहीं किया गया क्योंकि किसी का आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

(5) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कर्ता ।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीपोद): मंत्री महोदय ने यह बताया है कि 45 रसायनशालाओं की स्वीकृति दी है। तो इसका क्या क्राइटेरिया है, किस प्रकार से इनको मान्यता दी जाती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसके लिए एक कमेटी बना रखी है विभाग ने और जो एप्लीकेशन आती है हर साल उनका सलेक्शन किया जाता है ।

श्री दाऊदयाल जोशी : जो कमेटी बना रखी है क्या उसमें कोई जन प्रतिनिधि भी है या केवल राजकीय कर्मचारी ही हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : राजकीय कर्मचारी ही हैं ।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा निवेदन है कि इसमें भयंकर भ्रष्टाचार है । मंत्री महोदय को मैं यह बताना चाहूंगा कि कम से कम 200 एप्लीकेशन हैं परन्तु मान्यता देने के लिए सौदेबाजी की जाती है। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि इस सौदेबाजी को बंद करें। दूसरा जो प्रश्न के भाग चार में पूछा गया है उसकी सूची नहीं दी गयी है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब दे रहा हूं। भाग चार में आपने जो सूचना चाही है उसका जवाब दिया है कि किसी रसायनशाला को लाइसेन्स नहीं दिया गया है। फिर सूची देने का प्रश्न नहीं आता है।

श्री देवीसिंह भाटी : प्रश्न के भाग 5 में हमने पूछा है इन रसायनशालाओं द्वारा निर्मित औषधियों के नमूने समय-समय पर लिय जाने का प्रावधान है? क्या ऐसे नमूनों के आधार पर किसी रसायनशाला के विरुद्ध कार्यवाही की गई है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय मैंने इसके उत्तर में कहा है—जी नहीं। ऐसा कोई कानून नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी : राजस्थान सरकार ने 39 ड्रग्स इन्स्पेक्टर नियुक्त किए हैं और उनमें 3 आयुर्वेदिक इन्स्पेक्टर हैं जो आयुर्वेदिक औषधियों को चैक करने के लिए हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिए।

श्री दाऊदयाल जोशी: ये तीन इन्स्पेक्टर क्या करते हैं?

श्री देवीसिंह भाटी: क्या ऐसे नमूने लिए हैं और उन पर कार्यवाही हुई है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने निवेदन किया कि ड्रग्स एक्ट, 1965 जिसके आधार पर कार्यवाही होती है उसमें मैन्यूफैक्चरर को लाइसेन्स देने का प्रावधान है हम उनको लाइसेन्स देते हैं। किस तरह से वेचते हैं, कौन-कौन वेचता है, इसके लिए कोई कानून नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा की मांग पर मैंने इस ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाया था। चाहे एलोपैथी या आयुर्वेदिक औषधि हो, उसको चैक करने का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। आप इनको क्यों तनख्वाह दे रहे हैं? इन पर देख रेख का कोई प्रावधान नहीं है। आपको माननीय दाऊदयालजी ने कहा था-सब चीजों में मिलावट चल रही है।

श्री अध्यक्ष: अलग से प्रश्न।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आज हर औषधि में मिलावट हो रही है। उसको रोकने के लिये क्या प्रावधान कर रहे है?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया, बहुत स्पष्ट निवेदन किया कि भारत सरकार का ड्रग्स एक्ट, 1965 है इसके अन्दर अंग्रेजी दवाओं के लिय प्रावधान है और यह सारे हिन्दुस्तान में लागू होता है। उसके अन्दर आयुर्वेद की दवाओं के लिये इस प्रकार की जांच करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा: मंत्री महोदय राजस्थान में जो औषधियों में मिलावट चल रही है उनके बारे में जांच का कोई कानून बनायेंगे?

(14)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह सारे हिन्दुस्तान का कानून है। हम भारत सरकार को इस संबंध में लिखेंगे कि वह इस प्रकार का प्रावधान उक्त एक्ट में करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : क्या यह सही है कि कोटा नगर में एक रसायन कम्पनी को नारकोटिक ड्रग का कोटा अलॉट किया जाता था वह अब भी किया जाता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अलग प्रश्न है।

श्री दाऊदयाल जोशी : आयुर्वेद की रसायनशालाओं के लिये...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज। प्रश्नकर्ता

श्री देवीसिंह भाटी: आयुर्वेद विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन की किताब के पेज नम्बर 5 पर लिखा है कि ड्रग इन्स्पेक्टर्स नियुक्त किये हुए हैं। इसका क्या कारण है ? एक तरफ तो नियुक्त कर रखें है और दूसरी तरफ इनके पास कोई काम भी नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने निवेदन किया कि मैन्यूफैक्चरिंग लाइसेन्स देते हैं उनका यह काम है कि जो मैन्यूफैक्चरिंग लाइसेन्स दिये हैं वे काम कर रहे हैं या नहीं, वे इसकी जांच करते हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

श्री दाऊदयाल जोशी : एक करोड़ से अधिक की औषधियां अगर एलोपैथिक रसायनशालाओं से बनकर निकलती हैं तो उसकी जांच की जाती है आयुर्वेद की दवाइयां भी एक करोड़ रुपये से अधिक की अनेक कम्पनियां भेजती हैं तो क्या राज्य सरकार इस प्रकार का कोई विशेष कानून बनाने का विचार रखती है ?

(व्यवधान)

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : भारत सरकार का...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री देवीसिंह भाटी : एक-एक ड्रग इन्स्पेक्टर्स नियुक्त है और इस प्रकार की जांच करने का कोई प्रावधान नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रावधान नहीं है, इस प्रकार का कोई।

श्री देवीसिंह भाटी: क्यों नहीं है ? अगर नहीं है, तो इस पद को हटाया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने निवेदन किया कि यह सारे हिन्दुस्तान में लागू होता है और राजस्थान में ही नहीं सारे हिन्दुस्तान में जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं उनके निरीक्षण के लिय कोई प्रावधान नहीं है। हमारे जो इन्स्पैक्टर्स हैं वे इसलिये नियुक्त किय जाते हैं कि हम जो मैन्यूफैक्चरिंग लाइसेन्स जारी करते हैं, उसको देखते हैं। इन्स्पेक्टर्स यह देखते हैं कि जो दवाई बनाने वाला है उसके पास लाइसेन्स है या नहीं है।

(15)

एक माननीय सदस्य: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि आपकी जो एजेंसियां हैं, सरकारी रसायनशालाएं है नमें जो औषधियां बन रही हैं और जो कम कीमत वाली जैसी हैं लवण भास्कर चूर्ण और द्राक्षावलेह आदि में भी जो ड्रग डाला जाता है और जो डाला जाना चाहिये वह नहीं डाला जाता हैं मिलावट की जाती है। सरकारी रसायनशालाओं से भी अगर शुद्ध औषधियां नहीं मिलेगी तो फिर आखिर मिलेगी कहां ? मंत्री महोदय कहते हैं कि हमारे यहां कोई कानून नहीं है नियम नहीं है। ये आपकी रसायनशालायें लोगों के लिये गलत औषधियां बनाती हैं और लोगों के जीवन से खिलवाड़ करती हैं हम रोजना देखते हैं और आयुर्वेद का जानकार होने के नाते जानते हैं कि यह रसायनशाला अशुद्ध औषधियां बनाती हैं मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं। है कि कानून नहीं तो भी अपनी शालाओं से शुद्ध औषधियां मिलनी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। पुनरावृत्ति न करें। उत्तर आने दीजिये माननीय सदस्य।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह जो प्रश्न है उसमें जो प्रश्न है वह हमारी जो प्राइवेट रसायनशालायें हैं उनके बारे में है। जहां तक सरकारी रसायनशालाओं का प्रश्न है वह एक अलग प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें। इस प्रश्न को काफी समय दे दिया है। अगला प्रश्न। श्री जनार्दन सिंह गहलोत।

एक माननीय सदस्य : क्या सरकार इस प्रकार की जांच के लिय कोई व्यवस्था करने का प्रयास करेगी ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री जनार्दन-सिंह गहलोत।

राष्ट्रीय और राज्य स्तर के श्रमिक खिलाड़ी

581. श्री **जनार्दनसिंह गहलोत** (करौली) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य के विभागों में कार्यरत श्रमिकों (केजुअल व स्थायी) में से कुल कितने राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर के खिलाड़ी हैं ?

(2) क्या विभागीय श्रमिक श्रेष्ठ खिलाड़ियों को विशेष सुविधायें प्रदान की जाती हैं ? यदि हां, तो किस-किस प्रकार की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) विभागीय श्रमिक खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार के पास क्या योजना है ?

(4) पिछले दो वर्षों में विभागीय श्रमिक खिलाड़ियों में से कौन-कौन से खेलों में कितने-कितने खिलाड़ी राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय खेलकूद में श्रेष्ठ घोषित हुए ? विभाग सहित नामों की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय इस सवाल का संबंध राजस्थान के सभी विभागों से है इसलिय इसमें स्थगन चाहिये।

श्री अध्यक्ष: स्थगित किया गया। अगला प्रश्न। श्री भैरूंसिंह गुर्जर।

(16)

राजकीय बांगड़ चिकित्सालय पाली के कम्पाउण्डर स्व. श्री झाला के क्लेम्स का भुगतान

582. श्री **भैरूंसिंह** गुर्जर (खारची) : **क्या** चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे** :-

(1) क्या राजकीय बांगड़ चिकित्सालय, **पाली के** कम्पाउण्डर स्व. श्री सम्पत राज **झाला की** मृत्यु को रहस्यमय मानते हुए जांच **करवाई** गई थी ? यदि हां, तो जांच किसने **की** व क्या परिणाम निकला ?

(2) मृतक की भविष्य निधि एवं जीवन **बीमा** की राशि का उत्तराधिकारी कौन था **व** राशि किसे दी गई ?

(3) क्या यह सही है कि अभी भी **मृतक** को किसी राशि का भुगतान करना **बाकी** है ? यदि हां, तो भुगतान अब तक **क्यों** रुका रहा ?

चिकित्सा मंत्री (श्री बद्री प्रसाद गुप्ता) : (1) जी हां। जांच अपर पुलिस अधीक्षक, **सी.** आई. डी. (सी. बी.), जोधपुर द्वारा **की** गई थी। जांच रिपोर्ट से मृत्यु टी. बी. **रोग के कारण** होना पाया गया।

(2) मृतक का उत्तराधिकारी उसकी **पत्नी** है। राजकीय बीमा राशि के अलावा **सभी** प्रकार की देय राशि मृतक **की पत्नी** श्रीमती उषा झाला को दी गई है।

(3) जी हां। बीमा विभाग की अभी तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

श्री **भैरूंसिंह गुर्जर**: माननीय अध्यक्ष **महोदय**, जैसा कि अभी चिकित्सा मंत्री जी **ने बताया** कि मृतक के उत्तराधिकारी को सारा पैसा दे दिया है। आपको सूचनार्थ बताऊं कि मृतक ने अपने छोटे भाई को अपना नोमिनी बनाया था बाद में उसकी पत्नी ने उत्तराधिकारी के झूठे डाकूमेंट प्रस्तुत किये **उसके** ऊपर डायरेक्टर ने स्टे भी दिया था। उसका **क्लेम** था। चिकित्सा मंत्री बतायें कि क्या इस संबंध में कि सर्तकता कमेटी में, पाली में किसी सदस्य ने या किसी अन्य ने यह मामला उठाया था ?

श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता** : माननीय अध्यक्ष महोदय, एल.आई.सी. का पैसा तो मिल **चुका** है जो उसकी पत्नी के नाम से था। **बल्कि** है उसके लिए उसकी पत्नी **और** भाई का झगड़ा चल रहा है। इसमें उसके **छोटे** भाई के नाम से था बाद में उसके पुत्र का नाम और जोड़ दिया गया। एल. आई. सी. इसकी इन्क्वायरी कर रहा है। इसकी रिपोर्ट आने पर कार्यवाही करदी जायगी।

श्री **भैरूंसिंह गुर्जर**: मैं निवेदन कर रहा था कि सतर्कता कमेटी में किसी ने यह मामला उठाया था क्या ?

श्री **बद्री प्रसाद गुप्ता**: यह अलग बात है।

श्री **भैरूंसिंह गुर्जर** : यह अलग बात नहीं है।

श्री **अध्यक्ष** : यह अलग बात है। आप इसमें पूछ लेते कि सतर्कता कमेटी में उठाया था।

श्री **भैरूंसिंह गुर्जर** : उत्तराधिकारी का र्सटिफिकेट दिया जाता है। मृतक ने अपना नोमिनी अपने छोटे भाई को बनाया था तो पत्नी ने उत्तराधिकारी का र्सटिफिकेट कहां से लिया ? यह बताय।

(17)

श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता** : यह बीमा विभाग का कार्य है। हमारे विभाग से इसका कोई संबंध नहीं है।

श्री **भैरूंसिह गुर्जर** : बीमा विभाग का तो केस चल रहा है पर आपके विभाग ने जो पैसा पत्नी को दिया है वह कैसे दिया ? नोमिनी तो उसका छोटा भाई था। इसकी शिकायत डायरेक्टर को, सी.एम.एच.ओ. को लिखित में की थी पर वहां डिप्टी सी.एम.एच.ओ., श्री हरिनारायण जी माथुर की मिली भगत करके झूंठे सर्टिफिकेट लगाकर के नोमिनी बदल दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पैसा उसके भाई को न देकर के उसकी पत्नी को दे दिया गया। इसका क्या कारण है ? मैं पूछना चाहता हूं ...

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज।

श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता** : यह अलग डिपार्टमेंट की बात है उसकी जांच कर रहे हैं। और उसकी जांच के बाद कार्यवाही की जायगी।

श्री **भैरू सिंह गुर्जर** : मैं, अध्यक्ष महोदय, पूछूं कि अब तक जो राशि थी वह किस आधार पर पत्नी को दे दी गयी ? अब मैं आपको बताऊं कि मृतक के पिता ने, मां ने, छोटे भाई ने मृतक की मौत की शिकायत सभी जगह की, पुलिस विभाग में की। मृतक की बीमारी है यह कहकर उसको मार दिया गया है। बाद में हॉस्पिटल लेकर चले गये और डाक्टरों से मिलकर यह घोषित कर दिया कि हॉस्पिटल में मृत्यु हो गयी। जिसमें जांच का परिणाम यह निकला कि टी.बी. से मृत्यु हुई। उसके पिता ने तत्कालीन सरकार को पत्र भी लिखा, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई, उसकी पत्नी को राशि दे दी गई। मैं यह जानना चाहता हूं कि वह सक्सेशन सर्टिफिकेट कहां से लेकर आई ?

श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता** : अध्यक्ष महोदय, जहां तक उस कम्पाउन्डर की मृत्यु का सवाल है, पुलिस ने जैसा जो इन्क्वायरी की है उसकी रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है। सारी बातों की जांच की गई। उन्होंने उसका डॉक्टरी मुआयना करवाया। उसका नतीजा यह निकला कि पहले भी उसके फेफड़े का ऑपरेशन हो चुका था। उसकी मृत्यु क्षय रोग के कारण हुई यह रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है। जहां तक उत्तराधिकारी का सवाल है मामले की जांच हो रही है। रिपोर्ट आने पर पता लगेगा।

श्री **भैरूंसिह गुर्जर** : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है।

(व्यवधान)

श्री **गोविन्दसिंह गुर्जर** : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अभी यह फर्माया कि विभाग द्वारा देय राशि उसकी पत्नी को दी गई। माननीय सदस्य यह पूछना चाहते हैं कि क्या इण्डियन सक्सेशन एक्ट के मुताबिक उसने सर्टिफिकेट प्राप्त किया था ?

श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता** : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह बताया है कि राजकीय बीमा की राशि के अलावा जो राशि देय थी वह दी गई है। राजकीय बीमा की राशि किसी को नहीं दी गई है। उसका झगड़ा चल रहा है।

श्री **भैरूंसिह गुर्जर** : मैंने यह पूछा था कि जो राशि दी गई है वह किस आधार पर दी गई है ?

(110)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, भविष्य निधि की राशि, दो-दो साल हो जाते हैं...

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है, माननीय सदस्य।

स्थगित प्रश्न 285, सुश्री पुष्पा जैन।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 1 अगस्त, 1980)

थानों में दर्ज अपहृत एवं गुमशुदा महिलाओं के प्रकरण

285. सुश्री **पुष्पा जैन** (आमेर) : क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनवरी, 1980 से लेकर अब तक कितनी महिलाओं के गुम होने व अपहरण की रिपोर्ट थानों में दर्ज हुई ? कृपया नाम पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उनमें से कौन-कौन सी महिला बरामद हो गई और किन किन अपहरणकर्त्ताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उप-मंत्री गृह (श्री रामपाल उपाध्याय) :

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सुश्री **पुष्पा जैन** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल के जवाब में जैसा माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि सूची सदन की मेज पर रख दी गई है, इस संबंध में मेरा पहला एतराज यह है कि मैंने इस सवाल में आज तक की अपटूडेट सूची मांगी थी, यह तो मैं भी समझती हूं कि आज तक की सूची वह नहीं दे सकते, लेकिन उन्होंने 30-6-80 तक की सूची दी है जबकि पिछला महीना निकल गया और इस माह की 20 तारीख आ गई, प्रश्न को स्थगित करने के बावजूद भी अधूरा उत्तर दिया है इसका क्या जवाब है ? दूसरी बात, जो सूची दी है, इसका आपको पूरा जवाब देना पड़ेगा, खाली सूची सदन की मेज पर रख दी, इससे काम नहीं चलने वाला है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, शान्त रहें, माननीय सदस्य।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों के प्रश्नों का समुचित उत्तर देना सरकार का कर्त्तव्य है और जैसा चाहा गया था, एक लम्बी-चौड़ी सूची प्रस्तुत कर दी गई है और सारी सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : सरकार से और क्या हो सकता है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस सूची के अनुसार कितनी महिलाओं का अपहरण हुआ, कितनी महिलायें बरामद हुई, कितने मामलों में चालान हुआ? सूची तो उन्होंने माननीय सदस्यों को दे दी, लेकिन उसका ब्यौरा क्या है, सरकार इसका उत्तर दे दें ?

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के माननीय नेता ने जो फर्माया है उसकी सूचना इस प्रकार है—कुल महिलायें जो अपहृत की गई—708....

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल): फरवरी, 80 में केसेज ज्यादा हुए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य शान्त रहें, आर्डर प्लीज।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष महोदय, फरवरी, 80 तक के मैंने आंकड़े दिये हैं, जो तथ्य हैं सो तथ्य है, इसमें क्या बात है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : इनके राज में कितनी हुई यह भी बता दीजिये ?

(व्यवधान)

भैरोंसिंह जी के राज में कितने हुए ?

श्री श्रीराम गोटवाला : इनकी इसमें विशेष रूचि है।

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्नों का ब्यौरा इस प्रकार है —1978 में 1016।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, कृपया शान्त रहें।

श्री श्रीराम गोटवाला (किशन पोल बाजार) : आप सुनिये तो सही।

श्री रामपाल उपाध्याय : जुलाई, 1978 तक 1016, जुलाई 1979 तक 924.

श्री प्रद्युम्न सिंह : शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं रही है, अध्यक्ष महोदय।

श्री सूरज पाल सिंह (भीनमाल) : जनवरी फरवरी में ही कबाड़ा कर दिया।

श्री रामपाल उपाध्याय : बरामद हुई महिलाओं की संख्या 489 और जो मामले अभी विचाराधीन हैं, विभिन्न स्थानों पर, जैसे मद्रास में, पंजाब में उनकी संख्या 229 है। इसके अलावा जो सूचना उपलब्ध है वह भी मैं देना उचित समझूंगा कि इसमें हमारे पास कुल 708 अपराधों की संख्या आई है जिनमें 298 मामलों में एफ. आई. आर. दर्ज कर दी है, अदम वकुआ।

श्री भंवर लाल शर्मा : बरामद भी हो गई ..

(व्यवधान)

श्री रामपाल उपाध्याय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा, कृपया, सुनने का कष्ट करें। तफतीश में 269 मामले हैं और इनमें से 121 घटनाओं का चालान कर दिया गया है और 17 के बारे में पुनः जांच की जा रही है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो इन्होंने 708 बताये हैं, ये कितने महीने में हुए ?

(व्यवधान)

(20)

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी

माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्री महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष माननीय सदस्य, शान्त रहें ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय गृह मन्त्री महोदय ने जो आंकड़े दिये हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस वर्ष जुलाई में कितने हुए ?

(व्यवधान)

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष महोदय, जुलाई से पूछा गया था, अब चूंकि माननीय सदस्य बहुत उत्सुक हैं, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि वे सुनने का कष्ट करें, 1978 के पूरे साल में 1682 घटनायें हुईं, 1979 में 1,472 घटनायें हुईं . . .

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वह कौन-सी एजेंसी है जो इस प्रकार का कार्य कर रही है. . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ।

श्री भैरों सिंह शेखावत : मैं जानकारी करना चाहूंगा माननीय उप गृह मंत्री ने जो आंकड़े दिये हैं, 78 के, 79 के और 80 के, 7 महीनों के या 6 महीनों के उन्होंने 78, 79 के केसेज जो थे उनकी जानकारी दी । रिकवरी का पर्सेन्टेज क्या है ? इन 7 महीनों या 6 महीनों के रिकवरी का पर्सेन्टेज क्या है ? 79 में पर्सेन्टेज क्या है, 78 में पर्सेन्टेज क्या है ? . . . .

(व्यवधान)

श्री रामपाल उपाध्याय : यह अलग से प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उन्होंने तो उत्तर दे दिया है ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, उसमें भी कोई गलती हो. . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप प्रश्न करें, बीच में डिस्टर्ब नहीं करें तो ज्यादा अच्छा होगा लेकिन जानकारी तो मिले । मैं जानकारी मांगने के लिए खड़ा हुआ हूं । 79 में कितनी घटनायें हुईं, 78 में कितनी घटनायें हुईं । इसमें कितने रिकवरी हुई, कितने केसेज की रिकवरी हुई, कितने का प्रोसेस हुआ ? क्या यह सही है कि 78 और 79 के या इन 6 या 7 महीनों के आंकड़े दिये हैं । इसमें 79 के मुकाबले रिकवरी का, एक्शन का पर्सेन्टेज ज्यादा था ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । शान्त रहें माननीय सदस्य ।

(21)

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि प्रश्न पूछा था, इसलिए मैंने विस्तार से तैयारी करके निवेदन किया। बीच में माननीय सदस्यों ने आंकड़े पूछे थे वह 78-79 के प्रस्तुत किये हैं जो मेरे पास उपलब्ध थे। अब माननीय सदस्य अलग प्रश्न पूछ रहे हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही है कि 78 की रिकवरी का पर्सेन्टेज 76 पर्सेन्टेज था, 79 के अन्दर 72 पर्सेन्टेज थी, इस समय केवल 56 पर्सेन्ट है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

एक माननीय सदस्य : आप कह देते हैं कि 76 पर्सेन्ट था, वह आप पेश करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशन पोल, जयपुर) : मेरे एक प्रश्न का उत्तर...

(व्यवधान)

श्री सूरजपाल सिंह : वह हम जानना चाहते हैं, सदन को गुमराह किया जाता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री रामपाल जी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरा भी एक प्रश्न है। माननीय भैरोंसिंह जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो 5 मर्डर हुए....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है, माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक सवाल, अध्यक्ष महोदय, जो प्रतिपक्ष के नेता ने कहा है कि 78 में 76 पर्सेन्ट था। इस प्रकार, क्या मंत्री महोदय यह बताने कि कृपा करेंगे कि 78 और 79 के अन्दर रिकवरी क्या है?

श्री रामपाल उपाध्याय : विरोधी पक्ष के नेता माननीय महोदय ने जो फर्माया मेरे हिसाब से उनका अनुमानित ब्यौरा है ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री सूरजपाल सिंह : 78-79 में क्या हुआ है? मुख्य मंत्री जी जो थे, उस समय उन्होंने क्या किया?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ......

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

(व्यवधान)

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्रीमती उज्ला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहती हूं कि क्या इस बात को रोकने के लिए प्रयत्नशील हैं......

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। प्रश्न काल समाप्त हुआ, आर्डर प्लीज।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं....

श्री अध्यक्ष : मेरी मजबूरी है, माननीय सदस्या।

सुश्री पुष्पा जैन : मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवायें। मेरा मूल सवाल है, उसकी जानकारी दी जाय।

श्री अध्यक्ष : वह जानकारी उपलब्ध नहीं है। 30 जून तक की है। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्या, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय; मेरे दो प्रश्न थे .....

श्री अध्यक्ष : आसन की मजबूरी है, मेरी सहानुभूति है आपके साथ।

श्री देवीसिंह भाटी : मेरे एक प्रश्न का जवाब तो दें। वरना हमारे साथ यह अन्याय होगा....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

मेरी मजबूरी है।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, आप कृपया मेरा उत्तर मत निकालिये, लेकिन मेरी बात सुन लीजिये।......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया स्थान ग्रहण करें।

सुश्री पुष्पा जैन : मेरी बात का उत्तर मत लाईये, मुझे एक बात कहने की इजाजत दें। माननीय मंत्री महोदय ने 78-79 के आंकड़े दिये हैं......

श्री अध्यक्ष : कृपया, स्थान ग्रहण करें।

सुश्री पुष्पा जैन : मैंने 80 की जानकारी चाही है ......

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान, ग्रहण करें। आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पॉइन्ट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, सदन में जितने भी स्थगित प्रश्न आते हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर तथा समय निश्चित होता है। आज 3-4 स्थगित प्रश्न हैं। इस स्थगित....

श्री अध्यक्ष : उसके लिये मैंने 15 मिनिट का समय दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने उसके लिए समय निश्चित किया। आप एक बात बतायें अगर ट्रेजरी बैंचेज या सत्ता पक्ष फैसला कर दे इसका कि उत्तर सही नहीं आया तो आप उसको अनुमति देते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि 15 मिनट के समय में 2 स्थगित प्रश्न किये जा सकते हैं ? सत्ता पक्ष वाले खड़े हो गये जिसके कारण प्रश्न नहीं पूछ सके और मंत्री महोदय उत्तर नहीं दे सके। यदि आप उचित समझते हैं तो उस प्रश्न का उत्तर आने दीजिये। आखिर हाउस का समय, 15 मिनट में माननीय

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

गृह मंत्री जी दे देते तो सारा स्पष्टीकरण हो जाता।. लेकिन माननीय सदस्य यह जो करते हैं कि सरकार को उत्तर नहीं देने देंगे और सरकार के मंत्री खड़े होते हैं तो वह उत्तर नहीं दे सकेंगे। तो वह स्थिति असहनीय हो जायेगी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यूं तो इस सदन की परम्परा इस प्रकार की रही है कि स्थगित प्रश्नों को 15 मिनट का समय दिया जाता रहा है और आज भी. आपने 15 मिनट का समय दिया है। उसके बाद में आप सप्लीमेन्ट्री ज्यादा पूछते जायेंगे तो निश्चित तौर से दूसरे प्रश्न नहीं आ सकेंगे। जनता रूल में आपके समय एक प्रश्न आया करता था और उस समय आप एक घंटा लगाते थे, उस समय यह परम्परा डाली, आप चाहते थे कि मंत्री तैयार होकर नहीं आये, हम प्रश्न तैयार करके आ जाय, उनका जवाब दिलाते नहीं आप खुद की बेंच पर बैठे सदस्यों से कहते थे कि और सप्लीमेन्ट्री प्रश्न पूछते जाओ।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : सदन को भ्रम में डाल रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपको बुरी बात नहीं लगनी चाहिये, आपकी डाली हुई ये परम्परायें हैं जिनके लिये मैं निवेदन कर रहा था। लेकिन हम चाहते थे कि आपने जो शुरू शुरू में तय किया था कि जब भी प्रश्न आये उस पर पहले दो सप्लीमेन्ट्री प्रश्नकर्ता पूछ ले, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा दो सप्लीमेन्ट्री और पूछ लेने चाहिये और फिर नैक्स्ट सवाल, आना चाहिये लेकिन आप कोआँपरेट नहीं करते, सवाल रह जाते हैं और उसका दोष हम पर मढ़ते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरा निवेदन है कि जब प्रश्नकर्ता ने स्वयं खड़े होकर प्रश्न पूछा और सप्लीमेन्ट्री पूछे। अब विरोधी दल के नेता ने सवाल उठाया और कहा कि ट्रेजरी बैंचेज द्वारा समय बर्बाद किया गया। तो सप्लीमेन्ट्री सवाल पूछने का जितना हक आपको और आपके दल को है उतना ही हक हमारा और हमारे दल का है, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसके पीछे मन्शा थी? नीयत थी सरकार को बदनाम करने की। इसलिये जो पूर्व के आंकड़े थे वे लेना भी आवश्यक था कि आपके कार्यकाल में क्या होता रहा है? उस संदर्भ में हमारे लिए प्रश्न पूछना लाजिमी था। अगर हम प्रश्न न पूछते तो एक तरफा जवाब रिकार्ड पर आता। इसलिए हमने उचित समझा कि सरकार को बदनामी से बचाना है तो आपके कार्यकाल में कार्यकलाप हुए हैं उनकी जानकारी देनी चाहिये इसलिये हम पर आरोप लगाना कि हम प्रश्नकाल में बाधा उपस्थित करते हैं यह विरोधी दल के नेता का आरोप ठीक नहीं है, उचित नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य सचेतक महोदय ने क्या उत्तर दिया, मुझे शिकायत नहीं, उन पर तो जनता पार्टी का भूत उनके दिमाग में ऐसा बैठ गया है कि जब भी बोलेंगे जनता पार्टी की परम्पराओं पर चलने की बात निश्चित रूप से करेंगे लेकिन शायद आपको मालूम होगा जनता पार्टी की परम्परा पर चलने से आपको नुकसान न हो जाए, मेरी आपसे सहानुभूति है लेकिन

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

महत्वपूर्ण सवाल था और धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बात कही, मुझे आपत्ति नहीं, कांग्रेस के सदस्यों को भी वही अधिकार है जो विरोधी पक्ष में बैठे हैं उनको भी अधिकार है, वे भी सप्लीमेन्ट्री प्रश्न कर सकते हैं। आज भी खारची से आने वाले माननीय सदस्य ने एक प्रश्न पर 10 सप्ली-मेन्ट्री प्रश्न पूछे, हमने कोई आपत्ति नहीं की हालांकि पूछने वाले की समझ नहीं रहती और मंत्री महोदय अपने उत्तर को नहीं समझ रहे थे, लेकिन हम शांतिपूर्वक सुन रहे थे तो ऐसे प्रश्न पर जहां आप कहते हैं कि जन मानस बनता है, सरकार की छबि बिगड़ती है, ऐसे प्रश्नों पर सरकार को सावधान रह कर, ज्यादा अच्छी तरह से उत्तर देना चाहिये। सरकार की बदनामी तब होगी जब सरकार की कार्यवाही की जनता को जानकारी नहीं मिलेगी।

आज 700-800 अपहरण की घटनायें हुई, उस संबंध में कितने लोगों का प्रॉसी-क्यूशन हुआ, कितनी हरिजन लड़कियां थीं, कितनी माईनोरिटीज की लड़कियां थीं, वे बातें सरकार की तरफ से कहते तो सरकार को लाभ मिलता, लेकिन आपने पिछली सरकार के आंकड़ें बतायें, हमको बदनाम करने में सफल होंगे, लेकिन अपनी सरकार की इमेज प्रोजेक्ट करने में सफल नहीं होंगे। सरकारी पक्ष वह ठीक होगा जो सरकार की इमेज को प्रोजेक्ट करे। आप यहां अपनी इमेज प्रोजेक्ट नहीं कर पाये। आप अपनी सरकार की इमेज खराब कर रहे हैं, इससे आपको लाभ मिलने वाला नहीं है, आप अपनी सर-कार की इमेज को प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि क्वेश्चन्स पूछने में इस प्रकार की बाधा उपस्थित हुई, ऐसे अहम् प्रश्न जिनका जन मानस से संबंध है शांति व व्यवस्था से संबंध है, यदि आप हमारे अधिकारों को सुरक्षित नहीं कर पायेंगे तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ेगा कि हमें फिर आपके माध्यम से या सदन के माध्यम से अपने अधिकारों के लिए कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा जिससे उस क्वेश्चन का महत्व ही खतम न हो जाए। मैं धमकी के रूप में नहीं कहना चाहता, सुरक्षा की दृष्टि से, अधिकारों को प्रोटेक्ट करने की दृष्टि से इसी सवाल को चार बार लाना पड़ेगा, सदन का समय जाएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भीनमाल से जो सदस्य आए हैं, उनसे पूछें कि बीच-बीच में क्यों खड़े हो जाते हैं.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पता लगाया जाए कि कहीं उनको बैंच में स्प्रिंग तो नहीं लगा हुआ है जो बार बार खड़े हो जाते हैं, इस संबंध में आप व्यवस्था करें।

श्री सूरजपाल सिंह : झूठे आंकड़े देते हैं फिर स्प्रिंग...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो निश्चित रूप से इस स्प्रिंग को निकलवाना है।

(व्यवधान)

श्री सूरजपाल सिंह : सत्य आपको बुरा लगता है।

श्री अध्यक्ष : सुश्री पुष्पा जैन ।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : माननीय सदस्य जो राजाखेड़ा से जीत कर आए हैं उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया है कि इस प्रश्न के पूछने की नीयत महज सरकार को बदनाम करने की थी ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे अवसर देंगे, जवाब देने का....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, इसके जवाब में तो मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि "जाकी रही भावना जैसी तिन दीखत प्रभु मूरत वैसी" । अध्यक्ष महोदय, ऐसे सवालात जिनका ताल्लुकात महिलाओं से है हमारी संस्कृति और समाज से है, उन्हें इस सदन में उठाने से रोकने की अनधिकार चेष्टा पूरे महिला समाज के अधिकारों पर कुठाराघात है मेरी समझ में माननीय सदस्य ऐसा नहीं चाहेंगे ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मुझे अपनी बात कहने में माननीय सदस्या अभी नाराज हुई, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की मेरी नीयत नहीं थी, मैं अदब से निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रश्न पूछा, उसका उत्तर आया । विरोधी दल के नेता ने उस पर कुछ कहा, यह निश्चित बात है कि जो उनकी भावनायें हैं वह मेरी नहीं हो, आज प्रेस में, रिकार्ड पर यह बात जाती तो निश्चित रूप से आम जनता में जाहिर होता कि कांग्रेस के राज में महिलाओं के कितने अपहरण हुए, यह न्याय की बात नहीं है । ये अपराध हर काल में हुए हैं, कांग्रेस के 25 साल के शासन में हुए आपके ढाई साल में हुए ।

श्री अध्यक्ष : लम्बा भाषण नहीं ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : भावनाओं का प्रश्न था कि इनके कार्यकाल की बात सामने चली आयेगी तो जनता को महसूस होगा कि यह नई चीज नहीं है, मेरा खाली प्रश्न पूछना यह था, न कोई आरोप है, न कोई मन्शा है....

सुश्री पुष्पा जैन : आज हरिजन महिलायें हैं.... . . .

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपके समय में भी...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, स्थान ग्रहण करें ।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरा 5 तारीख का प्रश्न स्थगित किया गया, प्रश्न संख्या 325 है । वहां जिस तरह का घोटाला है, एक करोड़पति सेठ के क्वार्टर्स बने हुए हैं और किसी आदेश से अपनी निजी संपत्ति करके खड़ा कर लिया, उसके अन्दर कोई कार्यवाही नहीं हुई, मर्जी आई सरकारी सम्पत्ति को निजी सम्पत्ति में शामिल कर दिया । इसके लिये मैं निश्चित तौर से चाहता हूं कि सरकार ध्यान दे और सदन को अवगत कराया जाए, यह बहुत ही गंभीर मसला है, मंत्री महोदय इस बारे में जवाब दें ।

श्री अध्यक्ष : विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने एक पाइन्ट आफ आर्डर का प्रश्न उठाया जब एक स्थगित प्रश्न का उत्तर हाउस में दिया जा रहा था उस वक्त इस पक्ष की ओर से बाधा उपस्थित की गयी और जान बूझकर उस स्थगित प्रश्न को नहीं आने में बाधा उपस्थित की जा रही थी । स्थगित प्रश्न का जो उत्तर आता है उसमें समय निश्चित किया जाता है, दस 15 मिनट का । समय

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्नों की संख्या को देखते हुए तय किया जाता है। हां पक्ष की ओर से, इस प्रश्न पर जब उत्तर दिया जा रहा था, उस वक्त बाधा उपस्थित की गयी, यदि इस तरह की बाधा उपस्थित की जायगी और आसन उसको रेगूलेट नहीं करेगा तो विपक्ष कोई और रास्ता अख्तियार करेगा। कुछ इशारा..

श्री भैरोंसिह शेखावत : हमारा मतलब हाफ एन आवर डिस्कशन से था।

श्री अध्यक्ष : मेरा सभी माननीय सदस्यों से नम्र निवेदन है कि वह समय का सदुपयोग करें. समय का सदुपयोग होना चाहिये. प्रश्न काल समाप्त होता है जब तक मेरी मन्शा यह रही है कि अधिक से अधिक सवाल पूछे जांय। जब एक प्रश्न आता है तो मैं प्रश्नकर्ता को दो-तीन सप्लीमेन्ट्री पूछने की इजाजत भी देता हूं और जब मुझे ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य के करीब करीब सभी सवाल एडजस्ट हो गये हैं तो मैं दूसरे माननीय सदस्य को यदि किसी की इच्छा हो पूरे के पूरे प्रश्न पूछने की, तो उसको भी इजाजत देता हूं, आम तौर पर प्रश्न काल में 10–12 प्रश्न सदन में निपट जाते हैं। कभी-कभी सदन में वातावरण आवेश का हो जाता है और माननीय सदस्य आपस में वाद-विवाद करने लग जाते हैं उस वक्त ऐसा होता है कि उस प्रश्न में ज्यादा समय ले लिया जाता है। मैं उस विवाद को बढ़ाना नहीं चाहता हूं और न ही मेरी नीयत रहती है कि विवाद बढ़े। मैं उसको प्रोत्साहित भी नहीं करता हूं इसके साथ-साथ मैं उस स्थिति को नियमित करने के लिये माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करता हूं और यह भी कहता हूं कि माननीय सदस्य कृपया समय का ध्यान रखें क्योंकि ध्यान नहीं रखने से कई महत्वपूर्ण प्रश्न रह जाते हैं। मैं माननीय सदस्यों से सहयोग मांगता हूं लेकिन माननीय सदस्य इतने आवेश में आ जाते हैं कि सदन का वातावरण खराब हो जाता है वह लोग आपस में ही बातें करने लग जाते हैं। आप स्वंय सभी मानते होंगे कि जब एक पक्ष ऐसा करता है तो दूसरा पक्ष भी वैसा ही करता है। एक पक्ष ज्यादा समय लेता है तो दूसरा पक्ष भी ज्यादा समय ले लेता है। इससे काफी दिक्कत आती है। मैं माननीय सदस्यों से पुनः आग्रह करूंगा कि वह समय का सदुपयोग करें। प्रश्नकाल में जिस प्रश्न का उत्तर नहीं आया हो सीधा या वंछित उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हो या आधा ही उत्तर आया हो या अपूर्ण जानकारी आयी हो तो ऐसे प्रश्न पूछने की मैं छूट देता हूं पर जब वातावरण आवेश पूर्ण हो जाता है तो मेरे पास एक ही इलाज रहता है कि मैं सभी माननीय सदस्यों को यह कहता हूं कि आप आसन को सहयोग दें, आसन पैरों पर है, आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। कई बार महत्वपूर्ण प्रश्न रहने के बारे में भी कहता हूं और सभी को कहता हूं कि आप आसन को सहयोग करें। जहां तक सवाल विरोधी दल के नेता महोदय के पाइन्ट आफ आॅर्डर का है, मैं उनके इस पाइन्ट आफ आर्डर को पाइन्ट आफ आर्डर नहीं मानता हूं, यह पाईन्ट आफ आर्डर की तारीफ में नहीं आता है? यह एक अच्छे सुझाव के रूप में हो सकता है। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से समय के बारे में सदुपयोग करने के लिये निवेदन करूंगा। कई विचारणीय विषय हैं उनको गहराई से लें, उन पर गहराई से विचार व्यक्त करें, मैं माननीय सदस्यों को सभी को बराबर अवसर देता हूं। कई दफा माननीय सदस्य खड़े होकर

(श्री अध्यक्ष)
एक साथ बोलने लग जाते हैं, बिना मेरी इजाजत के ही बोलने लग जाते हैं, चूंकि वह बिना आसन के माध्यम से और आसन के आदेशों की अवहेलना करके आपस में ही बातें करने लग जाते हैं, आसन की तरफ आंख उठा कर भी नहीं देखते हैं। मैं यहां पर आर्डर, आर्डर पुकारता हूं, मेरी भी मजबूरी हो जाती है। मुझे अफसोस है कि आज का स्थगित प्रश्न नहीं हो सका।

श्री भैरों सिंह शेखावत : आप इसको नेक्स्ट टाइम ले लें।

श्रीमती कमला (कृषि मन्त्री) : आप कहें तो मैं उत्तर दे दूं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है आप जवाब दें लेकिन इस स्थगित प्रश्न पर दो से अधिक पूरक प्रश्न माननीय सदस्य नहीं पूछेंगे।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 5 अगस्त, 1980)

ग्राम जयमलसर में सघन पशु प्रजनन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित क्वार्टर्स

325. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या पशु पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर जिले के ग्राम जयमलसर में सघन पशु प्रजनन कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने वर्ष पूर्व क्वार्टर्स बनाये गये थे ?

(2) क्या डाक्टर के रहने के क्वार्टर्स के अलावा पशुओं के रहने के शैड्स व पीने के पानी का कुण्ड बना हुआ था ? यदि हां, तो यह क्वार्टर्स व पशुओं के शैड्स किसके आदेश से तोड़े गये ?

(3) क्या यह सही है कि जिलाधीश, बीकानेर ने सार्वजनिक निर्माण विभाग से लागत मूल्य का अनुमान लिये बिना क्वार्टर्स व शैड्स तोड़ने कि अनुज्ञा दे दी और लागत मूल्य की राशि भी जमा नहीं करवाई ? क्या वे इस हेतु अधिकृत थे अथवा सरकार के ऐसे आदेश थे ?

(4) क्या यह सही है कि क्वार्टर्स से संलग्न लगभग सवा बीघा जमीन पर भी किसी व्यक्ति ने अनधिकृत कब्जा कर लिया है ?

पशुपालन मन्त्री (श्रीमती कमला) :

(1) बीकानेर जिल में जैसलमेर नाम का कोई ग्राम नहीं है। सघन पशु विकास योजना बीकानेर के अन्तर्गत ग्राम जैयमलसर में पशुधन सहायक के लिय सघन पशु विकास उप-केन्द्र 1970 में बनाया था।

(2) डॉक्टर के निवास हेतु क्वार्टर की कोई व्यवस्था नहीं थी किन्तु केटल शैड एवं पानी का कुण्ड बना हुआ था जिनको जिलाधीश के आदेश से तोड़ दिया गया।

(3) जिलाधीश इस आदेश को जारी रखने हेतु अधिकृत थे तथा तुड़वाये गये। मकानों जैसे ही मकान निर्धारित स्थान पर और बना दिये गये।

(4) जी नहीं। यह सारी भूमि व सम्पति सरकारी है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मन्त्री महोदया ने फर्माया कि जिलाधीश के आदेशों से वहां पर जो क्वार्टर्स और केटल शेड एवं पानी के कुण्ड को तुड़-

(श्री **देवीसिंह भाटी**)
वाया गया तो क्या इसके लिये जिलाधीश सक्षम थे ? दूसरे, अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि वहां पर एक करोड़पति सेठ ने उस जमीन को दबा लिया और सरकारी क्वार्टर्स पर कब्जा कर लिया है वहां पर जो पहले क्वार्टर्स थे उनको तोड़ दिया गया। इसके साथ ही मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि वहां पर जो नये क्वार्टर्स बने हैं वह किस के आदेश से बनाये गये हैं ?

श्रीमती कमला (पशुपालन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की सारी चिन्ता और इनको जो भय व्याप्त हुआ है उसके लिये और हाउस की जानकारी के लिये यह निवेदन करना चाहूंगी कि उस गांव में वहां पर कुछ क्वार्टर्स पशुपालन विभाग द्वारा 1976 में डेयरी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बनाये गये थे तथा साथ में केटल शैड और वहां पर एक पानी का कुण्ड भी बनाया गया था। उसके बाद वहां पर वहीं के एक सेठ श्री रामनारायण राठी ने वहां की पंचायत के कहने से उस जमीन पर आयुर्वेदिक औषधालय बनाने के लिये कहा तो वहां पर चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा औषधालय बनाने के लिये गवर्नमेंट द्वारा उस जमीन को दिया गया उसकी स्वीकृति सरकार द्वारा की गयी है। स्वीकृति विभाग द्वारा दी गयी, चेरिटेबल ट्रस्ट ने वहां पर डेयरी विकास के अन्तर्गत जो क्वार्टर्स बने हुआ थे एक कुण्ड था उसको दूसरी तरफ बना दिया और जहां पर पहले क्वार्टर्स बने हुए थे वहां पर आयुर्वेदिक औषधालय बना दिया। अध्यक्ष महोदय, वहां एक चेरिटेबल ट्रस्ट है, मैं माननीय सदस्य को यह भी कहना चाहूंगी कि उस चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 50 लाख रुपये का खर्चा किया जायगा उस औषधालय के लिये और अभी तक, अध्यक्ष महोदय, 10 लाख रुपया तो खर्चा हो गया है। बहुत बढ़िया भवन बनाया जा रहा है, पंचायत की स्वीकृति दी हुई है और जिलाधीश की स्वीकृति है, सारी जमीन जो वहां है वह सारी जमीन राज्य की होगी, चेरिटेबल ट्रस्ट की नहीं होगी।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह तो गलत तरीका है कि ट्रस्ट का नाम लेकर सरकारी भूमि को अपने कब्जे में कर लेते हैं और वहां पर जो सरकारी क्वार्टर्स बने हुए होते हैं उनको तोड़ देते हैं। अपनी इच्छानुसार तोड़ कर अपने वहां पर मन चाहे ढंग से मकान बना लेते हैं यह तो गलत परम्परा बन जायेगी। अध्यक्ष महोदय, चेरिटेबल ट्रस्ट का नाम लेकर वहां पर क्वार्टर्स को तोड़ कर अपनी निजी सम्पत्ति में क्वार्टर्स बना लिये हैं ।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, हो सकता है माननीय सदस्य को उनसे रंजिश हो सकती है आपसी। लेकिन आम तौर पर ऐसा होता है कि धनी-मानी लोग जो होते है वहां दान देते हैं और दान की जमीन पर अपना हक नहीं मानते हैं. वह सरकार की जमीन होती है, सरकार के नाम पर ही होती है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को पूछना चाहूंगी कि माननीय सदस्य को पता नहीं क्या एतराज हो रहा है जब कि वहां पर पुराने टूटे-फूटे एक क्वार्टर को और कुण्ड को तोड़ कर, पास में ही अलग उसे बना दिया और उसकी जगह पर 50 लाख रुपये लगा कर औषधालय बनवा रहे हैं, गांव वालों की सुविधा होगी, उनको कोई आपत्ति नहीं है, पंचायत को आपत्ति नहीं है, फिर इनको क्या तकलीफ है ?

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं चैलेन्ज से कह सकता हूं कि वह सेठ 30 साल तक वहां पर आयुर्वेद औषधालय नहीं बना सकेगा, उन्होंने आयुर्वेद अस्पताल बनाने के नाम पर सरकार की हजारों बीघा जमीन अपने निजी सम्पत्ति के रूप में हड़प ली है।

श्रीमती कमला : अगर दूसरी जगह उन्होंने कोई सरकारी जमीन हड़प ली है या अनधिकृत कब्जा कर लिया है तो उसके लिये अलग से कार्यवाही की जा सकती है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मन्त्री महोदया ने कहा कि मेरी उनसे व्यक्तिगत रन्जिश हो सकती है पर इस तरह से गलत तरीके से सरकारी भूमि को हड़प लेना और वहां पर सरकारी क्वार्टर्स जो बने हुए थे उनको तुड़वा दिया, इसकी जांच करवायी जानी चाहिये। एक करोड़पति है उसने वहां पर अनधिकृत रूप से अपनी निजी सम्पत्ति में मकान बना लिया है। वहां पर लोगों को गांव में भय व्याप्त है आप जाकर देखें मैं खुद मौके पर जाकर आया हूं। यह तो अध्यक्ष महोदय, गलत परम्परा डाली जा रही है कि चेरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर औषधालय, औषधालय के नाम पर सरकार के क्वार्टर्स तोड़े जायं। मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय, यह गलत परम्परा है और इसके लिये राज्य सरकार को जांच करनी चाहिये। अगर इसके बारे में जांच नहीं हुई तो यह गांव के अन्दर विशेष तौर से जहां कि हरिजन तबके के लोगों के झोंपड़े तोड़ कर जो चारदीवारी की है इसलिए वहां झगड़ा होगा और असन्तोष फैलेगा और इसके लिये सरकार जिम्मेदार होगी।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि अभी तक कुछ नहीं बना है। मेरे पास जो सूचना उपलब्ध है उसके मुताबिक जो कुण्ड और क्वार्टर दूसरी जगह बनाये जाने चाहिए थे वह बन चुके हैं। औषधालय भवन की एक विंग भी बन चुकी है और उन्होंने इस बात पर बनाई है वह सरकार की सम्पत्ति होगी, इसलिए उसमें चिन्ता करने की बात नहीं है। अगर दूसरी जगह बनाते हैं बहुत बड़ा उदार मन दिखा कर, दूसरी जगह उस गांव में और कार्यवाही गलत कर रखी है तो उसके लिये जरूर संबंधित अधिकारी और विभाग को रिपोर्ट करनी चाहिए उस पर वाजिब एक्शन होगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री रामनारायण डूडी (विलाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 605 को स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य बैठ जायें। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री रामनारायण डूडी : इस प्रश्न को स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित कोई प्रश्न नहीं होगा।

श्री रामनारायण डूडी : बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य। (शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

चौरू-चौथ का बरवाड़ा सड़क का निर्माण कार्य

579. श्री चुन्नीलाल (धण्डार) : क्या

(श्री चुन्नीलाल)
सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) चौरू से चौथ का बरवाड़ा सड़क पर चल रहे कार्य में चौरू से चौथ का बरवाड़ा के बीच का निर्माण कार्य किन-किन ठेकेदारों को दिया गया ?

(2) ठेके की शर्तें क्या थीं और किन किन शर्तों का पालन नहीं हुआ ? कृपया, इन शर्तों की एक प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) अब तक सड़क का कार्य पूर्ण क्यों नहीं हो सका और इसके लिए ठेकेदारों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) इस सड़क का निर्माण कार्य श्री रामस्वरूप गौतम, श्री बजरंग लाल श्रीमाल, श्री हरिनारायण, श्री राम गोपाल, श्री लल्लू खां ठेकेदार को दिया गया ।

(2) ठेके की मुख्य शर्त कार्यपूर्ण करने की अवधि की होती है। विभिन्न ठेकेदारों के साथ हुई उपरोक्त शर्त के ब्यौरे की सूची संलग्न है। ठेके की अन्य सामान्य शर्तें प्रायः एक जैसी हैं जो कि इस विभाग द्वारा स्वीकृत हैं। कार्य अवधि में पूर्ण होने की शर्त का पालन नहीं हुआ है।

(3) अब तक कार्य पूर्ण नहीं होने का मुख्य दायित्व इन ठेकेदारों का है उनके विरूद्ध अनुबन्ध के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

भंवरिया बावड़ी लाडपुरा से ग्रामों को जलप्रदाय

459. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंजमण्डी): एवं **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि लाडपुरा तहसील, कोटा में भंवरिया की बावड़ी से अनेक गांवों को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिये सर्वेक्षण हो चुका है ? यदि हां, तो पेयजल कब तक उपलब्ध करा दिया जावेगा ?

उत्तर

जी हां। भंवरिया की बावड़ी स्त्रोत से लगभग 20 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु एक क्षेत्रीय योजना प्रस्तावित है जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है। इस योजना को छठी पंचवर्षीय योजना में समस्यानुसार एवं धन उपलब्धि के अनुसार क्रियान्वित करना प्रस्तावित है।

तहसील चौहटन में पड़त भूमि पर अनधिकृत कब्जे

460. **श्री भगवान दास** (चौहटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर में भूमि पड़त, बिला कब्जा काबिल काश्त कितनी पड़ी है ?

(2) इसमें से कितनी भूमि पर लोगों का नाजायज काश्त व कब्जा है ?

उत्तर

(1) तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर में बिला कब्जा, काबिल काश्त पड़त भूमि 13,830 एकड़ है।

(2) इसमें से 10,628 एकड़ भूमि पर लोगों के नाजायज कब्जे हैं।

खारची तहसील की स्वीकृत सड़कें

461. श्री भैरूं सिंह गुर्जर (खारची) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) खारची तहसील में कौन-कौनसी पक्की सड़कें स्वीकृत हैं एवं इनके कब तक पूरी होने की संभावना है ?

(2) इन सड़कों की शुरू के गांव से अन्त के गांव तक कितनी लम्बाई है ?

(3) इन सड़कों के तहत कितने पुल कहां-कहां बनाने की योजना है व कितने पुल बन चुके हैं ?

(4) क्या राणावास-मारवाड़ जंक्शन के बीच सड़क निर्माण की स्वीकृति है ? यदि हां, तो स्वीकृति कब मिली थी एवं निर्माण कब तक पूरा हो जायगा ?

उत्तर

(1) खारची तहसील में निम्न सड़कें स्वीकृत हैं :—

1. सम्पर्क सड़क सोजत रोड से कंटालिया,
2- सम्पर्क सड़क वगड़ी तक ब्यावर-सोजत रोड से,
3- मारवाड़ जंक्शन से जोजावर,
4- सोजत रोड से सिरीयारी वाया सरवाड़, मांडा, वोपारी सड़क ।
5- नागा की बेरी से मारवाड़ जंक्शन दुग्ध मार्ग ।

उपरोक्त सड़कों का कार्य जून, 1981 तक पूर्ण होने की संभावना है ।

(2) उपरोक्त सड़कों की लम्बाई निम्नानुसार हैं:—

1- सम्पर्क सड़क ब्यावर-सोजत रोड से वगड़ी 8 कि. मी.
2- सम्पर्क सड़क सोजत रोड से कंटालिया 12 कि. मी.
3- मारवाड़ जंक्शन से जोजावर 39 कि. मी.
4- सोजत रोड से सिरीयारी वाया सरवाड़ मांडा, वोपारी 15 कि. मी. ।
5- नागा बेरी में मारवाड़ जक्शंन दुग्ध मार्ग 21 कि. मी.

(3) इन सड़कों पर पुल बनाने की कोई स्वीकृति नहीं है । सड़क निर्माण में छोटी पुलियाओं व रपटों सहित कार्य प्रस्तावित है ।

(4) जी नहीं । प्रश्न ही नहीं उठता ।

गत दो वर्षों से विद्युतीकरण पर व्यय एवं उपलब्धि

462. श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मार्च, 1978 से फरवरी, 1979 एवं मार्च, 1979 से फरवरी, 1980 तक ग्रामीण विद्युतीकरण पर कितना व्यय किया गया, कितने ग्रामों का विद्युतीकरण हुआ एवं कितने कुओं को विद्युत कनेक्शन दिये गये?

(2) इस वर्ष कितने ग्रामों एवं कितने कुओं के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है ? यह लक्ष्य गत वर्ष की तुलना में कम है या अधिक ?

(विद्युत मंत्री)

उत्तर

(1) मार्च, 1978 से फरवरी, 1979 एवं मार्च, 79 से फरवरी, 80 तक ग्रामीण विद्युतीकरण पर क्रमशः 24.75 करोड़ रुपये तथा 32.96 करोड़ रुपये व्यय किये गये तथा उक्त अवधि में 1,899 ग्रामों व 26,462 कुओं एवं 2,213 ग्रामों व 32,339 कुओं का विद्युतीकरण किया गया।

(2) समुचित वित्तीय साधनों की उपलब्धि पर अगले बारह महीनों में तीस हजार कुओं व 2,500 ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य है। यह गत वित्तीय वर्ष में विद्युतीकृत ग्रामों व कुओं के लक्ष्य से अधिक ही है।

मेजा फीडर से कृषि प्रयोजनार्थ जोड़े जाने वाले ग्राम

463. श्री बिहारी लाल पारीक (माण्डल) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मेजा बांध से मेजा फीडर बनाने की योजना कब बनाई गयी थी तथा इस पर कब से काम चालू हुआ ?

(2) इस मेजा फीडर को कौन कौन से ग्राम को कृषि प्रयोजन हेतु जोड़ा जाना प्रस्तावित था और किन किन को जोड़ा गया ?

(3) क्या सरकार करोई से अमरगढ़ तक के समस्त गांवों में आने जाने हेतु पुलिया का निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ करने दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) मेजा फीडर बनाने की योजना सन् 1966 में बनाई गई थी तथा इस फीडर का निर्माण कार्य 1969 में चालू हुआ।

(2) मेजा फीडर से किसी भी ग्राम को कृषि प्रयोजन हेतु जोड़ा जाना प्रस्तावित नहीं था और अब भी नहीं है। मेजा फीडर से पानी सीधा मेजा बांध में डाला जायगा और जो भी अतिरिक्त सिंचाई की जायगी वह मेजा बांध के द्वारा ही होगी।

(3) जी हां। करोई से अमरगढ़ तक के गांवों में आने जाने हेतु मेजा फीडर पर 11 पुलियाओं का निर्माण कराया जा चुका है, तथा 2 पुलियाओं का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। इनका निर्णाण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

ग्राम जुवाली जिला टोंक की खानों का सर्वेक्षण

464. श्री महावीर प्रसाद (टोंक) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या ग्राम जुवाली, जिला टोंक की खानों का कभी सर्वेक्षण हुआ है ? यदि हां, तो उपरोक्त खान से क्या क्या खनिज पदार्थ निकाले जाने की सम्भावना है ? सर्वेक्षण रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

जी हां। ग्राम जुवाली की खान का क्षेत्रीय सर्वेक्षण हुआ है, जिसमें लाल, गुलाबी रंग का कोरन्डम खनिज पाया गया है। सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(प्रतिवेदन के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)।

तहसील बाली में कुओं का विद्युतीकरण

465. श्री असलम खां (बाली): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बाली निर्वाचन क्षेत्र के कितने गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है और शेष गांवों में कब तक विद्युतीकरण हो जायेगा ?

(2) उपरोक्त क्षेत्र में कितने किसानों ने कुओं के लिए विद्युत देने की मांग की है व इन कुओं को कब तक कनेक्शन दे दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) बाली निर्वाचन क्षेत्र के 66 ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है। दो और स्वीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। शेष के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में निश्चित रूप से अभी कुछ कहना सम्भव नहीं है।

(2) उपरोक्त क्षेत्र में कृषि कनेक्शन हेतु 384 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं। विद्युत प्रणाली की क्षमता, तकनीकी साध्यता तथा प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार कनेक्शन देने का प्रयास किया जायेगा।

मनोहरथाना निवासी श्री गंगा व श्री मोत्या के कत्ल का प्रकरण

466. श्री भेरूलाल (मनोहरथाना): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 9-8-77 की रात्री में कस्बा मनोहरथाना निवासी श्री गंगा कंडारा के मकान में घुस कर बदमाश सर्व श्री गंगा और मोत्या का कतल कर बीस पच्चीस हजार का माल, जेवर, नकद चुरा कर ले गये ?

(2) क्या यह सही है कि श्री ओंकारलाल कंडारा मनोहर थाना ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना मनोहर थाना (जिला झालावाड़) पर की, जिसे धारा 302, 460, 380 के तहत केस नम्बर 114/77 दर्ज कर, जांच तत्कालीन थाना प्रभारी श्री फैयाज अली एवं डी. वाई. एस. पी. श्री जितेन्द्र कुमार सोनी ने की ?

(3) क्या यह सही है वक्त जांच प्रार्थी श्री ओंकार लाल ने असली अपराधियों श्री रतना, श्री लालजी, श्री जमनाराम, श्री कैलाश, श्री गिरधारी, श्री कंवरलाल भील आदि निवासी मोल्या बट्ट थाना मनोहर थाना का संकेत दिया था ?

(4) क्या यह सही है कि जांचकर्ता पुलिस अधिकारी श्री सोनी एवं थाना प्रभारी श्री फैयाज अली ने तत्कालीन विधायक व उनके समर्थकों के प्रभाव से वास्तविक अपराधियों को न पकड़ कर रिपोर्टकर्ता श्री ओंकारलाल व उसके पुत्र श्री त्रिलोकचन्द एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को पकड़ कर एक लम्बे समय तक परेशान किया और असली अपराधियों का बचाव कर माल खुद बुर्द करने का जान बूझकर अवसर दिया ?

(5) क्या यह भी सही है कि बाद में डीवाई. एस. पी. श्री हेमदत्त शर्मा द्वारा की गई जांच में कुछ अपराधी पकड़ में आये थे, किन्तु इन्होंने भी तत्कालीन विधायक के प्रभाव से असली अपराधियों को छोड़कर मामूली बरामद माल के सहित एम. एम. कोर्ट, अकलेरा में चालान प्रस्तुत कर केस की जांच में ढिलाई बरती ?

(श्री मेघवाल)

(6) क्या यह सही है कि अपराधी श्री रतना, श्री लालजी, श्री गिरधारी अब भी गिरफ्तारी से वंचित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस केस की किसी उच्च पुलिस अधिकारी द्वारा पुनः जांच कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) दोनों महिलाओं के मार दिये जाने के कारण चोरी गये माल की सही फहरिस्त मय कीमत प्राप्त नहीं हो सकी ।

(2) जी हां ।

(3) जी नहीं ।

(4) जी नहीं ।

(5) केस की तफतीश में कोई ढिलाई नहीं बरती गई । उप अधीक्षक श्री शर्मा द्वारा अनुसंधान कर 6 अभियुक्तों में से तीन अपराधियों को पकड़ कर उनसे माल बरामद कर चालान प्रस्तुत किया गया । बाकी अपराधियों के गिरफ्तारी वारंट अदालत से प्राप्त किये जाकर गिरफ्तारी के प्रयत्न जारी हैं । किसी विधायक के दबाव से जांच में ढिलाई नहीं बरती है ।

(6) जी हां । इन तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी के वारंट जारी हो चुके हैं और उनकी गिरफ्तारी के पूरे प्रयत्न किये जा रहे हैं । अभियोग का चालान प्रस्तुत किया जा चुका है । अतः पुनः जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

बीकानेर में लगी हुई लघु उद्योग प्रदर्शनी

467. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर में लगी हुई लघु उद्योग प्रदर्शनी को वित्त विभाग ने मनोरंजन कर से मुक्त किया है ? यदि हां, तो मुक्त किस आधार पर की गई ?

(2) क्या यह सही है कि गेम ऑफ स्किल के नाम पर अलग-अलग स्टाल पर एक, दो व पांच रुपये के कूपनों द्वारा प्रति दिन हजारों रुपये की बुकिंग होती है ? क्या यह जुआं की परिभाषा में नहीं आता ? क्या प्रतिदिन बुकिंग का हिसाब सरकार को दिया जाता है ?

(3) क्या सरकार बीकानेर की जनता की भावनाओं व शिकायतों को ध्यान में रखते हुए मनोरंजन कर मुक्त करने का लाइसेन्स निरस्त करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) गेम ऑफ स्किल के कार्यक्रम पर प्रवेश शुल्क नहीं होने से इस पर मनोरंजन कर देय नहीं है । जहां तक इसके जुआं होने का प्रश्न है चूंकि प्रश्न में गेम ऑफ स्किल किस प्रकार का है यह विस्तार से स्पष्ट नहीं किया हुआ है इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि यह जुआं है या नहीं। इसकी प्रतिदिन की बुकिंग का हिसाब सरकार को नहीं दिया जाता है ।

(3) प्रश्न नहीं उठता ।

भीम सागर बांध निर्माण से असनावर कस्बे के प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास

469. श्री **अनंगकुमार जैन** (झालरापाटन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भीमसागर बांध (जिला झालावाड़) में असनावर कस्बे की आबादी मकान आदि डूब में आते हैं ? यदि हां, तो क्या इस गांव के लोगों को सरकार दूसरी जगह बसाने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि अभी तक गांव के मकानों का सर्वे नहीं हुआ ? यदि हां, तो अब कब तक हो जावेगा और नये मकान बनाने के लिए जमीन आदि कब दे दी जायगी तथा मकानों का मुआवजा कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां । यह सही है कि भीमसागर बांध (जिला झालावाड़) में असनावर कस्बे की कुछ आबादी मकान आदि डूब में आते हैं । इस गांव के डूब में प्रभावित व्यक्तियों को नई आबादी असनावर में बसाया जाना प्रस्तावित है ।

(2) जी नहीं । यह सही नहीं है कि अभी तक गांव के मकानों का सर्वे नहीं हुआ है । गांव के डूब से प्रभावित मकानों के सर्वे का कार्य चल रहा है । मकानों के मुआवजे के कागजात सैक्शन 6 की कार्यवाही के अन्तर्गत राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशन कराने हेतु भूमि अवाप्ति अधिकारी (एस. डी. एम.), झालावाड़ के माध्यम से राज्य सरकार को भेजे गए हैं । मकानों के मुआवजे हेतु माडल तखमीने तैयार हो चुके हैं तथा भूमि अवाप्ति अधिकारी, झालावाड़ द्वारा अवार्ड के आधार पर मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है । डूब से प्रभावित व्यक्तियों को असनावर नई बस्ती में मकान बनाने हेतु जमीन एवं मुआवजे शीघ्र दिलाने का प्रयास किया जा रहा है ।

पिड़ावा पंचायत समिति की लघु सिंचाई योजनायें

470. श्री **बालचन्द्र आर्यवीर** (डग) : श्री **शोदान सिंह** (पिड़ावा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिड़ावा पंचायत समिति में कितनी लघु सिंचाई योजनायें पूरी हो गई हैं ?

(2) ग्राम सामरिया व अलावा की अधूरी लघु सिंचाई योजना कब तक पूरी हो जावेगी और उस पर कितना व्यय हो चुका है ?

(3) पिड़ावा पंचायत समिति में और कितनी लघु सिंचाई योजना विचाराधीन हैं ?

उत्तर

(1) पिड़ावा पंचायत समिति में दो लघु सिंचाई योजना-अमोनजी व सामनखेड़ा योजनाओं के बांध का कार्य पूर्ण हो चुका है, । केवल नहरों का कार्य बकाया है ।

(2) सामरिया व अलावा योजना बजट के अभाव में अधूरी पड़ी हैं और इन योजनाओं पर लगभग 1.31 लाख रुपये

(36)

(सिंचाई मंत्री)
(सामरिया) व 0.18 लाख रुपये (अलावा) व्यय हो चुके हैं।

(3) पिड़ावा पंचायत समिति में पांच लघु सिंचाई योजनायें विचाराधीन हैं :—

1. मथानिया, 2. सोहनखेड़ी 3. कोटरी खुर्द, 4. सारंगा खेड़ा इन योजनाओं का सर्वेक्षण कार्य बाकी है।

ग्राम कोलिया, जिला नागौर में अवैध शराब निकालने व बेचने के सम्बन्ध में मारे गये छापे

471. श्री **रामरघुनाथ चौधरी** (डेगाना) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1979 में आबकारी विभाग के मद्य निषेध अधिकारियों के पास एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि ग्राम कोलिया, तहसील, डीडवाना, जिला नागौर में कुछ लोग शराब निकालने व बेचने का कार्य करते हैं? अगर हां, तो किन व्यक्तियों ने शिकायत की एवं किन व्यक्तियों पर सन्देह कर छापा मरवाया गया ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त शिकायत की रिपोर्ट पर विभाग द्वारा आदेश देने पर दिनांक 26-4-79 को उक्त गांव में छापे मारे गये ? छापों में शिकायत कहां तक सही पाई गई ?

(3) शिकायतकर्ता का मूल प्रार्थना पत्र एवं विभाग के द्वारा मारे गए छापे की रिपोर्ट व निर्णय की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1979 में सरपंच, ग्राम पंचायत, कोलिया, तहसील डीडवाना, द्वारा शिकायत की गई थी। सर्वश्री जीवन सिंह पुत्र बद्धराम जाट, कोलिया, गौरी शंकर पुत्र छगनलाल, झंवर, सोहन लाल पुत्र नारायण राम सोनी, नन्दकिशोर पुत्र मोतीराम सोनी, रतनलाल पुत्र डालूराम खाती, मोहन लाल पुत्र राजूराम, जेवलिया, मांगीलाल पुत्र बागाराम जाट, मोहन लाल पुत्र गंगाराम बावरी, रामदेव पुत्र कल्लू सांसी तथा लिछमण सिंह पुत्र बहादुर सिंह के यहां छापे मारे गए थे।

(2) शिकायत पर दिनांक 23-5-79 को छापे मारे गये थे। शिकायत असत्य पाई गई।

(3) प्रार्थना-पत्र की प्रति छापों एवं निर्णय की रिपोर्ट की प्रतियां सदन के टेबल पर रख दी गई हैं।

(प्रार्थना पत्र व निर्णय के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

आपात स्थिति में कारागृह गये व्यक्तियों को स्वीकृत पेन्शन

472. श्री **जनार्दनसिंह गहलोत** (करौली) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य में आपातस्थिति में जेल जाने वालों को पिछली सरकार ने सन् 1977 से 1979 के बीच जनतंत्रीय सैनिक घोषित किया ? यदि हां, तो कुल कितनी संख्या में ?

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

(2) क्या तथाकथित जनतंत्रीय सैनिकों को आर्थिक रूप में सहायता प्रदान की गई ? यदि हां, तो कितनी धनराशि प्रत्येक को दी गयी ? नाम सहित राशि दर्शाते हुए सूची सदन के पटल पर कृपया रखें।

(3) क्या आर्थिक रूप से सहायता प्राप्त जनतंत्रीय सेनानियों में स्वाधीनता सेनानी भी थे जिन्हें पहले से ही केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकार से पेन्शन प्राप्त होती थी ? अगर हां, तो कौन-कौन से स्वाधीनता सेनानियों को पेन्शन से अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई जो जनता सरकार ने प्रदान की ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

भकरी बांध (नागौर) की नहरों को पक्की निर्मित करना

473. **श्री जेठमल बरवड़** (परबतसर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भकरी बांध, तहसील परबतसर, जिला नागौर से खेतों में सिंचाई के लिए पानी दिया जाता है ? यदि हां, तो कितने ग्रामों में और कितने एकड़ में सिंचाई होती है ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त बांध से ग्राम खेड़ी व जावला, भकरी के किसानों ने अपने खेतों में पानी लेने के लिए स्वयं ने नहरें बनाई है ? यदि हां, तो कब ?

(3) क्या यह सही है कि इस नहर में भरी हुई मिट्टी जब किसानों द्वारा हर वर्ष निकाली जाती है तब वे किसान आपस में झगड़ा करते हैं ? यदि हां, तो सरकार इस नहर को कब तक पक्का बना देगी ?

उत्तर

(1) जी, हां। नागौर जिले की परबतसर तहसील में स्थित भकरी बांध में खेतों की सिंचाई हेतु पानी दिया जाता है। भकरी बांध से 5 ग्रामों में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करवाया जाता है तथा इससे लगभग 700 एकड़ भूमि में सिंचाई होती है।

(2) जी हां। भकरी बांध से सिंचाई हेतु पानी लेने के लिए काश्तकारों द्वारा स्वयं ही निर्माण किया गया।

(3) जी हां। नहर की सफाई स्वयं काश्तकारों के द्वारा ही की जाती है। नहर को पक्का करने हेतु सर्वेक्षण करवाकर विचार किया जायगा।

ग्राम अरनिया (बांदीकुई) के कुओं का विद्युतीकरण

474. **श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) :** क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बांदीकुई क्षेत्र के अरनिया ग्राम में बिजली की किस योजना के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त हुई है ?

(2) उक्त क्षेत्र में अरनिया ग्राम के कितने कुओं पर बिजली हेतु मांग की गई है तथा किन-किन कुओं पर अब तक बिजली पहुंचा दी गई ? उन कुओं की प्राथमिकता किस प्रकार थी ? कृपया पूरा विवरण सदन की मेज पर रखें।

(38)

(विद्युत मंत्री)

उत्तर

(1) ग्राम अरनिया, वान्दीकुई पंचायत समिति को ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत किया गया है।

(2) इस योजना के अन्तर्गत ग्राम अरनिया में योजना के चार वर्षों में कुल 25 कुओं को कनेक्शन देने का प्रावधान है। 33 कुओं पर कनेक्शन हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं। प्रायोरिटी संख्या 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12 व 13 के आठ कुओं पर नियमानुसार आवश्यक औपचारिकताएं प्राथमिकता से पूरी कर लेने के कारण कनेक्शन दे दिये गये हैं। प्रायोरिटी संख्या 4, 6, 7, 8, 11 14, 15, 16, 1, व 1 ने डिमाण्ड नोटिस का पैसा समय पर जमा कराया, परन्तु फिटिंग कराकर 'एल' फार्म उपरोक्त आठ आवेदकों के पश्चात् प्रस्तुत किये। प्रायोरिटी 19 से 21 ने डिमाण्ड नोटिस का पैसा निर्धारित अवधि में जमा नहीं करवाया। अत: उनके प्रार्थना-पत्र निरस्त कर दिये गये।

काम के बदले अनाज योजना के तहत कच्ची सड़कों का निर्माण

475. **श्री रामकंवार बैरवा** (फागी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या ग्राम पंचायतों द्वारा काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत कच्ची सड़कों का निर्माण कराया गया था? यदि हां, तो उन पर डामर बिछाने का काम कब तक पूरा हो जायगा?

(2) क्या चित्तौड़ा-रेनवाल, तहसील फागी में पक्की सड़कों का निर्माण पूरा हो गया है? यदि हां, तो उन पर कब तक डामर बिछाने का कार्य हो जायगा?

उत्तर

(1) जी हां। काम के बदले अनाज योजना को राज्य सरकार भारत सरकार से प्राप्त खाद्यान्न के आधार पर चलाती है। अत: भारत सरकार द्वारा उपलब्ध होने वाले खाद्यान्नों की मात्रा पर उनका पक्का करना निर्भर करेगा।

(2) चित्तौड़ा-रेनवाल सड़क के नाम से कोई स्वीकृति नहीं है। तथापि तहसील फागी में हरसोलिया से पीपलिया ग्राम वाया चित्तौड़ा सड़क के लिये 3.50 लाख रुपये की लागत की दिनांक 14-6-78 को 6 किलोमीटर सड़क स्वीकृत हुई थी।

5 किलोमीटर डामर का कार्य पूर्ण हो चुका है। एक किलोमीटर चित्तौड़ा गांव तक मिट्टी कुटाई का कार्य प्रगति पर है तथा मार्च, 81 तक पूर्ण होने की संभावना है।

सरदारशहर (चूरू) की ग्रामीण जलप्रदाय योजनायें

476. **श्री मोहनलाल शर्मा** (सरदारशहर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरदारशहर (जिला चूरू) से आसपालसर, खेजड़ा जलप्रदाय योजना से बुकनसरा बड़ा को पानी देने का हौज है? यदि हां, तो क्या खेजड़ा से बुकनसरा बड़ा, पानी योजना लागू करने के बाद से पानी नहीं जाता है? क्या दोषी अधिकारियों व व्यक्तियों के खिलाफ कार्य-

(श्री मोहनलाल शर्मा)
वाही की जावेगी ?

(2) क्या खेजड़ा के ग्रामवासी नल को बीच में तोड़ कर खेतों में पानी देते हैं ? यदि हां, तो इस प्रकार की शिकायत मिलने पर स्थानीय अधिकारियों द्वारा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(3) सरदारशहर (जिला चूरू) तहसील के बिल्लयू जलप्रदाय योजना के अन्तर्गत ग्राम निमरासर व मेहरासर उपाधियान को आज तक गांव में योजना होते हुए भी पानी नहीं पहुंचने के क्या कारण है ? सरकार पानी पहुंचाने की कब तक व्यवस्था कर देगी ?

(4) क्या यह सही है कि निमरासर ग्राम के लोगों ने विधान सभा चुनाव में इसलिये वोट नहीं डाले कि सरकार उनके गांव में पानी की व्यवस्था नहीं कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां, । संदर्भित हौज स्थित है, परन्तु खेजड़ा से बुकनसरा बड़ा जाने वाली पाइप लाइन ग्रामीणों द्वारा बार-बार तोड़ दी जाती है । अतः बुकनसरा बड़ा को पेयजल उपलब्ध कराना संभव नहीं होता । दोषी व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस को रिपोर्ट की जा रही है ।

(2) चूंकि पाइप लाइन तोड़ने के दोषी व्यक्तियों को पकड़ा नहीं जा सका तथा इनके विरुद्ध सबूत नहीं पाये जा सके, अतः अभी तक कोई कार्यवाही करना संभव नहीं हुआ । अब पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई जा रही है ।

(3) क्षेत्रीय जल योजना बिल्लयू, वोगेरा के अन्तर्गत 8 ग्राम आते हैं । स्रोत में जल की कमी के कारण अंतिम चार ग्रामों-नीमरासर, रातुसर, भाऊवाला और रायपुर, को पेयजल उपलब्ध कराना संभव नहीं होता है । स्रोत कराकर इस योजना में सभी ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

(4) जी हां। ग्रामवासियों द्वारा पेयजल की स्थाई व्यवस्था न होने के कारण वोट नहीं डाले गये । पेयजल उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

अलवर जिले में प्रदत्त शराब पीने के लाइसेन्स

477. **श्री जीतमल जैन (अलवर)** : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

अलवर जिले में शराबबन्दी लागू होने के पश्चात् से 30 जून, 1980 तक कितने व्यक्तियों को शराब पीने के लिये लाइसेन्स जारी किये गये हैं ? सूची मय पता व आयु सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

1,224 व्यक्तियों को शराब पीने के परमिट जारी किये गए हैं । सूची मय पते व आयु के संलग्न है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

परमिट-होल्डर्स को शराब की उपलब्धि

478. **सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)** : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा

(५०)

(सुश्री पुष्पा जैन) करेंगे:—

(1) अप्रेल, 1980 से राज्य में किस-किस जगह पर परमिट-होल्डर्स को शराब उपलब्ध करवाने के लिये कब-कब और क्या व्यवस्था की गई ?

(2) अब तक किस-किस जगह से कितनी-कितनी बिक्री हुई है ?

(3) किस-किस तरह की शराब की क्या-क्या दरें हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 3 (7) वित्त/आब/77, दिनांक 14-4-80, 18-4-80, 12-5-80 व 7-6-80 के क्रम में देशी/विदेशी शराब की दुकानें जिला उप-खंड, तहसील, पंचायत समिति मुख्यालयों जिनकी आबादी सन् 1971 की जनगणना के अनुसार 2,400 व्यक्तियों से अधिक है एवं बड़े कस्बों में परमिटधारियों को शराब उपलब्ध कराने हेतु खोलने की व्यवस्था की गई है। स्थान की तालिका संलग्न है।

(2) अप्रेल तथा मई, 80 में जिलेवार बिक्री की तालिका संलग्न है।

(3) राज्य सरकार द्वारा देशी शराब की किस्मों की दरें निर्धारित की हुई हैं। दरों की तालिका संलग्न है।

(तालिका के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

ग्रामीण विद्युतीकरण से लाभान्वित ग्राम व कुएं

479. श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जून, 1977 से फरवरी, 1980 तक कितनी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजनायें राजस्थान के लिये स्वीकृत हुईं ?

(2) उपरोक्त ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं पर कुल कितना व्यय होगा ?

(3) उपरोक्त योजनाओं से राजस्थान के कुल कितने कुएं व कितने व कौन-कौन से ग्राम लाभान्वित होंगे ? कृपया ग्रामों की सूची उनके जिले व तहसीलों के साथ में उल्लेख करते हुए सदन के पटल पर रखें।

(4) जून, 1975 से जून, 1977 तक कुल कितनी ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना स्वीकृत हुई व उनसे कुल कितने ग्राम व कुएं विद्युतीकृत हुए ? उन पर कुल कितना योजनागत व्यय हुआ ?

(5) जून, 1977 से मार्च, 1980 तक कुल कितने ग्राम एवं कुएं विद्युतीकृत किये गये ? ग्रामों की सूची जिलेवार सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जून, सन् 1977 से फरवरी, 1980 तक राजस्थान के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की 143 योजनायें स्वीकृत हुईं।

(2) इन 143 योजनाओं पर 5321.128 लाख रुपये का अनुमानित व्यय होगा।

(3) इन योजनाओं के अन्तर्गत राजस्थान के कुल 39,278 कुओं एवं 4,878 ग्रामों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव है। प्रस्ता-

(विद्युत मंत्री)

वित ग्रामों की जिलेवार एवं तहसीलवार सूची "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) जून, सन् 1975 से जून, 1977 तक राजस्थान के लिये ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु निगम की 50 योजनायें स्वीकृत हुई, जिनके अन्तर्गत 2,064 ग्राम व 14,613 कुओं का विद्युतीकरण किया जाना था। इन पर योजनानुसार अनुमानित व्यय 1712.89 लाख रुपये हैं।

(5) जून, 1977 से मार्च, 1980 तक कुल 5,483 ग्राम एवं 76,421 कुएं विद्युतिकृत किये गये? सूची "ब" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

जिला पाली में हुई हत्यायें एवं चोरियां

480. **श्री सुखलाल सेणचा** (रायपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जिला पाली में जनवरी, 1977 से अप्रेल, 1978 तक कितनी हत्याऐं एवं चोरियां हुई हैं? कृपया, ब्यौरा सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। क्या हत्या करने वाले मुल्जिम अभी तक फरार हैं? यदि हां, तो राज्य सरकार उनको गिरफ्तार करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

पाली जिले में जनवरी, 1977 से अप्रेल, 78 तक 27 हत्यायें एवं 396 चोरियों के अपराध घटित हुए हैं। हत्या के इन अपराधों में कोई मुल्जिम फरार नहीं है।

जिला बाड़मेर में काबिजशुदा भूमिहीनों की बेदखली

481. **श्री अमीन खां** (शिव): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जिला बाड़मेर में वर्ष 1979-80 में कितने भूमिहीनों को संवत् 2032 के काबिजशुदा को बेदखल कर शरणार्थियों को कब्जा पुलिस द्वारा दिलाया गया है? तहसील व पटवार मंडल वाइज सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

जिला बाड़मेर में सम्वत् 2032 के काबिजशुदा, किसी भी भूमिहीन को वर्ष 1979-80 में बेदखल कर शरणार्थियों को कब्जा पुलिस द्वारा नहीं दिलवाया गया है। अत: तहसील व पटवार मंडल वाइज सूची का प्रश्न नहीं उठता।

तहसील प्रतापगढ़ में आवंटन योग्य भूमि

482. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या तहसील प्रतापगढ़ में भूमिहीनों में आवंटित की जाने योग्य काबिज काश्त जमीन सरकार के पास उपलब्ध है? यदि हां, तो कितनी? कृपया पंचायतवार सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

जी हां। तहसील प्रतापगढ़ में भूमिहीनों को आवंटन किये जाने हेतु 8,417 बीघा 5 बिस्वा भूमि रिकॉर्ड के आधार पर काबिज काश्त उपलब्ध है। किन्तु मौके पर 3,801

(राजस्व मंत्री)

बीघा 5 बिस्वा भूमि ही काबिल काश्त है। पंचायतवार सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

ग्राम बावई, तहसील इन्द्रगढ़ के कृषकों के नम्बर बदलने से उत्पन्न समस्या

483. श्री **हीरा लाल आर्य** (पीपल्दा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नायब तहसील इन्द्रगढ़ के बावई ग्राम की खसरा नं. 672 तथा 671 पर सर्वश्री रामदेव, राम रतन, केसरा, सीताराम, मांगीलाल तथा पांचू कुम्हार पिछले करीब 30 वर्षों से खेती करते आ रहे हैं?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सभी किसानों के नंबर बदल कर तहसील द्वारा उन्हें बार बार तंग करने से मुक्त करने के आदेश प्रदान करेगी ?

(3) क्या यह भी सही है कि इसी तरह के अन्य कई मामले बावई गांव के हैं, जिनके नम्बर बदलने हैं ? यदि हां, तो एसे सभी किसानों की भूमि,जिस पर वे वर्षों से काबिज हैं, के नम्बर बदलने के आदेश सरकार करेगी ?

(4) उक्त मामले में दोषी कौन हैं ? क्या सरकार उक्त मामले से संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) यह सही है कि निम्नलिखित काश्तकारान उनके नाम के सामने अंकित आराजी ख. नं. 672 पर काफी लम्बे समय से काबिज हैं:—

नाम काश्तकार	ख. नं.	रकबा
		बी. वि.
1. श्री रामदेव पुत्र मांगीलाल महाजन	672	13 बी. 8 वि.
2. रामरतन पुत्र बाला महाजन	671	12 बी. 7 वि.
3. केसरा पुत्र रोडा गुजर	672 671	8 बी. 15 वि. 19/15 बीघा
4. सीताराम पुत्र रामकिशन तेली	672	19/4 बीघा
5. पांचू पुत्र हरजी कुम्हार	672	8/9 बीघा
6. मांगीलाल पुत्र रामकिशन मीणा	672	14 बी. 10 वि.

उपरोक्त समस्त बारानी उनके खातेदारी में दर्ज है।

(2) चूंकि ख. नं. 672 व 671 का उपरोक्त रकबा इन काश्तकारान का खातेदारी में पूर्व से ही अंकित चला आ रहा है इसलिये नम्बर परिवर्तन करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है

(3) हां। यह सही है कि ग्राम बावई में नम्बर परिवर्तन के कुछ मामले हैं। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने आदेश प्रसारित कर दिये हैं। आदेश की प्रति संलग्न है।

(4) इस मामले में कोई कर्मचारी दोषी नहीं है। अत: कर्मचारियों के विरुद्ध

(राजस्व मंत्री)

कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(आदेश के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

गुढ़ामालानी क्षेत्र के ग्रामों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधा

484. श्री **हेमाराम चौधरी** (गुढ़ामालानी) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

गुढ़ामालानी विधान सभा क्षेत्र के कितने ग्रामों में क्या-क्या चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध हैं व कितने ग्रामों में नहीं हैं तथा वर्ष 1980-81 में सरकार की कितने ग्रामों को चिकित्सा सुविधा और उपलब्ध कराने की योजना है ?

उत्तर

गुढ़ामालानी विधान सभा क्षेत्र, जिला बाड़मेर में वर्तमान में कुल 138 ग्राम आते हैं और निम्न 18 स्थानों पर चिकित्सा संस्थाएं स्वीकृत हैं :—

1. गुढ़ामालानी में प्रा.स्वा. केन्द्र
2. गांधव में डिस्पेन्सरी
3. धोरीमन्ना
4. सरमू में ग्रा.प.क. केन्द्र
5. रावतसर में एड पोस्ट

उप-केन्द्र

1. नोखड़ा	2. बान्ड
3. नगर	4. गान्ठरी
5. मामला	6. सनवड़ा
7. नोखा	8. उड़ासर
9. माखडपुरा	10. पीपराध
11. भाटाला	12. लोहरवा
13. भियावसोड	

क्षेत्र को चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध हैं परन्तु प्रत्येक गांव में चिकित्सा संस्थाएं नहीं खोली जा सकतीं। फिर भी जन लेखा और वित्तीय साधनों को देखते हुए और सुधार किया जाना सम्भव होगा। वर्ष 1980-81 में नई संस्था खोलने की कोई योजना नहीं है।

समाज कल्याण विभाग, अजमेर के पोषाहार कार्यक्रम के सामग्री की पकड़ी गई बोरियां

485. श्री **कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि दिनांक 24-4-80 को समाज कल्याण विभाग, अजमेर के पोषाहार कार्यक्रम के सामग्री की 250 बोरियां पड़ाव, अजमेर में पकड़ी गई थीं ? यदि हां, तो कौन कौन दोषी पाये गये व उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

दिनांक 24-4-80 को 250 बेगस का इन्सेन्ट समाज कल्याण अधिकारी, अजमेर द्वारा जारी किया जाकर वेयर हाउस अजमेर से सामग्री, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर में जहां सामान बनाया जाता है भिजवाने की व्यवस्था की गई थी किन्तु ट्रक खराब हो जाने के कारण सामान उसी दिन कारागृह में नहीं पहुंचाया जा सका और दूसरे दिन कारागृह के स्टोर कीपर को सुपुर्द की गई।

नायपुर तलावड़ा, तहसील खण्डार की अपूर्ण सड़क

487. श्री **चुन्नीलाल** (खण्डार): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

पंचायत समिति, खण्डार में नायपुर

(५४)

(श्री चुन्नीलाल)

तलवाड़ा रोड का ठेका कब किस ठेकेदार को किन-किन शर्तों पर दिया गया था ? क्या शर्तों के अनुसार कार्य पूर्ण हुआ ? यदि हां, तो क्यों ? इस अधूरे कार्य को पूर्ण कब तक करा दिया जायेगा ?

उत्तर

इस सड़क का ठेका श्री राम प्रसाद गोयल, ठेकेदार को 17-2-75 को दिया गया था । ठेके हेतु टेण्डर की शर्तें नियमानुसार निर्धारित हैं, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है । शर्तों के अनुसार कार्य 16-6-76 तक पूर्ण किया जाना था, परन्तु पूर्ण नहीं हुआ । चूंकि ठेकेदार ने ठेके की शर्तों के अनुसार कार्य नहीं किया था, उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई, परन्तु ठेकेदार ने इसके विरोध में कोर्ट में दावा करने का नोटिस दिया है । यदि कोर्ट द्वारा किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं हुआ तो कार्य शीघ्र ही पूरा किये जाने की संभावना हैं ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम खण्डार की लिंक रोड

488. श्री चुन्नीलाल (खण्डार): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि ग्राम खण्डार में भी कृषि उपज मंडी द्वारा लिंक रोड का ठेका जिस ठेकेदार को दिया गया था वह कार्य अपूर्ण पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो अपूर्ण पड़े रहने का क्या कारण है ? भविष्य में सरकार कब तक पूर्ण करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी हां । कार्य प्रारम्भ ही नहीं किया गया । इस कार्य के लिये पूर्व में सही प्रकार से तकनीकी स्वीकृति नहीं दिये जाने से वहां सड़क का निमार्ण प्रारम्भ नहीं हुआ ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 7 अगस्त, 1980)

ग्राम बोंली (सवाई माधोपुर) में सरकारी बाग पर अनधिकृत कब्जा

344. श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सवाईमाधोपुर में ग्राम बोंली में सरकारी बाग पर किसी ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है ?

(2) क्या यह सही है कि उस बाग में सरकारी बावड़ी, मकानात तथा फलदार वृक्ष हैं ?

(3) क्या यह सही है कि जिस व्यक्ति ने उस पर कब्जा किया था उसको रेवेन्यू बोर्ड ने बेदखल कर दिया था ?

(4) क्या यह सही है कि रेवेन्यू बोर्ड के फैसले के बाद एस. डी. ग्रो., सवाईमाधोपुर ने गैर कानूनी ढंग से उस व्यक्ति को वह बाग रेगूलेराइज कर दिया है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1)जी नहीं । यह बाग ग्राम बोंली

(राजस्व मंत्री)

में न होकर ग्राम सिरखड़ी की राजस्व सीमा में है ।

(2) यह सही नहीं है कि ग्राम सिरखड़ी के बाग में कोई सरकारी बावड़ी, मकानात इमारती तथा फलदार वृक्ष हैं । इसमें एक गैर मुमकिन चाह स्थित है जिसका नियमन श्री इमामुद्दीन पुत्र चांद खां, निवासी बोंली के हक में किया जा चुका है ।

(3) राजस्व रिकार्ड के अनुसार उक्त बाग का खसरा नम्बर 32 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा है जो दि. 4-6-67 को श्री इमामुद्दीन पुत्र चांद खां, निवासी बोंली को आवंटित किया गया था । श्री परशुराम भारद्वाज द्वारा एक आवंटन के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की थी जो सदस्य, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर के निर्णय दिनांक 22-11-76 द्वारा स्वीकार की जाकर आवंटन निरस्त किया गया।

(4) भू-आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दि. 5-11-77 को उक्त ख. नं. 32 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा का नियमन श्री इमामुद्दीन, पुत्र चांद खां के हक में किया गया है। इस नियमन आदेश विरुद्ध श्री परशुराम भारद्वाज के द्वारा न्यायालय जिलाधीश सवाई माधोपुर में अपील पेश की गई थी जो दिनांक 20-8-79 को निरस्त की जाकर नियमन बहाल रखा है ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 6 अगस्त, 1980)

झालामण्ड से गुडा विश्नोईयान सड़क निर्माण से प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा

330. श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी):

श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर तहसील में झालामण्ड से गुडा विश्नोईयान सड़क कब बनी तथा सड़क निर्माण के समय किन किन व्यक्तियों की जमीन अवाप्त की गई व उन्हें कितनी-कितनी राशि मुआवजे के स्वरूप कब दी गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों के खेत सड़क निर्माण के समय खराब हुए थे, उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया व इनके एवज में दूसरे फर्जी व्यक्तियों ने मुआवजा उठा लिया ? यदि हां, तो उनके व दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? धोखा देकर रकम उठाने वालों से सरकारी द्रव्य की वसूली हुई या नहीं ? अगर नहीं, तो अब कब तक रकम वसूल की जा सकेगी ?

(3) क्रम सं. 1 में उल्लिखित सही हकदारों को कब तक मुआवजे की रकम अदा कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) यह सड़क द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत हुई एवं 1975 में बनी । जिन व्यक्तियों की भूमि अवाप्त की गई व जिन्हें मुआवजा का भुगतान किया गया उनकी सूची संलग्न है । भूमि अवाप्ति का अवार्ड मार्च, 1978 में भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा दिया गया एवं उसी महीने में 59,266 रु. के भुगतान की स्वीकृति भी हो गई एवं इस रकम का भुगतान भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर द्वारा भूमि के मालिकान को कर दिया गया ।

(2) इस सड़क पर कुल 41 व्यक्तियों को मुआवजा दिया गया । इसके

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

अलावा 5 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया है एवं 1 व्यक्ति ऐसा है जिसको जमीन का मुआवजा कम देना था परन्तु अधिक दिया गया है। संलग्न सूची में उन 5 व्यक्तियों का नाम जिनका भुगतान अभी करना है व उस 1 व्यक्ति का नाम जिसको भुगतान अधिक कर दिया गया है, दर्शाया गया है। जिस एक व्यक्ति को अधिक मुआवजा दिया गया है उसका कारण भूमि की गलत अवाप्ति है क्योंकि उस एक व्यक्ति का खेत जिसे अधिक भुगतान किया गया है, एवं उन पांच 5 व्यक्तियों के खेत जिन्हें मुआवजा नहीं दिया गया है बिलकुल जुड़े हुये हैं। अतः सर्वे करते समय गलती से गलत भूमि की अवाप्ति कर ली गई। एक व्यक्ति को अधिक मुआवजा दे दिया गया।

भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर को इस विषय में आगे कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है एवं इस पर भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा नया अवार्ड जारी कर दिया है।

(3) सही शेष हकदारों को जल्दी मुआवजा दिलाने की कार्यवाही जारी है तथा शीघ्र ही मुआवजा दिलाया जावेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें।)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 6 अगस्त, 1980)

सार्वजनिक निर्माण विभाग, सांचौर के वरिष्ठ लिपिक के स्थानांतरण का प्रकरण

327. श्री सुनील कुमार विश्नोई (सूरतगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री सम्पतराज, वरिष्ठ लिपिक, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उप खण्ड सांचौर के विरुद्ध कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कब कब?

(2) क्या यह सही है कि उनका स्थानान्तरण शिकायतों के आधार पर पहले भी जिले के बाहर कई बार किया गया था, परन्तु फिर उनका तबादला इसी जिले में कर दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

श्री सम्पत राज मेहता, वरिष्ठ लिपिक, सार्वजनिक निर्माण विभाग, भवन व पथ उपखण्ड, जालौर कार्यालय में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(2) जी नहीं।

श्री सम्पत राज मेहता का स्थानान्तरण एक ही बार प्रशासनिक आधार एवं राज्य-हित में जून, 1976 में जिला जालौर से जिला बाड़मेर (मुख्यालय) में किया गया था। तत्पश्चात् अगस्त, 1978 में वापस इनका स्थानान्तरण बाड़मेर से जालौर में किया गया था। तब से यह उसी जिलेमें कार्यरत है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 8 अगस्त, 1980)

ग्राम करोठ, जिला अलवर में सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि पर अतिक्रमण

371. श्री तेजपाल (चौमूं) : क्या

(श्री तेजपाल)

सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम करोठ, तहसील राजगढ, जिला अलवर के खसरा नम्बर 814 की भूमि जो सार्वजनिक निर्माण विभाग की है, पर श्री ओम प्रकाश द्वारा अतिक्रमण कर पक्की तामीर करली गई है? यदि हां, तो सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तामीर के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करने के क्या कारण हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि इस भूमि को ग्राम पंचायत करोठ ने ग्राम नीलामी कर दिनांक 29-4-59 को 161.00 रुपये प्रति माह किराये पर श्री ओम प्रकाश को दी थी, लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने इस भूमि को केवल 6.86 रुपये प्रति माह किराय पर देकर क्या अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया है?

(3) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

(4) क्या यह भी सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के रिकार्ड में इस भूमि को किराये पर देना ही अंकित नहीं है? किराये देने संबंधी कोई आदेश हों, तो कृपया सदन की मेज पर रखें। किराया समय-समय पर श्री ओम प्रकाश द्वारा जमा न कराने पर सार्वजनिक निर्माण विभाग ने क्या कार्यवाही की है?

(5) क्या यह भी सही है कि इस सम्बन्ध में ग्रामवासी करोठ द्वारा बार-बार अधिकारियों को अवगत कराने के उपरान्त भी कोई कार्यवाही नहीं की गई? यदि की गई है, तो क्या और नहीं तो क्यों?

(6) क्या यह भी सही है कि जन अभाव अभियोग की बैठक में दिनांक 31 मई, 1979 में निर्णय लिया गया था कि सार्वजनिक निर्माण विभाग श्री ओम प्रकाश को इस भूमि से बेदखल करेगा? यदि हां, तो विभाग द्वारा की गई कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें।

(7) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो क्या अब सरकार कब तक क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सार्वजनिक निर्माण विभाग की है। पक्की तामीर इस विभाग की विना स्वीकृति के की गई है। कार्यवाही विभाग द्वारा की गई है।

(2) इस भूमि को कभी पंचायत करोठ द्वारा नीलामी पर 165/- रुपये मासिक किराये पर देने की अधिकृत जानकारी इस विभाग को नहीं है। उक्त भूमि सन् 1961 में अधिशासी अभियन्ता, अलवर के कार्यालय द्वारा श्री जयनारायण ओम प्रकाश माईनिंग ठेकेदार के नाम 6.86 रुपये प्रतिमाह की दर से किराये पर दी गई थी। चूंकि पंचायत को उक्त भूमि किराये पर देने का न तो अधिकार था और न ही इस विभाग को अधिक राशि की नीलामी से अवगत कराया गया। इस कारण अधिशासी अभियन्ता द्वारा अपने पद के दुरुपयोग का प्रश्न नहीं है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जी नहीं। ऐसा नहीं है मू

(48)

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)
आदेश अब उपलब्ध नहीं है। किरायेदार ने 22-7-63 तक 187.45 रु. जमा कराये हैं। इसके बाद इस विभाग द्वारा नोटिस दिये गये। तहसीलदार, राजगढ़ और सिविल जज के यहां केस भी चले। दोनों केस में किरायेदार के पक्ष में निर्णय हुआ। तत्पश्चात् 8-12-78 से 29-5-80 तक 775.18 रु. और जमा कराये हैं। इसके बाद से सहायक अभियन्ता, राजगढ़ के द्वारा सैक्शन 91, एस. आर. एक्ट के तहत कार्यवाही जारी है।

(5) जी नहीं। अधिशासी अभियन्ता द्वारा की गई कार्यवाही भाग-4 में ऊपर वर्णित है।

(6) जी नहीं। दिनांक 31-5-79 को जन अभाव अभियोग, अलवर की बैठक में यह प्रश्न उठा था। अधिशासी अभियन्ता द्वारा यह बताया गया कि इस नाजायज तामीर के खिलाफ धारा 91 एस. आर. के अन्तर्गत मुकदमा चल रहा है।

(7) मामला सबजुडिस है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 1 अगस्त, 1980)

राज्य पथ परिवहन निगम के परिचालक

239. श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण), श्रीमानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा), श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) एवं श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा चलाई जा रही बसों के परिचालकों में भयंकर भ्रष्टाचार व्याप्त है?

(2) जुलाई, 1977 से दिसम्बर, 1979 तक प्रति माह, प्रति डिपो कितने कण्डक्टर निलम्बित किये गये, इनमें से कितनों को फिर ड्यूटी पर लगाया गया तथा कितनों को सेवानिवृत किया गया तथा कितनों की जांच विचाराधीन है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इस भ्रष्टाचार में सिर्फ कण्डक्टर ही नहीं, ऊपर के अनेक अधिकारी भी शामिल हैं, जिस कारण बसों के इतने ओवर लोड चलने के बाद भी निगम को प्रति दिन भारी हानि हो रही है और आम जनता का राष्ट्रीयकरण के प्रति विश्वास डगमगा रहा है? यदि हां, तो राज्य सरकार इस भ्रष्टाचार को मिटाने बाबत क्या कार्यवाही करने जा रही है?

उत्तर

(1) परिचालकों के विरुद्ध निरीक्षण के दौरान भ्रष्टाचार के मामले पाये जाते रहे हैं जैसा कि निम्न वस्तु से परिलक्षित होता है:—नये माह जनवरी, 80 से मई, 80 की अवधि में विभिन्न उड़न दस्तों द्वारा 1,08,395 बार वाहनों का निरीक्षण किया गया जिनमें कुल 29,064 यात्री बिना टिकट पाये गये और यात्रियों से कुल 34,009.45 रु. किराया राशि एवं 29,149.45 रुपये अधिभार के रूप में वसूल किये गये। उक्त निरीक्षण की गई वाहनों में से 4,337 निरीक्षणों में ही बिना टिकट यात्री पाये गये, जो कि 4 प्रतिशत है।

अतः यह सही नहीं है कि परिचालकों

(यातायात मंत्री)

में भयंकर भ्रष्टाचार व्याप्त है।

(2) वांछित सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। निगम के घाटे में होने का प्रमुख कारण संचालन, आय कम नहीं होकर संचालन व्यय में बढोतरी होना है। डीजल, टायर एवं ट्यूब, अतिरिक्त कल-पुर्जे, चैसिस की कीमतों में वृद्धि, कर्मचारियों को देय भत्ता, बस बाडी निर्माण आदि की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि से निगम के संचालन व्यय में वृद्धि हुई है जिसके फलस्वरूप घाटा हो रहा है। निगम की वाहनों की निरीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के दृष्टिकोण से निगम मण्डल द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। समिति की रिपोर्ट विचाराधीन है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 1 अगस्त, 1980)

237. श्री सूर्यकुमार (नैनवा): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान राज्य में पर्यटन विभाग के अन्तर्गत कुल कितने पर्यटन केन्द्र संचालित हैं? जिलेवार केन्द्रों की सूची सदन की मेज पर रखी जाय।

(2) राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु सन् 1977 से 1979 तक कुल कितनी राशि व्यय हुई?

(3) क्या सरकार की पर्यटन विकास हेतु अन्य जिलों में पर्यटन केन्द्र स्थापित करने की योजना है? यदि हां, तो कौन-कौन से जिलों में कहां-कहां पर्यटन केन्द्र स्थापित होंगे? नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य में ऐसे अनेक स्थान हैं जो पर्यटकों के लिए आकर्षक हैं, किन्तु वर्तमान नीति के अनुसार पर्यटन विभाग न तो उन्हें पर्यटन केन्द्र घोषित करता है और न ही उन्हें विभाग द्वारा पर्यटन केन्द्र के रूप में संचालित किया जाता है। इस संबंध में नई नीति विचाराधीन है जिसके तहत पर्यटकों के लिए इन आकर्षक स्थलों का वर्गीकरण करने का प्रस्ताव है और यह भी प्रस्तावित है कि अलग-अलग वर्गों के स्थानों पर पर्यटकों के लिए किन किन सुविधाओं व सेवाओं का प्रावधान किया जाए।

(2) राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु वर्ष 1977-78 में 73.69 लाख रुपए 78-79 में 84.71 लाख रुपये एवं वर्ष 79-80 में 116.14 लाख रुपये व्यय किये गये।

(3) किसी स्थान पर पर्यटन केन्द्र स्थापित किये जाने की कोई प्रक्रिया वर्तमान में पर्यटन विभाग द्वारा नहीं अपनाई जाती। नई नीति के अन्तर्गत इस पर विचार किया जा रहा है। किन स्थानों को पर्यटक केन्द्र के रूप में संचालित किया जाय।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन

(50)

(श्री अध्यक्ष)

प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) श्री गोपाल पचेरवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला बूंदी की लाखेरी नगर की कुछ बस्तियों में सीमेंट फैक्ट्री के श्रमिकों व हरिजन जाति के लोगों को पेयजल उपलब्ध न होने के विषय में।

(2) श्री लच्छूराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से सीकर जिले के श्रीमाधोपुर सर्किल के ग्राम पंचायत, लासनी के एक पंच रणजीत मीणा के विरुद्ध लगाये गये अभियोगों के मामले में पुलिस द्वारा एफ. आर. देने के बावजूद उक्त पंच को पुलिस कैम्प में रोक कर परेशान करने के विषय में।

(3) श्री मोहन लाल मोदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील नीम का थाना में टानी खादरा तनगावड़ी नामक गांव में भूतपूर्व जागीरदार द्वारा 8 सैनी परिवारों को 24 बीघा कृषि भूमि जोतने में रुकावट करने के विषय में।

(4) श्री कैलाश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से अजमेर नगर में अशुद्ध जल वितरण एवं समय पर जल न मिलने के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(5) श्री देवी सिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील कोलायत के एक गांव के निवासियों को 1955 की वोटर लिस्ट के अभाव में जमीन के आवंटन से वंचित किये जाने के विषय में।

इस विषय पर सदन में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा हो चुकी है, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(6) सर्वश्री हीरा लाल आर्य व दाऊ दयाल जोशी, सदस्य विधान सभा की ओर से कोटा जिले में सीलिंग में किसानों से ली गई जमीन का मुआवजा न मिलने के विषय में।

(7) श्री मोहन लाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सरदार शहर के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय गंगानगर स्थानान्तरित करने के विषय में।

ये प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं, अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं। इन प्रस्तावों को राज्य सरकार के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है।

माननीय सदस्य जिन के स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत हुए हैं वह दो–दो मिनट अपनी बात कह सकते हैं।

श्री देवीसिंह भाटी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, कोलायत तहसील में जहां कि बहुत ही गरीब और अनपढ़ लोग रहते हैं सन् 1952 में जब कि चुनावों की तैयारी हो रही थी उस वक्त सरकार की तरफ से निर्वाचन सूची बनाने के लिए अलग–अलग गांवों में अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति हुई। उस वक्त क्योंकि लोग न तो

(श्री देवीसिंह भाटी)

निर्वाचन सूची के बारे में रुचि रखते थे और न ही उन्हें कोई चुनाव से मतलब था। जिस वक्त कर्मचारी लोग उस क्षेत्र में गये तो जहां भी बड़ा गांव था या कहीं भी एक जमींदार के पास बैठकर उन कर्मचारियों ने वोटर लिस्ट तैयार कर ली तो यह दो गांव जिनके लिए मैं विशेष तौर से निवेदन कर रहा हूं एक तो बिजौरी और दूसरा मांग नवाल, जिसमें निवासी 200 वर्षों से रह रहे हैं, जिनके झोंपड़े, कुएं, कुण्ड और तालाब निजी बने हुए हैं उसके उपरान्त भी उन्हें वहां का पुराना निवासी नहीं माना है। मेरा सरकार से यह निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, कि पूरे दो गांव जिनके बारे में आज तक कोई जांच नहीं की गयी, जो उस क्षेत्र में बराबर इतने सालों से रह रहे हैं तो वहां के निवासीगण अधिकारियों के पास, जन प्रतिनिधियों के पास शिकायत लेकर पहुंचे कि हमें इन सबूतों के अभाव में जमीन नहीं मिल रही है। तो कम से कम जांच तो की जाये कि हम पुराने समय से रह रहे हैं या नहीं। पड़ौस के गांवों को तो मान लिया और जब कि इन दो गांवों के निवासी दो सौ वर्षों से वहां रह रहे हैं, कम से कम इसकी जांच करायें। अगर उन्हें वहां रहने का अधिकार नहीं है, अगर सरकार उनको जमीन नहीं दे सकती तो उस गांव में जो कि अकाल से ग्रसित हैं, जहां खेती नहीं होती, आने जाने के साधन नहीं हैं फिर वहां रहने से उन निवासियों को क्या फायदा हुआ? मेरी सरकार से यह गुजारिश है कि कम से कम इन दो गांवों के बारे में किसी उच्च अधिकारी को नियुक्त किया जाय कि बिजौरी और मांग नवाल गांव के निवासी सन् 52 से पूर्व वहां निवास कर रहे हैं या नहीं। अगर वास्तव में निवास कर रहे थे जिनके झोंपड़े, कुएं और तालाब बने हुए हैं तो उन्हें आप अलग से सबूत दें जिससे वह जमीन लेने के हकदार हों। इसके लिए मैं विशेष तौर से निवेदन करूंगा कि इसकी जल्दी से जांच करें क्योंकि अभी वहां अलॉटमेंट की कार्यवाही चल रही है और उन लोगों को वंचित किया जा रहा है जो कि कम से कम 1,500 भूमिहीन काश्तकार हैं, जिनकी सदियों पुरानी जमीन है और उनका नाजायज कब्जा गिना जा रहा है इसलिए सरकार से निवेदन है कि इसकी जांच करके काश्तकारों को जमीन दिलाने की व्यवस्था करें। नहीं तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि मांग नवाल और बिजौरी गांव के निवासी गांव छोड़कर बीकानेर जायेंगे और बीकानेर में सुनवाई नहीं हुई तो वह जयपुर आयेंगे और अगर जयपुर में भी उनकी सुनवाई नहीं हुई तो इन्दिरा गांधी की छाती पर जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य भाषा में संयम बरतें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव आज की लिस्ट में नहीं है। मैंने कल शाम को दिया था।

श्री अध्यक्ष : किस के बारे में?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : रेजीडेन्ट डाक्टरों की हड़ताल के बारे में था। वह मैंने कल दिया था।

श्री अध्यक्ष : आज तो नहीं है। बाद में चेम्बर में मिल लें।

श्री हीरालाल आर्य!

श्री हीरालाल आर्य : (पीपलदा):—मानतीय अध्यक्ष महोदय, भारत हमारा एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश होने की वजह से यहां की 70 प्रतिशत जनता खेती पर निर्भर करती है, खेती करती है। क्योंकि सरकार समाजवाद लाना चाहती थी, अमीर और गरीब की खाई को कम किया जा सके इसके लिए जिसके पास अधिक सम्पत्ति थी उसकी सम्पत्ति को छीनकर गरीब लोगों में वितरित की जाये – इस तरह की सरकार ने व्यवस्था की। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने पहले बड़े पूंजीपतियों को नहीं पकड़ा, सरकार ने किसी बड़े उद्योग पति को नहीं पकड़ा और क्योंकि किसान अनपढ़ है अशिक्षित है, उनमें संगठन नहीं है इसलिए सरकार ने सबसे पहले जो किसान था उसको डुबोने की कोशिश की और उनकी सम्पत्ति को, उनकी जमीन को छीनकर गरीबों को देने की व्यवस्था की जो, पूंजीपति हैं कांग्रेस सरकार उनकी सम्पत्ति नहीं छीन सकी। पहले भी उनके हाथों में यह कठपुतली बनी रहती थी। चुनाव के वक्त उनसे चन्दा प्राप्त करने के लिये उनसे दबी हुई थी। इसलिय उन्होंने नहीं पकड़ा और पहले किसानों को पकड़ा क्योंकि किसान सबसे सीधा और भोला है। सबसे पहले सरकार ने किसानों पर जुल्म ढाये और सीलिंग के नाम पर उनकी जमीनों को छीना। सीलिंग के मामले में अध्यक्ष महोदय, अधिकारियों ने अपनी मर्जी से अनाप शनाप अपनी इच्छा के अनुसार मामले तय किये हैं। कई किसान ऐसे हैं जिनके पास सीलिंग के मामले तय करते समय एक बीघा जमीन भी नहीं रखी। हथोली गांव में राधाकिशन सीताराम सगला पटेल जिसके पास 700 बीघा जमीन थी इसी तरह रामपुरा के शंकरलाल पटेल की किसी पटवारी से अनबन थी उसने तहसीलदार से मिलकर एक बीघा जमीन नहीं छोड़ी उनको दाने दाने के लिय मोहताज रख दिया। सीलिंग के मामले में भ्रष्टाचार बढ़ा है। अधिकारियों को, तहसीलदारों को जो पैसा दे सकते थे उनके केसेज उनकी मर्जी के साथ निपटाये। जो किसान सीधे साधे थे पटवारी और तहसीलदार को पैसा नहीं दे सके ऐसे सीधे किसानों की जमीन ले लीं सीधे साधे किसान सीलिंग के नाम में वकीलों और अदालतों और राजस्व अधिकारियों के चंगुल में फंस गये और किसानों में इस सीलिंग के मामले में बड़ा दुख है। नये और पुराने सीलिंग के मामले को लेकर किसानों के ऊपर जुल्म ढाये गये। किसानों की अधिक से अधिक जमीनें ले लीं। अध्यक्ष महोदय, जिन किसानों से जमीनें प्राप्त की उनके बच्चे छोटे थे। अब क्योंकि बड़े हो गए हैं, पैतृक धंधे करना चाहते हैं. इससे वे लोग वंचित हो गए हैं। आज किसानों के परिवार बंट गये हैं छोटी छोटी जमीनें रह गई हैं उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी लड़खड़ा गई है, उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय है। सीलिंग के केसेज····

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री हीरालाल आर्य : हमारे कोटा जिले में सबसे ज्यादा सीलिंग के केसेज भूमि अवाप्ति के हुए हैं। कोटा जिले में 45,012 एकड़ भूमि अवाप्त की जिसमें से 29,971 एकड़ भूमि अलाट कर दी गई। इसमें सबसे ज्यादा पीपल्दा में 11,578 एकड़ भूमि अवाप्त की और 8,850 एकड़ भूमि अलाट की। मांगरौल में 4,578 एकड़ भूमि अवाप्त की और 617 एकड़ भूमि अलाट की गई। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवदन है कि जिन किसानों से भूमि अवाप्त की है उनको मुआवजा नहीं दिया गया है। उन जमीनों को सरकार ने अलाट कर दिया उस अलाटमेंट का

(श्री हीरालाल आर्य)
पैसा प्राप्त कर लिया लेकिन उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जिन किसानों से सीलिंग की भूमि अवाप्त की है जमीनों को बेच दिया, पैसे प्राप्त कर लिये फिर सरकार किसानों की सम्पत्तियों हड़प कर बैठी है । इसलिये आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिये ताकि उनकी जो आर्थिक स्थिति डांवाडोल हो गई है, वे आर्थिक स्थिति को काबू कर सकें और मुआवजे के पैसे से दूसरा धन्धा कर सकें ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहूंगा सरकार से कि इस तरह का जुल्म किसानों के साथ न करे अन्यथा जो किसानों की सम्पत्तियां, जमीनों का मुआवजा नहीं मिल रहा है उससे किसानों में बड़ा संतोष है ।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य ।

श्री हीरालाल आर्य : अपने पैसों को प्राप्त करने के लिये बहुत आन्दोलन कर सकते हैं । सरकार से निवेदन करूंगा कि प्राथमिकता के आधार पर इसको हल करे ।

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी ।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, कोटा जिले में 1413 व्यक्तियों से 45,012 एकड़ जमीन अब तक अधिग्रहण की है । मेरा निवेदन करना यह है जिस दिन से सीलिंग कानून लागू किया गया था आज तक बार-बार सीलिंग कानून में संशोधन होते रहे हैं । बार-बार तोड़मरोड़ कर लोगों ने अपने हित किये हैं । दुनिया में किसी भी जगह दो प्रकार के कानून नहीं हैं । हमारे राजस्थान में आज की तारीख में सीलिंग के दो कानून चलते हैं और दोनों कानून चलते हैं । किसान बड़े परेशान हो गये हैं । यह प्रश्न बन गया है । मेरी सरकार ने 2½ साल में अन्त्योदय के माध्यम से जमीनों का अलाटमेंट किया, लेकिन इसके पूर्व पिछले 30 साल में कांग्रेस की सरकार थी । 10 साल सीलिंग कानून के तहत जो भूमि अवाप्त की गई थी वह जमीन बांटी गई । दुःख है कि किसानों की जमीन छीन कर खेत ऐसे के ऐसे पड़े हैं । जैसा माननीय सदस्य ने कहा सबसे ज्यादा पीपल्दा में 11,573 एकड़ भूमि अधिग्रहण की गई । उसके बाद मेरा क्षेत्र है । दीगोद में 8,557 एकड़ भूमि और सांगोद में 3,185 एकड़ भूमि अवाप्त की । इस प्रकार कुल 11,742 एकड़ भूमि सांगोद और दीगोद में मिलाकर सरकार ने अधिग्रहण की हुई है लेकिन दुख यह है कि भूमि अधिग्रहण करने के बाद अलाट नहीं हुई है । जनता सरकार ने 2½ साल के शासन काल में ईमानदारी के साथ सही व्यक्तियों को अन्त्योदय परिवारों को अलाट की, लेकिन अब भाई भतीजावाद के आधार पर पिछली सरकार ने अलाट की । आज जैसे हाड़ोती में 45,012 में से 25,941 एकड़ जमीन, जो अधिग्रहण हुई है, आवंटित करना बाकी है लेकिन सरकार आज कहती है कि अलाट करने के लिये 3,993 एकड़ भूमि ही बाकी है । सरकार ने स्वीकार किया है कि 45,012 एकड़ भूमि अधिग्रहण की है उसमें 25,241 एकड़ भूमि आवंटित की है । बाकी की जमीन का क्या हुआ ? यह अहम प्रश्न है । सरकार बता रही है कि 3993 एकड़ जमीन बाकी है,

(श्री दाऊदयाल जोशी)

बाकी जमीन कहां गई है। मेरा निवेदन है कि सीलिंग के मामले में जो गड़बड़ी है अनियमितताये हैं अहम प्रश्न है मेरा निवेदन करना है .....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री दाऊ दयाल जोशी: सरकार ने जो जमीन अधिग्रहण की थी, जिनके पास जमीन अधिक हैं वे अपने प्रार्थना-पत्र देंगे हमें, सरकार इस जमीन का क्लेम देगी? मेरा निवेदन करना यह है कि 1413 में से 990 व्यक्तियों ने क्लेम प्रस्तुत नहीं किय। 1990 व्यक्तियों में से 432 व्यक्तियों ने 4 साल पहले क्लेम प्रस्तुत किये हुए हैं और 432 व्यक्तियों की जमीनों को ले लिया, जमीन लेकर सरकार ने बच दी अलाट कर दी और अलाटमेन्ट के बाद भी 432 व्यक्तियों को आज तक उसका मुआवजा नहीं मिल रहा। यह एक सरकार की, मैं समझता हू, बेइमानी है. सरकार ने पैसा वसूल किया, सरकार ने धन ले लिया और धन लेने के बाद भी उन लोगों को मुआवजा की रकम आज तक सरकार नहीं दे रही। मैं 990 व्यक्तियों की बात नहीं करता जिन्होंने क्लेम प्रस्तुत नहीं किये थे उन्होंने प्रस्तुत क्यों नहीं किये यह बात देखने की अलग है लेकिन 432 व्यक्तियों का धन सरकार दबा कर रख ले।

श्री अध्यक्ष माननीय सदस्य, समाप्त करें

श्री दाऊदयाल जोशी: यह गलत बात है और मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने जिन मामलों में इस सीलिंग अनियमितताओं को देखकर सीलिंग के केस ओपन किये थे, ओपन करने के बाद उन पर मुकदमे चले। आज यहां पर जयपुर में सुनवाई के लिए उपस्थिति हैं। कोटा जिले का किसान जयपुर में जयपुर के सैक्रेटेरियट में चल कर आये सीलिंग के केस को लड़ने के लिए, गरीब भोलाभाला किसान जिसने जयपुर नहीं देखा और जयपुर के बाद जयपुर का सेक्रेटेरियट यह नहीं देखा। मेरी पिछली सरकार ने इस प्रकार के कोर्ट को लगाने का कोर्ट में निर्णय लिया था। लेकिन गत 4 महीने की सरकार में कोर्ट बन्द हो गये फिर से उनको बुलाया जा रहा है जयपुर में। एक-एक किसान जिसकी जमीन का कोई मुआवजा मिलने वाला नहीं। एक-एक किसान को 4-4, 5-5 हजार रुपये का व्यर्थ में भार पड़ रहा है। मेरा पुरजोर निवेदन कि आप सम्बन्धित मन्त्री को आदेश प्रदान करें कि यदि सीलिंग के मामले रिओपन किये गये हैं उनके मामलों की सुनवाई कोटा में अदालत जाकर पेन्स जाकर वहां उसको सुने। वहां फैसला दे। गरीब काश्तकार हरेक पेशी पर 2 सौ से लेकर तीन सौ रुपये के बीच में पिट रहा है। मैं समझता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से इसके लिय सम्बन्धित मन्त्री को आप आदेश देने की कृपा करेंगे। इतनी ही बात ही मुझे निवेदन करनी है।

श्री अध्यक्ष: श्री मोहनलाल शर्मा, जन, स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग के अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

श्री मोहन लाल शर्मा (सरदारशहर): अध्यक्ष महोदय, आपको सूचित करते हुए मुझ काफी दुख हो रहा है कि हमारे सरदार शहर में अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय था जिसको राज्य सरकार ने बन्द कर दिया

(श्री मोहनलाल शर्मा)

है अभी तक वहां आदेश नहीं पहुंचे हैं लेकिन वहां के अधिशासी अभियन्ता ने मुझे यह बताया कि कार्यालय गंगानगर जा रहा है और दूसरे 3-8-80 के दैनिक नवज्योति पत्र में समाचार छपा है कि यहां का सरदारशहर का अभियान्त्रिक विभाग का कार्यालय जो है, वह कार्यालय गंगानगर में स्थानान्तरित किया जा रहा है। वैसे तो गंगानगर में अभियान्त्रिक अधिकारी का पहले से ही कार्यालय है और वहां का रावतसर का कार्यालय स्थानान्तरित करना मैं समझता हूं कि अनुचित बात है लेकिन कहीं कांग्रेस सरकार यह समझ ले कि जनता सरकार द्वारा कोई भी अच्छा काम किया हुआ वह बुराई मानकर उसको हटायें और वहां की जनता को परेशान करने का प्रयास करें तो यह बहुत बुरी बात है और यह परम्परा गलत है। सरदारशहर में यह एक योजना बनायी गयी थी कि रावतसर से सरदारशहर तक एक पाइप लाइन डाली जायेगी, उसको भी उन्होंने निरस्त कर दिया है, कैन्सिल कर दिया है इस पाइप लाईने को, पानी को जल प्रदाय योजना को साया से सरदारहर को 5-7 गांवों को पानी देने की योजना बनायी गयी है तो इस प्रकार से यह बहुत अन्याय की बात है सरदारशहर के तहसील के लोगों के लिए बहुत ही अहितकर है जो सरकार पानी को उपलब्ध कराने के लिए हामी सरकार है, वह सरकार इस प्रकार से जो जल प्रदाय योजनाएं जो पहले से चल रही है, उनको बन्द करें और उसके लिए अधिशासी अधिकारी कार्यालय को बन्द करें जिससे कि काम की गति में अवरोध उत्पन्न हो, काम के विकास में अवरोध आये तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बातें गलत और अन्याय पूर्व है और इस प्रकार कार्यालय बन्द करके सरदारशहर और सरदारशहर के पास-पड़ोस के गांवों को पीने के पानी बन्द नहीं करना चाहिए मैं आपके माध्यम यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि सरकार को आदेश दे कि इस प्रकार कार्यालय को बन्द नहीं करके पुन: चालू किया जाय, इस आदेश को निरस्त किया जाय और कार्यालय को पुन: खोला जाय जिससे वहां का, उस क्षेत्र का विकास जो होने वाला है, रुके नहीं, आगे बढ़े और जो जल प्रदाय योजना रावतसर से सरदारशहर की 210 गांवों की थी, वह भी निरस्त नहीं करके आपने सिर्फ 7-8 गांवों तक ही रखी है। इस प्रकार जो यह सरकार कहती है कि हम जल, पानी उपलब्ध कराने की सुविधा 5 साल से 10 साल में करेंगे तो मैं समझता हूं कि यह व्यवस्था इस प्रकार की कर रहे हैं पांच साल के अन्दर नहीं 50 साल की होने जा रही है, कार्यालय को बन्द कर रहे है, उन्हें हटा रहे हैं, जल प्रदाय योजनाओं को इस प्रकार हटा रहे हैं। इस प्रकार मेरा आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना है कि इसको बन्द नहीं करके पुन: चालू किया जाय और किसी प्रकार से छोटे कर्मचारियों छोटे अधिकारियों के प्रति यदि किसी प्रकार की आपको नाराजगी है और इससे सरकार ने यह कार्यालय बन्द किया तो छोटे कर्मचारी को तब्दील कर दिया जाय, छोटे अधिकारी को तब्दील कर दिया जाय लेकिन कार्यालय को बन्द न करके वहां रखा जाय ताकि विकास का काम हो वहां की जनता का फायदा हो सके और जो कुछ योजनायें चालू हैं, उनको पुन: किया जा सके इसके बारे में आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि इसको रोका जाय और आप सरकार को आदेश दें और आश्वासन दिलायें कि यह कार्यालय बन्द नहीं होगा और यहां पर चालू

(श्री मनोहनलाल शर्मा)

रहेगा ।

नियम 295 के अन्तर्गत उठाया गया प्रश्न पालेकर ट्रिब्यूनल द्वारा जर्नलिस्ट एवनान जर्नलिस्ट के सम्बन्ध में दिया गया अवार्ड

श्री अध्यक्ष : नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव में कुछ कहना चाहेंगे । कृपया समय का ध्यान रखें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बहुत सूक्ष्म में। अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत मैं पालेकर ट्रिब्यूनल द्वारा जो जर्नलिस्ट और नान जर्नलिस्ट के सम्बन्ध में अवार्ड दिया गया है, उस सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए, सदन के माध्यम से राजस्थान में इस अवार्ड का जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उसके विषय में भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन कर रहा हूं

श्री अध्यक्ष : आपने तो राजस्थान का ध्यान ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : राजस्थान सरकार के माध्यम से ।

श्री अध्यक्ष : तो ठीक है । आप डायरेक्ट नहीं कहें ।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक): आप डायरेक्ट पधारें, तो वह सरकार नहीं रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी सरकार है फिर भी आपकी कोई नहीं सुन रहा है ।

श्री अध्यक्ष : वे भी चीफ व्हिप के माध्यम से सुन रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, पिछले 15 वर्षों में देश में जितने भी जर्नलिस्ट और नान जर्नलिस्ट है जिनकी संख्या 15 हजार होनी चाहिए । वे अपने वेजेज के मामले में संघर्ष करते आये हैं और कई बार ज्ञापन दिये, कई बार भारत सरकार से विचार किया और कई बार एम्पलायर्स ने भी उनके वेजेज में कई प्रकार के रिवीजन्स किये लेकिन मामला इतना काम्पलीकेटेड हो गया था कि किस प्रकार के लोगों को कितना वेतन दिया जाय कितनी सुविधायें दी जायें इसके कोई नार्म्स फिक्स अब नहीं हुए और इसलिए पालेकर ट्रिब्यूनल नियुक्त की गयी । इस ट्रिब्यूनल ने 15 अगस्त को इसी 15 अगस्त को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को दी, जो रिपोर्ट आज से 3 दिन पहले भारत सरकार द्वारा राज्य सभा में प्रस्तुत की गयी । अध्यक्ष महोदय, इस फाइनल रिपोर्ट के पहले एक प्रोविजनल रिपोर्ट भी पालेकर ट्रिब्यूनल द्वारा दी गयी उनमें इतना अन्तर है कि जिसके कारण सारे देश के जर्नलिस्ट में, नान जर्नलिस्ट में इतना भयंकर असन्तोष है कि उस असन्तोष की अभिव्यक्ति मैं समझता हूं मुख्य सचेतक महोदय, सरकारी पक्ष भी इस बात के लिए तैयार होगा कि जर्नलिस्ट के वेतनों में टी.ए.डी.ए. में या बाकी सुविधाओं में किसी प्रकार की कोई कमी रही है तो आप उसमें मेरा साथ देंगे । भारत सरकार से जो पालेकर ने आज से कुछ दिनों पहले अपनी प्रोविजनल रिपोर्ट दी थी उसके आधार पर कार्यवाही करें । मैं मानकर चलता हूं कि माननीय मुख्य सचेतक अपना सिर हिला रहे है मैं उससे अंदाज लगाता हूं कि सरकार भी मेरे साथ है, इस प्रश्न के ऊपर.....

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपको यह क्या मालूम है कि मैं किसलिए सिर हिला रहा हूं ?

श्री अध्यक्ष : आपको तो शायद यह मालूम नहीं कि पालेकर है क्या चीज ?

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि आप मुख्य सचेतक महोदय की योग्यता की पूरी जानकारी रखते हैं। मैं यह निवेदन कर रहा था जैसे कि पहले प्रोविजनल रिपोर्ट दी थी उस प्रोविजनल रिपोर्ट के अन्दर यह तय किया था कि जनवरी, 1978 से डी. ए. के सम्बन्ध में जो इनकी सिफारिशें थीं, वह लागू की जायें उसके बाद इसमें परिवर्तन किया जाय। और परिवर्तन इस आधार पर किया गया कि इन सारे पत्रकारों को 9 कैटेगरीज में विभाजन किया और विभाजन के आधार पर यह तय कर दिया कि जो बड़े अखबार हैं उनकी टी.ए., डी.ए. की पालेकर ट्रिब्यूनल ने सिफारिश की है 1 अक्टूबर, 1979 से और जो छोटे अखबार वाले हैं, उनकी 1 अक्टूबर, 1980 से उससे अब एक अन्तर यह आया जो 78 से लागू करनी चाहिये थी उसको आगे बढ़ा करके किया गया है। पहले तो रिट्रासपेक्टिव लागू होनी थी और अब पारसपेक्टिव यानि 1 अक्टूबर, 1980 से। इसका मतलब वर्किंग जर्नलिस्ट एन्ड नॉन-जर्नलिस्ट दोनों को बहुत बड़ी हानि हुई है। इसी प्रकार हाउस रेन्ट के मामले में बेसिक पे का 15 पर्सेन्ट हाउस रेन्ट मिलेगा। अब इसमें भी कमी कर दी और यह व्यवस्था कर दी कि तीन से 8 पर्सेन्ट मिलेगा और वह भी एक से चार केटेगरीज के न्यूज-पेपर्स हैं। तीन से आठ तक मिलेगा बाकी की एजेन्सीज के लिये यह तय कर दिया। तीन से 8 तक की कमी कर दी। आज स्थिति यह है कि हाउस रेन्ट पालेकर ट्रिब्यूनल ने जो अवार्ड दिया उससे ज्यादा दिया जाय, यह बात सही है कि उन्होंने जो व्यवस्था दी है और जो आज सुविधायें मिल रही हैं उसको कम नहीं किया जा सकता है लेकिन फिर भी जो अवार्ड दिया है उसके आधार पर दिया जाता तो सारे जर्नलिस्ट को लाभ मिलता। प्रोविजनल रिपोर्ट में पालेकर रिपोर्ट में पालेकर ने यह सिफारिश की है कि अगर महंगाई बढ़ती है तो एक पाइन्ट पर 1.20 पैसा मिलेगा और अब जो फाइनल रिपोर्ट दी है उसमें यह कर दिया 6 पाइन्ट तक बढ़ोतरी होती है तो पांच रुपया दिया जायगा। पहले वाले हिसाब से 7) रु. 20 पैसे होते हैं और अब केवल पांच रुपये मिलेंगे। इसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, कम्पनसेटरी अलाउन्स के लिये पहले सिफारिश की थी 10 से 76 रु. अब जो फाइनल अवार्ड दिया उसको बिलकुल खतम कर दिया। एक तरफ तो महंगाई को सही मान लिया और दूसरी तरफ फाइनल रिपोर्ट देकर सारी चीजों को साफ कर दिया। इससे, अध्यक्ष महोदय वर्किंग जर्नलिस्ट में बहुत बड़ा असन्तोष बढ़ा है। यदि हमारी सरकार सावधान है तो मैं राजस्थान सरकार के जरिये से भारत सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट 12 के अन्तर्गत भारत सरकार को उस प्रकार का अधिकार है कि ऐसे वेज बोर्ड के अभाव में भारत सरकार उनकी मांगों के बारे में फिर से विचार करे और जो वेज बोर्ड ने पहले सिफारिश की थी उसको माने। इस प्रस्ताव के द्वारा इस प्रकार की मांग करना चाहूंगा।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (मंत्री, संसदीय कार्य): अध्यक्ष महोदय,

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)
मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : समझे नहीं, आप रिपीट कर दीजिये क्या कहा ?

एक माननीय सदस्य : यह सकूलेट हो गया है।

श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता** : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।

(स्वीकृत)

श्री **अध्यक्ष** : प्रतिवेदन पर सहमति व्यक्त की गई।

श्री **राजबहादुर** : अध्यक्ष महोदय, मुझे दो प्रश्न रखने है–एक तो मेरा काल अटेन्शन नोटिस पेडिंग है–लॉ एण्ड आर्डर के बारे में और दूसरा 138 वाला है।

श्री **अध्यक्ष** : 138 में तो 23 तारीख को समय दिया गया है।

श्री **राज बहादुर** : काल अटेन्शन नोटिस का . . .

श्री **दाऊ दयाल जोशी** : अध्यक्ष महोदय, कल भी आपने कहा था . . .

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : आज आपका कोई प्रस्ताव नहीं है, माननीय सदस्य। कृपया इसके लिये फिर आपको कष्ट करना पड़ेगा। आप आकर पूछताछ कीजिये। आज मैं इजाजत नहीं दूंगा, माननीय सदस्य . . .

(व्यवधान)

श्री **दाऊदयाल जोशी** : अध्यक्ष महोदय, कल आपने कहा था मांग के समय बोल लेना लेकिन मांग पर मेरा नाम भी नहीं पुकारा गया . . .

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, मैं सदैव ही माननीय सदस्यों के प्रस्तावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करता हूं। आप मुझ से मिल लीजिये, अगर उस समय तक सरकार से उत्तर आ जायगा तब तो ठीक है ही अन्यथा और कोई तजवीज कर लेंगे।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

तहसील रायसिंह नगर, जिला गंगानगर के रामचन्द्र वल्द लालू मेघवाल की गला घोंट कर हत्या

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री सुनीलकुमार

श्री दीपेन्द्रसिंह।

श्री सुखलाल सैणचा।

श्री हरेन्द्र मिर्धा।

श्री **सुनील कुमार विश्नोई** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत जिला गंगानगर के रामचन्द्र वल्द लालू मेघवाल का गला घोट कर हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री रामपाल उपाध्याय (उप मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, श्री रामचन्द्र मेघवाल की हत्या के संबंध में माननीय विधायक श्री सुनीलकुमार विश्नोई द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तथ्य निम्न प्रकार हैं :—

(1.08 म.प.)

(श्री प्रद्युम्नसिंह, सभापति, पदासीन)

दिनांक 13-7-80 को 5 वजे शाम श्री लालू राम मेघवाल निवासी 5 एम.के. ने पुलिस थाना मुकलावा पर उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसका लड़का रामचन्द्र उम्र 18-19 वर्ष परसों बुढ़ा जोहड़े अमावश्या के मेले में गया था तलाश किया नहीं मिला। इस सूचना पर रिपोर्ट संख्या 354 दिनांक 13-7-80 को दर्ज कर थाने के मुल्जिमान को खोजने की हिदायत की गई।

दिनांक 13-7-80 को थाना विजयनगर पर श्री रामधन बावरी निवासी 11 बी.एल.एम. ने मौखिक सूचना दी कि सुबह जब वह शौच निवृत्त होने गया था तो मोघा 10 बी. बी.एल. एम. के पास एक अज्ञात व्यक्ति की लाश को पड़े देखा है। इस सूचना पर धारा 174 जा. फौ. के अन्तर्गत जांच कार्यवाही शुरू की गई। दिनांक 15-7-80 को चिकित्सा अधिकारी विजयनगर के आने पर लाश का पोस्टमार्टम करवाया गया और लाश की पहचान होने पर उसके परिजनों को अन्तिम संस्कार हेतु दे दी गई। दिनांक 20-7-80 को पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें मृत्यु का कोई निश्चित कारण नहीं बताया गया था। मृतक का विश्रा केमिकल परीक्षण हेतु सुरक्षित रखा गया।

दिनांक 24-7-80 को श्री लालू राम मेघवाल ने विजयनगर थाने पर उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की कि उसके लड़के को दिनांक 11-7-80 को शाम को 5-6 वजे दलीपसिंह जटसिक्ख का लड़का चिक्का व उसका सीरी जोते मजवी सिक्ख व रामचन्द्र मोटर साइकिल पर बैठ कर एक साथ रवाना हुए थे और उन्हीं पर अपना शक जाहिर किया और लड़के को मेला दिखाने के बहाने हत्या कर उसकी लाश नहर में डाल देना कहा। उपरोक्त सूचना पर अभियोग सं. 73, दिनांक 24-7-80 धारा 302, 201, 34 ता. हि. के अन्तर्गत अभियोग पंजीवद्ध कर एस. एच. ओ. विजयनगर द्वारा अन्वेषण आरम्भ किया गया। अन्वेषण के दौरान प्राप्त साक्षियों के आधार पर अभियुक्त जीतसिंह, निक्का, उर्फ निदंरसिंह (राजेन्द्रसिंह) घोड़ा उर्फ गुरमीतसिंह को दिनांक 26-7-80 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की निशादेही से मृतक रामचन्द्र की साइकिल व जुर्म में काम में ली गई मोटर साइकिल बरामद की गई। सी. ओ. करणपुर एवं पुलिस अधीक्षक, गंगानगर द्वारा भी घटना स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश प्रदान किये गये हैं।

इस सम्बन्ध में एक प्रतिनिधि मंडल अपर पुलिस महानिरीक्षक सतर्कता से मिला और अनुसंधान से असन्तुष्टता जाहिर करते हुए पुलिस के विरुद्ध आरोप लगाये जिस पर अपर महानिरीक्षक, सतर्कता द्वारा इस अभियोग का अनुसंधान अपर पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को दे दिया गया है एवं थाना अधिकारी को पुलिस लाइन स्थानान्तर कर दिया गया है।

श्री सुनीलकुमार विश्नोई (सूरतगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम

(60)

(श्री सुनील कुमार विश्नोई)

से सरकार का खास तौर से गृह मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि लाश मिलने के तीन दिन बाद तक थाने में रखा। लाश को थाने में रखा और उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। यह खास मुल्जिमों को बचाने के लिए और केस को बिगाड़ने के लिए पैसा लिया गया, रिश्वत ली और उसमें खास मुल्जिम का नाम भी नहीं है। जैसे कि करनेलसिंह जो कि 14 बी. एल.एम. का जमींदार है जिसकी लड़की के साथ रामचन्द्र सन ऑफ लालूराम मेघवाल का रिश्ता बताया। तो उनको, उनकी मिसेज को और उनके लड़के को बचाने के लिए खास तौर से रिश्वत ली गई और पैसे के बल पर छोड़ा गया। तीन दिन तक लाश को सड़ाया गया। पोस्टमार्टम नहीं हो सका। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह लिखा गया हैं कि दी काज आफ दी डैथ केन नोट बी असरटेन्ड बीकाज आफ डी-कम्पोजीशन। जब कि मारने पर पुलिस की रिपोर्ट में यह लिखा गया बताया है कि गला घोट कर मृत्यु हुई। गला घोटने का उसमें कोई नाम नहीं लिया गया। पोस्टमार्टम में पेट का सीरम लेते हैं, विसरा लिया जाता है। उस लड़के की बाडी को डी-कम्पोज करके बुरी तरह से दबाया गया। आप जानते हैं कि ऐसे केसों में क्या होता है और मेडिकल रिपोर्ट भी यह कहती है और जो सीरम लिया गया है उसमें भी डी-कम्पोज बताया गया है और केस को बिलकुल खराब कर दिया गया है। इसलिए मैं गृह मंत्रीजी से दरख्वास्त करूंगा कि इसकी जांच उच्च सी. आई. डी. आफिसर से कराई जावे। यह केस प्रूव हो गया है और जो पैसा दिया गया है, उनके बहीखातों की फोटो स्टेट कापी मौजूद है। इसलिए मैं कहता हूं कि एण्टी-करप्शन में केस रजिस्टर करके और एण्टी-करप्शन से जांच कराई जावे और इन तथ्यों में से कोई भी गलत तथ्य मिलें तो उसके लिए मैं आपको दावत देता हूं। यह एक चैलेंज गवर्नमेंट को है।

(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय।

श्री रामपाल उपाध्याय: सभापति महोदय, जहां तक पोस्टमार्टम का प्रश्न है दरअसल इस लड़के की मृत्यु, जैसा मैं सारे तथ्यों से समझ पाया हूं यह शायद 11 तारीख की रात में मृत्यु हुई और उसके बाद में 13 तारीख को लालूराम ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका लड़का गायब है, उसका पता नहीं है और 13 तारीख को ही विजयनगर थाने में रामधन बावरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि लाश मिली है उसको बरामद करें। तो प्रश्न यह है कि दो तीन दिन बाद तक लाश को रखा और उस समय पोस्टमार्टम की व्यवस्था करनी थी लेकिन सरकारी अस्पताल में और पास के अस्पताल में डॉक्टर संयोग से उस दिन छुटी पर थे इसलिए वह नहीं हो सका इसलिए विजयनगर के डॉक्टर को लाकर पोस्टमार्टम कराया गया। अच्छा यह होता समय रहते पोस्टमार्टम हो जाता और सारे तथ्यों का पता लग जाता। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां से सम्बन्धित व्यक्तियों की शिकायत आई तो यहां के अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक सतर्कता ने स्वयं अपर पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को आदेश दिया है और वे जांच कर रहे हैं। और जितने भी मुल्जिम हैं वे न्यायिक हिरासत में है और अभी जांच चल रही है। इसलिए यदि इससे माननीय सदस्य महानुभाव को अगर संतोष नहीं होता है तो जैसा उन्होंने सुझाव दिया है, मुझे जांच कराने में कोई कष्ट नहीं है। क्योंकि अपराधों का पता

(श्री रामपाल उपाध्याय)

लगाना, तथ्यों का पता लगाना और मृत्यु के कारणों का पता लगाना, किस तरह की बातें हैं उनका पता लगाना राज्य सरकार भी चाहती है निश्चित रूप से इसलिए जैसा उन्होंने कहा है सी.बी.आई. से जांच कराने की घोषणा करता हूं

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर। माननीय गृह मंत्री जी, आपने किससे जांच कराने की बात कही है ?

(व्यवधान)

माननीय गृह मंत्री महोदय, कृपया स्पष्ट करें कि आपने किससे जांच कराने की बात कही है ?

श्री रामपाल उपाध्याय : मैं निवेदन कर रहा हूं मुझे क्षमा करें, मेरे सुनने में गलती रह गई। सी. आई. डी. से जांच कराने की बात है, मैं सी. आई. डी. ब्रांच से जांच कराने को तैयार हूं।

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। मैं आपको अवसर दूंगा। विपक्ष के नेता महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक जानकारी करना चाहूंगा कि डेड बाडी जिस समय रिकवर हो गई उस समय से कितने समय पश्चात् पोस्टमार्टम हुआ है और क्या सरकार जो दो-तीन दिन में बोडी डी-कम्पोज हो जाने के बहाने से पोस्टमार्टम नहीं करने की प्रक्रिया चली है उसको उचित समझती है? क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने मेडिकल स्पेशलिस्ट से या किसी एक्सपर्ट से ओपिनियन ली है कि तीन दिन तक यदि बोडी का पोस्टमार्टम नहीं होता है तो बोडी डी-कम्पोज मानी जाती है, या डी-कम्पोज होती है तो उसका किसी प्रकार से पोस्टमार्टम नहीं हो सकता ? यह मैं समझता हूं कि इस सदन में दो तीन बार ऐसा सुन पाया हूं कि बोडी डी-कम्पोज हो गई तो पोस्टमार्टम नहीं हो पाया, यह मेरी समझ में नहीं आया। इस आधार पर मैं निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में आपने किसी से जानकारी प्राप्त की है या नहीं ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री सुशील कुमार बिश्नोई : मैं इसी संदर्भ में निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, विजयनगर से कुछ दूरी पर सूरतगढ़ आता है वहां पर काफी बड़ा अस्पताल है। उसके पास ही वाइस नगर आता है वहां पर काफी बड़ा अस्पताल है और कई डाक्टर्स हैं। इसके बाद अनूपगढ़ आता है, वहां पर भी कई डाक्टर हैं। तीन तीन दिन तक लाश को सड़ाया गया। अगर एस. एच. ओ. चाहते तो कहीं से भी डाक्टर को ला करके पोस्टमार्टम नहीं करा सकते थे ? क्या वजह थी कि तीन दिन तक लाश को रखा गया ? महज इसी कारण से कि केस नहीं बन पायें और जिस गलत इरादे से मारा गया है उससे मुल्जिम बच जायें। पहले तो उस आदमी को नहर में फेंका गया। जब वह तड़फता हुआ नहर से बाहर निकला तो उसको मारा गया और उसका गला घोंटा गया और मार कर वापिस नहर में फेंका गया। नहर में फेंकने के बाद जब ये मुल्जिम घर पर गए तो बीच में करनेल सिंह मिला जो उस लड़के का पिता था

(62)

(श्री सुनील कुमार विश्नोई)

उसको उसने कहा कि वह नहर में फेंक दिया वहां लाश मिल जाएगी आपको। जीप लेकर वे लोग वापिस नहर की पटरी पटरी आए हैं और लाश को नहर से निकाल कर गायब कर दिया गया। जैसा कि गृह मंत्रीजी ने कहा कि एक आदमी ने मौधा 10 बी. एल. एम. के पास उस लाश को देखा और पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ड्राइवर को लेकर, एक जीप को लेकर वहां पहुंची। करनेल सिंह और उनके आदमी लोग जो जीप को लेकर लड़के की लाश को नहर से निकाल कर गायब करने के लिए गए थे, उन्होंने देखा जीप को तो वापस मुड़ गए-वे ही अभियुक्त थे जो पुलिस की सांठ गांठ से बिल्कुल छूट गए और उस गरीब की लाश को सड़ाया गया। उनके खिलाफ एण्टी करप्शन में केस रजिस्टर किया जाय और उसकी जांच सी. आई. डी. के अधिकारी से कराई जावे।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय।

श्री रामपाल उपाध्याय : सभापति महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि 13 तारीख की शाम को इस घटना का पता लगा और उसकी लाश को बरामद किया गया। उसके बाद चूंकि वहां सरकारी अस्पताल के आस पास के अस्पताल के डाक्टर छुट्टी पर थे इससे निश्चित रूप से विलम्ब से पोस्टमार्टम हुआ है इसको मैं स्वीकार करता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पोस्टमार्टम कब हुआ ?

श्री रामपाल उपाध्याय : 15 तारीख को यह पोस्टमार्टम हुआ और निश्चित रूप से ....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बहुत ही शर्मनाक बात है। डेड बोडी 13 तारीख को रिक्वर हो जावे और 15 तारीख तक गवर्नमेंट पोस्टमार्टम नहीं करा पाये तो यह गवर्नमेंट है या क्या है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसमें शर्मनाक की कोई बात नहीं है। ऐसे केसेज तो आपके टाइम में भी बहुत हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस केस की सीरियसनेस को आप नहीं समझ सकते। जो आदमी मरा है। उसके परिवार के जो लोग हैं वही इसकी सीरियसनेस समझ सकते हैं आप नहीं समझेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम भी समझ रहे हैं इसीलिए तो सी. आई. डी. क्राइम को दिया जा रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसको बहुत सीरियसली लिया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि राजस्थान में ऐसी कोई घटना नहीं मिल सकती है कि जिसमें 13 तारीख को डेड बोडी रिकवर हो जावे और 15 तारीख तक पोस्टमार्टम हो। 15 तारीख को डाक्टर यह कह दे कि बोडी डी-कम्पोज हो गई इसलिए पोस्टमार्टम नहीं होगा। मैं आज तक यह सुनता आया हूं कि बोडी डी-कम्पोज हो गई तो भी पोस्ट-मार्टम होता है और पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट में यह लिखा जाता है कि मृत्यु का असली कारण डी-कम्पोज होने की वजह से मालूम नहीं हो सकता। यह तो लिखा जाता है लेकिन डी-कम्पोज बोडी का पोस्टमार्टम नहीं होता यह मैं पहली बार राजस्थान में सुन रहा हूं। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं, बिलकुल इसमें किसी न किसी प्रकार का षड़यंत्र लगता है। बाडी को जान बूझ कर डी-कम्पोज कराया गया, पुलिस की साजिश से डी-कम्पोज कराया और फिर उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया ताकि वजूद गायब हो जावे। मंत्री महोदय की नीयत पर मैं संदेह नहीं करता लेकिन निश्चित रूप से ऐसी कार्यवाही करावें कि जो भविष्य के लिए एग्जाम्पल बन जाय।

श्री रामपाल उपाध्याय : सभापति महोदय, विपक्ष के नेता और माननीय सदस्य महानुभाव से मैं बिलकुल सहमत हूं कि इसमें पोस्ट मार्टम में विलम्ब हुआ है। इसलिए ही सी. आई. डी. क्राइम ब्रांच से इसकी जांच करा रहे हैं ताकि सारे तथ्यों का पता लगे और जो दोषी हैं निश्चित रूप से उनको दंडित किया जा सके। यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई।

अनुदान की मांगें

मांग संख्या 36—सहकारिता, मांग संख्या 33—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, मांग संख्या 30—जन-जाति क्षेत्रीय विकास, मांग संख्या 23—श्रम और रोजगार

परिवर्तित वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक) 1980-81

द्वितीय अवस्था

निम्नांकित अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

सहकारिता मंत्री। मांग संख्या—36।

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर (सहकारिता मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 36-सहकारिता के संबंध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 25,80,22,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

श्री सभापति : मांग संख्या 33—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण।

श्रीमती कमला (समाज कल्याण मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती कि मांग संख्या 33—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के संबंध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 14 91,46,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है प्रदान की जावे।

श्री सभापति : मांग संख्या 30—जन जाति क्षेत्रीय विकास। श्री प्रभाकर।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर (मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 30—जन जाति क्षेत्रीय विकास के संबंध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 16,95,65,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है प्रदान की जावे।

श्री सभापति : मांग संख्या 23, श्रम और रोजगार। श्रीमती कमला।

श्रीमती कमला (श्रम मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि मांग संख्या 23—श्रम और रोजगार के संबंध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले

(64)

(श्रीमती कमला)
वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 59,49,57,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

मांग संख्या 36 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 36 मुख्य शीर्षक सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय—

श्री **प्रद्युम्नसिंह** (राजाखेड़ा):

1. सहकारी समितियों में हुए गबन के मामलों पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):

2. सहकारी समितियों के एकीकरण से उत्पन्न अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री **रामरघुनाथ चौधरी** (डेगाना):

3. सहकारी समितियों व बैंकों के चुनाव न होने से उत्पन्न अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):

4. सहकारी समितियों व बैंकों के चुनाव न होने से उत्पन्न अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री **माधवसिंह दीवान** (सोजत),

श्री **रामसिंह विश्नोई** (लूणी):

5. सहकारिता में फैली बुराइयां मिटाने हेतु नये सिरे से कार्यक्रम बनाने, पुराने कर्जे माफ करने व समितियों से सब प्रकार के ऋण एक ही स्थान से उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण),

श्री **शोभमल जैन** (अलवर)

6. सहकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा सहकारी समितियों का समय पर निरीक्षण न किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री **हीरालाल आर्य** (पीपल्दा),

श्री **अनंग कुमार जैन** (झालरापाटन),

श्री **नाथूसिंह** (त्रांवोकुई),

श्री **गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर),

श्री **वंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा):

7. सहकारिता में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री **बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर):

8. सहकारिता विभाग की अकर्मण्यता से सहकारिता की भावना के प्रति जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री **घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर):

9. ग्राम सेवा सहकारी समितियों का पुनर्गठन एवं संगठनात्मक चुनाव करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री **भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम):

10. सहकारी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) :

11. सहकारी संस्थाओं की कार्य प्रणाली त्रुटिपूर्ण रही है इससे गरीबों को जो लाभ मिलना चाहिये था वह नहीं मिला है इस पर चर्चा के लिये ।

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) :

12. जोधपुर मार्केटिंग को-आपरेटिव सोसायटी द्वारा किसानों को बेचे जाने वाले घटिया किस्म के बीज के विषय में चर्चा के लिये ।

13. प्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र में संस्थाओं के प्रबन्धक मंडलों को भंग कर सभी संस्थाओं में प्रशासक नियुक्त कर दिये जाने पर चर्चा के लिये ।

14. सहकारी समितियों के सभी स्तर के चुनाव अविलम्ब कराये जाने के विषय पर चर्चा के लिये ।

श्री शिवदानसिंह (जैतारण) :

15. सहकारी संस्थाओं के चुनाव शीघ्र कराने तथा ग्राम सेवा सहकारी समिति के पुनर्गठन बाबत चर्चा के लिये ।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़):

16. तहसील प्रतापगढ में सहकारिता के नाम पर हुए लाखों के घोटालों के बाबत चर्चा के लिये ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा):

17. ग्राम सेवा सहकारी समिति तलाव के गबन के मामले को दबाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

18 सहकारी शुगर मिल केशवराय-पाटन में विशेष सुधार करने हेतु कोई यह प्रावधान नहीं किये जाने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवा महल) :

19. सहकारिता आन्दोलन की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

20. सहकारिता का लाभ गरीबों को पहुंचाने हेतु प्रभावी कदम उठाने पर चर्चा के लिये ।

21. सहकारी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये ।

22. असिंचित क्षेत्र व अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में सहकारी ऋण की वसूली रोकने हेतु चर्चा के लिये ।

23. हरिजनों व पिछड़े वर्गों पर 10 वर्ष से पूर्व के बकाया सहकारी ऋण को समाप्त करने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खोरंची) :

24. ग्राम सेवा सहकारी समितियों, सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक तथा मार्केटिंग सोसायटियों के चुनाव नहीं होनेसे उतपन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम):

25. सहकारिता आन्दोलन की असफलता पर चर्चा के लिये ।

(श्री बनवारी लाल (धौलपुर);
श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल बाजार) :

26. सहकारिता निरीक्षकों द्वारा विभिन्न सहकारी संस्थाओं का समय पर निरीक्षण नहीं किये जाने से होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) :

27. सहकारी आन्दोलन को सफल बनाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) :

28. डेयरी सहकारी समितियों की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह (गुढा) :

29. सहकारी समितियों की दोष पूर्ण कार्य प्रणाली व उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।

श्री केसरीचन्द चौधरी (किशनगढ़) :

30. अजमेर भूमिवकास बैंक द्वारा वितरित कर्ज की दोष पूर्ण प्रणाली पर चर्चा के लिये ।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार),
श्री बालचन्द्र आयवीर (डग) :

31. सहकारिता द्वारा वितरण व्यवस्था में सुधार करने एवं चैक प्रणाली को खतम करके काश्तकारों को नकद भुगतान करने के बारे में चर्चा के लिये ।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

32. सहकारी क्षेत्रों में बढ रहे भ्रष्टाचार को राजनैतिक संरक्षण देने से जन असंतोष पर चर्चा के लिये ।

33. चान्देरा ग्राम सेवा सहकारी समिति में हुए भयंकर घोटाले की अभी तक जांच नहीं किये जाने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये ।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) :

34. सहकारी समितियों में हुए घोटालों पर चर्चा के लिये ।

श्री लच्छूराम तावड़ (मण्डावा) :

35. सहकारी समितियों द्वारा कर्जा बांटने में बरते जाने वाले भेदभाव व उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

36. राज्य की विभिन्न सहकारी समितियों में अनेक प्रभावी व्यक्तियों पर कर्जे की राशियां बकाया हैं उसे वसूल करने में सरकार असमर्थ रही, इस पर चर्चा के लिये ।

37. दीगोद तहसील की रेल ग्राम सहकारी समिति में 5 लाख रुपये से भी अधिक राशि का गबन है उस राशि की वसूली नहीं हो पा रही है, इस पर चर्चा के लिये ।

38. केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल में लगभग 1 करोड़ रुपये का नुक्सान होने के कारण सरकार द्वारा उसे अधिगृहित किये जाने बाबत चर्चा के लिय ।

श्री बहादुरसिंह (दानपुर) :

39. राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता के प्रसार में असफल रही इस पर चर्चा के लिये ।

श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) :

40. राज्य सरकार कुशलगढ़ ग्रामीण क्षेत्र में सहकारिता का प्रसार कर वहां के ग्रामीणों को लाभ पहुंचाने में असफल रही इस पर चर्चा के लिये।

श्री छोगाराम बकोलिया (रेवदर) :

41. सहकारी समितियों के चुनाव अविलम्ब कराने एवं सहकारिता विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल देवपुरा (कुम्भलगढ़) :

42. सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराने तथा उनकी ऋण वितरण प्रणाली को सरल बनाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र (बनेड़ा) :

43. सहकारी समितियों का पुनर्गठन करने एवं उनमें सुव्यवस्था हेतु चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (कुलेरा) :

44. सहकारिता के नाम पर होने वाले धन के अपव्यय को रोक पाने में विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली):

45. सहकारी समितियों में होने वाली अनियमितताओं को रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर):

46. सहकारी उप-भोक्ता संघों को पूर्व की राशि समायोजित नहीं होने तक अन्य ऋण नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये।

47. सहकारिता विभाग में व्याप्त भयंकर घोटालों की अविलम्ब जांच कराये जाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) :

48. प्रतापगढ़ तहसील में विभिन्न सहकारी समितियों के पदाधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं की विभागीय जांच कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) :

49. झालरापाटन विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न सहकारी समितियों के घोटालों की अविलम्ब जांच कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा) :

50. सहकारिता का मूल उद्देश्य से हटना एवं इसकी संस्थाओं के चुनाव यथा समय नहीं कराने पर चर्चा के लिये।

श्री समरथलाल (राजगढ़) :

51. सहकारिता आन्दोलन की गति तेज करने हेतु सहकारी समितियों के चुनाव कराये जाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री जयकुमार (नैनवा) :

52. राजस्थान सहकारी अधिनियम, 1965 की धारा 46 की अनुपालना न करने तथा सहकारी समितियों के प्रजातांत्रिक अधिकारों के हनन करने के बारे में चर्चा के लिये।

(श्री सूर्यकुमार)

53. पंजीकृत सहकारी समितियों में दुहरी शासन प्रणाली के बारे में चर्चा के लिये।

54. बूंदी जिले में किसी समुचित स्थान पर दूसरी सहकारी शुगर मिल स्थापित करने के बारे में चर्चा के लिये।

55. दी केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल लि., जिला बूंदी की शोचनीय एवं दयनीय दशा के बारे में चर्चा के लिये।

श्री **नारायणसिंह** (दांतारामगढ़) :

56. सहकारी समितियों के चुनाव करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री **भगवानदास** (चौहटन) :

57. जिला बाड़मेर में सहकारिता का विस्तार करने तथा उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री **चुन्नीलाल** (खण्डार)

श्री **हंसराज शर्मा** (सवाई माधोपुर) :

58. जिला सवाई माधोपुर की आवास सहकारी समितियों द्वारा कोई भी कार्यवाही अभी तक नहीं की गई इस पर चर्चा के लिये।

श्री **ज्ञानसिंह** (भादरा) :

59. सहकारिता के क्षेत्र को सार्वजनिक वितरण का कार्य सौंपने के संबंध में चर्चा के लिये।

सुश्री **पुष्पा जैन** (आमेर) :

60. विभाग की उदासीनता से आमेर निर्वाचन क्षेत्र की सहकारी समितियों की दयनीय दशा पर चर्चा के लिये।

श्री **रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) :

61. सहकारी संस्थाओं की दुरावस्था को ठीक कर इन संस्थाओं के चुनाव कराकर गतिशील बनाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री **सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा) :

62. सहकारिता के नाम पर होने वाले भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री **महाराम चौधरी** (नागौर) :

63. सहकारी समितियों के चुनाव समय पर न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

64. भूमि विकास एवं सेन्ट्रल कॉ-आपरेटिव बैंकों द्वारा दिये जा रहे ऋणों में कृषकों को हो रही असुविधाओं को हल कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री **कमकराज मेहता** (सांचोर) :

65. सहकारी समितियों में व्याप्त अव्यवस्था से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

श्री **भैरूंलाल** (मनोहरथाना) :

66. सहकारी समितियों में हुए गबन की शीघ्र जांच कराई जाकर दोषी व्यक्तियों को दंडित कराने हेतु चर्चा के लिये।

67. सहकारी बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण की प्रक्रिया का सरलीकरण कराने हेतु चर्चा के लिये।

68. सहकारी संस्थाओं में स्थानीय कर्मचारियों को ही रखे जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हरेन्द्र मिर्धा (मूण्डवा) :

69. दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की दुर्व्यवस्था में, सुधार हेतु विभाग द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री जगदीशप्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) :

70. सहकारी बैंकों द्वारा मूलधन से भी अधिक ब्याज वसूल किये जाने तथा ऋण वसूली का खर्चा भी कर्जदारों से वसूल किये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री भालू खां (चूरू) :

71. सहकारी बैंकों के एकीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) :

72. सहकारी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।

73. उपभोक्ता सहकारी समितियों का घाटे में चलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

74. सहकारी समितियों के दिये गये कर्जों की वसूली समय पर नहीं होने पर चर्चा के लिये ।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) :

75. विभाग द्वारा बाड़मेर जिले की सहकारिता के क्षेत्र में उपेक्षा किये के जाने सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री नानालाल (राजसमंद) :

76. सहाकारिता आन्दोलन को सुचारु रूप से चलाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री गोविन्द आमलिया (चौरासी) :

77. जिला डूंगरपुर में सहकारी समितियों की अव्यवस्था एवं अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये ।

श्री नाथूराम (डूंगरपुर) :

78. डूंगरपुर जिले में सहकारी समितियों की अव्यवस्था के बारे में चर्चा के लिये ।

श्री महेन्द्रकुमार (आसपुर) :

79. जिला डूंगरपुर में सहकारी समितियों की अव्यवस्था एवं अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये ।

श्री भंवरलाल (सुजानगढ़) :

80. सहकारी समितियों के घोटाले तथा उनके चुनाव न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) :

81. तहसील प्रतापगढ़ की ग्राम सेवा सहकारी समिति नारायण खेड़ा, नकुण्डला खेरोट, अरनोद, रायपुर व दलोट में किये गये हजारों रुपयों के गबन के बारे म चर्चा के लिये ।

श्री रामधन (लाडनूं) :

82. सहकारी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण सहकारिता के प्रति जनता की आस्था समाप्त होने पर चर्चा के लिये ।

श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर) :

83. केन्द्रीय भूमि विकास बैंक, राजस्थान व केन्द्रीय सहकारी बैंकों का एकीकरण करने

(श्री गोकुलचन्द शर्मा)
पर चर्चा के लिये ।

श्री रघुनाथसिंह (नदबई),

श्री लच्छूराम (मण्डावा),

श्री भरोसी (हिण्डौन):

84. सरकार सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराने में असमर्थ रही, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री रामकंवर बैरवा (फागी) :

85. फागी की सहकारी समितियों में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री अमीन खां (शिव) :

86. सहकारिता आन्दोलन को गांवों में लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री शीशराम ओला (झुन्झुनूं) :

87. सहकारी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी (ब्यावर) :

88. सहकारी समितियों के चुनाव शीघ्र कराये जाने हेतु चर्चा के लिये ।

89. सहकारी समितियों में होने वाली अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा (बूंदी) :

90. सहकारी समितियों में दोहरी शासन प्रणाली व केशवोरायपाटन सहकारी शुगर मिल की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) :

91. सहकारी समितियों के चुनाव निश्चित समय पर कराने हेतु चर्चा के लिये ।

92. ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापकों की तनख्वाह व अन्य सुविधाओं की कमी से उनमें व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।

श्री छोगाराम बकोलिया (रेवदर) :

93. सहकारी विभाग द्वारा वितरित किय जाने वाले ऋणों को देने में होने वाले विलम्ब एवं जरूरतमन्द व्यक्तियों को ऋण न देने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

94. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर द्वारा संचालित दवाओं की दुकानों में अकुशल कर्मचारी एवं उनके मरीजों के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैये से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) :

95. सहकारी उपभोक्ता संघ के विक्री केन्द्रों पर आयातित सामान उच्च अधिकारियों को ही बेचा जाता है और आम जनता को उक्त वस्तुओं से वंचित रखा जाता है, इस पर चर्चा के लिये ।

96. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर द्वारा संचालित दवाओं की दुकानों में चिकित्सकों द्वारा लिखित दवायें नहीं मिलने से मरीजों को होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये ।

97. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर द्वारा संचालित

(श्री भंवरलाल शर्मा) :

दवाओं की दुकानों में दवाओं का अभाव एवं एन. ए. सी. इश्यू करने में आनाकानी करने बावत चर्चा के लिये ।

98. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर द्वारा संचालित दवाओं की दुकानों, संलग्न डिस्पेंसरियों के समयानुसार नहीं खोले जाने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये ।

99. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर द्वारा संचालित दवाओं की दुकानों पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा मरीजों को दवा के लिये एक से दूसरी दुकानों पर भेजने से मरीजों को होने वाली कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

100. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड जयपुर द्वारा संचालित दवाओं की दुकान (मोतीकटला शाखा) हमेशा बन्द रहने से मरीजों को होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये ।

101. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर द्वारा संचालित दवाओं की दुकानों में एन. ए. सी. की पुस्तकों का अभाव एवं एन. ए. सी. पुस्तकों के गबन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

102. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर द्वारा संचालित दवाओं की दुकानों पर एक्सपायरी डेट्स की दवाओं की बिक्री से मरीजों के स्वास्थ्य को होने वाली हानि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

103. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर द्वारा संचालित दवाओं की दुकानें (सिरेह ड्योढ़ी, शाखाओं पुरानी) वहां की डिस्पेंसरियों के समयानुसार नहीं खुलने एवं वहां पर अपर्याप्त अनटेण्ड स्टॉफ के कारण मरीजों को होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये ।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) :

104. सहकारी आन्दोलन को मूर्त रूप देने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 33 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये—

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) :

1. विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के मोहल्लों में पानी व विद्युत कनेक्शन न दिलाये जाने से उत्पन्न कठिनाइयों की चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

2. विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, जन-जाति के मोहल्लों में पानी व बिजली के कनेक्शन न दिलाये जाने की कठिनाई पर चर्चा के लिये।

3. समाज कल्याण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण),

श्री जीतमल जैन (अलवर) :

4. समाज कल्याण विभाग के प्रोजेक्टस की असफलता पर चर्चा के लिये ।

(72)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर),
श्री नाथूसिंह (वान्दीकुई),

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा),

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर),

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा),

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन):

5. समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न प्रवृत्तियों में हुई भारी अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):

6. बीकानेर में हरिजन बस्तियों की दुर्दशा को सुधारने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर):

7. कमजोर एवं पिछड़े वर्ग तथा महिला वर्ग की सुरक्षा एवं कल्याण की व्यापक योजना के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़):

8. जन-जातीय उप-योजना क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के लोगों को साहूकारों से मुक्ति दिलाने में विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां),

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद):

9. समाज कल्याण विभाग में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन):

10. अनुसूचित जाति के लोगों के कल्याण कार्य की योजनाओं को प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केशरीचन्द चौधरी (किशनगढ़):

11. अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की आवासीय समस्याओं को हल करने के सम्बन्ध में दिये गये ऋणों की प्रति पूर्ति में होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर),

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल बाजार):

12. समाज कल्याण विभाग द्वारा भिक्षावृति की रोकथाम हेतु व्यापक कार्यक्रम बनाये जाने व लागू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद):

13. समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अव्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

14. पिछड़े वर्ग को सेवा में आरक्षण सुविधा दिलाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री जंठमल बरवड़ (परबतसर):

15. कुचामन सिटी, जिला नागौर में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये छात्रावास खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी),

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत):

16. समाज कल्याण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार व घोटालों के संबंध मे चर्चा लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

17. अनुसूचित जातियों व जन-जातियों को राजकीय सेवाओं में आरक्षण के आधार पर स्थान नहीं दिये जाने से व्याप्त जन-असंतोष पर चर्चा के लिये।

18. हरिजनों व आदिवासियों को सुरक्षा प्रदान किये जाने हेतु विभाग द्वारा कोई कारगर कदम नहीं उठाने पर चर्चा के लिये।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) :

19. विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार व अव्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

20. पंचायत समिति, सुलतानपुर में शीघ्र अनुसूचित जन-जाति छात्रावास की स्थापना करने बाबत चर्चा के लिये।

श्री नरपतराम बरवड़ (सूरसागर) :

21. समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रावासों की समस्याएं हल करने तथा ओसियां में छात्रावास खोलने के बाबत चर्चा के लिये।

श्री नानालाल (राजसमन्द) :

22. अनुसूचित जाति के पिछड़े लोगों के स्तर को ऊंचा उठाने में विभाग द्वारा कोई कल्याणकारी योजना न बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री फते सिंह (कुशलगढ़) :

23. सरकार कुशलगढ़ क्षेत्र के छात्रावासों में समुचित सुविधा देने में असमर्थ रही, इस पर चर्चा के लिये।

डॉ. हरिसिंह (फुलेरा) :

24. समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में की जाने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) :

25. समाज कल्याण विभाग की कल्याणकारी योजनाओं का उचित लाभ नहीं मिलने से पिछड़े वर्गों के लोगों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) :

26. दहेज प्रथा के उन्मूलन में सरकार द्वारा कारगर कदम नहीं उठाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) :

27. समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित होस्टलों को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री समरथलाल (राजगढ़) :

28. समाज कल्याण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं होने वाली अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल मोदी (नीम का थाना) :

29. समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति उपलब्ध न कराये जाने पर चर्चा के लिये।

30. समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जा रहे तथा विभाग द्वारा अनुदानित अनु-

(74)

(श्री मोहनलाल मोदी)
सूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति छात्रावासों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये।

श्री भगवान दास डोसी (चौहटन):

31. समाज कल्याण विभाग द्वारा जिला बाड़मेर की उपेक्षा करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला भील (सागवाड़ा):

32. अधिक स्कूल खोलने हेतु नार्म्स निर्धारित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर):

33. आमेर निर्वाचन क्षेत्र की समाज कल्याण विभाग द्वारा उपेक्षा किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर):

34. समाज कल्याण के अन्तर्गत पोषाहार केन्द्र, जहाजपुर-शाहपुरा क्षेत्र में स्थापित करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री भैरूं लाल (मनोहर थाना):

35. प्रदेश (राजस्थान) में बसी हुई लोधा जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित कराने हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह):

36. अनुसूचित जाति के लोगों के लिये कल्याणकारी योजना बनाकर उन्हें कारगर ढंग से लागू करने की आवश्यकता पर के लिये।

श्री महेन्द्र कुमार परमार (आसपुर):

37. समाज कल्याण विभाग द्वारा डूंगरपुर जिले की उपेक्षा करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल मेघवाल (सुजानगढ़):

38. समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़):

39. अनुसूचित जाति तथा जन-जाति के बेरोजगार नवयुवकों को राज्य द्वारा दिये जाने वाले बेरोजगारी भत्ते की अवधि निर्धारित कर तत्पश्चात् तत्काल राज्य सेवा में लिया जाना चाहिये, इस पर चर्चा के लिये।

40. समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित कल्याणार्थ कार्यक्रमों को कारगर ढंग से लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामधन (लाडनूं):

41. समाज कल्याण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर):

42. समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत जो कार्य चल रहे हैं उनकी व्यवस्था अच्छी नहीं होने से लोगों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़):

43. सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा संचालित विकलांग स्कूल व अनुसूचित जाति तथा जन-जाति के होस्टल्स को विभाग द्वारा

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

दिये जाने वाले अनुदान में धांधली पर चर्चा के लिये ।

श्री यदुनाथ सिंह (नदवई),

श्री लच्छूराम (मण्डावा),

श्री भरोसी (हिण्डौन) :

44. समाज कल्याण विभाग पिछड़े वर्गों के लोगों के कल्याणार्थ कारगर कदम उठाने में असफल रहा, इस पर चर्चा के लिये।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) :

45. हरिजनों के उत्थान हेतु जन-कल्याणकारी योजना बनाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री शीशराम ओला (झुन्झुनू) :

46. राजस्थान में महिलाओं के अच्छे जीवन के लिये कारगर योजना बनाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर):

47. समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य में बन्धुआ मजदूरी के उन्मूलन में की जा रही लापरवाही पर चर्चा के लिये ।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) :

48. टोडारायसिंह नगर में अनुसूचित जाति व जन-जाति के छात्रावास खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

49. देवड़ी नगर में संचालित छात्रावास में व्याप्त अव्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये ।

मांग संख्या 30 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 30, मुख्य शीर्षक - जन-जाति क्षेत्रीय विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये—

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) :

1. जन-जाति क्षे.. के विकास की ओर राज्य सरकार की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):

श्री जीतमल जैन (अलवर) :

2. जन-जाति कल्याण हेतु लघु सिंचाई की व्यापक योजनाओं के अभाव पर चर्चा के लिये ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा);

श्री नाथूसिंह (वांदीकुई),

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर),

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर),

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा); व

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन)

3. जन-जाति क्षेत्रीय विकास के लिये जो धन राज्य सरकार ने खर्च किया उसका सही लाभ जन-जाति को नहीं मिल पाया, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) :

4. जन-जाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम को योजनाबद्ध तरीके से लागू किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) :

5. जन-जाति क्षेत्र में नयी योजना और जो, योजना जनता सरकार ने चालू

(76)

(श्री नन्दलाल मीणा)

की है उसे प्रभावी ढंग से चालू किया जावे, इस पर चर्चा के लिये ।

6., जन-जाति- उप-योजना क्षेत्र के शिक्षित एवं अशिक्षित आदिवासियों को रोजगार दिलाने हेतु चर्चा के लिये ।

7. आदिवासी उप-योजना में आदिवासियों को आर्थिक विकास का प्रशिक्षण दिलाने बाबत चर्चा के लिये ।

8. आदिवासी उप-योजना क्षेत्र में शिक्षा का विस्तार, बालिकाओं की शिक्षा आदि पर चर्चा के लिये ।

श्री **हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) व

श्री **बालचन्द्र आर्यवीर** (डग) :

9. पीपल्दा तथा मांगरोल तहसील के जन-जाति क्षेत्र के विकास हेतु प्रस्तावित कार्यों को शीघ्र स्वीकृति दिलाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री **रघुबीरसिंह कौशल** (बारां);

डॉ. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) व

श्री **दाऊदयाल जोशी** (दीगोद):

10. शाहबाद, किशनगंज वाले जन-जाति बहुल क्षेत्रों के समुचित विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री **गोपाल पचेरवाल** (पाटन) :

11. अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के लोगों को उद्योग लगाने के लिये विशेष छूट देने पर चर्चा के लिये ।

श्री **नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) :

12. जन-जाति क्षेत्र में खनिज के पट्टों के आवंटन में आदिवासियों का आरक्षण करने हेतु चर्चा के लिये ।

13. आदिवासी उप-योजना क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिय नये पदों का सृजन करने एवं रिक्त पदों पर चिकित्सकों व कर्मचारियों को तत्काल लगाये जाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री **बनवारी लाल** (धौलपुर) व

श्री **श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल):

14. जन-जाति लघु खण्ड की सरकार द्वारा उपेक्षा किये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री **गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) :

15. जयसमन्द झील एवं उदयपुर जिले के अन्य जलाशयों में मछली पकड़ने का काम आदिवासी बन्धुओं की सोसायटियां बना कर उन्हें दिया जाय, इस हेतु चर्चा के लिये ।

16. आदिवासी क्षेत्रों में लघु वन-उपज की विभिन्न वस्तुओं का मूल्य बाजार भावों की तुलना में निगम द्वारा कम दिये जाने पर आदिवासी जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।

श्री **रामकिशोर मीणा** (सिकराय) :

17. जन-जाति क्षेत्रीय विकास योजनाओं का सरकारी कर्मचारियों द्वारा दुरुपयोग किये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री **मेघराज तावड़** (गोगुन्दा) :

18. जन-जाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जन जाति को कोई लाभ नहीं हुआ, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

19. दीगोद (कोटा) निर्वाचन क्षेत्र में एक विशेष जाति सारया व मोग्या भिन्न-भिन्न ग्रामों में बसते हैं उनको एक विशेष कॉलोनी बनाकर बसाने बावत चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) :

20. सीदडा, ढाणी तथा जुगलपुरा खण्ड-खेत में बाढ़ नियंत्रण के अन्तर्गत बांध बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

21. ढाणी जुगलपुरा, सीदडा और खण्डखेत परिगणित क्षेत्र में सड़क निर्माण हेतु चर्चा के लिये ।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर) :

22. राज्य सरकार आदिवासी ग्राम करंजी में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये ।

23. राज्य सरकार गरीब आदिवासियों को खनों के पट्टे देने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये ।

24. राज्य सरकार आदिवासियों को दुधारु पशु दिलाने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये ।

25. राज्य सरकार दानपुर ग्रामीण आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा प्रसार हेतु असफल रही, इस पर चर्चा के लिये ।

26. राज्य सरकार बांसवाड़ा जिले के आदिवासियों का जन-जाति उप-योजना के द्वारा विकास करने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये।

श्री फतेसिंह (कुशलगढ़) :

27. राज्य सरकार कुशलगढ़ ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री छोगाराम बकोलिया (रेवदर) :

28. सिरोही जिले में जन-जाति के लोगों को समुचित मदद न मिलने एवं उनके विकास के लिये सरकार द्वारा समुचित ध्यान न देने के विषय में चर्चा के लिये ।

डॉ. हरिसिंह (फुलेरा) :

29. फुलेरा निर्वाचन क्षेत्र के जन-जाति बाहुल क्षेत्र को लघु उप-खण्ड घोषित कराने बावत चर्चा के लिये ।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) :

30. लघु उप-खण्ड घोषित किये जाने में भेद-भाव बरतने पर चर्चा के लिये ।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) :

31. आदिवासियों को योजनाओं की जानकारी कराने एवं चिकित्सा तथा शिक्षा का प्रसार कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री समर्थ लाल (राजगढ़) :

32. जन-जाति क्षेत्रीय विकास के लिये आवंटित धन का पूर्ण उपयोग न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री मोहन लाल मोदी (नीम का थाना) :

33. आदिवासी क्षेत्रों में अधिक सड़कों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(श्री मोहनलाल मोदी)

34. आदिवासी क्षेत्रों में अधिक प्राथमिक शालाओं के खोलने पर चर्चा के लिये ।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) :

35. नाथद्वारा क्षेत्र के आदिवासियों के लिये मिनी-ब्लॉक की स्थापना करने तथा जन-जाति निगम में भ्रष्टाचार पर चर्चा लिये ।

श्री भैरूं लाल (मनोहरथाना) :

36. मनोहरथाना विधान सभा क्षेत्र जन-जाति बाहुल क्षेत्र होते हुए भी दी जाने वाली सुविधाओं से वंचित रहने पर चर्चा के लियें ।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर):

37. राज्य सरकार बांसवाड़ा जिले के आदिवासियों को रोजगार दिलाने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री दाऊ दयाल जोशी (दीगोद) :

38. पंचायत समिति, सुल्तानपुर के लिये जन-कल्याण योजनाएं लागू करने में विभाग असफल रहा है, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर) :

39. सरकार दानपुर क्षेत्र जिला बांसवाड़ा में आदिवासी छात्रावासों में छात्रों को कपड़े, जूते व बिस्तर देने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये ।

40. सरकार दानपुर क्षेत्र में आदिवासियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री फतेसिंह (कुशलगढ़) :

41. सरकार कुशलगढ़ क्षेत्र में सड़कों की समुचित व्यवस्था कराने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये ।

42. राज्य सरकार कुशलगढ़ ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारों को रोजगार दिलाने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये ।

43. सरकार कुशलगढ़ ग्रामीण क्षेत्र के आवागमन साधनों को बढ़ावा देने में असमर्थ रही, इस पर चर्चा के लिये ।

44. सरकार कुशलगढ़ क्षेत्र में चिकित्सा की समुचित व्यवस्था करने में असफल रही, इस पर चर्चा के लियें ।

45. सरकार कुशलगढ़ क्षेत्र में सिंचाई के साधन जुटाने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये ।

46. राज्य सरकार कुशलगढ़ ग्रामीण क्षेत्र में पीने के पानी की व्यवस्था करने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये ।

47. सरकार कुशलगढ़ आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा के व्यापक प्रसार हेतु अपेक्षित संख्या में शालाएं खोलने में असमर्थ रही, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर) :

48. पंचायत समिति, बांसवाड़ा की ग्राम पंचायतें केसरपुरा, आसपुरा, महेशपुरा, खेड़ा वड़ली पाडा और बोरिया में विद्युत लाइने डालने में जिला विकास

(श्री बहादुरसिंह)
अभिकरण को अपर्याप्त प्रावधान दिये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

49. सरकार दानपुर क्षेत्र के ग्रामीण आदिवासियों के लिये सड़कें बनाने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये ।

50. आदिवासी दानपुर क्षेत्र में सिंचाई के लिये बारी दानपुर, रुजीया दानपुर, कमलीपाड़ा, कफर कलयारी, नवाखेड़ा, वगेरी-नाला में बांध बंधवाने हेतु चर्चा के लिये ।

51. गांव करजी, नवा गांव तथा छोटी सरवन में उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिये ।

52. आदिवासियों के ग्रामों में (1) साकड़ी नाल, (2) छोड़ा, (3) मेंदिपा-कटारा, (4) कल्याणपुरा, (5) विड़िया-पाड़ा आदि में प्राथमिक विद्यालय खुलवाने हेतु चर्चा के लिये ।

53. ग्राम (1) वारी गामा (2) झपेल; (3) कुशलपुरा, (4) जहापुरा, (5) कटुम्बी, (6) झरनिया, (7) खेड़ा वड़-लिपाड़ा प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा) :

54. आदिवासी क्षेत्र में सहकारिता के माध्यम से विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

55. समाज कल्याण विभाग द्वारा आदिवासी क्षेत्र के लोगों के कल्याण हेतु संचालित कार्यक्रमों की उपेक्षा किये जाने पर चर्चा के लिये ।

56. कृषि विकास कार्यक्रम को आदिवासी एरिया में सुचारु रूप से चलाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

57. आदिवासी एरिया में सहकारिता के आधार पर विकास कराने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री गोविन्द आमलिया (चौरासी) :

58. जिला डूंगरपुर में जन-जाति क्षेत्रीय विकास के लिये ग्राम उद्योगों एवं लघु उद्योगों के लिये ऋण उपलब्ध कराने हेतु समुचित व्यवस्था की जावे, इस हेतु चर्चा के लिये ।

श्री महेन्द्र कुमार परमार (आसपुर) :

59. जिला डूंगरपुर में जन-जाति क्षेत्रीय विकास के लिये सड़कों की समुचित व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री भंवर लाल मेघवाल (सुजानगढ़) :

60. आदिवासी क्षेत्र के बेरोजगार युवकों को रोजगार देने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री नन्द लाल मीणा (प्रतापगढ़) :

61. प्रतापगढ़ स्थित जन-जाति परियोजना अधिकारी का कार्यालय अन्यत्र स्थानान्तरित करने से आदिवासियों को होने वाली असुविधा पर चर्चा के लिये ।

62. आदिवासी श्रमिकों तथा अन्त्योदयों में चयनित अनुसूचित जन-जाति

(श्री नन्दलाल मीणा)

के लोगों को मकान बनाने को अपर्याप्त ऋण व अनुदान दिये जाने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री राम कंवार बैरवा (फागी) :

63. फागी विधान सभा क्षेत्र के गांव पहाड़िया क्षेत्र को आदिवासी लघु उप-खण्ड में सम्मिलित किये जाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्रीमती कमला भील (सागवाड़ा) :

64. आदिवासी बहुल क्षेत्र में कृषि के समुचित विकास हेतु चर्चा के लिये ।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर) :

65. राज्य सरकार आदिवासियों की भूमि का संरक्षण करने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा) :

66. छोटे-छोटे बांध आदिवासी क्षेत्र में बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्रीमती कमला भील (सागवाड़ा) :

67. जन-जाति क्षेत्रीय विकास की उप-योजना के द्वारा आदिवासी क्षेत्रों का विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

68. समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित आंगन बाड़ी योजना के अन्तर्गत आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं एवं बालकों की समुचित देख-भाल में बरती जाने वाली अनियमितताओं के संबंध में चर्चा के लिये ।

मांग संख्या 23 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 23 मुख्य शीर्षक-श्रम और रोजगार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये–

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना) :

1. दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही बेरोजगारी को रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

2. श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के कल्याण की कोई ठोस योजना नहीं बनाये जाने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिय ।

3. शिक्षित बेरोजगारों को उचित व्यवसाय व परामर्श देने में विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर),

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा),

श्री हीरा लाल आर्य (पीपल्दा),

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन),

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) व

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) :

4. शिक्षित बेरोजगारों को काम दिलाने में विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये ।

श्री बुलाकी दास कल्ला (बीकानेर) :

5. बेरोजगारों के लिये एप्रेण्टिसशिप योजना का विस्तार करने एवं शिक्षित

(श्री बुलाकीदास कल्ला)
बेरोजगारी को दूर करने के लिये शिक्षण संस्थाओं के उपयोग के संदर्भ में चर्चा के लिये ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) :

6. बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाने की आवश्यकता तथा बेरोजगारी भत्ता दिलाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम):

7. मजदूरों का शोषण रोकने तथा उनकी सेवाओं के लिये अपर्याप्त मजदूरी देने पर भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) :

8. श्रमिक कल्याण हेतु विभाग द्वारा कोई ठोस योजना नहीं बनाये जाने से उत्पन्न श्रमिकों की कठिनाईयों पर चर्चा के लिये ।

श्री जीतमल जैन (अलवर) :

9. अप्रेन्टिस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त युवकों का शोषण करने एवं उन्हें रोजगार न दिलाने के संबंध में व्याप्त आक्रोश पर चर्चा के लिये ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) व

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) :

10. इटावा में श्रमिक कल्याण केन्द्र स्थापित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां),

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) व

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

11. श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के कल्याण हेतु आधुनिकतम कल्याणकारी योजना नहीं बनाये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) :

12. झालावाड़ जिले के मजदूरों को रोजगार देने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

13. श्रम विभाग द्वारा सफाई श्रमिकों के साथ किये जा रहे भेद-भाव तथा उपेक्षा के संबंध में चर्चा के लिये ।

14. रोजगार दिलाने में नियोजन विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये ।

15. बेकारी दूर करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

16. असहाय श्रमिकों को निःशुल्क कानूनी श्रम विधि अभिभाषक की जिला स्तर पर सलाह दिलाने हेतु श्रम विभाग द्वारा कोई योजना नहीं बनाये जाने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये ।

17. श्रम विभाग को सक्रिय बनाकर श्रमिकों के मामले, जो श्रम विभाग में विचाराधीन हैं, तत्काल निपटाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

18. शिक्षित बेरोजगार श्रमिकों को काम दिलाने में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिय ।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर) व

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल जयपुर):

19. नियोजन कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।

(82)

श्री बनवारी लाल व

श्री श्रीराम गोटेवाला :

20. श्रमिकों के लिये कल्याणकारी योजना बनाने में श्रम विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) :

21. उदयपुर में निजी क्षेत्र के उद्योगों के मजदूर एवं कर्मचारियों के हो रहे शोषण को रोक पाने में श्रम विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

22. राज्य के रोजगार कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

23. श्रम विभाग राज्य में औद्योगिक शांति स्थापित कराने में असमर्थ रहा है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) :

24. रोजगार कार्यालयों की कोई उपयोगिता नहीं है, इन्हें समाप्त करने के संबंध में चर्चा के लिये।

25. श्रम विभाग श्रमिकों को प्रबन्धक-मंडल में प्रतिनिधित्व दिलाने में असमर्थ रहा, इस पर चर्चा के लिये।

श्री राम किशोर मीणा (सिकराय) :

26. रोजगार कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) :

27. सरकार बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने में असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

28. कोटा स्थित निजी उद्योगों में रोजगार दिलाने में रोजगार विभाग असफल रहा, इस पर चर्चा के लिये।

29. कोटा स्थित निजी कारखानों में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण हेतु श्रम विभाग द्वारा कोई कारगर कदम नहीं उठाने के संबंध में चर्चा के लिये।

30. कोटा नगर के कारखानों में प्रदेश के श्रमिकों को प्राथमिकता दिलाने में नियोजन विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री नरपतराम बरवड़ (सूरसागर) :

31. अनुसूचित जाति के बेरोजगारों को रोजगार में प्राथमिकता दिलाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री बहादुरसिंह (दानपुर) :

32. राज्य सरकार बेकारों को रोजगार दिलाने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री फतेसिंह (कुशलगढ़) :

33. राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र के बेकारों को रोजगार देने में असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिय।

श्री छोगाराम बाकोलिया (रेवदर) :

34. सिरोही जिले में रोजगार उपलब्ध कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिय।

डॉ. हरीसिंह (फुलेरा) :

35. नियोजन विभाग द्वारा अभ्यर्थियों के नाम भेजने में की जाने वाली मनमानी पर चर्चा के लिये।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) :

36. श्रमिकों के कल्याण हेतु विभाग द्वारा कोई व्यापक कदम नहीं उठाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) :

37. पढ़े-लिखे ग्रामीण नवयुवकों को रोजगार दिए जाने हेतु सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री समर्थलाल (राजगढ़) :

38. राजस्थान में शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) :

39. रोजगार कार्यालयों में व्याप्त अव्यवस्था से बेरोजगार व्यक्तियों की सही स्थिति प्रकट नहीं होने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला भील (सागवाड़ा) :

40. श्रमिकों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को विभाग द्वारा उपलब्ध कराने में शिथिलता बरतने पर चर्चा के लिये।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) :

41. श्रमिकों की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु श्रम विभाग द्वारा ठोस योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) :

42. बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाने में विभाग की अकमण्यता पर चर्चा के लिये।

श्री भेरूलाल (मनोहरथाना):

43. मनोहरथाना क्षेत्र के श्रमजीवी वर्ग की बेरोजगारी की समस्या को हल करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिय।

श्री हरेन्द्र मिर्धा (मूण्डवा) :

44. बेरोजगारी की समस्या के हल हेतु सरकार द्वारा आवश्यक कदम न उठाने पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द आमलिया (चौरासी) :

45. डूंगरपुर जिले के श्रमिकों के लिये श्रमिक कल्याण केन्द्र के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम (डूंगरपुर) :

46. डूंगरपुर जिले के श्रमिकों के कल्याण हेतु कारगर कदम उठाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र कुमार परमार (आसपुर) :

47. जिला डूंगरपुर के श्रमिकों की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु विभाग द्वारा ठोस योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामधन (लाडनूं) :

48. मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दिलाने में श्रम विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

(८५)

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) :

श्री लच्छूराम (मण्डावा) व

श्री भरोसी (हिण्डौन) :

49. बेरोजगारों को रोजगार देने में राज्य सरकार असफल रही, इस पर चर्चा के लिये।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) :

50. रोजगार उपलब्ध कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी (ब्यावर) :

51. श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के कल्याण हेतु कोई योजना नहीं बनाये जाने से उनमें व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री बृज सुन्दर शर्मा (बून्दी) :

52. सेन्ड स्टोन की खानों में कार्यरत हजारों श्रमिकों की समस्याओं का निराकरण करने में श्रम विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

53. एम्प्लायमेंट एक्सचैन्ज में दर्ज कराये बगैर जिन्हें जनता सरकार ने राज्य सेवा में ले लिया, उनको हटाने के बारे में चर्चा के लिये।

54. श्रम विभाग की अकर्मण्यता के कारण सरकार की श्रम नीति की असफलता से श्रमिकों को होने वाली असुविधा पर चर्चा के लिये।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) :

55. सरकार द्वारा बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु कोई कारगर कदम न उठाये जाने तथा शिक्षित बेरोजगारों को जीवन-निर्वाह हेतु बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की अनिवार्यता पर चर्चा के लिये।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) :

56. श्रम निरीक्षकों द्वारा दुकानदारों के चालान करने में वरती जाने वाली अनियमितताओं से होने वाले भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

57. श्रम निरीक्षकों द्वारा दुकानदारों को चालान की सूचना पुलिस के मार्फत दिये जाने से दुकानदारों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

58. श्रम निरीक्षकों द्वारा दुकानदारों के किये जाने वाले चालानों पर दुकान मालिक के हस्ताक्षर कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. श्रम निरीक्षकों द्वारा दुकानदारों का बिना किसी सूचना के चालान किये जाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 36, 33, 30 व 23 पर विचार

श्री सभापति : श्री नरपतराम !

(अनुपस्थित)

श्री राम सिंह विश्नोई !

श्री राम सिंह विश्नोई : सभापति महोदय, मांग संख्या 36, सहकारिता के सम्बन्ध में मैंने कुछ कटौती प्रस्ताव दिये हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री महोदय को जो देश में और समाज के अन्दर सहकारिता का

(श्री रामसिंह बिश्नोई)

महत्व है उसके सम्बन्ध में मेरे विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा।

देश की आजादी के बाद, जो हिन्दुस्तान में गरीबी है, उसको मिटाने के लिये अलग-अलग प्रान्तों के अन्दर सहकारिता की भावना पैदा करने, गांवों में गरीब तबके के एवं किसान लोग हैं उनमें सहकारिता की भावना पैदा करने, लोगों को नाना प्रकार की सहूलियतें और कृषि में काम आने वाले पदार्थों की उपलब्धि के लिये सहकारिता का प्रादुर्भाव हमारे देश में हुआ। सबसे पहले गुजरात और अन्य राज्य और उसके बाद राजस्थान के अन्दर हिन्दुस्तान की आजादी के बाद इसका कार्य आरम्भ हुआ।

माननीय सभापति महोदय, सहकारिता के अन्तर्गत किसान को नाना प्रकार के ऋण उपलब्ध होते हैं, लेकिन जो एजेन्सीज हैं, वह इतनी ज्यादा हैं प्रान्तों के अन्दर कि वहां से गांव के गरीब व्यक्ति को ऋण प्राप्त करना, ऋण स्वतन्त्रता से प्राप्त करना और कम खर्च के आधार पर प्राप्त करना आसान नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है, माननीय सभापति महोदय, अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण, यह तीन तरह के ऋण हमारे राजस्थान प्रान्त के अन्दर सहकारिता के माध्यम से किसानों को गांवों में वितरित होते हैं। यह जो भूमि विकास बैंक राज्य स्तर पर है तथा जो यह अपेक्स बैंक राज्य स्तर पर है इन दोनों बैंकों का एकीकरण किया जाये ताकि एक गांव के किसानों को अलग-अलग एजेन्सियों के चक्कर काटने से बचाया जा सके।

सभापति महोदय, एक किसान खाद, बीज, शक्कर, गाय, भैंस और बैलों के ऋण से लेकर नाना प्रकार के ऋण, व दीर्घकालीन ऋण सहकारी समिति के माध्यम से लेता है। वह भूमि विकास बैंक के जरिये भी लोन लेता है। लेकिन, सभापति महोदय, आपको मालूम ही है, आप स्वयं भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष रहे हैं आपको जानकारी है कि किसान को ऋण मिलता है उसकी जो प्रक्रिया है उसको पूरी करना, ऋण स्वतन्त्रता से प्राप्त करना कितना मुश्किल एक किसान के लिये होता है। इसलिये गांव के स्तर पर, पंचायत के स्तर पर, प्राइमरी भूमि विकास बैंक के स्तर पर एक ही एजेन्सी गांव के अन्दर होनी चाहिये जिससे किसान स्वतन्त्रता से ऋण प्राप्त कर सकें। जो कर्मचारी, अधिकारी हैं हजारों आदमी हैं बैंकों में, बैंकों के अन्दर बोनस स्कीम है उससे बचाया जा सके और एक ही योजना हो। पूरे प्रान्त के अन्दर एक ही योजना होगी तो मैं उचित समझता हूं कि इससे काम करने में दक्षता आयेगी और किसानों को सब तरह के लोन मुहैया हो सकेंगे।

दूसरा, सभापति महोदय, गांवों के अन्दर सहकारी समितियां हैं वहां पर नये-नये अध्यक्ष है, खजान्ची है, सैक्रेटरी हैं उन्होंने गांव के कुछ हमारे चुने हुए व्यक्तियों को मिलाकर कुछ महाजनों के मार्फत ऐसे लोन वहां दिये थे, जो लोगों में बकाया थे उनको वसूल करने के लिये, नाना प्रकार से हजारों लाखों रुपये सारे लोगों से वसूल कर लिये। वह खुद के काम नहीं लिये। इस तरह का ऋण दिया हुआ था उच्च तबके के लोगों ने, प्रभावशाली लोगों ने, ऐसे व्यापारियों ने, ऐसे अन्य दूसरे

(श्री रामसिंह बिश्नोई)
लोगों ने अपनी सोसायटी थी, आज वह सोसायटी काम नहीं कर रही है। उन पर लाखों रुपये बकाया हैं। मेम्बर किसी को लिया नहीं है। ऐसी सोसायटी के लिये राज्य सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का कायदा है कि अगर राज्य सरकार और बैंक उचित समझते हैं, सोसायटी में किसी प्रकार का डिफेक्ट हो गया है और उसकी सिफारिश जो सरकार भेजती है उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया लोन को निरस्त कर देता है और अपने खाते में जोड़ कर उस खाते को डेड कर देता है। लेकिन सोसायटी के अन्दर पैसा यों का यों रहता है। मेरा सुझाव है कि वास्तव में जिनकी हालत खराब है, जिनकी आर्थिक स्थिति सुधरी हुई नहीं है, नया लोन लेने की स्थिति नहीं थी, क्योंकि वह पैसा दे नहीं सके, मैं निवेदन करूंगा कि जो सहकारी समिति बाद रखकर देती है, वह वास्तव में मेम्बर का बाद रखकर देना चाहिये ताकि गरीब आदमी जो अपना आगे प्रोग्राम बनायेगा, उसको फायदा मिल सके। इसलिये सहकारी समिति के साथ-साथ, उन सदस्यों का ऋण माफ हो जाना चाहिये।

एक मेरा सुझाव, माननीय सभापति महोदय, गांवों में जानकार लोग हैं, प्रभाव शाली लोग हैं, जिनके पास जमीन हैं, लेकिन वास्तव में किसान हैं, वह सारे आदमी मेम्बर नहीं हैं, जब तक सारे आदमी सोसायटी के मेम्बर नहीं होंगे, तब तक सहकारिता के अन्तर्गत स्कीम है, कृषि ऋण, बीज, खाद, शक्कर, जो सहकारी समिति के माध्यम से सहूलियतें मिलती हैं, उनसे वह महरूम रहेंगे। लाखों रुपया सहकारी समिति के माध्यम से गांव के किसान, मजदूर लोन को लेने में महरूम रहते हैं। इसलिये मेरी गुजारिश है कि गांव के गरीब तबके के लोगों को मेम्बर बनाया जाये। उनकी स्थिति इतनी नहीं है, एक रुपया फीस लेकर उनको मेम्बरशिप दी जानी चाहिये। जो लोन है, उससे उनको महरूम नहीं रखा जाना चाहिये।

एक, माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा। जो हमारे गांवों में सहकारी समितियां हैं उनका काम करने का जो तरीका है मुझे कोई शंका नहीं है, वह काम ठीक करें, लेकिन वे केवल ऋण उपलब्ध कराने का काम करती हैं, इसके अलावा मामूली खेती, बीज का काम करती हैं। मैं चाहूंगा कि इन सोसाइटियों में जो साल भर कर्मचारी काम करते हैं वे मैनेजर, एल.डी.सी, चपरासी 3-4 आदमी रखे हुए हैं, तो 12 महीनों तक काम चलते रहने के लिये नाना प्रकार की चीजें, शक्कर, खाद, बीज जो भी किसानों को जीवकोपार्जन के लिये, उनकी आवश्यकता पूरी करने के लिये मिलें यह आप करें। आप सजेशन दें, उनको बाध्य करें, उनसे सलाह लें। जब इस तरह की सोसाइटी है और गांवों में रोजमर्रा की दिक्कतें है शक्कर, गुड़, जानवरों का बांटा ये सारी इन समितियों की मार्फत मिलनी चाहिये ताकि लोगों को परेशानी न हो और समस्त प्रकार की चीजें, गांव में उपलब्ध हों, इस प्रकार की व्यवस्था आपको करनी चाहिये।

एक, माननीय सभापति महोदय, बिलाड़ा मार्केटिंग सोसाइटी के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। यह सोसाइटी जोधपुर डिवीजन में ही नहीं राजस्थान में भी महत्वपूर्ण स्थान रखती थी, लेकिन पिछले 3-4 सालों

(श्री रामसिंह विश्नोई)

में इसकी हालत बहुत खस्ता हो गई। बाढ़ के कारण 2-3 लाख का नुकसान हुआ, 3-4 लाख का गबन कुछ वहां के कर्मचारियों और दूसरे लोगों ने मिल कर किया। इससे स्थिति इतनी खराब हो गई कि आज कम से कम 2-3 लाख तो जो मेम्बर्स हैं उनका बाकी पड़ा है और कम से कम 2-3 लाख की खाद है वह सारी खाद खराब हो गई। बाढ़ में 3-4 फीट पानी मार्केटिंग सोसाइटी में आया और खाद, शक्कर, बीज जो भी सामान था, वह खराब हो गया। कम से कम 3 लाख का नुकशान हुआ जिसकी जिलाधीश महोदय ने भी सिफारिश, रिकमण्डेशन की है लेकिन आज भी उनको जो इमदाद मिलनी चाहिये, सबसिडी, ऋण जो माफ होना चाहिये वह व्यवस्था हुई नहीं है।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि बिलाड़ा मार्केटिंग सोसाइटी की हालत सुधारने के लिये एक सदस्यीय जांच समिति या कोई निष्पक्ष अधिकारी को भेज कर जांच करवावें और जो 3-4 सालों से सोसाइटी की हालत खस्ता हो गई है, जो जोधपुर डिवीजन में सबसे अच्छी सोसाइटी थी, 10 लाख के मुनाफे में चल रही थी। आज यह हालत है कि वहां कर्मचारियों को देने को पैसा नहीं है। 3-4 लाख लोगों के जमा हैं उसको वापिस चुकाने के लिये, समिति की व्यवस्था सुधारने के लिये किसी निष्पक्ष अधिकारी को भेज कर, जिन्होंने गड़बड़ियां की हैं गबन किया है, उनकी जांच करा करें, मुकदमें करें, चालान करें और साथ ही इसकी बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारने के लिये कार्य करें। इसके अन्तर्गत 3-4 लाख रुपये लगाकर जीनिंग फैक्ट्री लगाई गई। आज यह उस जीनिंग फैक्ट्री को चलाने लिये सक्षम नहीं है। वहां किसानों के लिये एक कारखाना लगाया गया था ट्रैक्टर का कारखाना, आज उसकी एसी स्थिति है कि न तो कारखाने को सुधार सकते हैं और न जीनिंग फैक्ट्री को सुधार सकते हैं। ऋण सरकार का काश्तकारों का जमा है इसलिये इन दोनों को बेचना निहायत जरूरी है। इसलिये निवेदन करूंगा कि मार्केटिंग सोसाइटी, बिलाड़ा की स्थिति सुधारने के लिये जो जीनिंग फैक्ट्री और वर्कशोप है, उनको बेचने की कृपा करें।

माननीय सभापति महोदय, एक हमारे जो कर्मचारी लोग इंस्पैक्टर ग्रेड के आदमी हैं उनको जिले में नहीं रखने का कायदा बनाया हुआ है। उनके लिये ऐसा कायदा होना चाहिये कि वे जिले में सुचारु रूप से कार्य कर सकें। अगर कर्मचारी को जिले से बाहर भेजा जाता है तो उसको बार-बार घर आना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जिले में ही काम करने के लिये एसे नियम कायदे बनाये जाने चाहिये ताकि उन लोगों को मौका मिले और अपना कार्य सुचारु रूप से कर सकें।

इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान में दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का तालमेल किसानों से नहीं है। जहां एक गांव में एक सोसाइटी होनी चाहिए, लेकिन रजिस्ट्रेशन आफिस में जाकर 1-1 गांव में 3-3 सोसाइटीज बना दी जाती हैं। इससे सोसाइटीज घाटे में रहती हैं और पूर सदस्यों में लड़ाई-झगड़ा बना रहता है। इसलिये गांवों में केवल एक सोसायटी होनी चाहिये। एक नहीं होगी तो सुचारु रूप से कार्य कर नहीं पायेंगे, इसलिये मेरा सुझाव है कि जो दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति संघ के अधीन हैं और उसमें प्रशासनिक कंट्रोल आपका है, तो जहां

(श्री रामसिंह विश्नोई)
2-3 सोसाइटी ढाणियों में भी बनी हुई है, जो इकोनोमिकली भी बिल्कुल वाएबल नहीं हैं। अतः वहां एक ही सोसाइटी रख कर कार्य करावें। अन्त में मैं निवेदन करूंगा ये जो 2-3 सोसाइटियां हैं, इनको भंग करके जहां गांव वालों को शक्कर, अनाज आदि छोटी-मोटी चीजों को लेने के लिये 10-10 मील तक जाना पड़ता है, इसलिये हर एक पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत जहां कैसी भी सोसाइटी हो उसको वाएबल बनाकर यह करना चाहियें। एक गांव में या एक पंचायत में एक सोसाइटी होनी चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस प्रकार आप उनका वापस पुनर्गठन करके एक पंचायत में एक सोसाइटी रखने के आदेश प्रसारित करें।

इन्हीं सुझावों के साथ, सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जो सुझाव दिये हैं और जो बिलाड़ा मार्केटिंग सोसाइटी की स्थिति खराब हुई है उस पर अपना उत्तर देते समय मंत्री महोदय विचार करें।

श्री सभापति : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सभापति महोदय, सहकारिता का जो आन्दोलन अपने देश में प्रारम्भ किया गया उसकी मूलभूत आवश्यकता थी। मिश्रित अर्थ व्यवस्था वाले देश में जहां पर साहूकार द्वारा छोटे किसान का शोषण होता है वहां सहकारी आन्दोलन अत्यधिक आवश्यक है. लेकिन हमारे देश में यह आन्दोलन किस प्रकार का स्वरूप ग्रहण करने जा रहा है इसके बारे में रिजर्व बैंक के गवर्नर आई. जी. पटेल और संपूर्ण देश भर के चेयरमैन और मैनेजर थ, उनकी मीटिंग में कहा है—

"That the States which provided a lead to the co-operative movement. namely, Maharashtra, Gujarat, and Tamil Nadu are saddled with a serious problem of over dues is as well known a the fact that it is the bigger firms who are the main defaulters. What is disturbing, however, is the kind of policy response these problems have evoked from the concerned State Government, reflected in their proposal to cancel over dues."

रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा है कि यह जो आन्दोलन है, इस आन्दोलन के द्वारा छोटे किसानों को राहत मिलनी चाहिए, परन्तु इसका सब से बड़ा लाभ मिला है बड़े किसानों को, जमींदारों को इसका लाभ मिला है। बैंक के जो ओवर ड्यूज हैं, जो डिफाल्टर्स हैं वे बड़ी फर्म्स है। राज्य सरकार ने इन डिफाल्टर्स के लोन को माफ करने के लिये कहा है। इस प्रकार से यह सहकारी आन्दोलन विपरीत दिशा में जा रहा है। सहकारिता का जो आधार ग्रामसेवा सहकारी समिति है, उनके चुनाव कई वर्षों से नहीं हुए हैं। राजस्थान के अन्दर तो ये सहकारी समितियां एक प्रकार का माध्यम बन गयी है। पिछले तीस साल के अन्दर, ढाई साल के जनता शासन में भी इनमें सुधार नहीं हुआ, यह मैं मानता हूं, मगर तीस साल से ये ग्राम सेवा सहकारी समितियां, ग्रामीण बंक, भूमि प्रबन्धक बंक राजनीतिक पार्टीज के एजेन्ट, माध्यम बन गये है और गांव के अन्दर सत्तारूढ़ दल के सबसे बड़े माध्यम हैं, साधन हैं। ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा ऋण फर्जी नाम से उठाया जाता है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

उनमें कुछ मोहरे एजेन्ट फिट हो गये हैं जिनके आधार पर गांव के एजेन्ट बन कर पोलिटिक्स मशीनरी कायम हो गई है। इस प्रकार सहकारी आन्दोलन में ये सहकारी समितियां, राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक एजेन्ट, पोलिटिकल मशीनरी का काम कर रही हैं और ये छोटे किसानों व मार्जिनल किसानों का शोषण कर रही हैं। राजस्थान में इस आन्दोलन के अन्दर कई घोटाले हुए हैं। विश्व के सहकारी इतिहास का तो मुझे पता नहीं है परन्तु हिन्दुस्तान के कोआपरेटिव के इतिहास में इतना बड़ा घोटाला किसी जगह, किसी जिले में नहीं हुआ है जो राजस्थान के एक जिले में हुआ है और वह जिला, सभापति महोदय, वह है जहां से आप आते हैं। इस जिले के सहकारी आन्दोलन के बारे में एक केन्द्रीय अधिकारी ने जो पत्र लिखा है, उस पत्र की कुछ पंक्तियां मैं आप को पढ़ कर सुनाना चाहता हूं उसके बारे में तो बाद में कहूंगा। आप इससे अन्दाज लगा सकते हैं कि कितना भयंकर घोटाला हुआ है। पत्र की आखिरी लाइन में उन्होंने यह कहा है, यह मैं पहले पढ़ देना चाहता हूं, यह एक लाइन है: "मुझे व्यक्तिगत दुःख है कि मैंने ऐसा पत्र लिखा है परन्तु इस वेदना को सहन करते हुए भी मैं यदि यह पत्र न लिखता तो सम्भवत: मैं कर्तव्यहीनता का दोषी भले ही करार न दिया जाता परन्तु आत्मनिरीक्षण मुझे सदैव इस कर्तव्यहीनता के लिए प्रताड़ित करता रहता।" केन्द्रीय सरकार के अधिकारी ने एक गोपनीय पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने आगे लिखा है कि राजकीय मनोनीत संचालक मंडल के उपरान्त भी इस जिले में कर्मचारियों एवं गैर सरकारी प्रतिनिधियों का एक आचरणहीन गिरोह बहुत सक्रिय है जिसकी जड़ें निहित स्वार्थी तत्वों की छाया में गहरी हो चुकी हैं। अतः राज्यस्तर से ही कठोर एवं सक्रिय कार्यवाही किए जाने के उपरान्त, यह नियंत्रित किया जा सकता है अन्यथा नहीं। उपरोक्त स्थिति के कारण बैंक की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गई है। इस पत्र से बैंक की आडिट रिपोर्ट 1975-76 के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसमें यह लिखा गया है— "बैंक की समितियों की तरफ मांग ज्यादा है जब कि समितियों की मांग सदस्यों की तरफ कम है। बैंक समितियों से लगभग 1.5 करोड़ रुपया अधिक मांगता है जब कि समितियां सदस्यों से 1.5 करोड़ रुपये कम मांगती हैं। चूंकि इस राशि को चुकाने वाला कोई नहीं है अतः इसकी वसूली असंभव है। इसी कारण बैंक अपनी बैलेन्स शीट को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दे पाया है। यह अत्यन्त चिन्ता का विषय है।" यानी बैंक से ग्राम सेवा सहकारी समिति डेढ़ करोड़ ऋण ले चुकी है। परन्तु यह डेढ़ करोड़ रुपये का ऋण सदस्यों के रजिस्टर में नहीं है। यह 1975-76 की आडिट रिपोर्ट में है। इसके पश्चात् आज तक जनता सरकार या पुरानी सरकार यह पता लगाने में असमर्थ रही हैं कि यह डेढ़ करोड़ रुपया कहां गया? इसका अभी तक पता नहीं लगा है। यह रुपया पाताल में चला गया या आकाश में चला गया, कोई पता नहीं है या सफेदपोशों के पास यह चला गया, इसका भी कोई पता नहीं है। उन्होंने अपने पत्र में आगे लिखा है: "यह भी निवेदन करना आवश्यक समझता हूं कि भरतपुर जिले की अधिकांश सहकारी समितियां गबन, दुरुपयोग एवं भारी अनियमितताओं से ग्रसित हैं। कोई भी समिति ऐसी नहीं मिलेगी जिसको कि विशुद्ध समिति कहा जा सके। मेरे विचार से निम्नांकित

(९०)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
कार्यवाही राज्य स्तर पर अपेक्षित है अन्यथा राज्य सरकार और जमानतदारों के हित सुरक्षित नहीं हैं।" मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि यह एक केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी ने पत्र लिखा है जिनको 407 सहकारी समितियों के बारे में रिपोर्ट पेश करने के लिए नियुक्त किया गया था। उन्होंने केवल 37 ग्राम सेवा सहकारी समितियों की जांच की और उस जांच रिपोर्ट के आधार पर 47 केस रजिस्टर्ड कराये गये। इस जांच के आधार पर इन समितियों के अन्दर 67 लाख का घोटाला पाया गया। इसके अलावा बहुत सी एसी बातें हैं। एक व्यक्ति है जिनका नाम लेने की शायद इजाजत नहीं दी जाए, परन्तु जिस प्रकार से गिरगिट रंग बदलता है उसी प्रकार से रंग बदलने में वह होशियार हैं। पहले वह समाजवादी पार्टी में थे। उसके बाद कांग्रेस में आ गये। उसके बाद जनता पार्टी में चले गये। जनता पार्टी का राज्य जाने लगा तो वे लोकदल में चले गये। सभापति महोदय, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि कांग्रेस का राज्य आ गया और इस घोटाले की जांच भूतपूर्व सरकार ने कराई जिसके आधार पर केस रजिस्टर्ड किए गए। हो सकता है कि मेरे कहने से कई लोगों को चिढ़ लगे परन्तु जो यथास्थिति है वही मैं निवेदन कर रहा हूं। कांग्रेस(आई)का राज्य आ गया, घोटालों की जांच जनता पार्टी ने प्रारंभ कर दी तो, सभापति महोदय, यह सौदा किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा इसकी आगे जांच न हो। चार करोड़ का घोटाला भरतपुर के सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक में ऋण वितरण में किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें जो 26 अधिकारी लिप्त पाये गये, फील्ड आफिसर से लेकर इन्स्पैक्टर तक ....

श्री बिहारीलाल पारीक : क्या नाम बतायेंगे?

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। बैंक के बारे में कह रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह व्यक्ति जिसने चार करोड़ रुपयों का घोटाला किया है वह रुपया कहां गया, वही व्यक्ति अब सौदेबाजी कर रहा है और इस सौदेबाजी का मौखिक आदेश हो चुका है। यह राजनैतिक सौदेबाजी है। माननीय मुख्य मंत्री आज सदन में नहीं है, उनकी आदत भी नहीं है सदन में रहने की। मुख्य सचेतक महोदय भी सदन में नहीं हैं जो मेरी बात उन तक पहुंचा दें। यह सौदेबाजी हो रही है, जिन 26 अधिकारियों को हटाया गया था, जिनके बारे में यह कहा गया था कि इनको भरतपुर जिले के बैंक में नहीं लगाया जाए क्योंकि ये अधिकारी हैं जिन पर आरोप हैं, जिनके खिलाफ केस दर्ज हो चुके हैं और कार्यवाही चल रही है। परन्तु इन अधिकारियों को वापिस लगाया जा रहा है। दो-तीन के आदेश हो चुके हैं। बाकी के आदेश सत्रावसान के बाद किए जायेंगे। यह एक राजनैतिक सौदेबाजी है। वह राज्य के मुख्य मंत्री से मिल चुके हैं। माननीय मुख्य मंत्री भरतपुर से चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने यह कहा है कि मैं आपका साथ दूंगा परन्तु मेरे खिलाफ जो गड़बड़ घोटाले के केसेज हैं उनको दबा दिया जाए। उसकी किश्त के रूप में इन अधिकारियों को, जिनको पहले हटाया गया था, वापस भरतपुर लगाया जा रहा है जो चार करोड़ की पब्लिक मनी को हड़प गये हैं यह इन पर आरोप है उनको ही वापस भरतपुर में लगाया जा रहा है। यह राजनैतिक षड्यंत्र है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक तमाशा है...

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, जो गबन का आरोप लगाया जा रहा है और आसन इजाजत भी दे रहा है तो हम यह विस्तार से जानना चाहेंगे कि वस्तुस्थिति क्या है ? यह कहा जा रहा है कि मुख्य मंत्री भरतपुर से चुनाव लड़ेंगे और उनके चुनाव में वह सहयोग करेंगे । यह सारी बात काल्पनिक है। मुख्य मंत्री कहां से चुनाव लडेंगे, यह अभी भविष्य के गर्भ में है परन्तु यहां पर सदन में गंभीर आरोप लगाये जा रहे हैं इसलिए मैं माननीय सदस्य को निवेदन करूंगा कि वह अपने आरोपों को स्पष्ट करें ।

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, स्वयं जानते हैं इसलिये माननीय सदस्य को टोका नहीं है । उनको अच्छी तरह से मालुम है । यह बिलकुल सही है । इसमें कोई झूठ नहीं है ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आसन का दायरा सीमित है । कृपया, इसमें आसन को न घसीटें । आसन को कोई जानकारी नहीं है ।

श्री दाऊदयाल जोशी : आप सबसे पुराने सदस्य हैं । यह आपके जिले का मामला है । आपको मालूम नहीं हो, यह नहीं हो सकता ।

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह मामला इतना आसान नहीं है । जिन किसानों को, व्यक्तियों को ऋण वितरण किया गया है यह जांच रिपोर्ट से प्रमाणित है । सैकड़ों-हजारों नाम इस प्रकार के हैं जो वास्तव में नहीं हैं । वह व्यक्ति उस गांव में नहीं है, उनका मकान नहीं है। ऐसे व्यक्तियों के नाम ऋण वितरण किया गया है ।

सभापति महोदय, ऐसे व्यक्तियों के नाम हैं जिनका पता नहीं है । दो-दो वर्ष के बच्चों के नाम से हैं जो उस समय तो शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे। उनको पता चल गया कि यह बच्चा पैदा होगा, उसका यह नाम होगा और उसके नाम से ऋण वितरित किया और आज वसूली की कार्यवाही चल रही है। मैं आसन के माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि इस प्रकार की कार्यवाही चल रही है कि गरीब आदमियों, जिन्होंने कभी ऋण नहीं लिया, का नाम हैं। उनसे डन्डे मार-मार कर वसूल किया जा रहा है । मैं आपको आगाह कर दूं कि आप राजनैतिक सौदेवाजी कर सकते हैं । आप बैंक के अध्यक्ष को जो 4 करोड़ का गबन करने वाला है वापस ले सकते हैं । लेकिन आप गरीब से डण्डे के बल पर ऋण वसूल कर रहे हैं वह नहीं कर सकते हैं । आप कोर्ट में जीत नहीं सकते हैं । यह राजनैतिक सौदेवाजी आपको महंगी पड़ेगी । सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 47 केस रजिस्टर किए गये थे उन पर कार्यवाही रोक दी गयी है । 47 केसों की ही रिपोर्ट हो गयी थी । एफ. आई. आर. दर्ज हो गयी थी । कुछ के तो कोर्ट में मुकदमें भी चल रहे हैं । इस वर्तमान सरकार के आने के वाद, अपना दोष करने के वाद सारे के सारे केस सी.आई.डी को ट्रांसफर कर दिये । ये केस क्यों पेंडिंग कर दिये गए ? इस प्रक्रिया को क्यों लम्बा किया जा रहा है ? जो प्रमाणित हो चुका है डेढ़ करोड़ रुपया बैंक से दिया गया सहकारी समितियों को यह बैंक के खातों में दर्ज है, लेकिन ग्राम सेवक सहकारी समितियों ने इसको ऋण के रुप में वितरित नहीं किया और यह सारा गबन

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

साबित हो चुका है, प्रमाणित हो चुका है। अब कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा घोटाला है।

एक जीप काण्ड है जिसके अन्तर्गत 8 अधिकारियों को निलम्बित किया गया। जनता सरकार से पहले 1970-71 तक एक जीप और एक कार यहां पर खरीदी गयी, उसका पेमेंट किया गया। उससे बैंगलोर, चंडीगढ़, अहमदाबाद, श्रीनगर की यात्रा की गयी और भरतपुर में बैठे बैठे उनके फर्जी यात्रा बिल बनाकर उनके आधार पर एक लाख और बीस हजार रुपये के करीब बिल उठाये गए। इसमें कार का नम्बर आर. जे. डी. 4569, और जीप का नम्बर 4290 है। 8 अधिकारियों को इस मामले में निलम्बित किया गया। उसके बाद आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

साथ ही इसमें जो संचालक मंडल काम करता था, इस बैंक में उस संचालक मंडल की भी बहुत बड़ी कहानी है। सभापति महोदय, उस संचालक मंडल के व्यक्तियों ने पांच नामों से कुछ दुकानें लीं भरतपुर, कामां, बयाना और डीग में और उस फर्म जो उन संचालकों की फर्म थीं, के द्वारा किसानों को ऋण दिलवाया गया और वह फर्म ऐसी थी कि उस ऋण का पेमेन्ट आज तक डूबा हुआ है जो कि उनके माध्यम से ऋण दिया गया था। इस प्रकार पांच सन्चालक थे और उनके नाम से पांच दुकानें थीं। उन्होंने अपनी इन फर्मों के माध्यम से जितना ऋण दिलवाया वह सारा डूब गया, वसूल नहीं हुआ। आपको बताऊं, सभापति महोदय .....

श्री **रामनारायण डूंडी**: आपने ढाई साल में वसूल नहीं किया।

श्री **घनश्याम तिवाड़ी**: वही बता रहा हूं वह भी आयेगा।

श्री **सभापति**: माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखते हुये, समाप्त करें।

श्री **घनश्याम तिवाड़ी**: इस बैंक के संचालक थे श्री नत्थी सिंह, उनकी दुकान का नाम था जगदम्बा और जय अम्बा कृषि यंत्रालय जिसके माध्यम से भरतपुर में सारा लोन दिया गया। ऐसे प्रार्थना-पत्र जो कि इस फर्म के माध्यम से आये थे जो जगदम्बा और जय अम्बा कृषि यंत्रालय के माध्यम से पेश किये गये थे उनको ही ऋण स्वीकृत किया गया, अन्य किसी को ऋण स्वीकृत नहीं हुआ। इस फर्म के द्वारा जितने पम्पिग सेट बेचे गये थे, जितने किसानों को ऋण दिया गया था उनमें से एक भी किसान ने ऋण चुकाया नहीं। क्योंकि उस नाम का कोई किसान था ही नहीं वहां पर सरकार ने जांच करने के बाद पाया कि इस प्रकार का किसान वहां उपलब्ध नहीं था।

इसी प्रकार से एक दूसरे संचालक थे श्री गिरवर सिंह इनकी दुकान बयाना में थी। इस क्षेत्र में जितना ऋण वितरित किया गया था वह उसी फर्म के द्वारा किया गया था। उसमें से भी किसी भी किसान का पैसा वसूल नहीं किया गया। इसी प्रकार से एक संचालक थे कंवरसेन इनकी फर्म भी डीग में थी, डीग एरिया में इसी फर्म के द्वारा ऋण दिया गया और पम्पिंग सैट बेचे गये। यहां भी उक्त नामों के किसान उपलब्ध नहीं थे और ऋण की वसूली नहीं हो सकी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इसी प्रकार से एक संचालक थे, श्री नरोत्तम शर्मा जिन्होंने भरतपुर में श्री ज्ञान व कल्याण से पार्टनरशिप में देहाती मशीनरी स्टोर नाम की फर्म खोली। इसके माध्यम से दिया गया ऋण भी वसूल नहीं हुआ। इसी प्रकार अर्जुन सिंह ने अपने भाई के नाम से धौलपुर में फर्म खोली और इसके माध्यम से भी जो ऋण वितरित किया गया था, उसकी वसूली नहीं हुई। इसी प्रकार से जगपाल सिंह ने भरतपुर में श्री पदमसिंह ने वयाना में जो फर्म खोली थी और उसके माध्यम से ऋण वितरित किया गया था वह वसूल नहीं हुआ।

इस प्रकार इन 7 संचालकों ने भरतपुर के भिन्न-भिन्न स्थानों पर अपने भाई के नाम से और अपने नाम से दुकानें खोली और उन दुकानों के माध्यम से ऋण दिया गया। इनके माध्यम से जो पैसा दिया गया था उसमें से एक भी पैसा, ऋण वसूल नहीं किया गया। इसके साथ ही, सभापति महोदय, एक वात और वहुत ही महत्व की है और वह यह है कि कुल 407 सहकारी समितियों के बारे में शिकायतें थीं कि उनमें गवन और घोटाले पाये गये थे। जनता पार्टी के शासन में सिर्फ 37 समितियों की जांच हुई और उन 37 की रिपोर्ट हुई।

एक माननीय सदस्य : एक छोटी-सी बात कह रहा हूं कि भूतपूर्व जनता पार्टी में कितनी पार्टियां हैं? यह तो बता दे।

एक माननीय सदस्य : आपको क्या तकलीफ हो रही है?

एक माननीय सदस्य : एक ××× भी है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, पार्टियां कई होती हैं, कोई ××× होती है। कोई ××× होती है।

श्री सभापति : आप नेकर को छोड़िये।

एक माननीय सदस्य : नेकर को नहीं छोड़ सकते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आप जारी रखें।

एक माननीय सदस्य : ×××

श्री भंवर लाल शर्मा : ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हम नेकर नहीं छोड़ सकते हैं और ××× में नहीं जा सकते है। दूसरा मेरा निवेदन वह है कि 26 अधिकारी निलम्बित किये गये हैं। इन अधिकारियों को अब वापस पेंडिंग इन्क्वायरी के रहते हुए, सर्विस में लिया गया है। जिन अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज हो गये हैं उन अधिकारियों को फिर लिया जा रहा है। इनके खिलाफ पेंडिंग इन्क्वायरी है, इसके होते हुये भी 6 महीने का टाइम निकल चुका है। उनको पेंडिंग इन्क्वायरी होते हुये भी सेवा में लिया जा रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभी आडिट रिपोर्ट, 73-74, 74-75, 75-76 के अन्दर आडिट रिपोर्ट के अनुसार भारी घोटाले हुये हैं, उन्हें विधान सभा के पटल पर रखा जाये। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं

××× शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कि 75-76की आडिट रिपोर्ट है, इसमें बैंक के अध्यक्ष व संचालक मंडल को दोषी करार दिया है । जो अफसर थे उनको दोषी करार दिया गया है। इसमें इस प्रकार से लिखा गया है कि इसमें एक निहित स्वार्थी लोगों का गिरोह बन चुका है जिसकी जड़ें गहरी हैं और राजनैतिक प्रभाव के कारण उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा है। इन व्यक्तियों को आडिट रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाये । सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को आगाह करना चाहूंगा कि माननीय हरिदेवजी जोशी, जो उस समय थे, और आज भी इस सदन के माननीय सदस्य हैं, जब ये मुख्य मंत्री बने थे उस समय और वर्तमान में भी जो सदस्य हैं माननीय नत्थी सिहजी, समाजवादी पार्टी में थे उन्होंने क्या किया कि हरिदेव जोशी को भरतपुर बुलाया और भरतपुर बुलाकर, 275 ट्रकों की रेली निकाली, उनका स्वागत किया और उनके द्वारा किसान बोर्ड का शिलान्यास कराया ।

आप, सभापति महोदय, भरतपुर जाते हैं तब देखते हैं, भैरोंसिंह जी ने 37 दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की, पहाड़ियाजी, एक सीट को बचाने के लिए, वहां से चुनाव लड़ने के लिये, चार करोड़ की जो धोखाधड़ी है उसको बचाने का प्रयत्न किया जा रहा है, दोषी अधिकारियों को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, सरकार को आगाह करना चाहता हूं, जनता के धन के साथ इस प्रकार से चुनाव की आड़ में खिलवाड़ नहीं किया जा सकता । डण्डे के जोर से ग्राम जनता से पैसा वसूल किया जा रहा है, जिन व्यक्तियों ने कोई ऋण नहीं लिया, उनकी भैंसें खोली जा रही हैं, उन गरीब आदमियों के मकानों को कुर्क किया जा रहा है, उनकी आवाज को...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दबाया जा रहा है केवल एक सीट को बचाने के लिये, लेकिन व इसको बचा नहीं सकेंगे। राजस्थान की ढाई करोड़ जनता की यह आवाज है, कहीं उनका राजनैतिक अस्तित्व समाप्त नहीं हो जावे, जिससे वे घर के रहेंगे न घाट के...

श्री **सभापति**: कृपया, स्थान ग्रहण करें।

श्री **घनश्याम तिवाड़ी**: एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं ।

श्री **भैरोंसिंह गूर्जर**: छबड़ा में यही हुआ था, क्या इसके पहले ?

(व्यवधान)

श्री **सभापति**: माननीय सदस्य, आपस में बातें न करें। आप जारी रखें, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज ।

श्री **घनश्याम तिवाड़ी**: मैं यह निवेदन कर रहा था ।

श्री **सभापति**: आप शीघ्र ही समाप्त करें ।

श्री **घनश्याम तिवाड़ी**: मैं एक मिनट में कह रहा हूं । सभापति महोदय, सीकर में एक समिति है ग्राम सेवा सहकारी समिति सांगली, उसके नाम से 1 लाख और 60 हजार का ऋण लिया गया लेकिन इस नाम की कोई सहकारी समिति नहीं बनाई गई । बैंक के आफिसर्स ने जनता पार्टी के राज में

(श्री **घनश्याम तिवाड़ी**)

इसकी जांच की, इस मामले की एफ. आई. आर. दर्ज हुई, इस मामले को सी. आई. डी. में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का घोटाला हुआ, भरतपुर सहकारी केन्द्रीय बैंक हिन्दुस्तान में सहकारी आन्दोलन में अग्रणी रहा है, कहीं ऐसा नहीं हो कि रक्षक ही भक्षक बन जावे। यह कोआपरेटिव मूवमेंट पर एक कलंक का टीका होगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप चार करोड़ की कोस्ट पर एक सीट का सौदा नहीं करें। यदि राजनैतिक सौदेबाजी की गई तो इसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे। सभापति महोदय, रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि भरतपुर के किसानों ने कोई ऋण नहीं चुकाया, इसलिए डिफाल्टर हैं। इसलिए, सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि इसकी जांच सी. बी. आई. से करवाई जावे और दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जावे।

श्री **सभापति** : कृपया समाप्त करें।

श्री **घनश्याम तिवाड़ी** : जिन अधिकारियों को निलम्बित किया गया उनको डिसमिस किया जावे और दोषी सदस्य हैं उनके खिलाफ भी सी. बी. आई. से जांच करवाई जावे। इस प्रश्न को राजनैतिक आधार पर नहीं लिया जावे। दोषी अधिकारियों को कानून के कटघरे में खड़ा किया जावे, यह मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री **सभापति** : माननीय सदस्य, आप अपने दल का काफी समय ले चुके हैं। आप 25 मिनट ले चुके हैं।

श्री **घनश्याम तिवाड़ी** : मैं अभी समाप्त कर रहा हूं। इसलिए मेरा निवेदन है कि सहकारी आन्दोलन को कलंक से बचाने के लिये दोषी अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया जावे। एक गोविन्दराम सांगलिया हैं जो बैंक के संचालक मण्डल में हैं उनकी भी सी. बी. आई. से जांच करवाई जावे। मैंने जो आरोप लगाये हैं उनके लिये राजनैतिक सौदेबाजी हो चुकी है, नत्थीसिंहजी को बचाने के लिये माननीय प्रभाकरजी कहेंगे कि इसको राजनैतिक आधार नहीं दिया जायेगा।

श्री **सभापति** : पुनरावृत्ति नहीं करें, माननीय सदस्य।

श्री **घनश्याम तिवाड़ी** : आपको धन्यवाद। आपने जो मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री **सभापति** : श्री जनार्दन सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री भैरूसिंह गुर्जर।

श्री **भैरूसिंह गुर्जर** (खारची) : माननीय सभापति महोदय, आज की सहकारिता की मांगों पर बोलने से पहले, मैं माननीय सहकारिता मंत्रीजी को एक जानकारी देना चाहूंगा कि राजस्थान सहकारी एक्ट जो बना हुआ है वह एक पक्षीय बना हुआ है, उसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी जन-प्रतिनिधियों पर हावी हो रही है और बैंकों में आये दिन घोटाले हो रहे हैं। इसलिये सहकारिता एक्ट में परिवर्तन लाया जाना जरूरी है। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय सहकारिता मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि सहकारिता एक्ट में अतिशीघ्र परिवर्तन किया जावे जिससे ब्यूरोक्रेसी जो इस पर हावी है, और जन-प्रतिनिधियों में नाम मात्र की सत्ता है, और आये दिन घोटाले हो रहे हैं उससे बचा जा सके।

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

तभी सहकारिता आन्दोलन सुचारू रूप से चल सकेगा।

आज ब्यूरोक्रेसी की वजह से होता क्या है कि फर्जी नाम लिखे जाते हैं, इन्सपैक्टर्स जो लगाये गये हैं, सहकारिता के अन्दर, जिन्होंने घोटाले किये हैं उनको पदोन्नत किया जा रहा है। मैं यह जानकारी देना चाहूंगा कि गांवों के अन्दर जो किसान हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके फर्जी अंगूठे लगा लिये गये, लेकिन उनको कोई ऋण नहीं दिया गया, उनके फर्जी नाम लिख दिये गये, जब कि ऋण दिया गया अपने रिश्तेदारों को। आज गरीब आदमी जो हैं, अनुसूचित जाति के और जन-जातियों के जो व्यक्ति हैं वे लोग खाने को मोहताज हो रहे हैं, उनके पास जाकर इन्सपेक्टर लोग कहते हैं कि आपको लोन दिया है। झूठे गवाह लाये जा रहे हैं, झूठे अंगूठे लगा दिये। ऐसे आदमियों, जिन्होंने यह सब फर्जी काम किये हैं, को पदोन्नत किया जा रहा है और गरीबों से ऋण वसूल किया जा रहा है।

सभापति महोदय, मैं सहकारिता मंत्री महोदय की जानकारी में यह भी लाना चाहता हूं कि पाली के अन्दर जो केन्द्रीय सहकारी बैंक है उसमें मैनेजर की पोस्ट पर डिप्टी रजिस्ट्रार के रेन्क का आदमी होना चाहिये, लेकिन वहां पर एक लिपिक को मैनेजर बना दिया गया है। उसको हटा कर डिप्टी रजिस्ट्रार को लगाया जाना चाहिये। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं यह सहकारिता मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि तीन साल से वह मैनेजर के पद पर काम कर रहा है।

(2.06 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभापति, पदासीन)

जाति विशेष के लोगों की ही नियुक्तियां की गईं जब कि रिजर्व सीट वालों को किसी प्रकार की नियुक्ति नहीं दी गई, सारे नियमों को ताक में रख दिया, 90 प्रतिशत अपनी जाति के लोगों को लगा दिया है। उनको अविलम्ब हटा दिया जाना चाहिये और एक डिप्टी रजिस्ट्रार को नियुक्त किया जाना चाहिये ताकि बैंक का काम सुचारू रूप से चल सके।

माननीय सभापति महोदया, मुख्य बात तो यह है कि आज तक कांग्रेस सरकार के समय में जितने भी जन प्रतिनिधि थे, उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद पिछली सरकार ने कभी चुनाव कराना अच्छा नहीं समझा। पिछली सरकार जो थी, उनके जितने चमचे थे उनको लगा दिया, फर्जी लोगों को नियुक्तियां दीं। एक जाति विशेष को उस पर हावी कर दिया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अतिशीघ्र जिस मार्केटिंग सोसायटी के चुनाव नहीं हुए हैं उनके विकास के लिए अविलम्ब चुनाव कराये जायें और कानून बनाकर जन-प्रतिनिधि के हाथ में सौंप दिया जाये।

माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सहकारिता मंत्री जी को एक सूचना देना चाहूंगा कि पिछले दिनों जयपुर के अन्दर पाली केन्द्र की एक जीप दुर्घटनाग्रस्त हो गयी जिसमें कस्तूर चन्द नामक ड्राइवर की मृत्यु हो गयी। उस समय वह वाहन

(श्री भैरूसिंह गुर्जर)

चला रहा था । आप इस बात की जांच करायें कि वह मृत्यु कैसे हुई । वह सरकारी जीप थी । माननीय सभापति महोदया, सहकारिता मंत्री जी से कहूंगा कि सरकारी जीप कैसे जयपुर में आई थी, उसमें कौन-कौन अधिकारी थे, वह अधिकारियों के रिश्तेदार थे या केवल जान-पहचान वाले थे । इस बात की सहकारिता मंत्री जी जांच करवायें कि उसकी दुर्घटना कैसे हुई ? दुर्घटना में मारे गये ड्राइवर को आपने क्या दिया, क्या कार्यवाही की ? इस बात की आप जांच करायें ताकि जब हम पाली जायें तो उनको जवाब दे सकें । इस तरह की दुर्घटना, सभापति महोदया, पहले भी हो चुकी है ।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, पाली सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के तहत एक करोड़ रुपये का लोन चल रहा है पिछले 3 साल के अन्दर, इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार जरूर थी । इसके पहले भी बहुत से लोन दिये गये हैं । इसका कोई पता नहीं है । आज आपको पता नहीं कि लोन किसे दिया गया है तो वसूली का तरीका क्या होगा ? सभापति महोदया, एक करोड़ रुपये का घाटा चल रहा है । वह को-ऑपरेटिव बैंक हैं जिसके माध्यम से गरीब लोगों को पैसा देने की योजना है । मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर उस लिपिक को जनरल मैनेजर बना कर बैठा दिया है, वह कुछ नहीं जानता है । एक जाति विशेष के लोगों को ऋण दिया जा रहा है । बैंक डिफाल्टर होता जा रहा है । जिनको ऋण मिलना चाहिए वह मुंह देखते रहते हैं । इसलिए मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि पाली जिला सहकारी समिति बैंक के तहत जो काम कर रहे हैं, वह 75 पर्सेन्ट डिफाल्टर हो चुके हैं । मैं सहकारिता मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि डिफाल्टर होने वाली चीज है, उसकी जांच करें, उस जनरल मैनेजर को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा अधिकारी बिठायें ताकि बैंक का कार्य सुचारू रूप से चल सके ।

माननीय सभापति महोदया, भूतपूर्व सरकार ने राजस्थान में भी सहकारिता बैंकों में अपने चमचे भर दिये हैं । पिछले 3 साल में कितनी नियुक्तियां हुई हैं ? एक जाति विशेष के लोगों को सारे बैंकों में भर लिया गया है । मैं उस जाति का नाम नहीं लेना चाहता जिसकी वजह से सहकारी बैंकों में कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ धड़ाधड़ बोल रहे थे । जनता पार्टी के प्रत्याशी उनकी गाड़ियों में घूम रहे थे । क्या इस काम के लिये गाड़ियां लगाई गई हैं ? आज भी सहकारी बैंक के लोग जानते हैं कि गरीब तबके के लोग कांग्रेस को वोट देते हैं । भूतपूर्व सरकार के जितने भी चमचे थे, बड़े-बड़े जागीरदार थे, उनके नाम पर फर्जी लोन दिया गया है । पिछले 3 सालों में नियुक्तियां हुई । उस समय उनकी सरकार थी । उस समय एक जाति विशेष के लोगों को सहकारी बैंकों में नियुक्ति दी गई । आप जांच करवाइये कि सहकारिता के नाम पर पिछले 3 सालों में नियुक्तियां हुई हैं ।

इसलिए मैं आपके माध्यम से सहकारिता मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि एक तो ड्राइवर कस्तूर चन्द, जिसकी जयपुर में दुर्घटना में मृत्यु हुई, उसकी जांच करवायें । माननीय सभापति महोदया, एक बात मुझे और याद आ गई । वह यह कि मार्केटिंग

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)
सोसायटीज के अन्दर ग्रामीण सहकारिता समिति होती है। वह अपना माल खरीदने के लिये मार्केटिंग सोसायटीज के पास जाते हैं तो पहले रुपया देना पड़ता है। लेकिन उनके पास रुपये का बन्दोबस्त होता नहीं है। उनको देर होती है। इसलिए, माननीय सभापति महोदया, मैं सहकारी मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसी कोई व्यवस्था करें जिससे कि मार्केटिंग सहकारी समितियों को पहले भुगतान करने की जरूरत न पड़े लेकिन उनको माल मिल जाये, ताकि उसको शीघ्र बेच सके और उसके पास जब पैसा आये तो वह चुका सके। एक बात और...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

निवेदन करना चाहता हूं कि जो सहकारी समिति का राशनिंग का कोटा है वह किसी व्यक्ति विशेष को दिया जाता है। इसमें घोटाला किया जा रहा है। भूतपूर्व सरकार का कोई आदमी हुआ, पिछले 3 सालों के अन्दर राशनिंग के कोटे दिये हैं। वह सब कोटे और लाइसेन्स कैन्सिल करके ग्राम सहकारी समितियों को दिये जायें। इसके साथ ही, आपने जो समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री देवेन्द्र सिंह।

श्री देवेन्द्र सिंह (बनेड़ा) : आदरणीय सभापति महोदया, मैंने सहकारिता के संबंध में कटौती प्रस्ताव दिया है। राजस्थान में सहकारिता एक कार्यक्रम के आधार पर शुरू हुआ। सहकारिता का कार्यक्रम नहीं एक मूवमेंट एक आन्दोलन के रूप में सहकारिता का विकास हुआ है। सहकारिता के संबंध में आलोचना करके उस कार्यक्रम को समाप्त नहीं किया जा सकता। कोई भी कार्यक्रम चलाया जाये तो उसमें कमियां निश्चित रूप से होती हैं। लेकिन केवल आलोचना करके, केवल उसकी बुराइयों की तरफ नजर डालकर उस कार्यक्रम के प्रति केवल असंतोष व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा।

सभापति महोदया, सहकारिता गांव के लिये है। सहकारिता के माध्यम से मेरा ऐसा मानना है कि गांव के विकास, गांव की आर्थिक स्थिति के लिये निष्ठा से काम किया जाये तो निश्चित रूप से सुधारी जा सकती है। मैं आलोचना की दृष्टि से नहीं, कुछ सुझाव राज्य सरकार को देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि राज्य सरकार उस पर गम्भीरता से विचार करके इसको आगे बढ़ाने में सहयोग देगी।

सभापति महोदया, जो ऋण सहकारी समिति के मार्फत को-ऑपरेटिव बैंक को दिया जाता है उसमें आम तौर से देखा गया है कि गरीब काश्तकार से हर वर्ष हर फसल पर निश्चित रूप से ऋण वसूल किया जाता है। उसका एडजस्टमेंट हो। लेकिन बड़े-बड़े लोग जिनका हजारों रुपये का लोन आज भी बकाया होगा, वहां के सब-इन्सपेक्टर या अधिकारी मिलकर के केवल उनसे ब्याज ले लेंगे और दस्तखत करा लेंगे और उनका ऋण एडजस्ट हो जायेगा।

आदरणीय सभापति महोदया, मैं आपके मार्फत राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप यहां आंकड़े इकट्ठे करें कि पिछले दो-ढाई सालों में शिड्यूल्ड कास्ट्स शिड्यूल्ड ट्राइब्स, पिछड़े वर्ग के लोग, मार्जिनल फार्मर लोगों से, कितने लोगों से ऋण वसूल

(श्री देवेन्द्र सिंह)

हुआ ? कितने लोगों से ऋण वसूल किया गया है ? कितने लोग ऐसे हैं जागीरदार सेठ-साहूकार, बड़े काश्तकार जिनकी जमीनें आज की तारीख में नीलाम की गई हो अथवा जिनसे ऋण वसूल किया गया हो ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत एक शिड्यूल्ड कास्ट के आदमी की जमीन साधारण आदमी खरीद नहीं सकता परन्तु बड़े दुःख की बात है कि सहकारिता विभाग पता नहीं किस कानून के तहत कहता है कि हम ऋण वसूल करने के लिये शिड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के व्यक्ति की जमीन बेच सकते हैं, नीलाम कर सकते हैं, उसको सवर्ण आदमी खरीद सकता है और व्यक्ति को जमीन से बेदखल किया जा सकता है, भूमिहीन बनाया जा सकता है ? पिछले दो ढाई साल में जो अन्त्योदय के नाम पर घपले हुए हैं, उनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अन्त्योदय के नाम से बहुत ऋण बांटा गया। उसके पीछे कौनसी एजेन्सी लगी हुई थी ? गरीब लोगों को ऋण देकर उलझाया गया। जिस व्यक्ति ने उलझाया, उसकी नजर गरीब काश्तकार की जमीन पर थी। वह ऋण उनसे नहीं चुकाया गया, आप आंकड़े उठा कर देखें तो पायेंगे कि जिस व्यक्ति ने ऋण नहीं चुकाया उनकी जमीन नीलाम हुई है और जिस आदमी ने उसको उलझाया उसी ने ही नीलामी में वह जमीन खरीदी और नीलामी से उतना ही रुपया वसूल हुआ जितना रुपया उसमें बाकी था जब कि अधिकारीगण यदि निष्पक्ष रूप से नीलामी करते तो काश्तकार के पास कुछ पैसा जाता।

सभापति महोदया, बहुत से वर्ष से भैंसों के नाम पर, ऊंटों के नाम पर, घोड़ों और बकरियों के नाम पर गरीब लोगों को ऋण दिए गए। मैं अभी अपने क्षेत्र में गया तो उनसे पता लगा कि भैंस का दूध तो क्या काश्तकारों ने भैंस का मूत भी नहीं देखा और आज वसूली हो रही है। पता नहीं कैसे भैंस आई, कहां गई ? मैंने जिलाधीश से निवेदन किया, एस. डी. ओ. और सहकारिता विभाग से निवेदन किया परन्तु अनेक लोग ऐसे हैं जिनसे वसूली की जा रही है और उनको मालूम नहीं कहां भैंस गई, कहां दूध गया, कहां उसकी हड्डी चमड़ी गई.

श्री हंसराज शर्मा : आप यह....

श्री देवेन्द्र सिंह : आपके कारनामें बता रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री शिव राम शर्मा : शर्म करो।

श्री सभापति : आप बीच में व्यवधान न डालें। जब आप बोलें तब कहें।

श्री देवेन्द्र सिंह : सभापति महोदया, मैं निवेदन इसलिये कर रहा हूं कि मैंने आमतौर से देखा है ऐसे गरीब लोगों को, मैं नहीं कहता कि बड़े अधिकारियों की या राज्य सरकार की ऐसी मन्शा हो सकती है लेकिन मैंने स्वयं ने गांवों में जाकर देखा है, गांव के लोगों को छुड़ाया है। उनके सिर पर पत्थर रख कर, उनको मुर्गा बना कर, वसूली गरीब भीलों से की जाती है। मंत्री महोदय, आप आदेश दें कि किसी व्यक्ति से थर्ड डिग्री मैथड के द्वारा वसूली नहीं की जाएगी। और यदि की गई तो हम उन अधिकारियों का मुकाबला करना चाहेंगे लेकिन थर्ड डिग्री मैथड बरदाश्त नहीं करेंगे।

(श्री देवेन्द्र सिंह)

सभापति महोदया, मैं अपनी बात समाप्त करूं उससे पहले मेरे क्षेत्र में दो बहुत बड़ी योजनायें सहकारिता के माध्यम से चल रही हैं, उनकी तरफ मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गुलाबपुरा को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल बहुत अच्छी स्थिति में है, कांग्रेस सरकार के समय में करोड़ों रुपये के लाभ में थी। यह मिल राजस्थान में ही नहीं देश में भी एक मात्र स्पिनिंग मिल है जो इतना बड़ा प्राफिट देकर सुचारू रूप से चल रही है। पिछले दो ढाई सालों में चर्चायें अखबारों के जरिये और जब गुलाबपुरा जाता हूं तो सुनने को मिलती है, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि वहां जो मैनेजिंग डाइरेक्टर लगाया जाए, वह कोई वरिष्ठ अधिकारी हो। वह मिल भी आज किसी भी निगम की हैसियत से कम नहीं। यदि किसी निगम में आई. ए. एस. अधिकारी लगाया जा सकता है तो वहां मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर निश्चित रूप से कोई सीनियर अधिकारी लगाया जाना चाहिये। उसके माध्यम से गुलाबपुरा का मिल सुचारु रूप से चले। संचालक मण्डल कैसा बने, यह राज्य सरकार के निर्णय करने की बात है, लेकिन मैं निश्चित रूप से चाहता हूं कि गुलाबपुरा का नाम जो आज देश में मशहूर है, वह कहीं समाप्त न हो जाए, कहीं गड़बड़ होकर करोड़ों रुपये के लाभ में जो मिल चल रहा है, उसका स्तर नीचे न गिर जाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि किसी सीनियर अधिकारी की मैनेजिंग डाइरेक्टर की पोस्ट पर नियुक्ति की जानी चाहिये।

दूसरे, मेरे क्षेत्र सवाईपुर, तहसील, कोटड़ी में फार्मर्स सोसाइटी है, इस सोसाइटी को रजिस्टर कराने में तत्कालीन मंत्री श्री शिव चरण माथुर और मैं जब पंचायत समिति का प्रधान था, हमने प्रयत्न किया। हम समझते थे कि फार्मर्स सोसाइटी के तहत बड़ौदा बैंक के माध्यम से कुछ काश्तकारों को, कर्ज मिले आम तौर से कहा जाता है कि सोसाइटीज में घपले होते हैं। 10 सोसाइटीज का एकीकरण करके सोसाइटी रजिस्टर करवाने के बाद बड़ौदा बैंक के एग्रीकल्चर अधिकारी मनीलाल ने उसमें लगन दिखाई और वह चाहते थे कि सोसाइटी फले फूले। हम भी चाहते थे कि उस क्षेत्र में जो अपने आप में एक बड़ी योजना है, राजस्थान में संभवत: एक दो होंगी, सबसे पहले वहां खुली लेकिन दु:ख के साथ कहता हूं कि किसी छोटी कोआपरेटिव सोसाइटी में 10-12 हजार का घाटा हो तो सरकार एक्शन लेने को तैयार रहती है। मुझे जानकारी मिली है कि सोसाइटी में उस समय के जो मैनेजिंग डाइरेक्टर थे श्री पगारिया, उसने तीन लाख का घाटा दिखाया। जब बड़ौदा बैंक के माध्यम से वह चले, एक ब्रांच मैनेजर के सहयोग से उसके बाद भी तीन लाख का घाटा हो और सहकारिता विभाग कोई एक्शन नहीं ले, मैं समझता हूं सोसाइटी व को-ऑपरेटि मूवमेंट के लिए यह शर्मनाक बात है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सोसाइटी की जांच कराई जाए, जिन अधिकारियों ने घपले किए हों, लापरवाही की हो, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए। बड़ौदा बैंक एक फाइनेंसिंग एजेन्सी है लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल को-ऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्ट्रार के पास है। इसलिए सोसाइटी की डिटेल्ड जांच करायें कि कहां पैसा गया, कैसे हुआ, क्या कारण था जिससे तीन लाख का सोसाइटी को घाटा हुआ?

(श्री देवेन्द्र सिंह)

मैं समझता हूं कोई कारण नहीं हो सकता। मैं आशा करता हूं कि इसकी जांच कराई जाएगी और सोसाइटी का आगे विकास हो ऐसा काम किया जायेगा। आपने समय दिया, मैं आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति श्री चाव खां (अनुपस्थित)

श्री बहादुर सिंह।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर): सभापति महोदया, मैंने जन-जाति क्षेत्रीय विकास पर कटौती प्रस्ताव दिया है और सहाकारिता पर प्रस्ताव दिया है। मेरा दानपुर क्षेत्र जिला बांसवाड़ा में है, वहां पूरे के पूरे लोग आदिवासी जन-जाति के रहते हैं। मेरे क्षेत्र में पिछले कई सालों से किसी प्रकार का विकास नहीं हो रहा है। उस क्षेत्र में कई प्रकार से सरकार की तरफ से प्लान लागू हैं पर आज तक उन कामों से मेरे आदिवासी क्षेत्र के लोगों को किसी प्रकार से न राहत मिल रही है न लोगों को आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता दिखाया जा रहा है। नही, सभापति महोदया, न शिक्षा की तरफ भी कोई वृद्धि हो रही है और न ही सिंचाई के कोई साधन वहां पर हैं। राज्य सरकार कि तरफ से सिंचाई के बारे में और दूसरे कामों के बारे में उस क्षेत्र में कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है। सभापति महोदया, इसके हिसाब से आदिवासी क्षेत्र के लोगों को आगे बढ़ाने के लिय मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज जन-जाति के क्षेत्र के विकास की बातें यहां पर वर्षों से की जाती हैं और जन-जाति विकास के लिये ऐसा कहा जाता है राज्य सरकार हजारों, लाखों और करोड़ों रुपये का बजट रखती है यह बजट न मालूम, सभापति महोदया, किस प्रकार से खर्च किया जाता है। न मालूम कैसे आदिवासी क्षेत्र के लोगों के नाम पर यह पैसा खर्च करते है, कैसे आदिवासी क्षेत्र के लोगों को मदद दी जाती है, इसका कोई पता नहीं चलता है। सभापति महोदया, राज्य सरकार ने ट्राईबल सब-प्लान भी उनके विकास के लिये बनाया है जो कि उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के लिये है। लेकिन, सभापति महोदया, हमारे आदिवासी क्षेत्र के लोगों के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा है। पिछले तीन साल से ट्राइबल सब-प्लान की तरफ से सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहूंगा, वहां पर बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्ज बन रही है जगह-जगह पर पैसा खर्च किया जा रहा है उनमें अधिकारियों के लिये बढ़िया सोफेसैट वगैरह रखे जा रहे हैं बड़े अधिकारी लोगों की सुविधा के लिये यह पैसा खर्च किया जा रहा है। उस पैसा का कोई फायदा ट्राइबल एरिया के लोगों के हिस्से में नहीं आता है। एक भी पैसा उनके लिये खर्च नहीं किया जा रहा है तो यह स्थिति इस ट्राइबल सब-प्लान के पैसा की हो रही है। सभापति महोदया, इस ट्राइबल सब-प्लान के अन्तर्गत बड़ी बड़ी स्कीम में राज्य सरकार के अधिकारी स्कीम शुरू कर रहे हैं। आज माही स्कीम जो चल रही है उसके पास भी एक स्कीम और बन रही है, वहां पर यह पैसा खर्च किया जा रहा है। माही डैम पर, माही नदी पर एक बड़ा ब्रीज बन रहा है जो कि करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये लागत का है। सभापति महोदया ट्राइबल सब-प्लान का पैसा जो कि ट्राइबल लोगों के उत्थान के काम आना चाहिये वह तो वहां पर ब्रीज बना कर खर्च किया जा रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? यह पैसा वहां पर खर्च क्यों किया जा रहा है? वह तो आदिवासी गरीब लोगों के ऊपर खर्च किया जाना

(श्री बहादुर सिंह)

चाहिये था वह नहीं किया जाकर वह पैसा ट्राइबल सब-प्लान का इस तरह की बड़ी बड़ी स्कीमें बना कर खर्च कर रहे हैं। वहां पर ट्राइबल सब-प्लान के अन्तर्गत जन-जाति के लोगों को धोखा दिया गया है। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि अगर राज्य सरकार जन-जाति क्षेत्र के लोगों का विकास चाहती है तो इसके लिये जो आपने क्राइटेरिया बनाया है उसको बदलना पड़ेगा। जैसा गवर्नमेन्ट ने क्राइटेरिया बनाया दूरी का तो मेरा निवेदन है कि आप हमारे वहां पर 3 किलोमीटर की दूरी परछोटी-छोटी प्राथमिक स्कूलें खोलें और वहां के लोगों को प्राथमिक शिक्षा दीजिये। इसके साथ वहां पर ग्राम पंचायत वार खेती के साधन जुटाने के लिये वहां के लोगों को प्रशिक्षण देना चाहिये। इसके साथ ही खेती के अन्दर किस प्रकार से सुधार हो सके उसके लिये वहां के लोगों को सिंचाई के साधन बढ़ाने के लिये उनकी आप मदद करें। आज हमारे वहां पर ट्राइबल एरिया में सिंचाई के साधन पर्याप्त नहीं हैं इसलिये खेती का कारोबार अच्छी तरह नहीं चल पाता है। इसलिये मेरा राज्य सरकार को यह सुझाव है कि आप वहां छोटे छोटे तालाबों बनायें ताकि वहां पर लोग उन तालाबों से खेती कर सकें। सभापति महोदया, वहां पर बड़े बड़े बान्ध तो बन नहीं सकते इसलिये छोटे छोटे तालाब बन सकते है और उनसे खेती अच्छी तरह हो सकती है खेती का विकास भी हो सकता है। इसी तरह मेरा यह सुझाव है वहां पर सार्वजनिक कुए ट्राईबल सब-प्लान के तहत धन खर्च करके बनाया जाने चाहिये। इससे काश्तकार खेती कर सकें। इसके अलावा सिंचाई के साधन जुटाये जाये, सभी, ट्राइबल सब-प्लान के तहत पैसा खर्च करके किया जाना चाहिये।

सभापति महोदय, सिंचाई विभाग की एक क्राईटेरिया है कि 50 एकड़ जमीन जहां पर होगी वहां पर तालाब बनायेंगे पर सभापति महोदय, हमारे वहां ट्राइबल एरिया में 50 एकड़ जमीन नहीं मिल सकती है। वहां तो सारा पहाड़ी एरिया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि पहाड़ी एरिया होने की वजह से वहां पर बहुत ही कम एरिया समतल मिल सकता है। इसलिये मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि आप उस इलाके में ट्राइबल सब प्लान के पैसों से छोटे छोटे तालाब बनायें। अगर वहां कहीं पर पानी नहीं रोका जा सके तो सरकार की तरफ से काश्तकारों की जमीन लेकर या सरकारी जमीन को लेकर काश्तकारों के लिये चौड़े कुए खुदवाये जायं और उन कुओं के माध्यम से काश्तकारों को खेती करने के लिये पानी दिया जाय। अगर आप यह व्यवस्था करेंगे तब तो वहां पर पानी काश्तकारों को खेती के लिये दे सकते है। इस प्रकार पानी मिल सकता है और वहां खेती का उत्पादन बढ़ सकता है।

सभापति महोदय, जैसा मैंने सुझाव दिया उस तरह से नही किया गया चाहे आप ट्राइबल सब-प्लान के तहत योजनायें बनायें, चाहे आप डी. पी. ए. पी. के तहत योजनायें बनायें उस क्षेत्र के लोगों को किसी प्रकार का फायदा नहीं मिलने वाला है और न ही वहां के क्षेत्र का उत्पादन ही बढ़ सकता है।

इसके अलावा, सभापति महोदया, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज ट्राइबल एरिया में शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल जो

(श्री बहादुर सिंह)

खोले जाते हैं उसमें राज्य सरकार का क्राइटेरिया बनाया हुआ है उसी क्राइटेरिया के अनुसार वहां पर स्कूल खोले गये हैं। सभापति महोदया, इस क्राइटेरिया के अनुसार जो स्कूल खोले जाते हैं वे जनसंख्या के आधार पर खोले जाते हैं। सभापति महोदया, आज वहां पर कोई सैकन्डरी स्कूल खोलना हो तो यह क्राइटेरिया है इससे वहां की जनसंख्या कम से कम तीन हजार होनी चाहिये पर सभापति महोदया, हमारे ट्राइबल एरिया में किसी गांव की जनसंख्या तीन हजार की नहीं मिल सकती है एक यहां रहता है दूसरा वहां पहाड़ पर रहता है इसके अलावा कुछ दूरी का भी उसमें क्राइटेरिया है। मेरा निवेदन है कि अगर आप ट्राइबल एरिया में सैकन्डरी स्कूल खोलना चाहते है और वहां सैकन्डरी स्कूलों की बहुत जरूरत भी है वहां पर जनसंख्या के आधार पर स्कूल नहीं खोले जा सकते है। मेरा निवेदन यह है, सभापति महोदया जन-जाति क्षेत्र में सैकन्डरी स्कूल खोले जायें तथा साथ में अधिक मात्रा में मिडिल स्कूल और प्राथमिक स्कूल्स खोले जाने चाहियें। इसके लिये मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को सुझाव देना चाहूंगी कि हर ग्राम पंचायत पर सैकन्डरी स्कूल, मिडिल स्कूल और प्राथमिक स्कूल खोले जाये। अगर आप क्राइटेरिया जो सब-प्लान ने बनाया है उसके अनुसार करेंगे तो आपका यह ट्राइबल सब-प्लान जो दस साल के लिये बनाया गया है फेल जायेगा। इसलिये मैं राज्य सरकार को आपके माध्यम से सुझाव देना चाहूंगा कि आप अपने इस क्राइटेरिया को बदलें और शिक्षा के विकास के लिये ग्राम पंचायत स्तर पर ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोलें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, इसी तरह मैं खेती के संबंध में निवेदन करना चाहूंगा कि इस हिसाब से बड़े और चौड़े कुएं खुदवाये जाय उसके साथ में जहां हो सके वहां पर छोटे-छोटे तालाब बनाये जायें जिससे कि काश्तकार खेती में फायदा उठा सकें बाकी। इसके अलावा, सभापति महोदया, सुझाव के रूप में मैंने जो लिस्ट बनायी है वह पेश कर रहा हूं जैसे जनजाति क्षेत्र में कहां-कहां पर स्कूल, कहां कहां पर तालाब और कहां-कहां पर औषधालय होने चाहिये। उसका भी उसमें सब वर्णन किया हुआ है दूरी के हिसाब से जो मैंने सुझाव दिया उसी के हिसाब से अगर राज्य सरकार काश्तकारों को वास्तव में ठीक तरह फायदा पहुंचाना चाहती है तो आपके इस किताबी माध्यम से विकास वहां का नहीं होगा। आपको वहां के लोगों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करना होगा। इसके अलावा जो मैं लिस्ट प्रस्तुत करता हूं आपको आप उसको आधार मानकर अगर कार्यवाही करेंगे, योजनायें वहां पर बनायेंगे तो मैं समझता हूं कि वहां के लोगों को काफी लाभ होगा, क्षेत्र का विकास होगा। मैं आपको लिस्ट पेश कर रहा हूं।

श्री सभापति : श्री महेन्द्रकुमार (अनुपस्थित)

श्री चतुर्भुज।

श्री चतुर्भुज (टोडाराय सिंह): सभापति महोदया, सहकारिता आन्दोलन से जितना लाभ मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। गवर्नमेन्ट के कानून के द्वारा बहुत से सम्पन्न लोगों ने फायदा उठा लिया और गरीब लोग वंचित रह गए। वह केवल कार्यकारिणी पर निर्भर था। एक सम्पन्न व्यक्ति अध्यक्ष बन गया और ? तक चलता रहा और बैंक भी उसको मानता रहा

(श्री चतुर्भुज)

और कर्मचारी भी उसको मानता रहा लेकिन असलियत कभी नहीं देखी कि क्या असलियत है। वह उनके तालमेल से बैंक से लाखों रुपया उठाता रहा। वह झूठा सिग्नेचर बना कर ऋण का वितरण बता दिया करता था। इस रीति से जो उसने लोगों के नाम झूठा ऋण मांडकर पैसा अपने पास रख लिया और नाजायज फायदा उठाया। बहुतसा नाजायज ऋण गरीबों से वसूल कर लिया। बहुत से लोग अभी भी लाखों रुपया ऋण का वापिस नहीं दे रहे हैं। वह सम्पन्न लोग हैं। वह दे भी सकते हैं लेकिन गवर्नमेन्ट लेना ही नहीं चाहती है। जब कोई अधिकारी वसूली के लिए जाता है तो उसको किसी भी तरह से राजी करके वापिस भेज देते हैं और कार्यवाही करा देते है। वर्षों तक बाजार से रकम लेकर बैंक में जमा कराता रहा और उस योजना से सहकारिता का काम चलता रहा मेरा कहना है कि कम से कम मेरे क्षेत्र में 50 प्रतिशत यह धंधा होता रहा। कई बार सुझाव देने पर भी सरकार ने कुछ कार्यवाही नहीं की यह दुर्भाग्य की बात है। वर्तमान नीति इस साल की शुद्ध नीति मालूम होती है। जो ऋणदाता के साथ फोटो का सिस्टम चालू कर दिया जिससे एक भी व्यक्ति गलत ऋण नहीं ले पायेगा। यह नीति पहले से ही होती तो कोई गलत काम नहीं होता। अगर यह बात पहले से ही होती तो लोग किसी तरह का नाजायज फायदा नहीं उठा सकते थे। आज का तरीका बिलकुल सही है।

दूसरी बात, मेरे क्षेत्र टोडारायसिंह के अन्दर जो गिट्टी का सिस्टम है जो सम्पूर्ण राजस्थान में लागू है वह वहां से आती है। अगर किसी प्रकार का सर्वे कराकर आज के युग के अनुसार मशीन से गिट्टी बनाने का काम चालू किया जाय क्योंकि यह विज्ञान का युग है तो वहां के गरीब मजदूर है उनको रोजगार मिल सकता है और उनकी आर्थिक हालत सुधर सकती है। इसके अलावा हमारे क्षेत्र में कीमती पत्थर भी निकलता है जो कि यहां जौहरी बाजार में आता है और जौहरियों के काम आता है। हमारे यहां के बीसियों लड़के यहां के जौहरियों के यहां काम कर रहे है। अगर सर्वे कराया जाये और पत्थर के बारे में मालूम हो जाये तो उससे संबंधित धंधा वहीं खोला जा सकता है और स्थानीय लोगों को और सरकार को उससे फायदा मिल सकता है।

इसके अलावा मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यहां जो वर्षों से रेल की व्यवस्था है वह पर्याप्त नहीं है और रैल वहां पहुंच कर वहीं से वापस आ जाती है। मैं मांग करता हूं कि यह रेल्वे लाइन टोडारायसिंह से देवली, जहाजपुर, शाहपुरा होती हुई भीलवाड़ा से मिला दी जाये, इससे लाखों रुपयों की सरकार को आय होगी और साथ ही लोगों को भी फायदा और सुविधा मिलेगी। इस लाइन के भीलवाड़ा तक नहीं होने से स्थानीय लोगों को काफी असुविधायें हैं। इससे सरकार को भी नुकसान हो रहा है और जनता को भी सुविधायें नहीं है। अतः मैं मुख्य मंत्री महोदय और राजस्थान सरकार को नम्र निवेदन करता हूं कि इस लाइन को भीलवाड़ा पहुंचाने की कार्यवाही की जाय।

हमारे यहां पर बीसलपुर परियोजना का सर्वे तो हो चुका है और उस पर 60 लाख रुपया सन् 1957 से सरकार का खर्च भी हो चुका है लेकिन उस योजना को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। जब तक उस योजना को पूरा नहीं किया जायेगा तब तक हमारे क्षेत्र

(श्री चतुर्भुज)—

में शांति नहीं होती । हमारे यहां से बनास नदी गुजरती है । यह योजना जब तक पूरी नहीं हो सकेगी तब तक अजमेर को जल प्रदाय की भली सुविधा नहीं मिल सकती । अगर यह बांध का काम सरकार जल्दी ही प्रारम्भ करे तो टोंक जिला और सवाई माधोपुर जिला दोनों ही कृषी के मामले में सम्पन्न हो जायेंगे और जल प्रदाय योजना की भी कमी नहीं आयेगी ।

श्री सभापति : श्री देवेन्द्र कुमार ।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा) : सभापति महोदया, मैंने आज सिंचाई और सहाकारिता पर मेरे कटमोशन पेश किये हैं । सभापति महोदया, भौगोलिक दृष्टि से देखा जाये तो अजमेर, से लगाकर बांसवाड़ा तक उदयपुर डिवीजन एक पहाड़ी एरिया के बीच में पहाड़ों में है । इस आधार पर वहां के आदिवासियों के लिए और खास तौर से उदयपुर में रहने वाले, उन तहसीलों में पहाड़ों के बीच में रहने वाले आदिवासियों के लिए सिंचाई की क्या योजना हो सकती है, उनकी आर्थिक हालत कैसे सुधार सकती है और उनको रोजगार किस तरह से मिल सकता है इसके बारे में आपके सामने, मैं मंत्री महोदय से अर्ज करना चाहता हूं ।

सभापति महोदया, आदिवासियों की आर्थिक हालत सुधारनी है तो उनको सिंचाई के लिए प्रोत्साहन देना होगा । छोटे-छोटे टुकड़ों की सिलाई करनी है तो हमारी सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी जैसे कि जो छोटे बांध पहाड़ों के बीच में हैं और थोड़ा पानी जाने वाला है उसको रोका जाये और कुएं खोदे जाने चाहियें । इसके अलावा उनका विकास किसी प्रकार से नहीं हो सकता ।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूं कि कहने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद जानते हैं कि आर्थिक हालत आदिवासियों की किस तरह की है ? हमारी सरकार इसके बारे में चिंतित है तो मेरा सुझाव है कि कुएं खोदे जायें और थोड़ा पानी जो बहकर जाता है, छोटे छोटे नाले हैं उनको बांध दिया जाय, उनके जरिये वहां कुओं में पानी आ सकता है और पानी से छोटे से टुकड़ों को सिंचित करके वहां आदिवासी अपना निर्वाह कर सकते हैं । सभापति महोदया, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि जनता सरकार के टाइम पर आदिवासी एरिया में पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए एक योजना तैयार की गयी थी और सिर्फ सात हजार रुपया मन्जूर किया था लेकिन मैं इस बात के लिए सहमत नहीं हूं । उस पहाड़ी एरिया में सात हजार रुपये से हमारे कुएं सही नहीं हो सकते और न वहां का आदिवासी कुआ खोद सकता है । मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उन आदिवासियों के लिये ज्यादा से ज्यादा 15 हजार तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक कुआ खोद नहीं सकते । सभापति महोदया, आपके द्वारा मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां ऐसा एरिया है कि वहां आवागमन के साधन नहीं । जो सरकार की मशीनरी वगैरह है उसको ले जाना चाहते हैं तो ले जा नहीं सकते । इससे पहाड़ी एरिया के लोग वंचित रह जाते हैं । कुएं खोद नहीं सकते । सरकार से जो पैसा दिया जाता है उसका दुरुपयोग होता है । इसका कारण क्या है ? जो ऋण दिया जाता है उससे खोदा नहीं जा सकता । कर्जा उसके ऊपर हो जाता है । सभापति महोदया, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र से मैं आया हूं, पहाड़ी एरिया है;

(106)

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)
मैं आपको निवेदन करूं, किसी भी आदमी को मैं ले जाना चाहूं, पैदल नहीं जा सकता, कुए खोदने में दिक्कत होती है। उस एरिया के लिये कुएं खोदे जायें।

अब मैं सहकारिता के बारे में आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदया, सहकारी समितियां द्वारा कुछ साल पहले और अभी भी हमारी गरीबी को दूर करने के लिये कांग्रेस सरकार का जो आन्दोलन था, जो विचार धारा थी उसका मैं स्वागत करता हूं परन्तु यह एरिया ऐसा है, मैं यह कहना चाहता हूं, सभापति महोदया, सरकार द्वारा आदिवासियों को जो ऋण दिया जाता है मैं उस ऋण के पक्ष में नहीं हूं। इसलिये नहीं हूं कि आदिवासी ऋण वापस कर नहीं सकता। क्योंकि यह सरकारी कर्जा है, चक्रवर्ती ब्याज पर चलता है। आदिवासी को खाने पीने की गुंजाइश नहीं है और गुंजाइश नहीं होने के कारण कर्जा ब्याज की दर से, बढ़ता जाता है। वह ऋणी हो जाता है और इधर उधर भटकता रहता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इसके बारे में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करती जैसी कांग्रेस सरकार ने महाजन का कर्जा माफ किया था? हमारी सरकार को चाहिये कि आदिवासियों पर जो कर्जा है उसको तय करके माफ कर दे। आदिवासी हमेशा-हमेशा के लिये आपके आभारी बने रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने जो खास बातें कही उनकी ओर आप पूर्ण ध्यान देंगे।

श्री सभापति : श्री मोहनलाल। कृपया टाइम का ख्याल रखेंगे।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : जितना आदेश देंगी।

सभापति महो यह हमने जो सहकारिता का मूवमेंट चलाया, यह आम जनता की सुविधा के लिये कि हम नागरिकों के जीवन की सुविधा पहुंचा सकें, कृषि को उन्नत कर सकें, सहकारिता के माध्यम से छोटी-छोटी इण्डस्ट्रीज लगा सकें इसके लिये यह सारा मूवमेंट चलाया था लेकिन आज इसका हमें मूल्यांकन करना है कि हम कहां तक सफल हुए हैं। क्या कर पाये हैं। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिये हमने इस मूवमेंट को चालू किया उसमें हम सफल नहीं हो पाये। मैं समझता हूं कि आज जितने भी साथी बोले हैं सिर्फ एक ही शब्द सब के दिमाग में उपज रहा है कि इसमें भ्रष्टाचार बहुत अधिक बढ़ा है। इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिये सरकार क्या प्रयत्न करेगी, यह सोचने वाली बात है। यह सहकारिता का जो माध्यम है इससे हम गरीब आदमी को हम ऊंचा उठाना चाहते हैं उसको सुविधा देना चाहते हैं। उसके अन्दर भ्रष्टाचार हो, झूठे लोगों के नाम पैसा लिख दिया जाय और फिर गरीब आदमियों से पैसा वसूल किया जाय। बजाय सुविधा देने के, उनकी उन्नति करने के इस माध्यम से नुकसान पहुंचाया, उनको कष्ट दिया। सभापति महोदया, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर यह भ्रष्टाचार जाकर कहां समाप्त होगा? पिछली जनता सरकार के जब भैरोंसिंह जी मुख्य मंत्री हुए उन्होंने बड़े जोर शोर से कहा था कि इस भ्रष्टाचार को जबड़े के निकलवा दूंगा, लेकिन मैं समझता हूं कि वह बजाय जबड़े से निकालने से बहुत ज्यादा घर कर गया। आपको बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी इसको कम करने के लिये। शायद निकालना तो मुश्किल है, कम करने में भी बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी।

(श्री मोहनलाल मोदी)

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह ग्राम सहकारी समितियां जो गांवों में बनी हैं मंत्री महोदय, बड़ी छोटी-छोटी समितियां बनी थीं। अब 2-3 ग्राम पचायतों को समितियों को मिलाकर उनकी समिति बना दी। उससे बहुत बड़ी तकलीफ हो गई। लोगों को 5-6 मील जाना पड़ता है। ग्राम सहकारी समिति के पास केवल शक्कर का काम रह गया है। इस शक्कर के वितरण के संबंध में बहुत घोटाले होते हैं, मंत्री महोदय से छिपे हुए नहीं हैं। फिर भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज हम दैनिक उपभोग की वस्तुओं को इन सहकारी समितियों की मार्फत देना चाहते हैं। आज स्थिति यह है कि जितनी भी चीनी आती है वह गांव वालों तक आधी भी नहीं पहुंच पाती। दूसरा इसमें क्य है, पंचायत हैडक्वार्टर पर यह माल नहीं पहुंचता है क्योंकि उसके रजिस्ट्रेशन में आपने किन्हीं दो पंचायतों की समिति बना रखी है। दूसरी पंचायत के हैडक्वार्टर पर लेने जाना पड़ता है। उसके अन्दर समय पर पहुंच नहीं पाते। इसके लिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम एक ग्राम पंचायत की एक सहकारी समिति बनाई जाये। मैं समझता हूं आप इस बारे में ध्यान देंगे।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्रय विक्रय संघ पंचायत हैडक्वार्टर पर बने हुए हैं। मेरे यहां जो क्रय-विक्रय समिति नीम का थाना में है, आपसे निवेदन करूं, बहुत बड़े घोटाले हैं। चीनी के चार-पांच बैगन खा गये। साफ हो गये। कहां चले गये, अब तक कुछ नहीं हो पाया। सारा का सारा राजनीति का अड्डा रहता है। पहले जनता पार्टी का अडा था, अब लोक दल का अडडा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारी समिति से इनको दूर कीजिये इनके चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। चुनाव की स्थिति ऐसी है जो लोग एक दफा आ गये, वह हावी हो जाते हैं। वे अपने आप चुनाव करा लेते हैं। मेम्बर बढा लेते हैं। हालत यह है कि मैं समझता हूं कि काफी अर्से तक चुनाव नहीं हो पाते। आपको एक तरीका अपनाना चाहिये। किसी आफिसर के जरिये इनके चुनाव करायें जायें और चुनाव करके इसमें सही लोग आ पायें। मैंने पिछली दफा, जब राम नारायण चौधरी सहकारिता मंत्री थे, उनको लिखकर दिया था कि मेम्बर नहीं बनाते हैं। उन्होंने मेम्बर मूवमेंट भी चलाया। वह सही रूप में चला नहीं पाये। अपने-अपने लोगों को मेम्बर बनाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारिता मूवमेंट को सही ढंग से चलाइये। सही आदमी इसमें पहुच सकें। इसमें जिन लोगों ने घपले किये हैं उनके खिलाफ कुछ कार्यवाही करें तो मैं समझता हूं कि लोगों को नसीहत मिलेगी। नीम का थाना में जो मामला चल रहा है, 7 रुपये का चीनी का भाव था। इतनी बड़ी रकम का घोटाला हुआ, इस ओर आप ध्यान दें।

अभी मैं आपसे निवेदन करूं कि श्याम-पुरा ग्राम सहकारी समिति का मामला है। 16 बोरी चीनी का कोटा लिया गया। ग्राम सहकारी समिति द्वारा 6 बोरी चीनी वहीं की वहीं सेल कर दी गई। मैंने एस.डी.एम. को निवेदन किया और टेलीफोन किया कि 6 बोरी सेल कर दी है। आप इसको चैक करायें लेकिन उन्होंने कहा, मेरे पास जो इन्सपेक्टर है या तहसीलदार है, उनको कहूंगा। इन्सपेक्टर की हालत ऐसी है कि वह तो जो वे बतायेंगे लिखकर ले आयेगा। आपके एस.डी.एम. जैसे आफिसरों की यह हालत है।

(श्री मोहनलाल मोदी)
मेरा निवेदन है जो इस प्रकार की गड़बड़ियां हैं, उनको सही करिये और जो आम आदमी को लाभ पहुंचाना है वह पहुंचाइये। यही निवेदन है।

श्री सभापति : श्री हरेन्द्र मिर्धा।

(अनुपस्थित)

श्री देवीलाल (शाहपुरा) : मैं सहकारी समितियों के बारे में जो छोटी मोटी बातां हैं और जिने मैं जानूं हूं वह अर्ज करूं—भीलवाड़ा जिला में शाहपुरा में जो सहकारी समितियां हैं वे करीब-करीब 50 हैं जी में पच्चीस में, आध्या में घोटाला है। यों है कि म्हारा गांव में कनेसन एक सहकारी समिति है ऊ के मायने जो मंत्री जी सहकारी समिति में काम कराया है और जो लोन देवे है, बीज देवे है, खाद देवे है और जो बान्ड फार्म भरे हैं पहली ऊ के मायने धनी का दस्तखत करावे है और बाद के मायने जो सामान देवे हैं व ऊ में मान्ड है। एक थैला खाद का लेवे तो ऊ के मायने में चार लिख देवे है। एक बोरी बीज लेवे तो ऊ में चार चढ़ा देवे है, ई प्रकार सूं गड़बड़ी करे है। बान्ड फार्म भरे तो धनी भी दस्तखत करे, गवाही का दस्तखत सेनानी करा लेवे और ऊ के बाद में सामान ने रजिस्टर में चढ़ावे। एक बोरी खाद की लेवे और चार ऊ के मायने लिख देवे। 80) रु. का बान्ड फार्म पर दस्तखत सेनानी कराई और ऊ पर 150) रु. निकल्या। एक साल पाछ्या एस्टीमेट करयो तो वही का वही धनी का दस्तखत करा लियां और 300) रु. निकाल दिया। तीसरी साल में वही 80) रु. का एस्टीमेट करयो और 400) रु. काड्यां। 80) रु. लिया ज्यां का पहली साल में, दूसरी साल में, तीसरी साल में रुपया 300, 400 और 500 काड दिया। सभापति जी, जो आदमी बाहर गयो तीन साल ऊ का नाम पर दस्तखत सेनानी कर रुपया निकाल्या। एक गरीब आदमी शिड्यूल्ड कास्ट का आदमी सूं ई तरह का वे करे, फेर ई बारां में सब गांव आला भेल्या हुआ और सहकारी समितियां रां इन्सपैक्टर, अध्यक्ष जी, मंत्री जी या और सारा ने भेल्या कर्‌या। वे सब आया वांके सामने वो गरीब आदमी कह्‌यो मैं तो 80) रु. लिया और ई ने म्हारा खाता में 400-500 रुपया चढ़ा दिया। कोई कहवे एक बोरी खाद ली और ई ने चार बोरी खाद चढ़ा दी। कोई कहवे एक थैलो लियो, ई ने 5 थैला चढ़ा दिया। जो सहकारी समितियां का काम करे वां ले कार्यकर्ता आया और एक 7-8 जना को आयोग बनायो जांच करावा ने और 7-8 आदम्यां में म्हारो भी नाम लिखा दियो ऊं आयोग में। अब आयोग बिठ्या दियो तो बान्ड फार्म पर ऊ धनी का दस्तखत सैनानी और दो गवाह का दस्तखत सैनानी सब मिल रह्‌या। धनी कहवे मैं तो एक ही बोरी ली। दूसरो कहवे मैं तो एक ही थैला लियो एक कहवें है मैं तो 80) रु. ही लिया हा। सारा कागजां ने आफिस में बिखेरया और सारी बात नें देखी और लोगों ने कहयो जो बात थे कह रहया हो या काई बात है थांका दस्तखत है, सैनानी है। जो ये कागज कहवे वा बात सही है। जद्‌या एक हरदेव चमार कहेयो म्हारो एक ही खातो है और मैं 80) रु. ही लिया हा, ई मैं झूंठ नहीं बोलूं म्हारा बेटा ने लेकर मन्दर चढ़ जाऊं, मैं 300-400 रुपया नहीं लिया-इतना में मंत्रीजी भरी बाल्टी ने उठा ली और कहयो कि थांका चार खाता है।

भगवान की दया सूं थोड़ी देर में मंत्रीजी

(श्री देवीलाल)

कागजा ने निकाल रहया छा जी में मंत्री-जी को प्राइवेट 73-74 को एक रजिस्टर मिलायो ऊ का हिसाब मिलयो। ऊ में जो धनी कहवे एक थैलो लियो तो एक ही मिल्यो, एक बोरी ली तो एक ही बोरी मिली, धनी कहवे 80) रु. लिया तो वाका भी 80) रु. ही मिल्या। बाकी तारीख और तिथि एक मिली। धनी कहवें दो कट्टा खाद है तो वा में दो ही कट्टा लिख्या मिल्या। मैं मंत्रीजी ने कहयो यो थ्हारो ओरिजनल हाथ को रजिस्टर है फेर ऊ बात ने मंजूर कर ली। 700 खाता था जी में करीब 116 खाता को हिसाब हुओ। 15 हजार रुपया निकल रह्या हैं ऊ ने भी मंजूर कर लिया। बाकी का बड़ा बड़ा आदमी, मोटा-मोटा आदमी दवाब राखयो कि नहीं अब आयोग नहीं बिठानो चाहवे। सरकार की तरफ सू आकर जांच करी, पाछे बन्द कर दिया।

म्हे कही 15 हजार की रसीदा कटावे तो थाना में नहीं देवां। 700 खाता में 116 का हिसाब हुओ और करीब 15 हजार रुपया अब भी निकले है। मैं सदन में खड़ो होकर कह रहयो हूं झूठ नहीं बोलूं वां गरीब काश्तकारां का 14-15 हजार रुपयां अब भी है..

(समय—समाप्ति—सूचक घंटी)

जो कोटा सू 3-4 ट्रक घास का लाया वा में एक ट्रक ने फर्जी रूप में बेचे दिया सरकार का ही रुपया था वां की बात तो दूजी है लेकिन जो म्हांरे साथ में अन्याय हो रह्यो है वा को फैसला आप जरूर करा देवो।

जनता पार्टी का मुख्य मंत्री साहब और मंत्री साहब मेघवाल साहब कने और जयपुर से भीलवाड़ा 12 जगहां आदमी मार्‌या मार्‌या फिरे है बाकी रजिस्ट्रियां कराई जाकि नकलां म्हारे पास पड़ी है। आज तीन साल हो गया और जो जांच कराई तो सरकार ने बाकी का खाता की मांग करी और मंत्री पर मुकदमो लगायो तो ऊ का पाछे 182 लगाया...

(समय—समाप्ति—सूचक घंटी)

ऐसी हरकतां हाल चाल रही है। अब दो साल में, चाहे तीन साल में गरीब काश्तकारों का मामला ने सुलझावो वां का खाता नीलाम करया है बीज के मायने जी में आयोग बैठ्यो...

(समय—समाप्ति—सूचक घंटी)

श्री सभापति : घंटी बज रही है।

श्री देवीलाल : ई वास्ते म्हारी अर्ज है जो सहकारी समितियां में घोटाला है वाकी पूरी जांच करावो, और काई फैसला करावो, जो उन गरीबों का पैसा जो उन लोगों को दिया, उसका फैसला करावो और बाकी जांच करावो। अगली बात या है म्हारी। अब मैं समाप्त करूं हूं और स्थान ग्रहण करूं हूं।

श्री सभापति : श्री तावड़।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : सभापति महोदय, मुझे मालूम है कि आप जल्दी घण्टी बजायेंगी। मेरे भी 3 कटौती प्रस्ताव आज हैं। मैं सभापति महोदया, चाहता हूं टाइम थोड़ा ज्यादा मिले।

(110)

श्री **सभापति** : टाइम 10 मिनट मिलेगा, 3 क्या आप 15 रख लें।

श्री **मेघराज तावड़** : सभापति महोदया, आज सहकारिता के ऊपर कटौती प्रस्ताव मेरा है। इसके लिए बहस आज चल रही है, आप भी सुन रही हैं कि राजस्थान में एक गांव और एक कोने में ही नहीं, पूरे राजस्थान में, जो माननीय सदस्य अभी यहां हैं और जिन्होंने अपने विचार रखे, सब ने करीब-करीब यही विचार रखा कि सहकारिता आन्दोलन चाहे वह जनता पार्टी का राज हो, चाहे कांग्रेस का राज हो, सहकारिता आन्दोलन कांग्रेस के राज्य में प्रारम्भ हुआ और उन्हीं के समय में घोटाले हुए हैं और उसमें पहले जो थोड़ी बहुत कमी जनता पार्टी के राज में पूरी हो गयी। सभापति महोदया, गांवों के लोगों ने यह समझकर ऋण लिये थे कि उनका कर्जा उतर जायेगा। सरकार ने भी इन सोसायटियों को इसलिए प्रारम्भ करवाया कि गरीब लोगों को कर्जा देकर उनको मुक्त किया जाय। लेकिन हुआ क्या, उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। सहकारी सोसायटी और सहकारी समिति बनी, इसमें गुण्डे लोग घुसे। सूदखोर लोग सोसायटी के अध्यक्ष और मन्त्री बने और तमाम गरीब लोगों को सदस्य बना करके उनके नाम का पैसा सोसायटी से उठा लिया गया। कहीं तो सदस्य बने ही नहीं। कहीं-कहीं उनके हाथ और पांव के अंगूठे लगा-लगाकर पैसा ले लिया गया और आज वसूली उन गरीब लोगों के नाम पर आ रही है। सभापति महोदया, मुझे कहते हुए बड़ा दुःख होता है कि आज जो सरकार आदिवासी और हरिजनों की बात करती है आदिवासी इलाकों में, यह पूरे राजस्थान की बात है लेकिन मैं केवल उदयपुर जिले की ही बात बताना चाहूंगा। जहां-जहां भी सहकारी समिति बनीं, उनमें आदिवासियों ने लोन नहीं लिये और आज लोन इस तरह से वसूल किये जा रहे हैं कि ऋण वसूल करने में उनके सिरों के ऊपर या पीठ पर पत्थर रख-रखकर वसूल कर रहे हैं। उनकी गाय और भैंसों को बेचा जा रहा है उनकी नीलामी की जा रही है। सहकारिता आन्दोलन से आज सबसे ज्यादा आदिवासी और गरीब आदमी और ज्यादा गरीब हुआ है। सभापति महोदया, क्योंकि आपके पास भी समय नहीं है। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि आज जो सहकारी समिति का कर्जा और भूमि विकास बैंक का कर्जा, इसी प्रकार का और कर्जा सूद खोरों ने उठा लिया, तो मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि सबसे पहले आपकी सरकार द्वारा बंगाल महाराष्ट्र और केरल की तरह से जो छोटे लघु किसान हैं, सीमान्त किसान हैं उनके पुराने कर्जे, सहकारी समिति और भूमि विकास बैंक के कर्जे है वह तमाम कर्जे माफ कर दिये जायं ताकि आज गरीब किसान जो ऊपर उठने के बजाय ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं उससे बच पायें। सभापति महोदया, मैं चाहूंगा कि सहकारिता में सुधार लाने के लिए आज जो लोग आपके भूमि विकास बैंक में और सहकारी समिति के इन्सपेक्टर हैं उन लोगों ने सोसायटी में और कर्जा लेने-देने में घोटाले किये हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता

(श्री मेघराज तावड़)

हूं, माननीय सभापति महोदया, मैं गोगुन्दा से हूं। गोगुन्दा में एक सोसायटी है, गोगुन्दा ग्राम सभा सहकारी समिति उसमें जनता पार्टी के तहसील के अध्यक्ष हैं उनके पास सहकारी सोसायटी के मन्त्री थे। सभापति महोदया, 5 साल पहले वह सोसायटी में थे 5 साल पहले सोसायटी छोड़ चुके थे। उसके बाद आज ये सोसायटी की वसूली आयी, तो लोगों ने कहा कि हमने तो कर्जा लिया ही नहीं। तो, सभापति महोदय, कच्ची रसीदें दे दीं और चार साल के बाद पक्की रसीदें दीं। जब वसूली होने लगी तो हम लोगों ने इसके विरोध में आन्दोलन किया और कलेक्टर के यहां उदयपुर में जांच करवाई तो एक लाख तीस हजार का घोटाला किया। जिस शख्स ने एक लाख तीस हजार रुपये का घोटाला किया उसको जेल में भेजना चाहिए लेकिन जनता पार्टी के राज में जनता पार्टी के अध्यक्ष थे उनके भाई को बचाने के लिए कार्यवाही नहीं की गयी। आज वही शख्स कांग्रेस के राज में कांग्रेस के लोग, आज के जो मन्त्री हैं उनसे आकर इस तरह का ऑर्डर ले गये। ये 5–6 लोग ऐसे हैं कि वहां गरीब लोगों के हितों की रक्षा नहीं हो रही है। सभापति महोदया, मुझे कहते हुए शर्म आती है जनता पार्टी के टाइम में जिन लोगों ने घोटाले किये कांग्रेस के मिनिस्टरों की चमचागिरी करके जेल में जाने के बजाय वे उधर चले गये। मैं चाहूंगा, मन्त्री महोदय, ऐसे केसों में जो कालाबाजारी करने वाले हैं चाहे वे सोसायटी का घोटाला करने वाले हों, ऐसे लोगों को सजा देने के बजाय बचाने की कोशिश न करें। इसी तरह कांग्रेस के सरपंच हैं वहां के उन्होंने, सभापति महोदया, चार बोरी शक्कर का घोटाला किया। जब चाबी मांगी तो चाबी नहीं दी और तीन बोरी लाकर डाल दी और एक बोरी का घोटाला किया। वे लोग भी यहां पहुंच गये तो, सभापति महोदया, मेरा जो विधान सभाई क्षेत्र है वह बहुत पिछड़ा इलाका है, वहां पर न तो रोजगार है, न कोई सड़क है। किसी तरह भी वहां लोगों की हालत अच्छी नहीं है। वहां के सूदखोरों ने, मैं नाम लेने में नहीं हिचकिचाऊंगा, वहां के लोगों जिनके कहने से वहां का बच्चा-बच्चा पुलिस के कहने में है और बच्चा-बच्चा उनसे डरता है ने सोसायटी का घोटाला कर रखा है, आपका जनता पार्टी का राज आया तो वे जनता पार्टी के सदस्य हो गये और स्वतन्त्र पार्टी की ताकत थी तो वे स्वतन्त्र पार्टी में चले गये और वापस कांग्रेस का राज है, स्वतन्त्र पार्टी की पहले की बात कर रहा हूं, उसमें चले गये और कांग्रेस का राज आया तो वापस कांग्रेस के साथ हो गये। महज इसलिए कि वह अपने घोटालों को छिपाना चाहते हैं। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि गोछड़ा, गोगुन्दा और जालोर के इलाके में जिन जिन सोसाइटियों का कर्जा है और जिन गरीबों से वसूल किया जा रहा है जब तक जांच नहीं की जाय तब तक उनकी वसूली नहीं की जाय। सभापति महोदया, मैं अपना सुझाव इसमें इस तरह से देना चाहता हूं कि आज वास्तव में हम लोगों को सहकारिता आन्दोलन को सफल बनाना है तो, सभापति महोदया, सबसे पहले मैं चाहूंगा, मेरी मांग भी है सरकार से कि पुराने कर्जे खत्म करें, खत्म करने के बाद गांव के लोगों को शिक्षित

(112)

(श्री मेघराज सावड़)

करके, गांव के लोगों को ट्रेनिंग देकर, उनमें ईमानदार लोगों को लगाकर और सूदखोर लोगों को दूर रखकर, गरीब किसानों को जो ईमानदार हैं और कुछ पढ़े लिखे हैं उनके हाथों में सोसायटी का काम सौंपा जाय और उन्हीं के जरिये सोसायटी का काम चलाया जाय। उन्हीं को कर्जा दिलाया जाय ताकि सहकारिता आन्दोलन जो है वह सफल हो सके और गांव-गांव में जिस तरह से आज लोगों को सूदखोरों द्वारा लूटा जा रहा है उनसे भी बचाया जा सके। जो अधिकारी हैं मुझे मालूम है, सभापति महोदया, पहले-पहले जब लोन लेने आये थे तो बेचारे काश्तकार को मालूम नहीं था लेकिन मुर्गा, बकरा कटता रहा। उन्हीं का पैसे से एक हजार उसने लोन लिया और दो सौ रुपये लेकर घर गया और आठ सौ रुपये खाने पिलाने में चले गये। आज उसकी डबल वसूली हो रही, सभापति महोदया, कर्जे माफ करने की बात तो सही है लेकिन अगर कर्जे माफ नहीं करते तो कम से कम दुगुने कर्जे की वसूली तो मत करो। आप कहते हैं कि और वसूली नहीं कर सकते, सभापति महोदया। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिसका पुराना कर्जा किसी सूदखोरों या महाजन या व्यापारी का है, उस पर कहते हैं कि तीन साल के पुराने कर्जे खत्म हो गये। सभापति महोदय, सरकार के भी पुराने कर्जे 52 से आज तक चले आ रहे हैं, क्या आज तक वे कर्ज जमा नहीं हुए। इसलिये ऐसे पुराने कर्जों पर जो ब्याज पर ब्याज चक्रवर्ती ब्याज लगा कर इस गरीब किसानों के साथ अत्याचार और जुर्म किये जा रहे हैं, उसको रोका जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अभी, सभापति महोदया, मेरे जन-जाति क्षेत्र के विकास के बारे में तीन कटौती प्रस्ताव हैं। सभापति महोदया, जन जाति क्षेत्र विकास एजेंसी और जन-जाति क्षेत्र डवलपमेंट एजेंसी उदयपुर में क्रियेट की गई है, सभापति महोदया, आदिवासी, हरिजन, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। सरकार ने आजादी के समय से ही इन हरिजनों और आदिवासियों का नाम ले-लेकर ऐसे-ऐसे बहाने कर अपने स्वार्थ सिद्ध किये हैं। आज आदिवासियों की क्या हालत है? तीस साल तक तो कांग्रेस के राज में और ढाई साल तक जनता पार्टी के राज में शोषण किया है। चाहे पार्टी कोई भी हो, जनता पार्टी आयेगी तो वे हरिजनों और आदिवासियों का नाम लेंगे और अगर कांग्रेस वाले आयेंगे तो हरिजन और आदिवासियों का नाम लेंगे। भलाई करने की चिन्ता किसी को भी नहीं है। सत्तापक्ष वाले तो इनको कहेंगे कि तुम ने यह किया और विरोधी पक्ष वाले इनको कहेंगे कि तुम ने यह किया, तुम्हारे समय में यह हुआ। लेकिन यह बड़ी विडम्बना की बात है, सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि दोनों ने, ही एक ही तरह से हरिजनों और आदिवासियों का नाम लेकर जिन्दा रहने की कोशिश की है और अपने वोट पकाना चाहते हैं, राजनैतिक खिचड़ी पकाना चाहते हैं। सभापति महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि हरिजनों और आदिवासियों का विकास करना है तो उनके लिए सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन वोट लेने के बाद में उनके लिए किया कुछ भी नहीं गया। आज जन-जाति क्षेत्र विकास का आफिस खुला

(श्री मेघराज तावड़)

है उदयपुर में। मैं निवेदन करूंगा कि आपको भी, सभापति महोदया, उसको देखने का मौका मिला होगा क्योंकि वह आपके वहां से भी नजदीक है। आप जाकर देखें आदिवासियों के विकास को, आदिवासी जो पहाड़ों, जंगलों में बसे हुए हैं, आज भी घोड़ों और ऊंटों पर सामान लेकर जाते हैं। उनके पास आने-जाने का साधन नहीं है, आवागमन के साधन नहीं हैं। आज ऐसे भी इलाके हैं जहां के लोगों ने आज तक शहर नहीं देखे और रेलगाड़ी नहीं देखी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आजादी के तीस वर्ष बाद भी आज यह हालत है। सभापति महोदया, आज जो शीश महलों में बैठ करके वहां के लोगों के, आदिवासी लोगों के विकास की बात करते हैं, आज जो जनजाति क्षेत्रीय विकास एजेंसी और आदिवासी डवलपमेंट एजेंसी में लगे हुए हैं उन लोगों का वहां के लोगों से और आदिवासी लोगों से कोई वास्ता नहीं है। ऐसे लोगों को उनमें भर्ती कर रखा है जो आदिवासियों की समस्या के बारे में कुछ नहीं समझते। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि करोड़ों रुपया आदिवासियों के नाम पर खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वास्तव में खर्च करना है तो कहां-कहां पर और किस तरह से खर्च किया जाना चाहिए, वहां की भौगोलिक स्थिति क्या है, वहां की आवश्यकतायें क्या हैं, इनको समझ कर खर्च किया जाना चाहिए। उनके कमीशन का और आदिवासियों के मैनेजमेंट का काम उनके हाथ में सौंपना चाहिए। सभापति महोदया, कौनसा इलाका कैसा है? किस जगह पर आवश्यकता है और कौन-सी जगह आदिवासियों की सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई है, इस बात को लेकर उनका सर्वे कराया जाना चाहिए। सभापति महोदया, आप घण्टी बजाने की उतावली में हैं लेकिन मैं फिर कहता हूं कि आप मुझे अपनी पूरी बात कहने दीजिए। मेरे आदिवासी इलाके के अन्दर न तो कोई सड़कें हैं, न पीने के पानी का व्यवस्था है, न कोई रोजगार है। जन जाति विकास निगम ने लैंड सोसायटी कायम की है, इसलिए कि उनके सामान की खरीद हो और व्यापारियों के शोषण से बचाया जाय। लेकिन मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है केवल कागजों में आंकड़े दे दिए हैं। आज लैंड सोसायटी का दफ्तर खोल दिया है। मैं आपको बताऊं सभापति महोदया, आज वहां पर सफेद मूसली निकलती है। वह सफेद मूसली पचास रुपये किलो, चालीस रुपये किलो में व्यापारी लेता है और आपका निगम 25) रु. और बीस रुपया किलो देता है। कहां है उनकी शोषण से मुक्ति। सभापति महोदया, मैं कहना चाहूंगा कि शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए जो आदिवासी डवलपमेंट कमीशन है, जो ट्राइबल डवलपमेंट एजेंसी है उसके अन्दर वास्तव में...

श्री **सभापति** : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें, बहुत समय हो गया है।

श्री **मेघराज तावड़** : आदिवासी कमीशन में ऐसे व्यक्तियों को लगाया जावे जो वहां की भौगोलिक परिस्थिति को देख सकें, वहां की आर्थिक स्थिति को देख सकें और वहां पर कुछ काम कर सकें, ऐसे लोगों

(११५)

(श्री मेघराज तावड़)
को वहां पर लगाया जाय.. :

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री **सभापति** : माननीय सदस्य, समाप्त करें ।

श्री **मेघराज तावड़** : सभापति महोदया. एक बात और कह रहा हूं । उस इलाके में अगर वास्तव में उनका विकास करना है तो छोटे-छोटे एनीकट बनाए जावें और उनको कुओं के लिए धनराशि नहीं देकर उनका कुआं खोद कर दिया जावे । उनके क्षेत्र में एनीकट बांधे जावें। उनकी चिकित्सा की व्यवस्था हो । आज उन गरीबों के यहां कोई बीमारी हो जाय तो वे अपना इलाज नहीं करा सकते । सभापति महोदया, उनके पास ताकत नहीं है कि वे अपना इलाज करा सकें । मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता लेकिन राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरे विचारों पर गौर करें क्योंकि उसी जमीन का मैं आदमी हूं। गरीब की झोंपड़ी से मैं आता हूं। मैं मेरी पार्टी का एक ही सदस्य हूं, पहला कम्युनिस्ट सदस्य हूं इसलिये मेरी पार्टी को आपको कम से कम पूरा समय देना चाहिये ।

श्री **सभापति** : माननीय सदस्य, सारी पार्टीज को जितना समय दिया जा रहा है। उसी के अनुसार आपको समय दिया । अब समाप्त करिये ।

श्री **मेघराज तावड़** : रोजगार के बारे में दो-तीन बातें कह कर समाप्त करता हूं । उदयपुर में जिप्सम काफी मात्रा में मिलता है इसलिये जो खाद का कारखाना सवाई माधोपुर में लगाने की बात है वह अगर उदयपुर जिले में लगाया जावे क्योंकि वह आदिवासी इलाका है। आज आदिवासियों के पास जीविकोपार्जन के साधन नहीं हैं इसलिए अगर यह कारखाना वहां लगता है तो आदिवासियों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा। उनकी माली हालत ठीक होगी और उनका विकास होगा। अगर वास्तव में सरकार चाहती है कि उनका विकास हो । इसलिये मैं चाहूंगा कि यह खाद का कारखाना उदयपुर में लगाया जावे और श्रम के आधार पर सामाजिक सुरक्षा की बात है तो मैं कहता हूं कि गरीब घर के छोटे छोटे बच्चे, शहरों में जाते हैं। 14-14 साल के बच्चे, 12-12 साल के बच्चे..

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

उनको होटलों में लोग मारते हैं, प्लेट टूट जाय, गिलास टूट जाय तो उनको मारा जाता है। उनके साथ कोई रियायत नहीं की जाती । सभापति महोदया, मुझे मालूम है कि आप बहुत ज्यादा उतावली हो रही हैं लेकिन कम से कम जो गरीबों की हालत है शहरों में उनके साथ अमानवीय व्यवहार होता है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री **सभापति** : माननीय सदस्य, मैं निवेदन करती हूं कि अब आप समाप्त करें ।

श्री **मेघराज तावड़** : मुझे थोड़ा-सा टाइम दे दें ।

श्री **सभापति** : टाइम आपको पूरा दे दिया गया है !

श्री मेघराज तांवड़ : तो, सभापति महोदया, मैं अन्त में फिर पुरजोर मांग कर रहा हूं और आपके जरिये से सरकार से मांग कर रहा हूं कि बंगाल में आज भी गरीबों के पुराने कर्जे खत्म किए गये हैं, उसी तरह से राजस्थान सरकार भी गरीबों के पुराने कर्जे समाप्त करें। जो आदिवासी हरिजनों पर पुराने कर्जे हैं उनको एक मुश्त माफ किया जावे ताकि वास्तव में उनकी उन्नति हो सके। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामधन !

(अनुपस्थित)

श्री भैरूंलाल !

(अनुपस्थित)

श्री नाथूराम !

(अनुपस्थित)

श्री गोकुलचन्द !

(अनुपस्थित)

श्री देवीदत्त !

(अनुपस्थित)

श्री भालूखां !

(अनुपस्थित)

श्री केसरीचंद !

(अनुपस्थित)

श्री गोविन्दसिंह ! श्री रामसिंह !

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : माननीय सभापति महोदया....

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदया, मेरा निवेदन है कि इस प्रकार से 9-9 सदस्य अनुपस्थित रहें, यह बड़ा शोचनीय विषय है। आज चार-चार डिमाण्ड्स हैं और 4 तारीख की डिमाण्ड पर भी हम विचार करने बैठे हुए हैं। 14 तारीख की कार्यवाही भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। सहकारिता का विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अन्दर कांग्रेसी बेंचेज से लगातार 9-9 व्यक्ति अनुपस्थित रहें, यह विधान सभा के लिए लज्जाजनक बात है। विधान सभा की गरिमा के विरुद्ध बात है...

(व्यवधान)

माननीय सभापति महोदया, आप इसकी गंभीरता को समझें...

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें। मैंने गंभीरता को समझ लिया है।

श्री दाऊदयाल जोशी : आखिर हम यहां बैठे किसलिए हैं ? क्या केवल पचास रुपये मात्र लेने के लिए यहां आते हैं ? हम जनता के हितों के लिए जूझने के लिए, जनता की बात कहने के लिए यहां आए हैं। 9-9 माननीय सदस्यों के नाम पुकारे जायें और वे अनुपस्थित रहें, यह बहुत ही सोचने की बात है।

(व्यवधान)

यहां भाषण देने नहीं आए हैं। आपका भाषण सुनने के लिए नहीं आए हैं और न भत्ता लेने आए हैं।

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। श्री गोविन्द सिंह !

श्री दाऊदयाल जोशी : काहे की आदत सुधारें ?

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री अनंग कुमार जैन: सदस्य मंत्री महोदय के बंगले पर ट्रांसफर के लिये चक्कर काटते हैं

श्री सभापति : श्री गोविन्द सिंह !

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : आदरणीय सभापति महोदया, मैंने सहकारिता, श्रम और समाज कल्याण विभाग पर अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, उनके समर्थन में मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। सहकारी आन्दोलन हमारे प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से शोषण से बचने के लिए लागू किया जाय और इस शोषण से, जो बिचौलियों द्वारा हमारे देश में किया जा रहा है, मुक्ति पाने के लिये एक व्यावहारिक तरीके से लागू किया जाय।

सभापति महोदया, जिस तरीके से यह सहकारिता आन्दोलन हमारे प्रदेश में चल रहा है उसको देखकर ऐसा लगता है कि यह सहकारी विभाग नहीं है, बल्कि सरकारी विभाग है। गत तीन साल से करीब-करीब प्रत्येक सहकारी संस्था में सरकारी अधिकारी बैठे हुए है। सरकारी अधिकारी जिन के शोषण की मुक्ति के लिये यह आन्दोलन चलाया गया था, वापस यह आन्दोलन उन्हीं के पंजों में पहुंच गया है। मैं मंत्री महोदय से, आपके माध्यम से, निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदया, जितनी जल्दी हो सके, इस सहकारी विभाग को सरकारी अफसरों के पंजों से मुक्त करने के लिये कार्यवाही करें।

सभापति महोदया, सहकारी आन्दोलन की हमारी सबसे छोटी इकाई ग्राम सहकारी समिति है। इन ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गत कुछ वर्षों में इस तरह से पुनर्गठन किया गया है कि अब वह तीन-तीन, चार-चार गांवों को मिलाकर एक ग्राम सेवा सहकारी समिति बना दी गई है। उसका नतीजा हो रहा है, जो लाभ ग्रामीण निवासियों को मिलना चाहिए था, वह नहीं मिलकर, अलग-अलग गांवों की व्यवस्था होने के कारण, उनको और परेशान होना पड़ रहा है और वह इस वितरण के माध्यम से चीजें प्राप्त करने के लिये एक गांव से दूसरे गांव में परेशान होते नजर आते हैं।

सभापति महोदया, हमारी जो सहकारी समितियां गांवों में बनी हुई हैं, उनके मुख्य ध्येय आवश्यक वस्तुओं का, नियंत्रित वस्तुओं का वितरण करना है। इस वितरण व्यवस्था में जो कि मूल आधार है, जो ग्राम सेवा सहकारी समिति है, उसकी वित्तीय स्थिति बहुत ही कमजोर है और बहुत ही संकटपूर्ण है। बहुत सारी सहकारी समितियां, ग्राम सेवा सहकारी समितियां एक तरह से समाप्त हो चुकी है। वहां पर वही बिचौलिये जिनसे मुक्ति पाने के लिये यह आन्दोलन प्रारम्भ किया गया था, अपना शिकंजा गांववासियों पर जमाये हुए हैं।

मैं निवदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि इन मृत प्राय: ग्राम सेवा सहकारी समितियों को पुनर्जीवित करें, उनको जीवन-दान दें और जो बुराइयां उनका बड़ा लम्बा अंत करके कर दी गई हैं उनको दूर करके प्रत्येक ग्राम के आधार पर एक ग्राम सेवा सहकारी समिति बनाने की योजना बनाएं और उस योजना को अमल में लाया जाये ताकि इस सहकारिता आन्दोलन का लाभ गांव के गरीब आदमी, आम आदमी को मिल सके।

सभापति महोदया, जैसा मैंने निवेदन किया कि वित्तीय स्थिति इन ग्राम सेवा सहकारी समितियों की बहुत ही खराब है। अभी मुझे ज्ञात हुआ है कि करीब 3 करोड़ रुपये सहकारी विभाग को इस हेतु मिले

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

हैं कि जो उनके नीचे की शाखाएं हैं उनको मजबूत करने के लिये रिवाल्विंग फण्ड के नाम से उनको प्रस्तुत करें ताकि जो धन की आवश्यकता है जैसे स्कीम में कभी शक्कर आ जाती है, देखा जाता है कि उन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पास पैसा नहीं होता है और नतीजा यह होता है कि वह सहकारी समिति उधार लेकर, किसी से उधार लेकर या दूसरे तरीके से नहीं कर सकती है तो नतीजा यह होता है कि वह वितरण व्यवस्था जो सुचारु रूप से चलनी चाहिये थी, वह नहीं चल पाती है और सारा दोष सरकार का होता है। ग्राम आदमी को नुकसान हुआ वह भुगतान पड़ता है।

अतः मैं निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री महोदय, से कि इन ग्राम सेवा सहकारी समितियों को सुदृढ़ करने के लिये उचित कदम तत्परता से उठाकर उनको सुदृढ़ करें।

सभापति महोदया, जो ऋण वितरण करने की व्यवस्था सहकारी बैंकों की है, वह भी खराब है। अभी -अभी यह बताया गया कि एक बार ऋण मिलने के बाद अक्सर यह होता है कि दुबारा उस आदमी को ऋण प्राप्त नहीं होता है। वस्तुतः होता यह है कि जो एक बार ऋण दिया जाता है, उसे ही दुबारा भरपाई कर देते हैं। यह प्रक्रिया चलती रहती है और यह दिखाया जाता है कि इतने पर्सेन्ट रिकवरी हो गई है और इतना पर्सेन्ट लोन बांटा गया है। लेकिन हकीकत में इस तरह लोन बांटा नहीं जाता है। खाली कागजों में और किताबों में जमा-खर्च किया जाता है।

इसलिये मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में वह कुछ कार्यवाही करें ताकि गरीब और जरूरतमन्द आदमी को आवश्यकतानुसार जब भी उसे जरूरत हो, लोन मिल सके जिसके कारण यह सहकारी आन्दोलन चलाया गया था, साहूकार और सूदखोर से उन ग्रामवासियों को मुक्ति मिल सके। उससे हम आगे बढ़ सकें, यह तभी हो सकता है, जब कि जरूरतमन्द को समय पर लोन मिल सके।

सभापति महोदया, मैं इस सम्बन्ध में आपका ध्यान अजमेर में जो सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक है, उसकी ओर ले जाना चाहता हूं। गत 5 वर्षों से कलेक्टर साहब प्रशासक नियुक्त किये हुए हैं। सभापति महोदया, आप स्वयं जानती हैं, मंत्री महोदय जानते हैं, कलेक्टर को कितना काम दे रहे हैं। इनके काम में यह एक और काम दे दिया, नतीजा यह होता है कि जो जनरल मैनेजर है वह मनमानी करता है और इस आन्दोलन का जो मुख्य ध्येय था, वह ध्येय प्राप्त नहीं कर, इससे लोगों में कटुता और बढ़ती जा रही है।

सभापति महोदया, मैं आपका ध्यान, इस सम्बन्ध में अजमेर में भूमि विकास बैंक है, उसकी ओर ले जाना चाहूंगा। मुझे बड़ा दुःख है, मंत्री महोदय को बताते हुए कि आज उस बैंक की यह हालत है, जब तक दो सौ रुपये वहां के सेक्रेटरी है, सचिव हैं, उनको भेंट नहीं करते, तब की फाइल नहीं खुलती है, तब तक आवेदन-पत्र नहीं लिया जाता है और तब तक प्रोसेस ऋण देने का चालू होना चाहिये, वह नहीं होता है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अजमेर में जो भूमि विकास बैंक है, उसमें इस प्रकार

(118)

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

की गतिविधि चल रही है, उसको शीघ्रता से शीघ्र दूर करने की कोशिश करें।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से अजमेर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की शाखा नसीराबाद में है, अगर मंत्री महोदय, को अवसर मिले तो उनको निमंत्रण देता हूं, बैंक के भवन का मुलाअजा करेंगे तो वह पायेंगे कि एक ऐसा भवन है, जिसका चूना गिर रहा है, पट्टियां टूटी हुई हैं, बैठने की व्यवस्था नहीं है, और अभी जो अजमेर के सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के मैनेजर हैं, वह वहां जाकर उन्होंने अपनी आंखों से देखा है।

मैं, निवेदन करूंगा, सभापति महोदया, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कि इस बैंक की बहुत बड़ी भूमि है, वह बिलकुल बेकार पड़ी हुई है, उसकी भूमि पर अच्छा भवन बनाकर, जिससे यह लगे कि बैंक है, वह स्थापित करने की कृपा करें।

सभापति महोदया, अब मैं मार्केटिंग सोसायटीज को अनुदान दिया जाता है, उसके सम्बन्ध में, मैं निवेदन करना चाहूंगा। जो मार्केटिंग सोसायटीज हैं, उनकी हालत विशेष अच्छी नहीं है। कई बार यह देखा गया है कि उसके लिये शक्कर आती है, कई दिन तक बिल्टी नहीं ले सकते हैं क्योंकि उनके पास वांछित मात्रा में धन नहीं होता है।

सभापति महोदया, मैं इतना ही कहकर नसीराबाद की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। नसीराबाद में बीड़ी उद्योग क्षेत्र है और वहां की आबादी, विशेषकर महिलाएं बीड़ी उद्योग में लगी हुई हैं, लेकिन बीड़ी उद्योग का कानून इस प्रकार का बना हुआ है कि जो घरों में बैठकर बीड़ी बनाते हैं, उनको इस उद्योग में नहीं लिया जाता है और नतीजा यह होता है कि इस उद्योग में लगे हुए श्रमिकों को लाभ वहां काम करने वालों को मिलना चाहिये वह लाभ उनको नहीं मिलता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कानून की परिधि को व्यापक बनाया जाय और घर पर काम करने वाले श्रमिकों को भी इसमें शामिल किया जाय।

सभापति महोदया, रोजगार कार्यालय, जो वर्तमान में एम्पलायमेंट एक्सचेंज बने हुए हैं वे अपने उद्देश्य में बिलकुल असफल हैं और वे केवल भ्रष्टाचार का अड्डा बनकर रह गये हैं। जिनके पास साधन हैं उनके नाम तो लिस्ट में आ जाते हैं लेकिन जिनके नाम कई सालों से दर्ज हैं वे बदसूरत उसी तरह दर्ज पड़े रहते हैं उनको कोई इंटरव्यू कार्ड वितरण नहीं किया जाता है इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रोजगार कार्यालयों को सुधारा जाय और एम्प्लायमेंट के लिये एक इन्फार्मेशन ब्यूरो भी इसी एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में कायम किया जाय।

सभापति महोदया, श्रमिकों के कल्याण की जो योजनाएं हैं, वे योजनाएं भी पूरी तरह से श्रमिकों तक पहुंचने में असफल रही हैं, बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं लेकिन उनका जो लाभ श्रमिकों को पहुंचना चाहिये, वह नहीं पहुंच रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदया, समाज कल्याण के विषय में निवेदन करना चाहूंगा।

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

दो मिनट में खतम कर दूंगा।

छात्रावासों में 90 रु. प्रति छात्र दिये जाते हैं। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इसमें बहुत ही गबन होता है तथा भ्रष्टाचार होता है और 90 रु. की जो सामग्री छात्रों को मिलनी चाहिये वह नहीं मिलती, अफसर और ठेकेदार लोग खा जाते हैं। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि पैसे नकद रूप में दिये जाने के आदेश दे दिये जायं और छात्र लोग सहकारी रूप में या जैसे भी चाहें, उन पैसों का उपयोग करें तो ज्यादा अच्छा होगा और पैसे सही तरह से उनके पास पहुंचेंगे।

सभापति महोदया, अन्त में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि पोषाहार का कार्यक्रम ऐसी एजेंसियों की मार्फत कराया जा रहा है कि उसमें भी भ्रष्टाचार है। मेरे क्षेत्र में आप देखें कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब थोड़ी कार्यवाही हुई है और मुझे खुशी है हमारे मंत्री महोदय ने बहुत ही त्वरित कदम उठा कर पोषाहार कार्यक्रम की कार्यवाही ठीक की है। मैं उम्मीद करता हूं कि गरीब और ऐसे आदमी जिनको न्यूटेशन पूरा नहीं मिलता है, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको नहीं मिलता है। तो भ्रष्ट एजेंसियां हैं उनको समाप्त करें ताकि इसका सही लाभ मिल सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदया, छात्रवृत्ति के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। छात्रवृत्ति दी तो जाती है लेकिन बहुत देरी से दी जाती है और जब लेना चाहते हैं तब तो नहीं मिलती और साल के आखिर में मिलती है। उनको उधार करके किसी तरह से काम करना पड़ता है इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि छात्रवृत्ति के समय में सुधार करें।

श्री सभापति: श्री गोपाल पचेरवाल।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन): मानतीय सभापति महोदया, चूंकि समय तो बहुत कम है इसलिये विस्तार से न कहकर बहुत ही शार्ट में ...

श्री सभापति: बहुत धन्यवाद, अग्रिम। आप समय का अवश्य खयाल रखें। बार-बार टोकना नहीं पड़े, मैं खुद ही नहीं चाहती।

श्री गोपाल पचेरवाल: मैं सबसे पहले केशोरायपाटन में एक सहकारी शुगर मिल है उसके संबंध में और ज्यादा न कह कर, क्योंकि इसके संबंध में कई बातें पहले भी कह चुका हूं, उन पर क्या कार्यवाही हुई, क्या नहीं, उन पर न जाकर इतना ही कहना चाहता हूं कि जब इस शुगर मिल की स्थापना हुई थी तो काश्तकार गन्ना देते हैं। जो बोर्ड था, संचालक मण्डल था उसने यह तय किया कि प्रति क्विंटल गन्ने पर 50 पैसे काटे जायेंगे, कृषकों के विकास के लिये। लेकिन उस पैसे का कोई हिसाब नहीं, न उस पैसे से कोई विकास कार्य किये गये। वह पैसा कहां गया, क्या किया, कोई पता नहीं है।

यह मैं इसलिये कहना जरूरी समझता हूं कि जो हमारे जिले के बृजसुन्दर शर्मा ने अपने राज्यपाल के भाषण के दौरान आरोप लगाया था कि जनता पार्टी की सरकार ने शुगर मिल का बंटाधार कर दिया है। शुगर मिल की स्थापना कांग्रेस राज में हुई और जब पंडितजी मंत्री थे तो उनके मंत्रित्व काल

(120)

(श्री गोपाल पचेरवाल)
में शुगर मिल की स्थापना हुई उस समय से वहां 50 पैसे प्रति क्वि. काटे जाने आरम्भ किये गये ।

मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि जांच करवाई जाय कि इनमें कितना घोटाला हुआ । वह जनता पार्टी के कारण या कांग्रेस के कारण पतन की ओर गई लेकिन जिन काश्तकारों से पचास नये पैसे विकास के नाम पर काटे गये वे या तो उनकी हिस्सा राशि में जमा कर लिये जायं, या उनका विकास में उपयोग किया जाय। अगर उनका उपयोग नहीं हुआ है तो वह कहां गये, इसकी जांच की जाय ?

दूसरा, मेरा निवेदन है कि जो अकाल घोषित किये जा रहे हैं 3-4 सालों से, केशायरा पाटन भी असिंचित क्षेत्र है वहां जो गरीब लोग शिड्यूल्ड कास्टस के हैं उनकी 10 साल तक वसूलियां माफ की जानी चाहिये यह मेरा निवेदन है ।

दूसरा, मेरा निवेदन है सहकारिता के संबंध में कई माननीय सदस्यों ने आरोप लगाये कि सहकारिता विभाग में घोटाले हैं। इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जिले में 113 ग्राम सहकारी समितियां हैं । इनकी ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं चाहे जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, वास्तव में, मैं 3-4 सहकारी समितियों के नाम बताना चाहता हूं, भवानीपुर, रामनगर, नीमा की घाटी, निम्बोड़ा, केशोरायपाटन ये बूंदी जिले की प्रमुख सहकारी समितियां हैं। मैं ज्यादा न कह कर, इनमें कितना घोटाला है, कब कब, किन-किन अध्यक्षों के कार्यकाल में हुआ, यह न कह कर यही निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारी विभाग जिन राजनैतिक कारणों से बदनाम हो गया है उससे मुक्ति न दिला सकें तो कम से कम इन सहकारी समितियों की जांच करें और जो भी व्यक्ति, किसी भी राजनैतिक दल का हो, आप उसकी जांच करवावें और सजा दें । कई माननीय सदस्यों ने कहा कि जनता पार्टी के राज में सरकार के नुमाइन्दों या मैम्बर्स की दखलंदाजी से सहकारी विभाग में बड़े घोटाले हुए । मैं ज्यादा न कह कर जिन समितियों के नाम मैंने बोले हैं उनमें सरदारजी, असि. रजिस्ट्रार थे उन्होंने जो भू. पू. अध्यक्ष के खिलाफ फैसले दिये हैं और उनको दोषी, अपराधी माना है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे ईमानदार आदमी को, जो राजनैतिक दबाव से निर्णय दिये है, जो फैसले उन्होंने दिये है, टान्सफर करवा दिया, केवल कांग्रेस पार्टी के राजनैतिक दवाब से अपराधी घोषित करके, उस ईमानदार अधिकारी का ट्रान्सफर कर दिया । तो इस प्रकार से सहकारी विभाग को बदनाम करते हैं, फिर कैसे आशा रखते हैं कि भ्रष्टाचार समाप्त किया जाय, फिर आप कैसे देश का, समाज का विकास करना चाहते है देश की गरीब जनता की गरीबी दूर करना चाहते हैं ? इसलिये अब उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय. राजनैतिक कारणों से जो ट्रान्सफर किया गया, वह गलत किया गया यह ऐसे लोगों के साथ ज्यादती है । तो इन सहकारी समितियों के खिलाफ जांच करवावें, चाहे कोई भी पदाधिकारी हो ।

दुसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में भ्रष्टाचार के कलंक से इसे मुक्ति दिलानी चाहिये । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं

(श्री गोपाल पचेरवाल)

जिनके माध्यम से भवन निर्माण कराया जाता है लेकिन इसके साथ सहकारी समितियों को यह भी होना चाहिये कि वह मकान के लिये चूना कहां से लायेंगे, पत्थर कहां से लायेंगे, उसके कारीगर कौन होंगे। अगर इस तरह से सहकारी समितियों का गठन कर लिया गया तो एक तरफ तो मैटीरियल सहकारी समितियों के नाम से उपलब्ध हो जायेगा और भ्रष्टाचार अवश्य कम होगा।

तो आप सहकारी विभाग को अधिक व्यापक बनावें। सहकारी विभाग को इतनी व्यापकता से आगे बढ़ायें कि हर जगह सहकारी समिति की स्थापना हो जानी चाहिये। जिसके माध्यम से भ्रष्टाचार न पनप सके और गरीबों को राहत मिल सके। सहकारी विभाग पर मैं इतना ही निवेदन करते हुए समाज कल्याण विभाग के बारे में बोलना चाहूंगा।

मैं सबसे पहले मेरे क्षेत्र में जो छात्रावास है जिसमें 60 विद्यार्थी अध्ययन करते हैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि अभी 15 अगस्त, 16 अगस्त को केशोरायपाटन गया था। 16 अगस्त को रात्रि को 8 बजे मैं उस छात्रावास की ओर चला गया। मैं समाज कल्याण मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि आप बड़े नारे देते हैं पिछड़े और गरीबों की उन्नति के परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि वहां 8 बजे तक रात्रि को छात्रावास में लाइट नहीं जली थी, वहां बल्ब नहीं था। सारे बच्चे रात को सड़क के किनारे जो नगरपालिका का बिजली का खम्भा था उसके नीचे पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे छात्रावास के अधिकारी, अधीक्षक सुपरिटेंडेंट है वह 3 दिन से बाहर गये हुये हैं। 15 अगस्त को तो अधिकारी वहां रहने चाहियें पर वे वहां नहीं थे। वहां छात्रावासों में रहने को प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। आप हरिजनों को आगे बढ़ाना चाहते हैं परन्तु आपके अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं। वहां रहने की व्यवस्था नहीं है। उस छात्रावास को देखेंगे तो आश्चर्य होगा कि कितना खण्डहर होता जा रहा है। सारी व्यवस्था हम लोगों ने ठीक की थी। श्रमदान करके खिड़कियां बनवायीं थीं, नल लगवाये, कुआ खुदवाया था, पाइप लाइनें डलवाई थी; श्रमदान करके कुआ खुदवाया था छात्रावास के छात्रों के नहाने और धोने के पानी के लिये और आप उसको इस तरह से बरबाद कर रहे हैं। हमने वहां बगीचा लगाया था श्रमदान करके। लेकिन आज अगर उस छात्रावास को देखें तो शर्म आती है। वह छात्रावास बूंदी में प्रथम स्थान पर कोटा में आया था। वहां सैकेण्डरी का परिणाम देखें तो जिले में टोप पर है और गेम्स में जो छात्र निकले हैं उनका रिजल्ट देखें तो कोटा जिले में फर्स्ट स्थान पर है। कितने अफसोस की बात है कि आज उस स्थान पर बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। समय पर खाना नहीं मिलता है। बच्चों को पढ़ने के लिये किताबें नहीं मिलती हैं। एक निवेदन मैं आपसे और करना चाहता हूं कि आप बच्चों के लिये जूतों की व्यवस्था करते हैं तो वह जूतों की व्यवस्था ऐसी करते हैं कि वह नाप के अभाव में लैप्स हो जाते हैं। उनको मिलते नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सर्दी गर्मी में जूते दिये जाने चाहियें। मैं निवेदन करूंगा कि जिस तरह से आपने किताबों के लिये पैसों की व्यवस्था की है, 50 रुपये प्रति छात्र देते हैं उसी तरह आप जूतों के लिये भी पैसे फिक्स कर दें जो उनको टाईम पर मिल जायें। दूसरा एक निवेदन आपको यह करना

(श्री गोपाल पचेरवाल)

चाहता हूं कि जैसा आपको पता है सारे देश में पुस्तकों का अभाव चल रहा है। समय पर बड़े-बड़े लोगों के बच्चों की पुस्तकें नहीं मिल रही हैं उसी तरह से समाज कल्याण के छात्रावासों को भी समय पर पुस्तकें नहीं मिल रही है। आज वे पुस्तकें खरीद भी लेते हैं, तो आप उनको केवल 50 रुपये देते हैं। पुस्तकों के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 10 वीं क्लास और नवीं क्लास की पुस्तकें क्या 50 रुपये में आ जाती हैं ? किसी तरह भी नहीं आ पाती है। इसलिये कहता हूं कि जो किताबों के लिये 50 रुपये देते हैं या तो ये बिल्कुल समाप्त करें या पुस्तकों की व्यवस्था आपके द्वारा, सरकार के द्वारा होनी चाहिये या फिर जो पचास रुपया देते हैं उनमें बढ़ोतरी होनी चाहिये। यह उनके साथ न्याय होगा।

दूसरा रोजगार के संबंध में निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे बूंदी जिले में जितने भी डिपार्टमेंट हैं इरिगेशन का डिपार्टमेंट है सी.ए.डी. का डिपार्टमेंट है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके हैड आफिस सब कोटा में हैं, और हमारे बूंदी जिले के जो छात्र हैं जो बी.ए. पास करके, एम.ए. पास करके या मैट्रिक पास करके नौकरी के लिये मारे-मारे फिरते हैं। वे एल.डी.सी. या अन्य नौकरियों के लिये मारे-मारे फिरते हैं। उनका नाम तो बूंदी के एम्पलायमेंट में दर्ज किया जाता है और जो भी डिपार्टमेंट वहां पर हैं उनमें नियुक्ति कोटा कमिश्नर के यहां से या कोटा एक्स., ई. एन. के यहां से करके उन्हें बूंदी में भेज दिया जाता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो सीधी कोटा से बूंदी में थोप दिया जाता है यह बूंदी को जानी चाहिये। रोजगार मंत्री से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप उनको पाबन्द करें कि किसी प्रकार की नियुक्ति दी जाये चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट हो चाहे दूसरे डिपार्टमेंट हो, उन सबके एक्स. ईएन. वगैरह कोटा में बैठते हैं। कमिश्नर कोटा में बैठते हैं, चम्बल कमिश्नर कोटा में बैठते हैं वहां से बूंदी में भेज दिये जाते हैं और बूंदी के बेरोजगार युवक रोजगार के लिये मारे-मारे फिरते हैं। उनको अगर बूंदी के एम्पलायमेंट एक्सचेंज के द्वारा ही नियुक्ति दी जाये तो यह उनके साथ न्याय होगा।

दूसरा, मैं समाज कल्याण के बारे में एक और निवेदन करना चाहता, पहले मैं भूल गया था, वह है पोषाहार के बारे में। आपके द्वारा एक पोषाहार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह पोषाहार कार्यक्रम केशोरायपाटन और लाखेरी में। बूंदी एक ऐसा नगर है जहां दो फैक्ट्री हैं। आप यह कार्यक्रम चला रहे हैं उन लोगों के लिये जो हरिजन हैं, अल्पसंख्यक हैं और मजदूर हैं......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट और, सभापति महोदया। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि केशोरायपाटन अनुसूचित जाति क्षेत्र है और यह एक औद्योगिक क्षेत्र है जहां एक शुगर और एक सीमेन्ट फैक्ट्री है, वहां पर अधिकांश बैकवर्ड क्लास के लोग रहते है, अल्प संख्यक लोग रहते हैं। आज उस केशोरायपाटन क्षेत्र में कोई भी पोषाहार कार्यक्रम नहीं चलाया जा रहा है। जहां चलता भी है तो आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इससे कितने लोग लाभान्वित हो पाते हैं ? आप अगर एक जनवरी, 1979 से लेकर एक जनवरी, 1980 तक पोषाहार देते तो उस बच्चे को कितना लाभ मिला,

(श्री गोपाल पचेरवाल)

कितना स्वास्थ्य लाभ हुआ। इसके लिये आपका क्या क्राइटेरिया है ? उन बच्चों को उसका लाभ मिला या नहीं मिला। मैं इसलिये पोषाहार के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि जहां आप चला रहे हैं उसके लिये आप एक कार्ड इश्यू करें और उस कार्ड में जो आपने एक जनवरी, 1979 से चालू किया है और 1 जनवरी, 1980 तक है तो इसके बाद पता करिये कि कितना वजन बढ़ा, उसको उसका कितना लाभ मिला, उसके स्वास्थ्य में कितना फर्क पड़ा ? इस प्रकार अगर चलाया जाय तब जाकर के आपके इस पोषाहार कार्यक्रम का किसी बच्चों को फायदा मिलेगा या मिल रहा है या नहीं मिल रहा है इसका भी पता लगा सकेंगे।

दूसरा, निवेदन करना चाहता हूं डीडवाना के बारे में। डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने भी एक सवाल उठाया था डीडवाना छात्रावास के बारे में जो किसान छात्रावास के नाम से है। उसकी प्रबन्ध कमेटी थी, जो संचालन समिति थी, उसको अनियमितताओं के कारण, बेईमानी के कारण या और अन्य आरोपों के कारण बन्द कर दिया गया था। और फिर दुकानदारों को पैसा आदि देना था इसलिये बिल्डिंग को नीलाम किया और वह बिक गई। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसका जो संचालक था उसकी कमियों के कारण या उसकी बेइमानी के कारण जो हुआ उसकी सजा उस छात्रावास के छात्रों को क्यों मिली ? मैं बहुत ही अदब के साथ माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि डीडवाना के इस छात्रावास को चालू करें। आपको चाहे अपनी पार्टी के लोगों की नई कमेटी बनानी पड़े, नयी समिति बनानी पड़े या विभाग द्वारा संचालित कर सकें, किसी तरह से भी आप इन छात्रों पर कृपा करें और उस छात्रावास को पुनः चालू करवायें।

दूसरा, औद्योगिक मामले में अंतिम निवेदन करना चाहता हूं। उद्योगों के मामले में बड़ी सरकारी घोषणाएं हैं और उद्योग विकास की बात की जाती है। अगर आप इजाजत देंगे तो मैं इस तरह के उदाहरण भी पेश कर सकता हूं। हमारे बूंदी जिले में बेरोजगार युवक अगर बूंदी में उद्योग स्थापित करना चाहते हैं और इसके लिये बूंदी के उद्योग कार्यालय में आवदन करते हैं कि हमारा पंजीयन या रजिस्ट्रेशन करलें तो वहां के जिलाधिकारी मना कर देते हैं, हमारे पास आदेश नहीं आये हैं। एक तरफ तो बेरोजगारी को समाप्त करना चाहते हैं और आप उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं और दूसरी तरफ आपके जिला उद्योग अधिकारी मना कर देते हैं कि हमारे पास आदेश नहीं हैं, सरकार ने मना कर दिया हैं। जहां तक मेरी जानकारी है सरकार ने इस तरह की कोई पाबन्दी नहीं लगाई है। इसलिये मैं बड़े अदब के साथ निवदन करना चाहूंगा कि आप अधिकारियों को निर्देश दें कि जो पढ़ा लिखा युवक धन्धा करना चाहता है, उद्योग लगाना चाहता है, इन्डस्ट्री लगाना चाहता है उसकी आप मदद करें, गाइड उसको आप गाइड करें और उसको वित्त निगम से लोन दिलायें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अन्त में एक बात मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि आज की राजस्थान पत्रिका में एक विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी है, हरिजन कारपोरेशन की तरफ से, आटो रिक्शा के लिये जो व्यक्ति आटो रिक्शा लेना चाहता है वह

(124)

(श्री गोपाल पचेरवाल)
एक हजार रुपया जमा करा दें । सारे साधन वित्त निगम से उपलब्ध कराये जायेंगे । मैं एक सुझाव के रूप में निवेदन करना चाहता हूं कि आप हरिजन कारपोरेशन के अन्दर लोन देना चाहते हैं इसमें दिक्कत यह आयेगी कि आपने कहा है कि मय परमिट के आवेदन-पत्र प्रस्तुत करें । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर निगम यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ले तो आंटो रिक्शा लेना है तो उसको परमिट कितने दिनों में मिलता है, आपके अधिकारी उसको कितने दिनों बाद परमिट देते हैं । अगर वह इन्डस्ट्री लगाना चाहता है तो आपके इन्डस्ट्रीज अधिकारी मना कर देते हैं। इसलिये यह निगम इसकी जिम्मेदारी ले कि वह उसका रजिस्ट्रेशन करवाये, उसको परमिट दिलवाये जो धन्धा करना चाहता है उसको लोन दिलवाये, उसकी सुविधायें दिलवाये । अगर कोई भवन निर्माण करना चाहता है तो उसको आप जमीन उपलब्ध करवायें। इस तरह की कारपोरेशन के अन्दर व्यवस्था करें कि जो किसी तरह का धन्धा करना चाहता है या और कुछ करना चाहता है तो उसके लिये निगम के द्वारा मदद की जायेगी । यदि वह मकान बनाना चाहता है तो उसको जमीन उपलब्ध करवायी जायेगी आटो रिक्शा लेना चाहता है तो उसको परमिट दिलवाने में मदद करेंगे या इन्डस्ट्रीज लगाना चाहता है तो हरिजन कारपोरेशन उसमें मदद करेगा और उसका रजिस्ट्रेशन करवायेगा । यह सब आप करेंगे तो हरिजनों का बहुत भला होगा । इसमें यही मेरा निवेदन है ।

श्री नन्द लाल मीणा (प्रतापगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 30, जन-जाति क्षेत्रीय विकास पर अपने विचार प्रगट करना चाहता हूं । जगन्नाथ जी पहाड़िया ने ज्यों ही मुख्य मन्त्री की शपथ ली। उन्होंने इस बात को कहा है कि मैं यहां राजस्थान में शासन करने के लिये नहीं, विकास करने के लिये आया हूं । जब यह समाचार हमने समाचार-पत्रों में पढ़ा तो ऐसा लगा कि राजस्थान के मुख्य मन्त्री राजस्थान के विकास के लिये कुछ करना चाहते हैं । चूंकि मैं भी उस समाज से आया हूं जिसके बारे में चर्चा सदन में हो रही है, । जनता शासन के दौरान इस विभाग का दायित्व भी मुझे दिया गया था इसलिये मुझे इसकी विस्तृत जानकारी भी है । जैसे कि हम जन जाति क्षेत्रीय विकास विभाग के नाम से विकास की बात करते हैं, इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के विकास की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको यह सोचना पड़ेगा कि उनके विकास में कौन-कौनसी बाधायें हैं जो आदिवासियों के विकास की गति को आगे बढ़ने से रोक रही है । सबसे बड़ी बात तो यह है कि आदिवासियों की आर्थिक स्थिति कमजोर है और शैक्षणिक दृष्टि से भी वे पिछड़े हुए हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जनता पार्टी के ढाई वर्ष के शासन काल में इनके विकास की दिशा में कई कदम उठाये गये । सर्व प्रथम अलग से एक विभाग का गठन किया गया और इस विभाग के कार्यालय को जयपुर से उदयपुर में स्थानान्तरित किया गया जिससे आदिवासियों के विकास की निगरानी आसानी से हो सके और सुचारु रूप से जन-जाति विकास के लिये कदम उठाये जा सके । दूसरा दृष्टिकोण यह भी था कि इससे वित्तीय भार भी कम हो सकेगा । अगर हम आदिवासियों की वित्तीय स्थिति

(श्री नन्दलाल मीणा)

को देखें तो हमको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा लोग कृषि का काम करते हैं, खेती उनका धन्धा नहीं है, लेकिन वे लोग खेती को अपनी उदर-पूर्ति का एक साधन मानते हैं। खेती के द्वारा जो कुछ भी वे कमा पाते हैं उससे वे अपने परिवार की उदरपूर्ति करते हैं और उससे अगर सम्भव नहीं हो तो मजदूरी के जरिये अपना पेट पालते हैं। दूसरा जो साधन है वह साहूकारों के यहां मजदूरी करके गुजारा करना होता है। इसके अलावा एक और साधन है उस क्षेत्र में जो वन सम्पदा है उससे वे लोग अपना जीवनयापन किया करते थे। माननीय सभापति महोदया, जब रियासतों का विलीनीकरण हुआ तो रजवाड़ों को उनकी जागीरों के लिये मुआवजा दिया गया, लेकिन आदिवासियों को, जो कि जंगलों के मालिक थे, इस अधिकार की कोई सुविधा नहीं दी गई, उनको कुछ नहीं मिला, आज जो स्थिति है आदिवासियों की वह सारा सदन जानता है कि खेती और मजदूरी करना ही उनके लिये जीवनयापन के साधन हैं। कहां तक उनको विकास की ओर लाया जायेगा. इन परिस्थितियों को देखकर कुछ नहीं कहा जा सकता। आदि-वासियों को जिस गति से विकास करना चाहिये इन हालातों को देखकर कहा जा सकता है कि वे तरक्की नहीं कर पायेंगे। इनके विकास की गति में जो सबसे बडी बाधा है, वह यह है कि आदिवासी अधिकतर सूदखोरों के चंगुल में फंसे हुए हैं और इस तरह से फंसे हुए हैं कि वे उसमें से निकल नहीं सकते। यह वर्ग इस प्रकार का है कि आदिवासी कर्ज में ही पैदा होता है और कर्ज में ही मरता है। इसलिए, सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासियों को सूदखोरों से मुक्ति दिलाने के लिये हमको विचार करना चाहिये। सहकारी समितियों के माफर्त उनको सूदखोरों से छुटकारा दिलाने का प्रयास किया गया, उपभोक्ता सामग्री भी उनको उचित मूल्य पर दिलाने का प्रयास किया गया। जनता शासन में उनकी आर्थिक दशा सुधारने के लिये कर्जा भी दिया गया। यह सब काम उनकी आर्थिक दशा सुधारने के लिये किये गये। परन्तु आज हम देखते हैं कि कांग्रेस के शासन की स्थापना के पश्चात् मुनाफाखोरों और सूदखोरों ने फिर सिर उठाना शुरू कर दिया है। उनका जो पुराना कर्जा था उसको उनसे वसूल करना शुरू कर दिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, छात्रा-वासों के बारे में सदन में मैंने एक प्रश्न पूछा था, माननीय समाज कल्याण मंत्री से कि यह बताने की कृपा करें कि क्या सरकार उपयोजना जन जाति क्षेत्र में वर्ष 1980-81 में नये छात्रावास खोलने का ईरादा रखती है? यदि हां, तो कहां कहां? नये छात्रावासों की छात्र संख्या कितनी होगी? सरकार ने उसका उत्तर दिया कि "वर्ष 80-81 में नये छात्रावास क्रमशः सावला (डूंगरपुर), कुशलगढ़ (बांसवाड़ा), चावण्ड (उदयपुर), कोटड़ा (उदयपुर) में खोले जाने का प्रस्ताव है जिनके प्रत्येक की छात्र संख्या 25 होगी।" खेद है सदन को मन्त्री ने गुमराह किया। यहां पूर्व से ही छात्रावास चल रहे हैं।

कर्ज के बारे में भी जनता शासन में सर्वे कराने के आदेश दिये थे लेकिन ऐसा

(श्री नन्दलाल मीणा)

लगता है कि यह सरकार कुछ भी नहीं करना चाहती। बहुत से लोग सागड़ी की तरह से काम कर रहे हैं। कांग्रेस (आई.) के वरिष्ठ नेता महारावल लक्ष्मण सिंह के यहां भी लगभग 60-70 सागड़ी काम कर रहे हैं। इन लोगों को सीलिंग में आई जमीन दे रखी है पर उपज को इन लोगों से वसूल किया जाता है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जनता पार्टी के शासन में इनकी शैक्षणिक तरक्की के लिय भी कई प्रयास किये गये। जब तक इनमें बोलने की क्षमता पैदा नहीं होगी तब तक इनकी शैक्षणिक उन्नति भी नहीं हो सकती। आजादी से लेकर अब तक इन आदिवासी लोगों ने केवल नेताओं के भाषण सुने, अधिकारियों के भाषण सुने, क्या वे समझ पाये। इसको, जानने की किसी ने कोशिश नहीं की। उनको यह मालूम नहीं कि उनके अधिकार क्या हैं, वे क्या करना चाहते हैं? जनता सरकार ने इस बात को सोचा कि जब तक इनमें बोलने की शक्ति पैदा नहीं की जायगी शैक्षणिक दृष्टि से मुख्यतः जब तक ये सक्षम नहीं हो जायेंगे तब तक इनको ऊंचा नहीं उठाया जा सकता। इसके लिए स्कूल खोले गये, छात्रावास खोले गये, लेकिन यह सरकार इनके लिये कोई स्कूल खोलना नहीं चाहती। मेरा निवेदन है कि अगर आप इनको शिक्षा की सुविधा देना चाहते हैं तो इनके क्षेत्रों में प्राइमरी स्कूल खोले जाने चाहियें छात्रावासों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिये। जनता सरकार के शासन में छात्रावासों की दशा सुधारने के लिये प्रयत्न किये गये, और नये स्कूल खोले जाकर उनको शिक्षित करने का प्रयास किया गया। लेकिन, सभापति महोदया, यह एक अजीब विडम्बना है कि पहाड़ियाजी की सरकार कहती कुछ और है और करती कुछ और है। ऐसी सरकार से आदिवासियों की उन्नति के लिये क्या उम्मीद लेकर चला जा सकता है। इन्होंने तो केवल स्थानान्तरण का काम किया है वह भी राजनीतिक द्वेष भावना से। जब प्रतापगढ़ में दो नये छात्रावासों को खोलने के लिये इनसे निवेदन किया गया तो यह उत्तर मिला कि वहां छात्रावास खोलने के लिये हमारे पास कोई प्रस्ताव ही नहीं है। ऐसी स्थिति में लगता है कि इस इलाके की उपेक्षा की जायेगी। आदिवासियों के विकास की बात है। उसमें यदि किसी प्रकार का भेदभाव किया जाता है तो मैं समझता हूं बहुत बुरी बात होगी। सभापति महोदया, सिरोही जिले में, आबू रोड तहसील में प्रशासन ने विशेष कार्य के लिए परियोजना अधिकारी का एक कार्यालय जनता पार्टी के समय में स्थापित किया। परन्तु, सभापति महोदया, बड़ा आश्चर्य होता है कि यह आदिवासी और हरिजनों का उत्थान करना चाहते हैं। ज्यों ही जनता पार्टी को शासन से हटाया तो वहां के अधिकारी को सिरोही स्थानान्तरित कर दिया। प्रतापगढ़ में परियोजना अधिकारी का कार्यालय जनता राज में खोला था, इस कार्यालय को उन्होंने चित्तौड़गढ़ स्थानान्तरित किया प्रतापगढ़ से, चित्तौड़गढ़ 110 किलोमीटर दूर है। वहां के आदिवासियों की आवश्यकता अलग है और वहां की संस्कृति अलग है, परियोजना अधिकारी, जनजाति विकास विभाग कार्यालय उनके उत्थान के लिए, उनकी उन्नति के लिए स्थापित किया गया था, उसे हटा दिया। वह अधिकारी प्रतापगढ़ क्षेत्र में महीने

(श्री नन्दलाल मीणा)

में 30 दिन का दौरा करते थे । वह अब एक माह में सप्ताह भर नहीं जा पाता परिणाम-स्वरूप जिस गति से आदिवासियों का विकास होने वाला था, उस विकास की गति को अवरुद्ध कर दिया है ।....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके अलावा सभापति महोदया, मैं यह भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चिकित्सा के बारे में आदिवासी प्रकृति का पुजारी रहा है । वह नीम के जरिये और दूसरे माध्यम से इलाज करता है । परन्तु आजकल चिकित्सा के बारे में जो कहते हैं तो इस दृष्टि से वह गांव-गांव में जितने चिकित्सालय खोले हैं, जो जंगल है वहां खोले हैं । वहां एक चीज है तो दूसरी चीज नहीं है । अगर औषधालय है तो वहां कम्पाउण्डर नहीं हैं। कम्पाउण्डर हैं तो ये नहीं हैं वो नहीं हैं ।

जिन आदिवासियों के इलाकों में आश्रम स्कूल खोले वहां पर आज लड़कों को एडमिशन नहीं मिल रहा है । वह दर-दर भटक रहे हैं । परिणाम स्वरूप यह स्थिति हो गयी है कि लड़के जैसे पढ़ते है, उनको पढ़ने की सुविधा नहीं है ।

इसके बाद एक और निवेदन करना चाहता हूं कि वहां सहकारी निगम के माध्यम से काम किया जा रहा है । सभापति महोदया, मैं एक बात कहना चाहूंगा । परन्तु मैंने उसके बारे में सुना है कि इस कारपोरेशन के जरिये शक्कर बेचते हैं । शक्कर उठी लेकिन जनता के पास नहीं पहुंची और बीच में बेच दी । इन जंगलों में आने जाने का कोई साधन नहीं है, यातायात ढंग का नहीं है । जो शक्कर उठी वह सारी कागजात में जमा हो रही है । राशन कार्ड कर्मचारियों के पास हैं या सहकारी समितियों के पास हैं । उनके माध्यम से और आज भी यह बात निवेदन करना चाहूंगा कि सहकारी समितियों या दूसरी समितियों के माध्यम से जिसको हमने शुरू किया था उसे शुरू किया जाना चाहिए ।......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदया, यह एक अहम प्रश्न है । राजस्थान के 2 करोड़ 40 लाख लोगों का सवाल है । सरकार इसके प्रति उदासीन है । सरकार को ध्यान नहीं है इसलिए मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं । आज भी देखने में आ रहा है कि जितने भी जन-जाति विभाग के नैतिकता की दृष्टि से, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वह आदिवासी कहीं आगे न पहुंच जाएं इसलिए उनको राजनैतिक संरक्षण मिल रहा है । क्योंकि यदि आदिवासी होशियार हो जायेगा तो यहां राजनैतिक चेतना पैदा होगी तो यह अधिकारों की मांग करेगा । यह भावना आज इनके दिल में है । इस प्रकार के अधिकारियों को हटाया जाय, और मैं कह सकता हूं और सहकारिता मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैंने स्थगन प्रस्ताव में कहा था कि वहां पर हजारों मजदूरों को 3-5-80 से अब तक चुकारा नहीं हुआ है । परिणाम स्वरूप आज यह स्थिति बनी हुई है। फसल सूख गयी । बारिश नहीं हुई, अकाल की स्थिति बनी हुई है । आदिवासी भूख मर रहे हैं । सभापति महोदया, एक भूखा आदमी क्या कर सकता है । चींटी को तो आप कुचल देते हैं क्योंकि वह आपको काटती है । ऐसी स्थिति में, मैं चाहूंगा कि इस प्रकार की व्यवस्था हो, चिकित्सा

(श्री नन्दलाल मीणा)

सुविधा वहां पर हो, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से आदिवासियों का विकास होना चाहिए।

हमारी संस्कृति आज समाप्त होती जा रही है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं निवेदन करूंगी कि आपने 20 मिनट ले लिये हैं। बहुत ज्यादा समय आप ले चुके हैं।

श्री नन्दलाल मीणा : एक बेरोजगारी के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। जनता पार्टी के शासन में राजस्थान के के एरिया में रहने वाले लोगों के अलावा, दूसरे लोगों के लिए भी एक योजना बनाई, मिनी ब्लॉक। सबसे पहले 55 मिनी ब्लॉक बनायें, उसके बारे में भारत सरकार की स्वीकृति से पहले यह हमारा प्रयास रहा है कि उनको अन्तरिम राहत के लिए राशि प्राप्त करें परन्तु सफलता नहीं प्राप्त हुई। परन्तु आज हम इस स्थिति में नहीं हैं। आज वहां पर विकास की गति तेज नहीं हुई है। तो आज जो असमानता फैली राजस्थान के भिन्न-भिन्न भागों में, उस असमानता को मिटाया जाना चाहिए।

आश्रम स्कूल के बारे में जो मैंने आपसे निवेदन किया है उसको तत्काल चालू किया जाना चाहिए और नये जो नहीं खुल रहे हैं, उससे लगता है और सांस्कृतिक दृष्टि से मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरह का उदयपुर में जो छोटासा एग्जीबिशन है उस प्रकार सारे राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में संस्कृति बहुत बड़ी धरोहर है। इस धरोहर को बरकरार रखने के लिए इसका एक बहुत बड़ा म्यूजियम होना चाहिए देश में। इसके साथ, सभापति महोदया, आपने सुना होगा कि अभी दिल्ली में तीरन्दाजी की प्रतियोगिता हुई। आदिवासी इसमें बड़े माहिर हैं। तो ऐसी स्थिति में कोटड़ा के एक आदिवासी युवक को दिल्ली ले गये, यदि उनको थोड़ा प्रशिक्षण दिया जाय तो संसार में हमारे राजस्थान का और हिन्दुस्तान का नाम हो सकता है। इस बारे में सरकार ध्यान देगी तो मैं समझता हूं ठीक होगा।

पेयजल के बारे में भी बहुत समस्यायें हैं। लकवा हो जाता है। बांसवाड़ा में गांव-गांव और जंगलों में हैण्ड पम्प लगे हैं। परन्तु प्रन्थता कोई पेयजल की हैण्ड पम्प की सुविधा उपलब्ध नहीं करवायी है, करवायी जाये। किसी प्रकार का छात्रावास नहीं है, वहां छात्रावास का अभाव है। जो मैंने आपसे निवेदन किया, और छात्रावास मे जो असमानता है उसे समाप्त किया जायें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री नन्दलाल मीणा : बस मेरा एक और निवदन है कि सहकारिता के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। सारा सदन इस बात के लिए अब सजग है कि राजस्थान में सहकारिता के माध्यम से घोटाले हुए। प्रतापगढ़ तहसील में भी कांग्रेस के 30 वर्ष के शासन में हजारों रुपये उधार लिये गये, आडिट रिपोर्ट आई है परन्तु वहां के प्रभावशाली व्यक्ति सहकारिता मंत्री से मिले हैं और उन सारी आडिट रिपोर्टस को रफा दफा करने में लगे हैं। उनके नाम बता देना चाहता हूं कि वह सहकारी समितियां

(श्री नन्दलाल मीणा)

कौन-कौनसी है ?

(व्यवधान)

श्री **सभापति**: माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री **नन्दलाल मीणा** : झूठे मुकदमें कर के हजारों रुपये डकार गये । हमने उनके ऊपर इन्क्वायरी कराई....

श्री **सभापति** : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें मैं निवेदन करूंगी...

श्री **नन्दलाल मीणा** : उन सहकारी समितियों के नाम निवेदन कर रहा हूं । उनके नाम हैं नारायण खेड़ा; चकुण्डला, खेरोट, अरमोद, रायपुर व दलोट । सभापति महोदया मेरा निवेदन है कि उन गरीब आदिवासियों ने कर्जा नहीं लिया । उन गरीबों ने अपने परिश्रम से, कमाई के लिए पसीना बहाया । उन निर्दोष व्यक्तियों को आप बचाने के लिए कुछ कर सकें तो, इस सरकार से मुझे आशा नहीं है । आप कुछ करा सके तो मैं समझता हूं कि आदिवासियों को राहत होगी और चाहूंगा कि समय-समय पर माननीय सदस्यों को आमन्त्रित करके उनकी राय लेकर के योजना बनाई जाय तो इससे आदिवासियों को फायदा दिला सकेंगे । ऐसी मुझे आशा नहीं है । अगर कर पायेंगे तो बड़ी खुशी होगी, यही मेरा निवेदन है ।

श्री **सभापति**: श्री नानूराम ।

श्री **नानूराम कुमावत** (आसींद) : सभापति महोदया, मांग संख्या 36 के तहत में अपनी बात शुरू करता हूं । माननीय सदस्य ने जहां से समाप्त किया वहां से शुरू करना चाहता हूं । जैसा कि सोसायटीज इसलिए बनाई गई हैं कि गांवों का शोषण समाप्त हो और सन् 77 में जब जनता पार्टी का शासन आया, जनता पार्टी की कुनीतियों के कारण हमारी सोसायटीज की क्या हालत हुई इसके बारे में मैं उदाहरण के तौर पर निवेदन करना चाहूंगा । सभापति महोदया, जैसा कि हमारी कांग्रेस सरकार ने पहले उपभोक्ताओं को वितरण के लिए सामान दिया । तो जनता पार्टी की कुनीतियों के कारण उन्होंने जो गांवों में सामान वापस दिया वह जो महंगा सामान था, गांवों में भेजना शुरू किया और सस्ता सामान शहरों में भेजना शुरू कर दिया । उदाहरण के लिये किसान लोग सभी प्रकार की दालें पैदा करता है लेकिन हमारी समझ में नहीं आया कि गांवों में किसानों को कपड़ा धोनें का जो महंगा साबुन है, वह भेजा । उसकी क्या जरूरत है ? लेकिन इनकी गलत नीतियों के कारण जो सस्ते भाव का कपड़ा था, सस्ता सामान था वह शहरों में देना शुरू कर दिया और महंगा सामान गांवों को देना शुरू कर दिया जो सामान गांव में काम आता है वह तो गांवों को भिजवाते नहीं और जो गांवों के काम नहीं आता, उस सामान को गांवों मे भेजना शुरू कर दिया।

उदाहरण के लिए हमारी सोसायटीज गांवों में काम कर रही हैं और उन समितियों में जो फर्नीचर दिया गया, वह जो बाजार में मिलता था उससे दुगुनी कीमत का है, उससे हल्की क्वालिटी का है । क्या जरूरत थी फर्नीचर की जो महंगे भाव में देकर सोसायटी को डुबो दिया ? सभापति महोदया, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं । जिन-जिन सोसायटीज में जो गबन किया गया, वह गबन

(श्री नाथूराम कुमावत)

जो जनता पार्टी के नुमाइंदे उनके भाई भतीजे थे उन्होंने किए लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। उदाहरण के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि लाखों रुपये जो इनके भाई भतीजे थे उनमें आज भी बाकी हैं। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि दो तीन सालों से जनता पार्टी के कुशासन में जो इनके भाई भतीजों में लाखों करोड़ों रुपये बाकी हैं उनसे वसूल किये जाएं क्योंकि हमारी समिति काफी घाटे में चल रही है उसकी वजह से।

इन लोगों को यह ध्यान नहीं था कि कानून ऐसा बना दिया कि गांवों में समितियों को जो लोन दिया जाता है, वह पहले विभाग से दिया जाता था। उन्होंने इस कानून को तोड़ मरोड़ कर बैंक से पेमेंट कराना शुरू किया लेकिन उसके बाद जो काश्तकार 10-10, 15-15, 20-20 मील पर रहते हैं तो उनको हैडक्वार्टरपर लोन लेने के लिए आना पड़ता है, उसके बाद बैंक की टीम गांवों में जाएगी और वहां पेमेंट करेगी लेकिन बैंक वाले गांव में जाते हैं 4-4, 5-5 आदमियों को पेमेंट करके वापस आ जाते है और भोले भाले किसान जो समय पर नहीं आ सकते हैं, जिनको समय पर सूचना नहीं मिलती, वह वंचित रह जाते है और 4-4, 5-5 चक्कर लगाने के बावजूद उन लोगों को लोन नहीं मिलता है इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जो बैंक द्वारा पेमेंट किया जा रहा है, उसको सरल किया जाए और गांवों में जाकर वापस पेमेंट किया जाए ताकि गांव वालों को बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़े।

सभापति महोदया, गांवों में समितियां बन गई, सरकार ने समितियां खोल दीं लेकिन वहां पर भवन की कोई व्यवस्था नहीं। कुछ जगह भवन बने हैं लेकिन बहुत सी जगह भवन नहीं बने हुए हैं, हमारे आसीन्द तहसील में जो 39 सोसायटीज काम कर रही हैं वहां पर बहुत कम जगह सोसायटीज के भवन बने हैं, जहां-जहां भवन नहीं बने हैं, वहां भवन बनाने की व्यवस्था की जाए। एक और निवेदन करना चाहता हूं हमारी आसीन्द तहसील के पड़ोस में कांग्रेस सरकार ने एक कोआॅपरेटिव स्पिनिंग मिल लगाई और उस मिल में हमारे आसीन्द के काफी किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग के लोग व्यापारी भाई सदस्य हैं लेकिन आज तक उस स्पिनिंग मिल का बोनस घोषित नहीं हुआ। इसलिए उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस स्पिनिंग मिल का जो बोनस है, मुनाफा है, हमारे किसानों को, मध्यम वर्ग के लोगों को वितरित कराया जाए ताकि जिनमें भावना बैठी हुई थी कि कोई प्राफिट नहीं मिलेगा, कम से कम उनको तसल्ली हो सके। लेकिन इसके साथ साथ एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जब स्पिनिंग मिल लगी उस समय सदस्य इसलिए बने कि कपास की खेती होती है लेकिनलोग कपास खरीदते हैं, कोआॅपरेटिव के माध्यम से बेचना चाहते है हमने 1977 से पहले सरकार से मंजूरी करायी कि कोआॅपरेटिव के माध्यम से आसीन्द तहसील का काटन खरीदा जाए लेकिन आज तक नहीं खरीदा। बीच में दुर्भाग्य की बात थी जनता पार्टी का शासन आया और इन लोगों के हाथ में बागडोर चली गई, उससे को-आपरेटिव मिल बर्बाद हो गयी और आज भी घाटे में चल रही है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारी को-आॅपरेटिव स्पिनिंग मिल कपास खरीदती नहीं, वहां आसीन्द तहसील के जो गरीब लोग हैं उनसे गंगानगर

(श्री नानूराम कुमावत)

और पंजाब वाले कपास खरीदते हैं, मिल वाले बाहर जाकर खरीदते हैं, ढाई तीन साल से बाहर खरीदने लग गए क्योंकि इनकी मिलीभगत थी, इस कारण से वहां से पर्चेज न करके बाहर से पर्चेज करते रहे इसलिए काटन गुलाबपुरा मिल का हमारे आसीन्द तहसील, गुलाबपुरा तहसील, विजयनगर तहसील से खरीदा जाए।

इसी प्रकार हमारा आसीन्द तहसील का एरिया काफी लंबा चौड़ा है और वहां पर सभी किसान करीब करीब काटन की खेती करते हैं इसलिए हमारी आसीन्द तहसील में भी को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल खुलवाने की व्यवस्था करें ताकि हमारे यहां गरीब किसानों को मजदूरों और मध्यम वर्ग के लोगों को शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों को कुछ धंधा रोजगार मिल सके।

इसके अलावा समितियों को जो पैसा दिया जाता है उस पैसे का 2-2½ साल में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इस ओर मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे यहां पर जो जनता शासन में समितियों को पैसा मिला, वह सारा पैसा इन लोगों ने अपने भाई भतीजों के अलावा किसी को नहीं दिया। उदाहरण के लिए जैसे उन्होंने एक अन्त्योदय योजना लागू की और उस योजना में उन्हीं लोगों को लगाया जो इनके भाई थे, भतीजे थे, जो इनके रिश्तेदार थे और घनिष्ट थे, नजदीक के लोग थे, और उन लोगों को लेकर को-आपरेटिव के माध्यम से भैंसें, गायें और भेड़ें खरीदने के लिए ऋण दिया गया। आज उनकी हालत यह है कि उन लोगों को जो हमारे किसान थे, लोन नहीं मिला और जो इनके नजदीक के लोग थे उनको लोन दे दिया गया, वह भी कोई बात नहीं लेकिन उन लोगों की भैंसें, भेड़ें और गायें मर गईं, उन्होंने एप्लीकेशन्स दीं, कोई सुनवाई नहीं की।

इसलिये सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां गरीब लोगों, जिनकी नयी को-आपरेटिव सोसायटी बनी है, को तो लोन दिया लेकिन गरीब लोगों की जिनकी गाय, भैंस मर गयी हैं उन लोगों के उपर जो लोन है उसको माफ किया जाय जिससे कि उनके साथ न्याय किया जा सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदया, सिर्फ पांच मिनट और।

श्री सभापति : नहीं, पांच मिनट नहीं मिल सकते हैं आपको।

श्री नानूराम कुमावत : तो फिर आप मुझे चार मिनट का समय दे दें। सभापति महोदया मैं आपके माध्यम से हमारे यहां के लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जो दिक्कतें आ रही हैं उनके बारे में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सभापति महोदया, हमारे यहां भीलवाड़ा में एक असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार को-आपरेटिव लगे हुए हैं और आज भी इस वक्त वह भीलवाड़ा में सभापति महोदया जो मोटा कपड़ा किसानों के लिये सहकारी समितियों द्वारा बेचा जाना चाहिये वह सारा का सारा मोटा कपड़ा पता नहीं कहां चला जाता है। आसीन्द तहसील के बारे में तो

(132)

(श्री नानूराम कुमावत)

मुझे मालूम है आज करीब पिछले ढाई साल, तीन साल से हमने उस मोटे कपड़े को वहां पर नहीं देखा। जो कपड़ा वहां के लिये अलाट होता है वह कपड़ा तो उन को-आपरेटिव सोसाइटीज को मिलना चाहिये। लेकिन, सभापति महोदया, वह भी एक महीना नहीं दो महीना नहीं 6 महीने बल्कि पिछले ढाई, तीन साल से यह मोटा कपड़ा नहीं आया है। एक बार जब कपड़ा आया तो ऐसा कपड़ा आया कि जिसमें महंगा और बढ़िया किस्म की छींट, चद्दरें वगैरह आयी जो कि हमारे गांवों के किसानों के काम की नहीं मोटा कपड़ा आज तक हमारे वहां पर नहीं आया। इसलिये मैं, सभापति महोदया, आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि वह हमारे को-आपरेटिव रजिस्ट्रार साहब हैं उनको लिख और इसके साथ जो असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार हमारे यहां है उनको इसके लिये लिखें तथा साथ में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इनको वहां से धक्का मारकर रवाना किया जाय क्योंकि इनको जनता पार्टी के राज में यहां पर लाकर बैठाया है और उन्होंने आते ही वहां पर भाई भतीजावाद फैलाकर जो जनता पार्टी के लोग थे उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाया है। इसलिये मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि उनके खिलाफ कार्यवाही की जावे और जो गरीबों को सहकारिता से लाभ मिलना चाहिये वह मिल सके।

श्री **सभापति** : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री **नानूराम कुमावत** : सभापति महोदया, एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदया, जनता पार्टी के राज में जनता पार्टी के लोगों ने हमारे यहां पर नयी को-आपरेटिव सोसायटी बनाई और उसमें उन्होंने पैसे का गबन किया। सभापति महोदया, मैं आपको इसका उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे आसीन्द तहसील के सरेड़ी गांव में एक को-आपरेटिव सोसायटी खोली जिसका अध्यक्ष वहां का सरपंच था उसने करीब 60-65 हजार रुपये का गबन कर दिया। इसी तरह सभापति महोदया, बकनोर गांव में एक कोआपरेटिव सोसायटी बनायी गयी जहां भी इन जनता पार्टी के लोगों ने मिल कर 60-70 हजार का गबन घोटाला कर दिया। मैंने, सभापति महोदया, इसके लिये हमारे जिलाधीश से बात की और उनको लिखा भी पर आज ढाई महीने होने को आये पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। सभापति महोदया, इन पिछले ढाई तीन सालों में जनता पार्टी के लोगों ने किसानों के नाम पर हजारों रुपया लेकर खा गये पर अभी तक इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसलिये, सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरेडी और बकनोर सहकारी समितियों में जो गबन घोटाला हुआ है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए वहां इन समितियों का जो रिकार्ड है वह तत्काल जब्त किया जाय और इसके लिये इन्कवायरी करके दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाय। नहीं तो, सभापति महोदया, वहां के गरीब किसानों को करीब पौने दो लाख रुपयें का नुकसान हो जायेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री **नानूराम कुमावत** : सभापति महोदया, सिर्फ एक मिनट और। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय

(श्री नानूराम कुमावत)

का ध्यान आकर्षित कर यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे वहां पर एक को-आपरेटिव सोसायटी है जिसमें कुछ माननीय सदस्यों के पैसे बकाया थे उसमें वहां पर जो कार्यकर्ता थे उनसे को-आपरेटिव के पदाधिकारियों ने स्लिप पर लिखवा लिया कि हम 15-20 दिन में पैसा जमा करा देंगे पर इसमें कुछ देरी हो जाने से हमारे जो कार्यकर्ता थे उनकी सहकारिता डिपार्टमेंट ने सारी जमीन कुर्क करली उनकी जायदाद को नीलाम करा दिया । इसलिये मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि उनका गलत तरीके से यह किया गया है हमारे वहां के किसानों ने मंजूर किया था कि पैसे हमारे बाकी हैं फिर भी वहां जो हमारे असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार है जो कि यहां पर बैठे हैं जो इनके पहले थे भूतपूर्व असिसटेन्ट रजिस्ट्रार साहब उनको यह सारा केस मालूम है लेकिन, सभापति महोदया, उनके बाद में जो अभी असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार हैं उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बहुत अन्याय किया और उनकी जायदाद ही बिकवा दी इसलिये · ·

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें । आप समाप्त करे । श्री राम रघुनाथ ।

श्री नानूराम कुमावत : सभापति महोदया, मेरा यही अन्त में निवेदन है कि उन असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार साहब के खिलाफ कार्यवाही की जाय और जिन मांगों की तरफ मैंने आपका ध्यान मंत्री महोदय की तरफ आकर्षित किया है उसकी तरफ मंत्री महोदय जरूर ध्यान देंगें ऐसी मैं उम्मीद करता हूं ।

श्री सभापति : श्री राम रघुनाथ ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : सभापति महोदया, आज सहकारिता की मांगें प्रस्तुत की जा रही हैं । मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सहकारिता का तात्पर्य यह था कि सहकारी समितियां खोली जाय और सहकारी विभाग खोला जाय और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जाय । इस भावना को मद्दे नजर रखते हुए सहकारी समितियां गांव में बनायी गयी और गांव में कई छोटी छोटी सहकारी समितियां बनायीं गयी थी । सभापति महोदया, इन सहकारी समितियों को ऋण देने के लिये प्राथमिक भूमि विकास बैंक और अनेक बैंकों की स्थापना की गयी । सभापति महोदया, उनकी आर्थिक स्थिति और कार्यों को देखते हुए उन्हें आर्थिक मदद दी जाय वह चाहे ऋण के रूप में हो चाहे अनुदान के रूप में हो ताकि उससे ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें । सभापति महोदया, हमारी बहुत अच्छी योजना थी पर जिस विचार और जिस योजना के लिये इसे बनाया गया था उसमें हम असफल हुए आज हालात यह है कि सहकारी समितियां जगह जगह भंग हो रही हैं और उनको जो ऋण दिया गया था वह या तो वसूल नहीं हो रहा है या उन्हें उन सहकारी समितियों द्वारा चुकाया नहीं जा रहा है । और सभापति महोदया, हालात जो पहले ठीक थे उससे अब खराब होते जा रहे हैं ।

इस संबंध में, सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें कमी क्या रही जिससे कि यह हो रहा है इसमें क्या सुधार करना चाहिये जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी छोटी सहकारी समितियां बनायी जायं और उनको समय पर बैंकों द्वारा

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

ऋण दिया जाय और समय पर उन ऋणों की वसूली भी की जाय। सभापति महोदया, जो योजना हमने ग्रामीण क्षेत्रों में चलायी थी जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की वास्तव में आर्थिक हालत सुधरे उसके लिये मैं कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं। सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व में ऐसी व्यवस्था थी कि एक ग्राम पंचायत के नीचे जितने भी गांव होते थे उनके लिये एक सहकारी समिति होती थी उसके बाद में हमने इसका केन्द्रीयकरण किया हमने हर गांव में एक एक ग्रामीण सहकारी समिति बनाई। लेकिन यहां पर मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर गांवों में अधिक छोटी छोटी सहकारी समितियां बनें तो आपको क्या नुकसान होगा, नहीं तो होता यह है कि गांवों में पार्टीबाजी होती है और उसके होने से गांव में दो पार्टियां बन जाती हैं और फिर उसमें असामाजिक तत्व घुस जाते हैं, कुछ स्वार्थी तत्व घुस जाते हैं और वह लोग बाद में इसमें पदाधिकारी बनने की कोशिश करते हैं फिर ऐसे ही लोग आगे आकर गड़बड़ियां करते हैं और फिर सभी मटियामेट कर देते हैं। इसलिये, सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 50-50 या 100 सदस्यों को मिला कर या पांच पांच, दस दस परिवारों को जो कि एक विचार के हों अपने विचार मिलने वालों के साथ सहकारी समिति बना कर उनको ऋण देने की व्यवस्था की जाय और वह अपने ऋण का चुकारा कर दें। इसमें आपको क्या एतराज हो सकता है अगर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी छोटी छोटी सहकारी समितियां बनायें तो। सभापति महोदया, मैं यह विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि गांवों में सहकारिता कोई नयी बात नहीं है यह तो पुराने जमाने से ही चलती आई है, एक गांव में एक कुएं पर 6 या 8 लोग मिलकर किसी का कुआं होता था तो किसी का बैल होता था तो किसी का चरस होता है और वह सभी मिलकर एक कुए पर रवी और खरीफ की फसल को प्रेम से पैदा करके बाद में प्रेम से उस फसल का बंटवारा करते थे कहीं कोई गड़बड़ी और गलती नहीं होती थी। इसी प्रकार अपने एक विचारों के लोगों में सहकारिता स्वरूप रहे इसलिये आप ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी छोटी सहकारी समितियां बनाने के लिये प्रोत्साहित करें तो उनको काफी मदद मिलेगी और उनकी आर्थिक दृष्टि भी ठीक होगी। इसके साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें जो कमियां हैं वे कमियां क्या हैं वह यह है कि आप उनको समय पर ऋण नहीं देते हैं या वह लोग समय पर अपनी शेयर मनी नहीं जमा कराते हैं या वे भुगतान नहीं करते हैं शेयर मनी का भुगतान नहीं करने से वह डिफेक्टिव हो जाते हैं। इसके साथ साथ यह भी है कि उनका ऑडिट नहीं होता है समय पर और समय पर आडिट नहीं होने के कारण उन सहकारी समितियों में करप्शन बढ़ता ही बढ़ता रहता है। इसके अलावा आप इन छोटी मोटी सहकारी समितियों में व्यवस्थापक बैठा देते हो और वे वहां पर गड़बड़ी करते हैं। सभापति महोदया, समय पर इन सहकारी समितियों का आडिट नहीं होने से जो करप्शन होता है उसके लिये मेरा निवेदन है कि ज्योंही यह पता लगे कि किसी सहकारी समिति में करप्शन है तो तुरन्त उसके पदाधिकारियों, जो भी उसमें लिप्त हों, के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए।

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऋण समय पर नहीं मिलता उसके लिये मैंने सुझाव दिया है कि तीन तरह के ऋण मिलते हैं एक शार्ट टर्म दूसरा मीडियम टर्म लोन और तीसरे लोंग टर्म लोन। यह लोन एक तो भूमि विकास बैंक देता है और दूसरा केन्द्रीय विकास बैंक देता है। मेरा सुझाव है कि भूमि विकास बैंक और केन्द्रीय विकास बैंक दोनों का एकीकरण कर दिया जावे इन दोनों को इकट्ठा कर दिया जाय। इसका कारण यह है कि एक ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति शार्ट टर्म लोन के लिए जाता है तो उसको केन्द्रीय विकास बैंक से प्राप्त करना पड़ता है और अगर लोंग टर्म लोन चाहिए कुएं के लिए चाहिए या ट्रैक्टर के लिए चाहिए तो वह भूमि विकास बैंक के पास जाता है। इस प्रकार से उसको अलग अलग जगह से सर्टिफिकेट प्राप्त करना पड़ता है अलग अलग जगह अधिकारियों से मिलना पड़ता है और उसमें कठिनाईयां आती हैं। अगर आप दोनों बैंकों का एकीकरण कर देंगे तो एक तो आपके पास स्टाफ बढ़ जायगा और आपकी जो दोनों बैंकों के पास जीप हैं और दो बैंकों की जीप एक ही काम के लिए एक ही गांव में जाती है तो गाड़ी का दुरुपयोग भी बच जायगा और उससे आपको सुविधा होगी। अगर ऋण का वितरण करना है या रिकवरी करनी है तो दोनों ही कामों के लिए वह एक ही स्टाफ काम में आ जायगा और इसमें ज्यादा तेजी से काम होगा और लोगों को सहूलियत रहेगी। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि इन दोनों बैंकों का एकीकरण कर दिया जाय क्यों कि दोनों बैंकों का एक सा ही काम है इससे खर्चा भी कम पड़ेगा राज्य पर भी भार कम पड़ेगा और लोगों को मदद मिलेगी।

इसके साथ ही मेरा निवेदन है कि पुराने ट्रैक्टरों के लिए यहां पर लोन नहीं मिलता। हम नये ट्रैक्टर्स के लिए तो लोन देते हैं और विशेषकर हमारे यहां ऐसा इलाका है जो कि मैसीफर्ग्यूसन ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं और वह रेडीली अवेलेबल नहीं होता और आजकल दूसरे ट्रैक्टर नहीं मिलते। आज स्थिति यह है कि ट्रैक्टर किसी के नाम से है और लोन किसी के नाम से है। इससे अच्छा आप यह कर दें कि पुराने ट्रैक्टर खरीदने का भी प्रावधान करें दें और उस पर लोन दें जैसा कि हरियाणा और पंजाब में है। वहां पर एग्रोइन्डस्ट्रीज वाले इसमें मदद करते हैं जिस ट्रैक्टर को किसान खरीदना चाहता है और वह कहते हैं कि यह इतने रुपये का है तथा मशीन की कन्डीशन यह है और जब कीमत टैक्निशियन्स के जरिये निर्धारित कर दी जाती है तो वह किसान उस ट्रैक्टर को लोन लेकर खरीद सकता है और मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यही की यही व्यवस्था हमारे यहां भी होनी चाहिए कि जो किसान पुराना ट्रैक्टर खरीदना चाहे तो हमारे टैक्निशियन्स उसकी कीमत तय कर दें और उतना लोन भूमि विकास या केन्द्रीय विकास बैंक से मिल जाना चाहिए इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए।

इसके साथ ही मेरा निवेदन है कि हमारी जितनी भी सहकारी समितियां हैं उनके पास कोई काम नहीं है। आर्थिक स्थिति सुधारने का मतलब यह था कि उनके पास कुटीर उद्योग होते, अच्छी सोसायटी रेगुलर प्रोफिट में चलाने के लिए प्रयास

(136)

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

करते लेकिन हमारी सहकारी समितियां आवश्यक वस्तुओं के वितरण का काम करती हैं और वहां भी अगर जिलाधीश उनसे नाराज़ हो जाय तो फिर आवश्यक वस्तुओं के वितरण का काम उससे करवाता नहीं है। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि आप बिलकुल निश्चय कर दीजिए कि जितना भी वितरण हो वह सहकारी समितियों के द्वारा ही हो। उसमें यदि भ्रष्ट व्यक्ति घुस गया है और उसकी वजह से कालाबाजारी हो रही है तो इमिजिएटली उसको अलग करके उसको सहकारी समिति से हटाकर उसके ऊपर मुकदमा चलायें। लेकिन बाकी लोग नुकसान क्यों उठायें और ऐसी व्यवस्था कीजिए कि सारा वितरण सहकारी समितियों के द्वारा हो न कि सारा सहकारी समितियों से वह काम छीन लिया जाय।

इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहता था कि आपने सहकारी समितियों में व्यवस्थापक रखे हुए हैं जिनको 250 से 450 की तनख्वाह दी जाती है और उसकी सारी देखभाल करने की जिम्मेदारी इसी व्यक्ति के पास है। खाद और बीज का वितरण करता है, रिकवरी करता है। इसकी जिम्मेदारी होने के नाते विशेष जिम्मेदारी तो है ही नहीं और कई बार देखा जाता है कि वह पदाधिकारियों की सुनता नहीं और मनमाने ढंग से रिकवरी करता है इसका नतीजा यह है कि घोटाले होते हैं। इसलिए एक तरफ तो आप व्यवस्थापक को देखिये और वहां पर ऐसे जिम्मेदार आदमी को बैठायें कि कम से कम तनख्वाह एल. डी. सी. की हो और काम का बोझ हो कि सचिव की तरह वह काम करे और अपने आपको एडमिनिस्ट्रेटर समझकर वहां का जो अध्यक्ष है उस पर हुक्म नहीं चलाये। इसकी व्यवस्था हो।...

श्री सभापति : आप अपने पाइन्ट पर आ चुके हैं या अभी भूमिका ही बना रहे हैं।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मैं अपनी बात ही कह रहा हूं। पांच, सात मिनट में समाप्त करता हूं।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता था कि यह एजेन्सी ऐसी है कि कृषि से संबंधित कटौती प्रस्ताव नहीं हैं लेकिन मैं निवेदन करना चाहता था....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 7 बजे तक बढ़ा दिया जाय और 6 बजे मंत्री महोदय जवाब शुरू कर दें।

श्री सभापति : सदन की अनुमति से समय 7 बजे तक के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदया, आज पहले के दिन की भी मांग है....

श्री सभापति : और बढ़ा दिया जायगा आवश्यकता हुई तो।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : 6 बजे मंत्री महोदय जवाब देंगे तो कठिनाई हो जायगी।

श्री **सभापति** : आवश्यकता समझेंगे तो और बढ़ा देंगे ।

श्री **शिवराम शर्मा** : यह ज्यादा देर यहां बैठते नहीं हैं । चले जायेंगे इसलिए इनके फायदे के लिए रखा है ।

श्री **ललितकिशोर चतुर्वेदी** : हम ही रहते हैं ।

मांग संख्या 36, 33, 30 व 23 पर विचार

श्री **सभापति** : आपका समय क्यों नष्ट करते हैं ? इन्हें बोलने दें ।

श्री **रामरघुनाथ चौधरी** : सभापति महोदया, मैं यह निवेदन कर रहा था कि सहकारी समितियों के मार्फत देहातों में बीज, फर्टीलाइजर और पैस्टीसाइट्स वितरण किया जाता है । मैं निवेदन करना चाहता था कि यह कृषि के लिए भी बहुत अच्छी एजेन्सी हो सकती है और सहकारी समितियों से भी इसके लिए काम लिया जाय कि पशुओं में छोटे छोटे जो रोग लग जाते हैं उनका प्रचार बीज और खाद के साथ सहकारी समितियों के द्वारा कराया जाय तो उसकी जानकारी गांव के हर किसान तक पहुंचेगी और वह ज्यादा सजग होकर इसके लिए उपचार कर सकता है ।

इसके साथ ही मेरा निवेदन था कि नागौर जिले में 1974–75 में रिट्रेन्चमेन्ट हुआ था और नागौर में 13 कर्मचारियों को हटाया गया था । डिप्टी रजिस्ट्रार ने उनको हटाने में गलती की क्योंकि उन कर्मचारियों से काम नहीं ले सके थे । वह हाई कोर्ट में गये और सरकार को 2 लाख का भुगतान उनको करना पड़ा और आज भी वह बैंक में हैं । तो, सभापति महोदया, मैं कहना चाहता था कि डिप्टी रजिस्ट्रार के स्तर का अधिकारी इस तरह की गलती करे और उसके कारण से विभाग को नुकसान भुगतना पड़े तो इस तरह के अधिकारियों को सजा देने से मुक्त नहीं करना चाहिए ।

इसके साथ ही मैं गृह निर्माण सहकारी समितियों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । यह गृह निर्माण सहकारी समितियां शहरों में ज्यादा हैं और इसलिए ज्यादा हैं कि शहरों की कृषि भूमि हड़प करके लोगों ने नाजायज फायदा उठाना चाहा और उठा रहे हैं । उसके संबंध में बहुत सूक्ष्म में निवेदन करना चाहता था कि जयपुर को ही ले लीजिए, मैं जयपुर के लिए इसलिए निवेदन करता हूं कि बाकी शहरों का भी अन्दाज लगा लें कि जयपुर शहर का जो स्वरूप है वही दूसरों का भी स्वरूप होगा, जयपुर में आज 225 गृह निर्माण सहकारी समितियां पंजीकृत हैं और, इनमें से 49 ऐसी हैं जिन्होंने कि भूमि का रूपान्तरकरण कराया है और बाकी सहकारी समितियों ने इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की । इनमें से 5 सहकारी समितियां ऐसी हैं जिन्होंने कि प्रीमियम जमा कराया है । 1978 में 1 करोड़ 20 लाख का प्रीमियम बकाया था जिसमें से 40 लाख रुपया विभाग में जमा कराया । यह सहकारी समितियां वह हैं जिन्होंने कि जमीन का रूपान्तरकरण कराया है । अगर उन समितियों ने जमीन का रूपान्तरकरण करा दिया होता तो सरकार को 6 करोड़ रुपया मिलता । सभापति महोदया, यह समितियां जमीन का रूपान्तरकरण नहीं करवाती हैं । अगर रूपान्तरकरण करवाती हैं तो वह पता लग जाता है कि इन सहकारी समितियों ने सोसायटी के लिए प्लाट

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

काटने के लिए कितनी जमीन ली थी । चूंकि आपने 1973 के बाद में यह बन्द कर दिया था कि 73 से पूर्व में जितनी जमीन खरीदी गयी है वह कानून के अनुसार और नियमों के अनुसार उचित समझी जायगी और उसके बाद में खरीदी गयी भूमि गैर वाजिब समझी जायगी इसलिए इन्होंने यह सोचा कि न तो ऑडिट कराया जाय । न ही रूपान्तरकरण ही कराया जाये और अगर ऑडिट और रूपान्तरकरण नहीं करायेंगे तो यह पता लगाना मुश्किल है कि इन सहकारी समितियों ने जमीन 73 के बाद खरीदी या पहले खरीदी और यही कारण है कि 10 रुपये में रसीद काटकर देते हैं और वही आदमी को प्लाट काटकर देते हैं तो उससे 40 और 50 रुपया लेते हैं । जिस आदमी ने प्लाट लिया है वह रूपान्तरकरण का पैसा इसलिए जमा नहीं कराता है कि वह सोचता है कि सोसायटी अपने आप जमा करायेगी । ऐसे लोग इण्डि-विजुअल जमा कराने के लिए तैयार हैं लेकिन विभाग नहीं लेता है । तो यह समस्या इसलिए पैदा हुई है कि सहकारी विभाग में 200 सहकारी समितियों ने अपने आपको पंजीकृत कराया और उसके बाद में आज तक नहीं देखा कि इन्होंने भूमि के बारे में यह स्टेटमेन्ट भी रजिस्ट्रार को-आपरेटिव सोसाइटीज ऑफिस में या संबंधित ऑफिस में दिया या नहीं और न यह कोशिश की कि विभाग में इनका ऑडिट हुआ या नहीं और ऑडिट नहीं होने से और विभाग को सूचना नहीं देने से आज देखिये कि जयपुर शहर में 75 तिशत जितनी कृषि भूमि है वह सहकारी समितियों के पास है . .

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदया बहुत गर्मी हो रही है । सो ट्रेजरी बैन्चेज वाले यह कह रहे हैं कुछ इसकी व्यवस्था करायें ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : सभापति महोदया, 1976 में शहरी भूमि सीमा अधि-नियम लागू हो गया था उसके बाद रजिस्ट्रेशन बन्द हो गये थे । 1973 में राजस्थान बाहरी सम्पत्ति (नियन्त्रण व हस्तांतरण) अधि-नियम के प्रावधानों के विरुद्ध है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी भी सहकारी समिति रजिस्ट्रेशन की हैं उन्होंने कितनी भूमि खरीदी कितने लोगों के नाम रखी ? क्या आप करने जा रहे हैं ? इसकी जांच कीजिये सहकारी समितियां अनाप शनाप पैसा कमाती जा रही हैं, इसको बन्द कीजिये । यह सरकार से, सहकारी विभाग से उपलब्ध कराकर मध्यमं लोगों को दीजिये ताकि सही तरीके से लोगों को फायदा पहुंच सके ।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाह रहा था कि आपने कृषक सेवा समितियां (एफ. एस. एस.) खोलीं । एक्सपेरीमेंट बेसेस पर खोलीं । मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था कि दो-दो, तीन तीन पंचायतों को लिया है । बीच की दो पंचायतों को छोड़ दिया । जनता सरकार ने इनको बाहर कर दिया । आप इनको देखें जिन पंचायतों को बीच में छोड़ दिया है उनको उनके साथ लें और जिनको दूर से ले लिया उनको छोड़ दीजिये । कोई भी ग्राम पंचायत एफ. एस. एस. के बिना अपना कार्य पूरा नहीं कर सकती ।

इसके साथ ही मैं कुछ और बन्धक मजदूरों के संबंध में निवेदन करना चाहता

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

हूं। राज्य में अभी 67 हजार बन्धक मजदूर हैं। गांधी शांति प्रतिष्ठान की जो रिपोर्ट में यह जानकारी मुझे उससे प्राप्त हुई है। मैं नहीं कहता राज्य सरकार के पास जानकारी है अथवा नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वेस्ट जर्मनी का एक अखबार निकलता है स्विजविक। वालियन्ट्री एजेन्सी यहां आती रहती है उन्होंने सर्वे किया है 500 बन्धक मजदूर चितौड में हैं। 32 बन्धक मजदूर डूंगरपुर में हैं और 5000 बन्धक मजदूर मकराना में हैं। यह उस अखबार में था। यह आंकड़े मैंने एक प्रश्न के जरिये आपसे पूछे थे, मुझे कोई उत्तर नहीं मिला था। इन मजदूरों के प्रति मेहरबानी और दया रखिये। एक पूर्ण सर्वे रिपोर्ट तैयार कराइये राजस्थान में आपके कितने बन्धक मजदूर हैं। बन्धक मजदूरों के लिये जो अलग से प्रकोष्ठ था जब जनता सरकार आई . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो, तीन मिनिट लूंगा।

श्री सभापति : पहले काफी बोल चुके हैं।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : बन्धक मजदूरों के लिये अलग आफिसर था मुकदमें बनाये लेकिन 77 में जब जनता सरकार आई, बन्धकों का अलग जो सैल बना हुआ था उसको बन्द कर दिया। उन्होंने यह देखा कि राजस्थान में कोई बन्धक नहीं रहा है। उस आफिसर को हटाकर यह सारा काम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को सौंप दिया। तब से लेकर आज तक कुछ नहीं किया है और आपकी जो रिपोर्ट निकली है उसमें नागौर जिले के लिये लिखा है कोई बन्धक नहीं है नागौर जिले में मकराना में 5 हजार बन्धक हैं। राजस्थान में कहीं भी बन्धक हों आप सर्वे कराइये और सर्वे करा करके आपका फर्ज है, आपका कर्त्तव्य है कि आप उनके लिये सोशियल, इकनामिक, उनकी स्थिति को देखते हुए उनका पुनर्वास कीजिये और उनकी दयनीय स्थिति का सुधार कीजिये।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं। महिला आश्रालय शहरों में हैं। उनकी हालत खस्ता है। खाने के लिये कुछ पैसों का भोजन मिलता है। उनकी स्थिति दयनीय है। मैं अधिक नहीं कहूंगा। इशारा ही करना चाहता हूं कि उनकी स्थिति को आप सुधारें।

भिक्षावृत्ति उन्मूलन के लिये बड़े जोर शोर से आपके प्रतिवेदन में लिखी है। भिखारी भिक्षा मांगते हैं। जयपुर शहर हिन्दुस्तान के मुख्य शहरों में से है जिसे पिंक सिटी कहते हैं। टूरिस्ट इतनी दूरी से जयपुर में आते हैं, भिक्षुक उनके पीछे पड़ जाते हैं। उनके लिये आश्रालय खोल दिये जायें। जो चंगे भले हैं उनको कोई ट्रेनिंग दीजिये उनसे कुछ धन्धा खोल सकें। भिक्षुकों को हटाने के लिये पुरजोर से कुछ करें।

शराब बन्दी तो करदी, लेकिन घर घर में कुटीर उद्योग शुरू कर दिये। जो गरीब आदमी शराब पीता है वह आज भी पीता है, चाहे वह स्प्रीट पीता है। यूरिया वगैरा जो होता है, कुकर में पांच दिन में शराब बना लेते हैं। इस तरह से पीकर के वे मर रहे हैं। आप इस तरह का व्यवस्था करें कि गरीब आदमी पीयें तो मरे तो नहीं।

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

सभापति महोदया, विकलांग, गूंगे-बहरों के लिये निवेदन करना चाहता हूं उनको स्कालरशिप मिलती है। उनके नियोजन के लिये आप कुछ करिये। आपने जो दो प्रतिशत रिजर्वेशन उनके लिये रखा हुआ है, दो पर्सेन्ट से क्या होता है? वह भी उनको नहीं मिल पाता।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बहुत समय हो गया। मैं आपसे निवेदन कर रही हूं।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : अन्त में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा.....

श्री सभापति : अन्त तो हो चुका है। सभी विषय आपने कवर कर लिये हैं।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : अन्त में अनुसूचित जाति के लिये...

श्री सभापति : यह तो लम्बा विषय है।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : बहुत से माननीय सदस्य बोल चुके हैं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं निर्धन निराश्रित गरीब लोग हैं। इनके लिये छात्रावास खोलिये। लड़कियों के लिये छात्रावास खोलिये। जहां जहां सैकण्री और हायर सैकण्री स्कूल हैं वहां निर्धन निराश्रित लड़कियों के लिये छात्रावास होने चाहियें ताकि ग्रामीण क्षेत्र में जहां दूर-दूर स्कूल है उनको चार-चार-पांच-पांच मील पैदल नहीं चलना पड़े और छात्रावास खोलकर उनकी शिक्षा का प्रबन्ध किया जाय और साथ में खान-पीन की व्यवस्था की जायें।

श्री सभापति : श्री श्रीराम गोटेवाला।

एक माननीय सदस्य : आर.एस.एस की बात से शुरु करें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवधान न करें।

श्री **श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर) : सभापति महोदया, मैंने सहकारिता समाजकल्याण विभाग के संबंध में कटौती प्रस्ताव दिये हैं और उनके बारे में बहुत संक्षिप्त में अपनी बात निवेदन करना चाहूंगा।

मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य ने जयपुर की सहकारी समितियों के बारे में काफी प्रकाश डाला है। मैं और अधिक बात नहीं कहना चाहता हूं लेकिन एक बात जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी गन्दगी गन्दे नाले में व्याप्त हैं उससे अधिक गन्दगी सहकारी समितियों में व्याप्त है। गृह निर्माण सहकारी समितियों के माध्यम से एक तरफ जहां अर्बन सीलिंग की व्यवस्था को खत्म किया गया है, दूसरी तरफ सारे मास्टर प्लान का, जयपुर शहर के लिये जो मास्टर प्लान बना था उस मास्टर प्लान का खात्मा हुआ है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं। उनकी जमीनों के रेगूलराइजेशन से करोड़ों की आमदनी हो सकती है लेकिन मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि सारी सिटीज के अन्दर कहीं पर यह स्थिति नहीं है, कृषि भूमि के रूपान्तर का पैसा लगाते हों। यहां पर जयपुर शहर के अन्दर लगभग दो सौ गृह निर्माण समितियां हैं। कब रजिस्ट्रेशन हुआ? बहुत लेन-देन हुए हैं। और आज भी जहां सारे का सारा जयपुर शहर इतना नियमित रूप से विकसित शहर था, अनाप शनाप कन्स्ट्रक्शन यहां पर हुए हैं। एक बात

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
के लिये इन गृह निर्माण सहकारी समितियों को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने 25,30 हजार मकान बना दिये, वरना इस सरकारी व्यवस्था के भरोसे, यहां के नगर विकास के भरोसे आज 500 रुपये महीने में एक कमरा किराये पर नहीं मिलता....

आज मैं आपके माध्यम से–सहकारिता विभाग के मंत्री जी नहीं हैं कोई उप मंत्री हैं...

एक माननीय सदस्य : सभी है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : विभाग वाले कोई उप मंत्री हैं क्या ?

(व्यवधान)

मैं आपसे निवेदन करता हूं

एक माननीय सदस्य : भगवती देवी हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : व भी नोट नहीं कर रही हैं इसलिये तकलीफ हो रही है सभापति महोदया, इसके बारे में हम बार बार बात करके सदन के कीमती समय में इसलिये कहना चाहते हैं कि समस्याओं का समाधान हो लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कई प्रकार के लोग आये हैं और कई प्रकार की व्यवस्था आई हैं लेकिन सहकारिता के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सभापति महोदया आज मैं आपके माध्यम से सहकारिता मंत्री जी हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपने जवाब में निश्चित रूप से बतायें कि सहकारिता के भविष्य का क्या फैसला करने जा रहे है। हजारों परिवार ऐसे हैं जिनके ऊपर तलवार लटक रही है, उनको किस प्रकार से निपटाना चाहते हैं सहकारिता मंत्री जी ने एक मीटिंग बुलाई, उसमें बड़े बड़े अधिकारी गण थे, जयपुर शहर के तीनों विधायक मौजूद थे और हमने कहा था कि आप इनसे डवलपमेन्ट चार्जेज लीजिये लेकिन रेगूलराइज कर दीजिय। यू. आई.टी. कहती है हमारे पास फन्डस नहीं है कहां से डवलप करें मैं निश्चित रूप से कहता हूं आप अगर इनको रेगूलराइज करेंगे तो दो-ढाई करोड़ की निश्चित रूप से आमदनी हो जायगी। जयपुर एक सुन्दर शहर है बिगड़ चुका जो बिगड़ चुका लेकिन अब आगे का तो ख्याल रख लें और इसे अधिक न बिगड़ने दें।

मैं माधो गृह निर्माण समिति के बारे में कहना चाहता हूं–माननीय रामरघुनाथ जी तो कृषि भूमि की बात कह रहे थे और मैं सरकारी भूमि की बात करता हूं कि इन सहकारी समितियों ने उसको बेच दी जिनमें लाखों रुपये के घपले हुए हैं। भंवरलाल जी मंत्री बने हुए थे और मैं कह रहा था तो बार-बार आर. एन. एस. की बात कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं क्या किया उन्होंने माधो गृह निर्माण सहकारी समिति के लिये? क्या आपने सरकारी जमीन पर किये गये अतिक्रमण की कार्यवाही की—एक तरफ कार्यवाही हुई तो दूसरी तरफ जिन अधिकारियों ने कार्यवाही की उनका स्थानान्तरण कर दिया गया। लाखों रुपये के उन्होंने और उनकी पार्टी के कार्यकर्त्ताओं ने मिलकर घपले किये हैं और खा गये, आज सारी बातों के बारे में..

(व्यवधान)

एक तरफ से सारे शहर को बिगाड़ने की उनकी जिम्मेदारी है...

(व्यवधान)

(142)

श्री सभापति : आडर, आर्डर ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं माननीय सहकारिता मंत्री जी ने इसी सदन में आश्वस्त किया था और मेरे प्रश्न के जवाब में कहा था कि मैं कार्यवाही कराऊंगा । आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है न इन सहकारी समितियों की जांच होती है, कब बनी, कब क्या हुआ, कब इनका रजिस्ट्रेशन हुआ, मान इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन के मजदूरों की जमीन को खरीद ली द्वारकाप्रसाद जी, जयपुर म्युनिसिपैलिटी में भंवरलाल जी और मैं मेम्बर थे । वे पहले पतले दुबले थे और अब 46 इन्च का पेट हो गया है । मैं आपकी मार्फत सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा सहकारिता मंत्री जी जांच करें सहकारी समितियों के माध्यम से जो घपले हो रहे हैं उसको रोकें और जयपुर के लिये मास्टर प्लान की पूरी कार्यवाही करें ।

एक बात और निवेदन करूंगा गुलाबपुरा स्पिनिंग मिल······

श्री सभापति : माननीय सदस्य सदन के नियमों के अनुसार आसन की तरफ देखें इनकी तरफ न देखें ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं तो आसन की तरफ ही देख रहा हूं इनकी तरफ तो देखने की रुचि ही नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : ये आसन से घबरा रहे हैं ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अभी सभापति पद पर हैं और मेरे से बुजुर्ग भी है इसलिये घबराने वाली बात हो तो कोई बात नहीं है ।

मैं गुलाबपुरा स्पिनिंग मिल की बात कर रहा था । मैंने चार मास पूर्व आरोप लगाया था और जांच की मांग की थी मैं आज भी कहना चाहता हूं कि उसकी जांच कराई जाये । अर्जुन चेचानी जो आर. एम. एम. की ये बात करते हैं······

(व्यवधान)

उन अर्जुन चेचानी ने करीब 20 लाख रुपयों का गबन सब स्टेण्डर्ड करने के नाम पर कर लिया । मैंने उस समय भी बात कही थी । मैंने खुराना साहब से भी निवेदन किया था और अर्जुन चेचानी को तो हमने बर्खास्त करा दिया लेकिन जो लाखों रुपयों का गबन हुआ है उसकी जांच आज मैं माननीय मंत्री महोदय से करवाना चाहता हूं । आज मुझे इस बात की जानकारी है कि वहां के जिलाधीश महोदय ने जांच करवाने की बात की है लेकिन अभी जिलाधीश की जांच के बारें में नहीं कहता हूं क्यों नहीं को आपरेटिव एक्ट के अन्तर्गत जांच करवाई जाती है ! अगर निर्दोष है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मैं तथ्यों के आधार पर साबित कर दूंगा 20 लाख का गबन जो सब स्टेण्डर्ड करने के नाम पर किया सुमेरपुर में, वह किस-किस प्रकार किया है ? मैं निवेदन करूंगा उसकी मेहरबानी करके जांच करवाने की बात करें ।

तीसरी बात सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं यदि सहकारिता को बढाना चाहते हैं इस देश की बेकारी की स्थिति को खतम करने के लिये सहकारिता को अपनाय । आज छपाई में राजस्थान में हाथ के छोटे-मोटे काम धन्धे करने वाले प्रसिद्ध हैं चाहे रंगाई छपाई का काम हो, चाहे सांगानेरी प्रिन्ट का काम

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

हो और चाहे बाडमेर की छपाई का काम हो। छोटे-छोटे लाखों हजारों लोग काम धन्धों में लगे हुए हैं और आज लाखों और करोड़ों रुपयों का माल विदेशों में भेजा जाता है। मैं बहुत ही नम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा सहकारिता मंत्री जी स्वयं देखें और यहां पर उनको लाभ के लिये एक कमेटी बनायें उनको सहकारिता के अन्तर्गत लाये और किसी प्रकार उनको लाभ मिल सकता है तो दिलायें ताकि जो बिचौलिये लाखों रुपये कमा रहे हैं वह न हो और सही आदमी को लाभ मिले। अभी हमारे यहां अशिक्षा है और सहकारिता के लाभों को हमारे यहां के लोग जानते नहीं हैं उनसे वे वंचित रह जाते हैं।

जो हमारे यहां के आर्टीजन और कलाकार हैं वे हजारों की संख्या में इस प्रकार के कामों में लगे हुए हैं उनको किसी प्रकार राहत दिलवा सकें तो उनके लिये भी काम करना पड़ेगा। सभापति महोदया, इस सहकारिता के बारे में एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, मैं याद दिलाना चाहूंगा। माननीय मंत्री महोदय, बी० फाइनन्स हाउसिंग सोसायटी ने 1976-77 में एक करोड़ 48 लाख का कर्जा यहां के हरिजनों को, आदिवासियों को और शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को दिया था और उसका ब्याज समाज कल्याण विभाग चुकाया करता था। उसके बाद उसी सोसायटी के अन्तर्गत कर्जा बांटा गया 75 लाख का और सभापति महोदया, गत वर्ष जो कर्जा बांटा गया वह केवल 49 लाख। एक तरफ हाउसिंग प्राबलम सॉल्व करना चाहते हैं और शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को बहुत मकान बना कर देने हैं। मैं कहना चाहता हूं उसके माध्यम से समाज कल्याण विभाग ब्याज चुकाया करता था। ऐसे काफी हरिजनों को और गरीब तबके के लोगों को लाभ हुआ था। इनके जमाने में तो आंकड़ों के आधार पर निवेदन किया है तो वह डूबी है जबकि हमारी पार्टी के मेनिफेस्टो में इस बात का जिक्र है और हमारी प्रधानमंत्री इस ओर सक्रिय हैं कि हजारों और लाखों परिवारों को जिनके पास आज भी सिर छिपाने को जगह नहीं है, हम उनके लिए मकान आदि बनाने की सुविधा दें। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उस बी फाइनन्सिंग हाउसिंग सोसायटी के माध्यम से इस प्रकार की जो गृह निर्माण सहकारी समितियां बनी हुई हैं, चाहे गंदी बस्तियों के अन्दर बनी हुई हैं, चाहे ग्रामीण इलाकों के अन्दर बनी हुई हों और उसमें जो बिना सहकारी समिति कर्ज दिये जाते हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसको सक्रियता से उस सारे काम को लगाने की बात करें। जहां तक समाज कल्याण विभाग की बात है, आप हरिजन मोहल्लों के अन्दर या उन कामों के अन्दर बिजली और पानी का खर्च को समाज कल्याण के मद में रखा जाता था; अब वह पैसा भी डाइरेक्ट डाइवर्ट हो जाता है। पहले भी कई बार इसके बारे में सदन में कई सदस्यों ने चर्चा की और सभी सम्माननीय सदस्यों ने इस बारे में अनुरोध किया था कि इस रुपये को डाइरेक्ट नहीं देकर समाज कल्याण विभाग के माध्यम से खर्च करें, तो थोड़ा-सा उसमें उनका अधिक लगाव रहता है लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हमारे समाज कल्याण विभाग को सिवा रेस्ट-होम चलाने या सिवा उन संस्थाओं को जो ऐसे वोलन्टिअर आर्गेनाइजेशन चलाती हैं, जो फर्जी आधार पर चलते हैं उनके साथ

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
इस काम को करने के सिवाया···
(5.11 म.प.)

(श्री प्रद्युम्नसिंह, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति : आरम्भ करें, माननीय सदस्य।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदय बदल रहे हैं, पहले सभापति महोदय ने मुझसे कहा था कि आप आसन की तरफ देखकर बोलें, दूसरी तरफ देखें नहीं तो आपके बदलाव से मैं आपकी तरफ देखकर अपनी बात निवेदन कर रहा हूं तो मैं···

(व्यवधान)

सभापति महोदय, का आदेश था तो मैं यह निवेद कर रहा था, यहां पर पानी, बिजली और रेस्ट-होम और वालेंटियर आर्गेनाइजेशन समाज कल्याण विभाग के माध्यम से जो चलाते हैं, मैं उसके बारें में विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि हमको इसको देखना पड़ेगा। आज उस पोषाहार कार्यक्रम के मार्फत मैं आपसे निश्चित रूप से कहता हूं, लगातार इस प्रकार के धन का दुरुपयोग हुआ है और उन बच्चों तक वह सामग्री पहुंचती नहीं उसमें जगह-जगह लोग कोई लकड़ी बेचकर खा जाता है, कोई गुड़ बेचकर खा जाता था, कोई तेल बेचकर खा जाता था और जगह-जगह अपने भ्रष्टाचार की यहां पर एजेन्सियां कायम कर रखी थी। आज मैं आपके माध्यम से समाज कल्याण मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से आपने जो मॉडर्न फैक्टरी बिस्कुट की जो बात की है, उसमें भी घपला है, उसके बारें में भी आपको देखना पड़ेगा कि किस प्रकार की व्यवस्था को ठीक करके जिनको पोषाहार कार्यक्रम चलाकर उनकी पूर्ति करना चाहते हैं, उनको इस बात को हम पहुंचायें।

यहां जयपुर के अन्दर जो भिक्षावृत्ति क बात, हालांकि हमारे यहां तो मोहल्ले के मौहल्ले हैं, भिखारियों के, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां लगती है, कई लोग सड़कों पर शरीर के अंगो का प्रदर्शन करते हुए घूमते हैं, जयपुर में विदेशी लोग घूमने के लिए बहुत आते हैं और सारे विदेशी लोग इन लोगों की फोटोज यहां से लेकर जाते हैं और जैसा हमारे माननीय सदस्य रामरघुनाथ जी ने जिक्र किया था कि जर्मनी की पत्रिका का। तो ये जितनी भी वैस्टर्न कन्ट्रीज हैं, व हिन्दुस्तान के दोस्त हैं, उन्होंने लगातार इस बात के बारे में प्रचार प्रसार किया है, उन्होंने बराबर इस बात के बारे में कहा है कि यहां पर हिन्दुस्तान में भुखमरी है, हिन्दुस्तान में गरीबी है, हिन्दुस्तान का आदमी इस प्रकार के, इन कोढ़ियों के फोटो लेकर जाते हैं और इनको अपने देश में ले जाकर इन को विदेशी पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाते हैं, सभापति महोदय, हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब आपने इसके लिए सार्वजनिक व्यवस्था कर रखी है क्यों नहीं आप उसको पकड़वाकर उनको सार्वजनिक व्यवस्था के अन्दर रखवाने की व्यवस्था करते हैं जो इस प्रकार के प्रदर्शन राजस्थान की सड़कों पर जहां आदमी हवामहल देखने आते हैं, यहां की सुन्दर चीजें हैं, उनको देखने आते हैं और इस हवामहल के सामने ही इन कोढ़ियों को, उनको वहां देखकर ही हवामहल के साथ ही फोटो लेकर जाते हैं, उन कोढ़ियों का तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
से निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम, चाहे समाज कल्याण विभाग के माध्यम से या चाहे किसी और विभाग के माध्यम से करें, आप उनके साथ सख्ती से कार्यवाही कर रोक लगाइये कि इस प्रकार के भिखारी कम से कम सड़कों के ऊपर तो नहीं चलें, प्रदर्शन करते हुए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भिक्षावृत्ति को एकदम समाप्त किया जाना चाहिए और जो जान बूझकर मेहनत करके कमाकर खा सकता है, उस आदमी के लिए जहां सारे साधन मुहैया किये जा रहे हैं यहां इस प्रकार की मुफ्तखोरी की आदत के अन्दर न पड़े रहें। मैं समझता हूं कि इतनी जल्दी करेंगे या नहीं करेंगे उस सारी बात के बारे में कोशिश नहीं करेंगे लेकिन कम से कम कोढ़ियों को और इस प्रकार के लोग जो विकलांग लोग हैं, इनका प्रदर्शन होता है, शहर वालों करके प्रदर्शन को तो बन्द करवाइये। तो मैंने जिन जिन बातों के बारे में आपसे अनुरोध किया है और सहकारिता मंत्री जी से जो विशेषकर मैंने जयपुर की गृह निर्माण सहकारी समितियों के बारे में निवदन किया था मैं उम्मीद करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय, इस को अपने उत्तर में निश्चित रूप से इस बारे में बतायें। एक बात गुलाबपुरा स्पिनिंग मिल के बारे में भी कहना चाहूंगा कि उसके जो भूतपूर्व अध्यक्ष थे चेचानी साहब, उसके बारे में उम्मीद करूंगा कि उसके बारे में प्रकाश डालेंगे।

श्री सभापति : हांजी श्री चांद खां।

(व्यवधान)

एक मिनट, आप तशरीफ रखिये कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री मोहनलाल शर्मा (सरदार शहर): माननीय सभापति महोदय, माननीय किशन-पोल से आनेवाले माननीय सदस्य ने एक तो श्री अर्जुनलाल चेचानी के बारे में कहा है, जिन्होंने लाखों रुपये के घोटाले किये

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप माननीय सदस्य, आपके बारे में कोई अगर कहा है तो...

श्री मोहनलाल शर्मा : हां मेरे बारे में भी कहा है और एक कोई माधव गृह निर्माण सहकारी समिति के बारे में यह कहा है कि वह मेरी पार्टी की ओर है। वैसे तो हाउस में जो बोलते हैं, उसके बारे में कोई एक्शन होता नहीं है इसलिए यह भूख का जो है उसका लाभ उठाकर यहां पर माननीय सदस्य बोलते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यह सत्य है और अगर आपमें साहस है तो आप जनता से कहिये, पत्रों में आने दीजिए तो जो गैर जिम्मेदारी का नतीजा भी आपको मिलेगा और आपके खिलाफ कार्यवाही भी कर सकते हैं और मैं आपको चेतावनी देता हूं कि ये जो माधव गृह निर्माण सहकारी समिति है यह किसी भी तरह से हमसे सम्बन्ध रखती हो, चाहे हमने किसी भी तरह की गड़बड़ियां की हों तो आपको चुनौती है और आपको चेतावनी देता हूं कि आपके मन्त्री हैं सरकार आपकी है। आप उसकी जांच कराइये लेकिन जांच की मांग करने के बाद सहकारी समितियों की जांच होने से विराजमान जो माननीय सदस्य हैं, सारे जयपुर शहर में जांच होगी तो ये माधव गृह निर्माण सहकारी समिति तो शायद जायगी या नहीं जायगी पर सबसे बड़ी बात यह होगी कि आप तो

(५८)

(श्री मोहनलाल शर्मा)

जायेंगे ही जायेंगे और जांच आप करें, मेरी बात यह है कि आप इस प्रकार के चार्जेज बिना किसी वस के नहीं बतायें ये ध्यान रखें।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि मैंने जो इस माधव गृह निर्माण सहकारी समिति के सम्बन्ध में आरोप लगाये हैं, उसके सम्बन्ध में मैंने माननीय मंत्री महोदय को इसके यहां के सक्रिय कार्यकर्त्ता, जो मेरे साथ म्युनिसिपैलिटी के सदस्य रहे हैं और जिनको अभी तक आपने अपनी जनता पार्टी से निकाला नहीं है और जहां तक मेरी जानकारी है, क्योंकि अधिकृत रूप से कोई जानकारी नहीं है, इसलिए कहता नहीं हूं, शायद उनकी जयपुर शहर की कमेटी बनी है, उसके भी शायद वे सदस्य हैं, उन श्री सोहनलालजी शर्मा के हस्ताक्षरयुक्त रसीद मैंने माननीय मंत्री जी द्वारा मैं खुली जांच के लिए तैयार हूं। मैं माननीय भंवरलाल जी शर्मा से भी अनुरोध करता हूं क्योंकि उनके बारे में भी समझता हूं लोग कहते हैं बड़े ईमानदार हैं, बड़े चरित्रवान है म उनके चरित्र और ईमानदारी के बारे में अभी नहीं कहता लेकिन मैं चुनौती देता हूं, चेतावनी देता हूं कि उस माधव गृह निर्माण सहकारी समिति की रसीदों के ऊपर उनके सोहनलालजी शर्मा ने ढाई सौ रुपये ले लेकर वहां उन्होंने घोटाले किये हैं, जो यू. आई. टी. की जमीन थी जिसको रेवेन्यू बोर्ड ने स्टे ले रखा है, वह जमीन बेचकर वहां हजारों परिवारों को बसा दिया गया। पहले उस जमीन में यू. आई. टी. ने पुलिस में केस दर्ज करवाया शास्त्रीनगर थाने में केस दर्ज हुआ और इन्होंने फिर उस दबाव पार्टी से डालकर वहां से उस केस को दबा दिया।

श्री सभापति : अब आप स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य, एक मिनट स्थान ग्रहण करें।

मैं ऐसा करने को तैयार हूं, आपके जो माननीय सदस्य बोलेंगे, आप उनको ब्रीफ कर लीजिए, इसका अन्त कहां होगा, चर्चा में कहीं आप कहेंगे, वो कहेंगे, इसको समाप्त करना पड़ेगा, माननीय सदस्य।

श्री मोहनलाल शर्मा : माननीय सदस्य, नियमों में जो प्रावधान है···

श्री सभापति : अभी जो मैंने सुना है, आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया, आपने फर्माया कि इन्होंने आपके ऊपर कोई आरोप लगाया है तो आप उसकी सफाई दे चुके हैं इसलिए मैं आपको बोलने देने में असमर्थ हूं इसलिए···

(व्यवधान)

माननीय सदस्य आप सहयोग करें। माननीय सदस्य इसका अन्त कहां होगा? इन चुनौतियों का अन्त कहां होगा?

श्री मोहनलाल शर्मा : इन सारी समितियों की आप जांच कराइये, मैं आपके साथ हूं आप इसकी जांच करवाइये।

श्री शिवराम शर्मा : आरोप के लिए उनसे पूछिये, आरोप लगाते हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, तशरीफ रखेंगे एक मिनट।

(श्री सभापति)

माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज, आर्डर, आर्डर।

माननीय सदस्य शिवराम जी, आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया गया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : लगाया है साहब।

श्री सभापति: मैंने सुना है, नहीं लगाया जब आसन इस बात को कह रहा है कि आप पर कोई आरोप नहीं है तो आप मान लीजिए।

श्री चाव खां।

श्री चांव खां (कामां) : सभापति महोदय, मैं सदन का ज्यादा वक्त नहीं लेता। जो भी दो-तीन बातें रखनी हैं वे रख कर बहुत जल्दी अपनी बात समाप्त कर दूंगा। पहली बात तो यह है कि आज जो सहकारी समितियों के बारे में चर्चा हो रही है, जहां तक मेरी जानकारी है इसमें आम तौर पर जिसको मैं देख रहा हूं बहुत घोटाले होते हैं, बेइमानी होती है। मैं आपको अपने इलाके की बात बताता हूं कि हमारे यहां सहकारी समिति पहाड़ी है वहां पर पहली तारीख को सदस्य बनाया गया है और चार पांच तारीख को उनको लोन दे दिया जाता है। जब उनकी इन्क्वायरी की जाती है तो नाम का पता नहीं चलता। उनकी वसूली के नोटिस जारी होते हैं तो अपनी दो पंचायतों के बारे म कहता हूं कि एक का भी नाम उसमें नहीं मिला। जब हमसे पूछा गया तो मैंने इस बारे में जांच की और जांच करने के बाद में पता किया कि आप तो पंचायतों की जांच कर रहे हो, मेरे खयाल में तो हिन्दुस्तान में किसी भी कोने म चले जाओ इसी तरह की हालत मिलेगी। इसी तरह के लोगों के नाम उसमें दिए गए हैं। आपको अगर नाम मिला तो बाप का नाम नहीं मिलेगा और बाप का नाम मिल जाएगा तो खुद का नाम नहीं मिलता। इस तरह से घोटाले किए जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।

दूसरी बात, जो सहकारी समितियां सरकार ने बनाई थीं गरीबों के हितों के लिए बनाई थीं लेकिन उसमें गरीबों का हित नहीं हो रहा है। जो लोग चुन कर जाते ह, खजांची, सचिव, अध्यक्ष वे तीनों मिल कर लाखों रुपयों का घोटाला करते हैं। बोगस नाम पर पैसे लिए जाते हैं और फर्जी फार्म भर दिए जाते हैं। फर्जी नामों के बांड भर लिये जाते हैं दस-दस हजार पन्द्रह-पन्द्रह हजार रुपये लेकर के जमीन खरीदी जाती है और वह पैसा अपने काम में लिया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए मेरी राय है कि जो भी इस तरह की सहकारी समितियां हैं उनकी जांच करानी चाहिए और जांच करा कर एक्शन लिया जावे।

दूसरी बात, यह है कि मैं देख रहा हूं कि हमारे यहां पर जो सदस्य पधारे हैं उनका एक ही काम हो गया है कि एक दूसरे की पार्टी के ऊपर छींटे उछालना कि तुमने यह किया और तुमने यह नहीं किया। दोस्तों, मैं तो आपको यही कहता हूं कि आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लो कि आप लोगों को जनता ने चुन कर भेजा है तो यहां काम करने के लिए भेजा है। अपने इलाके की भलाई की बात करने के लिए भेजा है आपने अभी तक यह देखा होगा कि 72 में जब चुनाव हुए तो आप लोगों को बहुत बड़ा बहुमत मिला था, आपकी पार्टी बहुत बड़े बहुमत में आई थी लेकिन आप लोगों से गलतियां हुई और आप लोगों को जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया था। फिर 77 में जनता पार्टी आई और जनता ने उनको भी 80 में उखाड़ कर फेंक दिया। अगर अब भी

(श्री चाव खां)

आप लोगों ने जनता की भलाई के काम नहीं किए तो फिर जनता आपको सजा देगी अगर आप गलतियां करोगे तो वह दिन दूर नहीं है कि जब इन बैंचों पर आ जाओगे मैंने पहले भी निवेदन किया था और आज भी निवेदन करता हूं कि हम लोगों को जनता की भलाई के काम करने हैं। एक दूसरे पर जब तक आप आरोप लगाते रहोगे तो इसमें सदन का वक्त जाया होगा और इस तरह से जनता की भलाई के लिए कुछ नहीं होगा।

मैं अपने इलाके की बात कह कर बैठ जाऊंगा। हमारे इलाके में, मेरे क्षेत्र में जो कछ हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, वह मैं आपको बताता हूं। आज तक जो भी तबादले किए जाते थे, आज भी यहां कहा गया था कि मैम्बर साहबान की राय से किए जावेंगे लेकिन आपको साफ कहता हूं कि मैं इस काम के लिये आज तक किसी के दरवाजे पर नहीं गया हूं। तबादले करते हैं तो यह सरकार का काम है और करने भी चाहिए। लेकिन कम से कम उन लोगों को यह भी सोचना चाहिए कि हमारा नियम है, कम से कम दो साल तक किसी कर्मचारी को नहीं छेड़ना चाहिए। अगर उनकी शिकायत हो, जनता की शिकायत हो तो उनके खिलाफ इंक्वायरी करें। मैं आपको एक वाकया बताता हूं कि एक डाक्टर को, जो जुरेहरा में काम करता है, बिल्कुल नौजवान लड़का है, इतनी ईमानदारी के साथ काम कर रहा है और उस डाक्टर का तबादला जुरेहरा से इतनी दूर कर दिया गया है कि उसके बारे में पूरी जानकारी भी नहीं है मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा इन तबादलों में। मित्रों, दोनों तरफ से दो दो हजार रुपयों की मांग हो रही है और तबादलों पर सौदे हो रहे हैं।

(व्यवधान)

मैं आपको बताता हूं कि उसके बच्चे बीमार है, ऐसे कर्मचारियों से हजार हजार दो हजार रुपया इस बात के लिए मांगा जाता है कि कुछ आदमी यह कहते रहते हैं कि तुम्हारा तबादला हो रहा है, पैसा दो हम तुम्हारा तबादला नहीं होने देंगे। दूसरे कह रहे हैं कि उसको तबादले पर वहां भेजा जा रहा है। दोनों तरफ से पैसे लिये जा रहे हैं। अगर वहां तबादला हो गया तो उसके साथ अन्याय होगा। यह हमारे लिए और आपके लिए कोई अच्छी बात नहीं है। आज जो भी तबादला करें वह सोचकर करें, उसके दोनों बच्चे बीमार हैं, परेशान हैं इसलिए इसके बारे में जांच करें इसके खिलाफ जनता की तरफ से कोई शिकायत नहीं है। आस पास के गांवों तक से किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं है। अगर उस पर कोई शिकायत हो, आरोप हो तो यह एक दफा नहीं, दस दफा तबादला करें, कार्यवाही करें इसमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन बेगुनाह आदमी का तबादला नहीं होना चाहिये। मैं यह जानता हूं कि आज सुबह ही मेरे इलाके से चार पांच सरपंच आए मैं जब अपने क्षेत्र में घूमा तो मैंने क्षेत्र में देखा कि वहां पर जासन्तवास नाम का एक गांव है जहां पर 11 कमरे बने हुए थे और तीन सौ बच्चे पढ़ते हैं। 15-20 बीघा जमीन गांव वालों ने स्कूल के लिए दे रखी है। उन्होंने कहा और यह इलाका ऐसा है कि चारों तरफ पानी भर जाता है और यहां

(श्री चाव खां)

पर जो हायर सैकण्डरी स्कूल है वह भी हमसे दूर पड़ता है। मुझसे आकर यह बात कही कि हाजीजी हमारा यह काम है मैंने कहा कि जायज काम है। मैं आज सुबह ही अपने शिक्षा मंत्रीजी के पास गया और उनसे जाकर मिला। मिलने पर वे बड़ी इज्जत के साथ पेश आए और मुझे इतमिनान दिलाया कि हाजीजी आपका काम अवश्य होगा। तो उनका यह कर्त्तव्य है कि जो भी आदमी जाय उसको संतुष्ट करके भेजें। इसी तरह से अपने स्वास्थ्य मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि आप इसके बारे में जांच करें और जो डाक्टर हैं....

श्री सभापति : हाजी साहब, यह मेडिकल डिपार्टमेंट की मांग नहीं है।

(व्यवधान)

श्री यमुनार्थसिंह : यह तो सभी को मिला कर बोल रहे हैं।

श्री सभापति : यह आपके लोक दल की तरफ से मांग-पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, मालूम पड़ता है।

(व्यवधान)

हाजी साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप सहकारिता के बारे में कुछ कहें, अपने सुझाव दें।

श्री चाव खां : सभापति महोदय, आपने देखा होगा कि डेढ़ दो महीने के टाइम में मैं आज दूसरी बार बोल रहा हूं। और इसमें सभी बातों को समेट कर रख देता हूं।

श्री सभापति : हाजी साहब, यह उचित रहेगा कि मैं आपको 22 तारीख को अवसर दूंगा। उस दिन आप सब कह दीजिये। अभी तो आप सहकारिता के बारे में कहें।

श्री चाव खां : सहकारिता के बारे में यही कहना है कि बड़े घोटाले होते हैं, बेईमानी होती है। हमारे साथियों ने सारी बातें खोल कर रख दी थीं कैसे घोटाले होते हैं। 11 करोड़ के घोटाले हुए और तीस करोड़ के घोटाले हुए और जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वह कांग्रेस के जमाने के हैं न कि जनता पार्टी के जमाने के। दो तीन दफा इन्क्वायरी हो चुकी है लेकिन आज तक उस पर एक पैसा साबित नहीं हुआ और फिर भी दुबारा इन्क्वायरी करालें और अगर कोई घोटाला पाते हों तो हमारी पार्टी को इस पर कोई ऐतराज नहीं है। मैं इस बात के लिए तैयार हूं, पैसा दिलाने को तैयार हूं।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

हम में से कोई भी सदस्य बेइमानी करे तो बेइमान के खिलाफ कार्यवाही करें चाहे वह किसी पार्टी का हो, उसको सजा मिलनी चाहिए यह मेरी राय है। लेकिन जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब और गृह मंत्री महोदय हैं, मैं फिर ध्यान दिलाता हूं कि एक जो मनोहरलालजी हैं, जिन्होंने मेरे साथ चुनाव लड़ा था, वह पहले अपने आपको उप मुख्य मंत्री कहते हैं और वहां की जनता तथा अफसरान पर अपना रोब काफी डाले हुए हैं। लेकिन 25 जुलाई को हमारी श्रीमती पहाड़िया डीग गयी थीं और मनोहरलाल के मकान पर सुबह पहुंचीं और चाय नाश्ता किया। डीग के एस. डी. ओ. को

(श्री चांद खां)
बुलाकर न मालूम क्या कहा कि उस दिन से मनोहरलालजी का अधिक असर हो गया है।

(व्यवधान)

अब एक बात और कहूंगा। वहां पर एक गाय काटी जाती है ..

श्री सभापति : माननीय सदस्य समाप्त करें। हाजी साहब मैं असमर्थ हूं सहकारिता पर, समाज कल्याण पर आप बोलें तो मैं स्वीकार करूंगा।

श्री चांद खां : आपने मुझे कहा कि मौका दूंगा 22 तारीख को बाकी 22 को कह दूंगा। आपकी मर्जी है, मैं बैठ जाता हूं।

श्री सभापति : श्री हरेन्द्र मिर्धा।

आपका नाम माननीय मुख्य सचेतक ने दिया है।

श्री बिहारीलाल।

श्री बिहारीलाल पारीक (मांडल) : माननीय सभापति महोदय, माननीय बुद्धिमान सदस्यों ने आपके माध्यम से काफी विचार रखे हैं। मैं सहकारिता पर सदन में ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। पिछली सरकार ने और अभी आयी सरकार ने काफी ग्रामीण जनता को राहत के लिए समितियां बनायीं, मार्केटिंग समितियां बनायीं, सब तरह की समितियां रखीं। सहकारिता का पौधा लगाया गया। कांग्रेस के राज में इसको बढ़ाया गया। दुर्भाग्य की बात है कि यह पौधा ढाई साल के जनता पार्टी के शासन में बड़ा कमजोर हो गया। कांग्रेस सरकार ने गरीबों की राहत के लिये, इसकी शाखाओं को खूब फैलाया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान के लेवल पर जितने भी अफसर जो जिले और तहसील में दे रखे हैं, उनसे सहयोग की आशा करते हैं कि वह हमारे मंत्रीजी को......

एक माननीय सदस्य : पढ़ लो पढ़ा लो।

श्री बिहारीलाल पारीक : फिगर्स बोल रहा हूं। हमारे राज की भावना तथा राज्य सरकार की पालना के अनुसार उसका प्रचार प्रसार करें। प्रचार-प्रसार की बहुत कमी है। मैं समझता हूं, शाखाएं बहुत ही फैली हुई हैं और यह पौधा जो मुर्झा गया है, उसे पानी सींचने की जरूरत है और इसे पानी से सींचेंगे तो लोगों को लाभ प्राप्त होगा। ढाई साल में यह पौधा मुर्झा गया और इसको हरा करने में सहयोग देंगे तो मैं समझता हूं कि सरकार की भावना है, गांवों में समितियां हरी-भरी हों काश्तकारों का जो शोषण हो रहा है, वह नहीं हो। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं, सहकारी समितियों में जो सदस्य होते हैं, उनको मुनाफे की स्थिति 10-15 प्रतिशत रखी हुई है। और ज्यादा मुनाफे का मौका उसे मिलना चाहिए। सदस्यों को कम मुनाफा मिलता है और यह बात सही है कि सहकारी समितियों में आप सब मिलकर, शामिल की एक संस्था है, उसमें मुनाफा कम होता है और सदस्य होते है, उन पर सब लोग लांछन लगाने को तैयार हैं। मैं समझता हूं, जो सुझाव मैं दे रहा हूं वह यह है कि उसमें अगर इनको मुनाफा ज्यादा दिया जायगा, तो समितियों को ज्यादा लाभ होगा। सदस्य ज्यादा इन्ट्रेस्ट लेंगे तो समितियां पनपेंगी। मेन कारण है कि समितियों को लाभ कम

(श्री बिहारीलाल पारीक)

मिलता है। सब कहते हैं कि चोरी होती है। कारण क्या है, लाभ कम मिलता है ध्यान नहीं दिया जाता है। सदस्यों के रूप में जो काम करते हैं, इसकी वजह से, इसी कारण से चोरियां होती हैं और लोग भ्रष्टाचार की कह रहे हैं, सब चाहते हैं कि जनता का विकास हो और समितियों को लाभ ज्यादा हो। समितियों का लाभ गांवों में ज्यादा है और शहरों में समितियां हैं वह कम लाभप्रद हैं। आपने ऐसी कई इकाइयां बना रखी हैं तो मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। मार्केटिंग सोसायटी जितनी हैं, वह सब कमजोर हैं। उनके पास मैं समझता हूं, मेरे तहसील में मार्केटिंग सोसायटी के पास शक्कर दिलाने के लिए पैसा नहीं है। शक्कर का कोटा अलाट होता है, उनके पास पैसा नहीं है, लोगों से उधार लेते हैं, या तो उनको शक्कर देनी पड़ती है। उनके पास व्यवस्थापक हैं, जिनके माध्यम से जिले पर नियन्त्रण होता है, नहीं कर रहे हैं। समितियों के पास पैसा नहीं है। वह बर्बाद हो गई हैं। यह पौधा ढाई साल में बर्बाद हो गया है। अच्छी तरह से पानी डालें। आपको जांच करवानी चाहिए क्यों बाकी रखा गया। मैं समझता हूं, आपने उस तरफ ध्यान नहीं दिया लड़ने लड़ने में रह गये। समितियों में आपने व्यवधान डाला। आप लड़ने लड़ने में रह गये। सारी सोसायटी कमजोर हो गयीं और आपने उनकी जड़ों में तेजाब डाल दिया। मैं समझता हूं हमारी सरकार की मंशा है, इनमें सहयोग दें। इनको देख रहे हैं। मैं अपील करता हूं कि उनकी तरफ ध्यान दें।

आपने अन्त्योदय योजना चलायी क्या हुआ? वह अन्तन्धारा योजना हो गयी। जिनको पैसा दिया, जमीन दी वह अन्तन्धारा हो गये। रिजर्व बैंक वाले, परमिशन नहीं देते हैं। मैंने काफी प्रकाश डाला। भूमि विकास बैंक के मैनेजर से मिला, वह लोन पास नहीं हुआ। आंकड़े बताते हैं, इतना लोन पास हुआ, वह केवल कागजों में हो जाता है। अन्त्योदयी आदमियों के लोग कहते हैं शादी, ब्याह रुक गये संबंध छूट गये हैं इस योजना से किसी को लाभ नहीं हुआ, न भूमि विकास बैंक से ऋण मिला। योजना चलाकर कांग्रेस सरकार ने गरीब आदमी को सहायता दी। आपने 5 आदमी चुन दिये।

सहकारी समितियां, पंचायतों को मिलाकर एक जगह बना रखी हैं। मैं सरकार का ध्यान दिलाता हूं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से, उनमें एक पंचायत में एक समिति होनी चाहिए जिससे उनको लाभ हो। भीलवाड़ा तहसील में, माण्डल की ओर ध्यान दिलाता हूं दूसरी पंचायतें और गांव लिये गये। उनमें क्या होता है? व्यवस्था पूरी नहीं कर पाते हैं, वहां के लोगों को इस महंगाई के समय में शक्कर मिली नहीं है! मैंने उसके लिये जिलाधिकारी से लिखी-पढी की, स्थिति यह है कि घोटाले बहुत हैं। जांचें हो रही हैं। तो मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, गांवों में यह बहुत लाभप्रद योजना है। उसका प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि संबंधित अधिकारी इसमें मदद करेंगे ताकि सरकार की मंशा गांव तक पहुंच सके गांव के लोगों को लाभ हो सके। मैं समाज कल्याण की ओर आपका ध्यान दिलाता हूं। राजस्थान के लेवल पर समाज

(12)

(श्री बिहारीलाल पारीक)

कल्याण विभाग है, इसके पास बहुत से अधिकारी हैं। क्या मेरे क्षेत्र माण्डल में गरीब नहीं रहते हैं ? कोई गरीब आदमी नहीं है ? समाज कल्याण की स्थिति यह है, वहां आज तक किसी को किसी प्रकार का लाभ नहीं हुआ। जनता पार्टी ने ध्यान नहीं दिया, मैं समझता हूं, गुटबाजी में पड़े थे उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया पंचायत में मैंने एक प्रस्ताव बनाया कि शिड्यूल्ड कास्ट वाले बिजली लेना चाहते है, मगर उनके पास पैसा नहीं है, उनको बिजली के खंभे नहीं मिलते हैं तो मैंने लिखा समाज कल्याण विभाग, वह लोग नहीं जानते हैं। सहकारी समितियां बनती हैं। एक माननीय सदस्य, जो शिड्यूल्ड कास्ट का बता रहे थे, कौनसी जात के हैं, मैं समझता हूं समाज कल्याण की ज्यादा बात कर रहे थे। मेरी मंशा यह थी, सभापति महोदय, मुझे अवसर देंगे तो मैं भी बोलूंगा। आप राज में रहे हों, आपको ध्यान देना चाहिए था। आप पहाड़िया जी पर लांछन लगा रहे थे। यह सत्य है कि पहाड़िया जी इस जाति से आये हैं। यहां कांग्रेस (ई) वाले जात-पांत में ध्यान नहीं रखते हैं। यह सहकारिता का पौधा उन्होंने सुखा दिया, सहकारिता की जड़ें कमजोर कर दीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माण्डल क्षेत्र में अन्धे, लूले, लंगड़ों के विकास हेतु कार्यवाही चलाई लेकिन उनको कोई मदद नहीं, उनके विकास की कोई सुविधा नहीं मिली।

वास्तव में सहकारिता का पौधा मुरझा गया है इस ओर अफसर भी ध्यान दें और मंत्रीगण सहयोग करें ताकि लोगों को लाभ हो। धन्यवाद।

श्री सभापति : अनंग कुमार।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : सभापति महोदय, अभी ट्रेजरी बेंचेज की ओर से कई माननीय सदस्य बोले, उन्होंने विशेष तौर से इस बात को कहा कि जनता सरकार के समय में सहकारिता का पौधा सुखा दिया चुनाव नहीं कराये गये। सभापति महोदय, माननीय सदस्य यदि अपनी सरकार द्वारा दिये गये आदेशों को पढ़ लेते तो ज्यादा नहीं बोलते। कांग्रेस सरकार ने आदेश जारी किया था कि सहकारी विभाग की जो ऋणदात्री सहकारी समितियां हैं उनका पुनर्गठन किया जाय, सभापति महोदय, इसका उद्देश्य यह था कि जो भी ऋण दात्री सहकारी समितियां हैं वे वायबल एरिया के रूप में काम कर सकें और कम से कम एक सहकारी समिति का टर्न ओवर दो लाख का हो और उसका एरिया 4 एक्वायर माइल से ज्यादा न हो। जब जनता पार्टी आई तो सहकारी समितियों का पुनर्गठन किया गया और जो प्रश्न सामने आया वह यह था कि जो उप नियम बने हुए हैं उनमें संशोधन किया जाय तथा जो समाज के विभिन्न वर्ग हैं उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिलता था उनको प्रतिनिधित्व दिया जाय।

सभापति महोदय, जनता सरकार ने पहली बार इन नियमों के अन्दर मेंडेटरी किया कि सहकारी समितियों में अनुसूचित जाति, जन जाति, सीमान्त कृषक, लघु कृषक लोगों और महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाय। सभापति महोदय, इन उप नियमों में संशोधन करने के बाद इनका चुनाव

(श्री अनंगकुमार)

कराया गया। राजस्थान में करीब 14 हजार सहकारी समितियां हैं उनमें से करीब 6 हजार सहकारी समितियों के चुनाव संपन्न कराये गये, उसके बाद लोक सभा के मध्यावधि चुनाव आ गये उसके बाद प्रक्रिया रुक गई।

सभापति महोदय, विशेष रूप से मेरे कई साथियों ने सहकारी समितियों में भ्रष्टाचार पर बहुत जोर से कहा है। यह निश्चित रूप से सही बात है कि सहकारी समितियों में भ्रष्टाचार है, भारी भ्रष्टाचार है; सभापति महोदय, 30 साल तक कांग्रेस का शासन रहा और ढाई साल तक जनता पार्टी का शासन रहा। 30 साल के कांग्रेस शासन में सहकारी समितियों में 15 करोड़ का घोटाला था। यह ढाई वर्ष में नहीं हुआ। यह 15 करोड़ का घोटाला 30 वर्षों से लगातार कांग्रेस शासन में हुआ, कांग्रेस शासन आंखें मीचे बैठा रहा, इसका एक मात्र कारण यह था कि कोआपरेटिव मूवमेंट में सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। उनके द्वारा भारी गबन, घोटाले किये गये लेकिन कांग्रेस शासन ने कोई कार्यवाही नहीं की।

सभापति महोदय, जनता पार्टी के समय में एक विशेष प्रकोष्ठ कायम किया गया घोटालों की जांच के लिये जिससे तीव्र गति से एक्शन लिया जा सके।

इसी दौरान करीब 400 मामलों में चालान पेश किये गये और कई मामलों में जांच हो रही थी लेकिन अब, सभापति महोदय, जो विशेष पुलिस प्रकोष्ठ कायम किया गया था वह मुझे मालूम हुआ है कि बन्द कर दिया गया है और यह कोशिश की जा रही है कि जो लोग उलझे हुए हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही न की जाय।

सभापति महोदय, इससे ज्यादा दुख की बात और क्या होगी। ट्रेजरी बेंचेज के सदस्य एक तरफ तो यह कहते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत हुआ है और दूसरी ओर इस बात का प्रयास करते हैं, कि जो घोटाले किये हैं उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाय।

सभापति महोदय, झालावाड़ जिले के कुछ उदाहरण प्रस्तुत करूंगा ग्राम सेवा सहकारी समिति, समराई में स्वयं मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है 1 लाख 15 हजार का घोटाला है इसमें, लोगों के कर्जे से पैसे विदड्रा किये हैं और वह पैसा लोगों से वसूल किया जा रहा है। जनवरी, फरवरी में उस व्यक्ति के खिलाफ 5 रिपोर्ट दर्ज कराई गई, पांच रिपोर्टों के बाद एफ. आर. चाक की गई आज 7 माह हो चुके हैं लेकिन जो एक लाख पन्द्रह हजार का घोटाला किया है इसका क्या जवाब है, 7 माह से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। सभापति महोदय, भ्रष्टाचार की जांच करवाना चाहते हैं और सरकार 7 महीने तक एफ. आई. आर. दर्ज कराने पर भी जांच करना नहीं चाहती, तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि सहकारिता का पौधा इन्होंने खोदा है, समाप्त किया है या जनता सरकार ने ? नन्दलाल, बंसतीलाल, श्याम सुन्दर और बंसीलाल इन पांच व्यक्तियों ने एफ.आई.आर. लोज करवाई है और इसमें मंत्री महोदय ने यह बात स्वीकार की है कि 16-4-80 को विभाग इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका है कि 1.15 लाख का घोटाला किया है। 16-4-80 को एफ. आई. आर. दर्ज करवा दी गई और अगस्त के महीने में यह जवाब दिया गया, यानि 4 महीने में 8 किलो मीटर दूर थाना रहता है जहां से यह कार्यवाही की गई।

सभापति महोदय, सहकारी समितियों में

(154)

(श्री अनंगकुमार जैन)

जो भ्रष्टाचार व्याप्त हैं उसके लिये स्वयं कांग्रेस जिम्मदार हैं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो सोसाइटियों में भ्रष्टाचार है उसको जांच करवायें तथा दोषी व्यक्तियों को राजनैतिक आधार पर न बचायें।

सभापति महोदय, एक उदाहरण मैं झालावाड़ भूमि विकास बैंक का देना चाहता हूं। वहां बहुत बडा घोटाला हैं इसी वर्ष पिछले माह फरवरी-मार्च में 3 लाख रुपये का गबन किया गया। तीन लाख काश्तकारों से वसूल किया गया और वह पैसा बैंक में जमा नहीं किया गया। बैंक की कैश बुक में दर्ज नहीं किया गया। सभापति महोदय, वहां के अधिकारियों ने लोगों से 3 लाख की वसूली की और वहां के दो एल.डी.सी. जो रिकार्ड रखते हैं, इस मामले को रफा-दफा करने की कोशिश कर रहे हैं।

इसी तरह से लैण्ड मोरगेज बैंक में पिछले 12 महीनों से कोई मीटिंग नहीं हुई, जब मैम्बर्स ने काफी प्रयास किया तब मीटिंग बुलाई। 28-4 को राजस्थान पत्रिका में छपा कि भूमि विकास बैंक की बैठक सपन्न। खबर बहुत लम्बी है इसमें ...

श्री सभापति: संक्षिप्त में, माननीय सदस्य।

श्री अनंग कुमार जैन: जिस जगह मीटिंग का स्थान दिया था वह जगह बदलकर दूसरी जगह मीटिंग की गई। वहां 4 हजार आदमी इकट्ठे हुए जिनके सामने कार्यवाही नहीं की गई। सारे मैम्बर्स ने दस्तखत करने से इन्कार कर दिया। इसके बावजूद सेक्रेटरी और अध्यक्ष ने रेगुलेराइज करके प्रस्ताव भेज दिया। इस तरह की मीटिंग्स हो, वह बैंक क्या लोगों का भला कर सकेगा? सभापति महोदय, स्पष्ट रूप से सभी मेम्बस और सदस्यों में व्यापक असंतोष था इस मीटिंग के प्रति, प्रस्तुत बजट प्रस्ताव को पारित करने पर सदस्यों ने अपनी स्वीकृति नहीं दी। एक तरफ तो यह स्थिति हुई। दूसरी तरफ उन्होंने प्रोसीडिंग्स बुक में लिख दिया कि आम सभा में सहमति दे दी गई। तो जहां इस तरह के गंभीर भ्रष्टाचार के मामले सरकार के सामने लाये जाते हैं वहां सरकार चुप रहती है।

दुर्भाग्य से या सौभाग्य से यह सभी चार व्यक्ति ग्राम पंचायतों के सरपंच हैं मेरे क्षेत्र में जो काम के बदले अनाज योजना थी उसमें 40 हजार के घोटाले किये थे उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। उस व्यक्ति के खिलाफ सन 67 में जब कांग्रेस सरकार थी उस वक्त पंचायतों के अन्दर गबन किया, उस वक्त ए.डी. आफिस ने उसको एफ. आई. आर दर्ज करने के आदेश दिये थे परन्तु वह एफ. आई. आर. दर्ज नहीं की गयी, और आज भी 17 साल तक भी उनकी एफ. आई. आर. दर्ज नहीं की गई है। इस प्रकार के भ्रष्टाचार के ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मामले हैं और फिर ट्रैजरी बैंचेज के सदस्य यह कहते हैं कि हमने ढाई वर्ष के अन्दर सहकारिता के पौधे को उखाड़कर फैंक दिया। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से बड़े विनम्र शब्दों में कहना चाहूंगा कि कम से कम एसे घोटालों के मामले, गबन के मामले जो साबित हो चुके हैं उनके खिलाफ तो कार्यवाही करें। सभापति महोदय, को-ऑपरेटिव सोसायटीज के ऑडिट के अन्दर ढाई लाख आब्जेक्शन लगे हुए हैं इन ऑडिट आब्जेक्शन पर अगर कार्यवाही

(श्री अनंग कुमार जैन)

करें तो सहकारी समितियों में भ्रष्टाचार काफी हद तक ठीक हो सकता है। ढाई लाख में से कुछ पर जनता पार्टी के शासन में कार्यवाही करने की कोशिश की गयी थी लेकिन इस सरकार ने उसको खत्म कर दिया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अर्ज करना चाहूंगा कि कॉआपरेटिव सोसायटी के अन्दर जो बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है उसके बारे में सरकार को गम्भीरता से सोचना चाहिये और उसके अन्दर तीव्र गति से कार्यवाही करनी चाहिये। गबन की वजह से जो सहकारी समितियां बंद पड़ी हैं उनको चालू करवायें जिससे जनता को फायदा मिल सके।

श्री सभापति : आप समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री अनंग कुमार जैन : दो मिनट में समाप्त महोदय। सभापति महोदय, समाज के बारें में जो होस्टल हैं उनमें जो स्टूडेंट्स की संख्या है वह काफी वर्षों पहले तय की गयी थी वह आज किस प्रकार की है, आज जिन लोगों का उनसे संबंध है उनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिये ताकि अधिक से अधिक छात्रों को प्रवेश मिल सके और अपनी शिक्षा प्राप्त कर सके और इसका लाभ ले सकें।

सभापति महोदय, दूसरा हैंडीकेप का सवाल है, हैंडीकेप के मामले में सरकार द्वारा 2 पर्सेन्ट कोटा सुरक्षित किया हुआ है उसको बढ़ाकर कम से कम 3 प्रतिशत किया ही जाना चाहिये ताकि जो हैंडीकेप हैं उनको फायदा मिल सके। सभापति महोदय, कई बार ऐसा होता है कि जो वास्तव में हैंडीकेप होते हैं उन लोगों को वास्तव में इसका फायदा नहीं मिल पाता है बल्कि अधिकतर यह देखने में आया है कि जो माइनर हैंडीकेप होते हैं जैसे किसी की अंगुली टूटी हुयी है अगर वह प्रभावशाली होता है तो वह अपने प्रभाव का उपयोग करके अच्छे स्थान पर नियुक्ति प्राप्त कर लेता है। सरकार की तरफ से यह होना चाहिये कि जो वास्तव में हैंडीकेप है जैसे कोई ब्लाइण्ड है, किसी की टांग खराब है तो वे कैसे जॉब कर सकते हैं जिस प्रकार का वे काम कर सकते हैं उसको उसी प्रकार का काम दिया जाना चाहिये। जो डिपार्टमेंटवाइज कार्य कर सकें वह जॉब उसके लिये निश्चित किया जाना चाहिये और इसी आधार पर उनको वह जॉब दिया जाना चाहिये। जो व्यक्ति जिस प्रकार का कार्य करने में सक्षम है वह उसे मिल सके, तभी इन लोगों का भला हो सकता है इन लोगों को कुछ लाभ मिल सकता है। सभापति महोदय, अगले वर्ष को यू. एन. आई. हैंडीकेप ईयर घोषित करने जा रही है। जो पहले महिला वर्ष घोषित किया गया था और फिर दस वर्ष, घोषित किये गये थे उसमें से पांच वर्ष तो निकल गये लेकिन उनके साथ बलात्कार किया और दूसरी घटनायें हुयीं लेकिन इस वर्ष में उनकी भलाई के लिये कोई बात नहीं सोची गयी, पिछले महीने एक कान्फ्रेन्स में भाग लेने कौल साहब के नेतृत्व में एक टीम भी गयी थी पर जो कार्य होना चाहिये था नहीं हो सका।

श्री सभापति : माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री अनंग कुमार जैन : एक मिनट में, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हैंडीकेप लोगों के लिये एक कन्सोलिडेटेड बजट सरकार रखे और फिर जो कहते हैं बजट नहीं है, पैसा नहीं तो उनके लिये कन्सोलिडेटेड फण्ड से उन हैंडीकेप लोगों को राहत दी जा सकेगी।

श्री सभापति : श्री जगदीश तिवाड़ी।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) : माननीय सभापति महोदय, आज सहकारिता के ऊपर सभी माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिये, शिकायतें बतायीं। मेरा एक सुझाव है कि यदि हम वास्तव में सहकारी समितियों के पदाधिकारियों पर जो आरोप लगाते हैं, या शिकायतें आती हैं वह सही हैं या गलत, यह तो जांच से पता लगता है लेकिन शिकायत का जहां तक संबंध है संचालक मण्डल के चुनाव के समय पर होने चाहिये । अगर समय पर चुनाव होंगे तो जिनके प्रति शिकायतें हैं वह अगली बार नहीं आयेंगी । लम्बे अर्से तक चुनाव नहीं कराने से शिकायत ज्यादा होती हैं ।

दूसरा, मेरा विशेष सुझाव यह है कि जिन व्यक्तियों ने कभी ऋण नहीं लिया है और जिन व्यक्तियों के नाम ऋण लिख दिया गया है । इन ऋणों के बारे में जब तक जांच नहीं हो तब तक इन व्यक्तियों से वसूली नहीं की जानी चाहिये ।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं एक उदाहरण बताना चाहता हूं कि मेरे यहां बस्सी क्षेत्र में मोहनपुरा ग्राम विद्युत के लिये स्वीकृत नहीं था उसके बावजूद भी जयपुर जिला सहकारी ग्राम विकास बैंक ने विद्युत पम्प के लिये ऋण स्वीकार कर दिया। पैसा दे दिया। पता नहीं, कैसे इन्सपेक्टर ने रिपोर्ट दे दी कि पम्प लग गया है और उस कम्पनी को पेमेंट कर दिया गया। और उस व्यक्ति ने बैंक से पैसा नहीं लिया, उसके बावजूद वसूली की कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकार की शिकायत की गयी और, वहां के संचालक मण्डल ने इस संबंध में निर्णय ले लिया था फिर भी यह समझ में नहीं आ रहा है उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने ऋण नहीं लिया था, वसूली की कार्यवाही की जा रही है । यदि सहकारी समितियां इस प्रकार गरीबों को राहत देने के बजाय उनके साथ इस प्रकार से जबर्दस्ती ऋण वसूल करती हैं तो यह वास्तव में गरीबों के साथ अन्याय होगा । मेरा इसमें विनम्र निवेदन यह है कि इस संबंध में जांच की जानी चाहिये और जांच करने के बाद जिसने ऋण उठाया है उससे वसूली की जानी चाहिये और उसके खिलाफ पुलिस कार्यवाही की जानी चाहिये ।

तीसरा मेरा विनम्र सुझाव यह है कि किसी काश्तकार के पास यदि ऋण बकाया है और बैंक अधिकारी और कर्मचारी यदि ऋण वसूली समय पर नहीं करते हैं और उस समय पैसा वसूल नहीं होने के कारण किसान के ऊपर ब्याज से ब्याज बढ़कर इतना हो जाता है कि किसान समय पर जमा नहीं करा पाता है और जिस किसान की फसल खड़ी होती है विद्युत पम्प, आयल पम्प वगैरह कुड़क कर लेते हैं, जिससे काश्तकार जो फसल लेकर कुछ चुका सकता था वह नहीं चुका पाता है। आयल पम्प और विद्युत इन्जन लेकर के कुड़क करके वे उसकी नीलामी करते हैं उससे भी पूरी राशि वसूल नहीं कर पाते हैं । इसलिये फसल के ऊपर किसान का आयल इन्जन वगैराह कुड़क नहीं किया जाना चाहिये । फसल के टाइम पर जब फसल पक जाये उसके बाद कुड़क करलें उसकी फसल को कुड़क कर लें उसके इन्जन को कुड़क कर लें लेकिन फसल के समय इस प्रकार की कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये।

तीसरा एक और सुझाव है कि, ऋण वसूली के समय जिस समय जनता शासन था उस समय इस प्रकार की ज्यादतियां हुई हरिजनों के साथ, यद्यपि सरकार की तरफ से यह आदेश था कि हरिजनों से इस समय

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

ऋण वसूल नहीं किया जाय क्योंकि उस समय अकाल था लेकिन इसके बावजूद भी एक रैगर के यहां मेरे बस्सी क्षेत्र में राम रघुनाथपुरा गांव में उसके दो बैल कुड़क किये गये। कुड़क करने के बाद एक जागीरदार के यहां रखा गया। जागीरदार ने इन 2 बैलों को अपने खेत में जोता और उनको पर्याप्त चारा नहीं दिया इसके कारण एक बैल मर गया। मर जाने के बाद बैंक ने उस व्यक्ति से कर्जे बाकी कर दिया। पर बैल तो बैंक ने कुड़क कर लिया था आज भी इसकी बकाया बैंक में निकल रही है। जब कुड़की हुयी थी बैंक की तरफ से तो वह बैल अगर मर गया तो बैंक को उसका भुगतान करना चाहिये और उस काश्तकार के बैल की रकम को उसके खाते में दर्ज करके जमा करना चाहिये।

एक मेरा यह भी विनम्र निवेदन है कि बैंक द्वारा जो कर्जा दिया गया है काश्तकार को उसके मूलधन से दोगुना-तिगुना और चारगुना तक बैंक द्वारा वसूल किया जा रहा है। मैं इसे सत्य के खिलाफ मानता हूं। चूंकि बैंक की तरफ से अधिकारी वर्ग या कर्मचारी वर्ग द्वारा समय पर किसान से तकाजा किया जाय तो शायद यह कुछ ठीक हो सकता है। इसमें बैंक की लापरवाही रहती है और उसकी खुद की तो लापरवाही रही है और दोनों की लापरवाही के कारण यह हुआ फिर भी काश्तकार से 3 गुना और 4 गुना तक वसूल किया जाता है।

आज हमारी सरकार की नीति है कि उनको कर्जे से मुक्ति दिलायी जावे। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि किस प्रकार से उनका मूलधन दो गुना, तीन गुना और चार गुना हो गया है। ऐसे काश्तकारों से मूलधन बिना ब्याज के वसूल कर उनको कर्जे से मुक्त कराया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त एक बात और है कि भूमि विकास बैंक या सहकारी बैंक के अधिकारी लोग जीप लेकर वसूली करने जाते हैं तो जीप का खर्चा भी काश्तकारों से वसूल करते हैं, इसके अलावा तीन-चार सौ रुपये मूलधन के अलावा खर्च की वसूली के रूप में लिये जाते हैं जबकि इस प्रकार का कोई नियम नहीं है इसलिये इस प्रकार की वसूली किया जाना मैं गलत मानता हूं और माननीय सहकारिता मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप इसकी जांच करायें और खर्चे के नाम से जो राशि वसूल की गई है वह उनके कर्जे के रूप में जमा की जाय।

माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, मैं आसन के माध्यम से आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारिता के द्वारा हम गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को राहत देना चाहते हैं तो इस प्रकार के खर्चे की जो उनसे वसूली की जाती है और मूलधन से दुगना, तीन गुना और चार गुना ब्याज वसूल किया जाता है उसकी उचित जांच की जाकर रोक लगाई जानी चाहिए।

श्री सभापति : चूंकि सदन की कार्यवाही का समय सात बज तक के लिये बढ़ाया गया है, मैं चाहूंगा कि माननीय सहकारिता मन्त्री महोदय अपना उत्तर प्रारम्भ करें। माननीय मन्त्री महोदय।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, अभी तो हमारे कई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं......

(158)

श्री महाराम चौधरी : आपने मुझे आश्वासन दिया था ..

श्री सभापति : मेरा निवेदन है कि आज दो माननीय मंत्री जी उत्तर देने वाले हैं, मैं निवेदन करूंगा कि विरोधी पक्ष के आठ माननीय सदस्य बोल चुके हैं—आप आसन के साथ सहयोग करें ।

श्री बाऊदयाल जोशी : केवल तीन सदस्य ही बोले हैं ।

श्री सभापति : विरोधी पक्ष में और भी तो दल है, लोक दल है, जनता जे.पी. है, निर्दलीय है, केवल आपका दल थोड़े ही है दो मन्त्रियों का उत्तर आना है, आप आसन से सहयोग करें ।

श्री महाराम चौधरी : सुझाव के तौर ही सही,

श्री हंसराज शर्मा : जब समय बढ़ाया गया तो हमारें सदस्यों ने कहा था कि समय कम है, उस समय कहा गया कि समय और बढ़ा दिया जायेगा । हमारे दल में से केवल दो आदमी बोले हैं ।

श्री सभापति : मेरा निवेदन सुनेंगे, आप ? आप समय की बात करें तो उचित नहीं है, आपके तीन सदस्यों ने बोलने में कितना समय लिया । मैं आपके सुझावों को अमान्य नहीं कर रहा हूं, बहुमूल्य सुझाव आपकी ओर से माननीय सदस्यों के दियें हैं । लेकिन काफी अधिक समय ले लिया है, कांग्रेस पक्ष के लोग भी बोलने से काफी रह गये हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप आसन के साथ सहयोग करें।

माननीय सहकारिता मंत्री महोदय ।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर (सहकारिता मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, सदन में सहकारिता और जन-जाति दोनों प्रश्नों पर सदन के माननीय सदस्यों ने काफी महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं । मेरी मान्यता यह है कि सहकारिता देश के आर्थिक विकास की दृष्टि से, समाज के पिछड़े वर्ग के आर्थिक उत्थान की दृष्टि से जहां महत्वपूर्ण स्थान रखती है, वहीं पर जन जाति कल्याण का प्रश्न भी राजस्थान के विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है । इन दोनों प्रश्नों पर माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये, मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो सुझाव राजनीति से प्रेरित नहीं है, केवल सहकारिता के विकास की दृष्टि से दिये गये हैं या जन-जाति कल्याण और विकास की दृष्टि से दियें गये हैं। सरकार निश्चित रूप से उन सुझावों पर विचार करेगी । मेरा विश्वास है कि आपका और हमारा सबका सामुहिक प्रयत्न हो कि हम इस देश में समाजवादी राष्ट्र के विकास की दृष्टि से, राष्ट्र के निर्माण की दृष्टि से सहकारिता को प्रोत्साहन दें, सहकारिता में जो व्याप्त खराबियां हैं उनको दूर करने में एक दूसरे का सहयोग करें । उसी प्रकार जो सदियों से पिछड़ा हुआ वर्ग है जिसको आदिवासियों के नाम से जाना जाता है, उसके कल्याण के लियें हम सामुहिक प्रयत्न करें ।

सभापति महोदय, मैं सहकारिता पर पहले अपनी चर्चा करूंगा । सहकारिता का प्रश्न शुरू करूं उसके पहले कुछ बिन्दु, जो माननीय सदस्यों ने उठायें हैं, पर मैं चर्चा करना चाहूंगा । कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात का आरोप लगाया कि कई सहकारी संस्थानों में भ्रष्टाचार है और उस

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

भ्रष्टाचार को राज्य सरकार संरक्षण दे रही है। कुछ उदाहरण भी उन्होंने यहां पर दिये हैं। भरतपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक का नाम यहां विशेषतौर पर लिया गया। उसके साथ जैसा मैंने आपसे कहा कि इन प्रश्नों में राजनीति नहीं आनी चाहिए थी, किन्तु माननीय सदस्य ने भरतपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक के सारे प्रश्न को हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री, सदन के नेता श्री पहाड़िया जी के चुनाव से संबंधित किया। मैं यह स्पष्ट कहना चाहूंगा कि वे राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं हमारे सदन के नेता है, कांग्रेस का कोई भी सदस्य पैसे के बल पर या भ्रष्टाचार के बल पर चुनाव में जीत कर नहीं आता है उसको जन शक्ति का विश्वास है, जनता का विश्वास है, कार्यकर्त्ताओं पर विश्वास है। कार्यकर्त्ताओं की शक्ति पर पूरा पूरा विश्वास है। अगर इस बात को कोई चुनौती देना चाहता है—श्री पहाड़िया जी भरतपुर के क्षेत्र से जो भरतपुर बैंक में घोटाले हुए हैं उस पर पर्दा इसलिए डालना चाहते हैं कि वे वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि इस तरह का आरोप किसी भी सदस्य के लिए शोभनीय बात नहीं हो सकती, यह मेरी व्यक्तिशः मान्यता है। जहां तक भरतपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक का सवाल है, मैं सदन की जानकारी के लिये निवेदन कर देना चाहता हूं भरतपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक में 39 कर्मचारियों को निलम्बित किया गया था, वे निलम्बित आज से नहीं, जनवरी, 79 से है। उसके बाद दो कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति महीने भर बाद या दो महीने बाद जो उन पर चार्जेज वे उनसे मुक्त कर चाहे जांच की प्रक्रिया पूरी करके की हो किन्तु उनकी पुनःनियुक्ति उन्होंने की। प्रश्न यह उठता है कि जो 39 व्यक्ति जनवरी, 79 से निलम्बित हैं और करीब 12 महीने, 13 महीने जनता पार्टी का शासन रहा, क्या उन्होंने सबको चार्जशीट दी? सदन को सूचित करते हुए मुझे अफसोस है कि आज की तारीख तक 5 ऐसे कर्मचारी हैं जिनको आज तक चार्जशीट नहीं दी गई। आप कल्पना कीजिये, क्या राजनीति अब यह है कि एक ही बैंक से 39 व्यक्तियों का निलम्बन कर दिया जाय और दो कर्मचारियों का निलम्बन विथड्रा करके उनकी पुर्ननियुक्ति कर दी जाय लेकिन इसके विपरीत कुछ कार्यकर्त्ताओं को, अधिकारियों को आज तक चार्जशीट नहीं दी जाय, जब कि 14 महीनों तक उनका लम्बा शासन रहा तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि राज्य सरकार की नीतियां स्पष्ट रूप से हैं। यदि जांच की प्रकिया बनी रहे इतने लम्बे समय तक यदि वह निलम्बित है तो उस पर विचार करके यदि कोई निर्णय लिया जाता है तो मैं समझता हूं कि न्याय की प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं होता और उन व्यक्तियों को जो 39 व्यक्ति एक साथ निलम्बित हैं की पारिवारिक बाधायें हैं, पारिवारिक पीड़ा है, मन की पीड़ा है, उसको दूर करने के लिए सरकारी सहयोग की आवश्यकता हो सकती है तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं सदन को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि 39 व्यक्तियों का प्रश्न, 2 व्यक्तियों को स्पष्टतः आरोप-मुक्त करके नियुक्ति दी, वहां इस समय केवल 2 अधिकारी या जो भी कार्यकर्त्ता हैं उनकी जांच प्रक्रिया के स्थगित रहने के आदेश के साथ फिर से नियुक्ति दी गई है। बाकी 39 में से 4 निकाल दीजिये तो 35 अब भी हैं। आप क्या समझते हैं इतनी बड़ी बात हो और हम

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

इतने लम्बे समय तक सोचते रहे। यह एक विचारणीय प्रश्न है इसके साथ-साथ, भरतपुर के साथ-साथ कोआपरेटिव सेक्टर में भ्रष्टाचार की बात जनरल रूप से कही गयी। मेरा निवेदन यह है कि पिछले वर्षों में काफी केस इस सम्बन्ध मे दर्ज हुए। दर्ज होने के साथ पुलिस प्रकोष्ठ की भी व्यवस्था की गई। सहकारी नियम में धारा 70 और 74, इस तरह से अलग-अलग धाराएं हैं, जिन में अलग अलग तरीके से केस दर्ज होते हैं, उनकी जांच होती है और अलग-अलग तरीकों से उनके निष्कर्ष निकाल करअंतिम निर्णय किये जाते हैं। पिछले वर्ष यह प्रकिया काफी जटिल रही, और जो गति आनी चाहिए थी वह नहीं, आई। एक माननीय सदस्य ने सदन को बताया कि पुलिस प्रकोष्ठ स्थापित हुआ और बड़े चालान किये गये। मैं जानकारी के लिये सदन को सूचित करना चाहता हूं कि जनवरी, 80 तक सन् 78 से केवल 33 केसों का चालान पुलिस प्रकोष्ठ के द्वारा किया गया यहां सैकड़ों की बात कह रहे थे। फरवरी, 80 से जुलाई, 80 तक 20 केसों का चालान किया गया। आप कल्पना कीजिये कि ढाई साल में 33 केसों का चालान पुलिस प्रकोष्ठ के द्वारा किया जाय और केवल 6 महीनों में 20 केसों का चालान किया जाय तो जो भ्रष्टाचार दबाना हैं, या भ्रष्टाचार को साफ करना है इसका निर्णय वह स्वयं करेंगे।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ महत्वपूर्ण औद्योगिक सहकारी प्रतिष्ठान हैं उनके सम्बन्ध में भी काफी चर्चा हुई। मैंने आपसे कहा कि सहकारिता हमारा लक्ष्य है। सहकारिता आर्थिक विकास की दृष्टि से हमारा जीवन दर्शन है। प्रश्न यह है कि, "जाको रही भावना जैसी मुख से निकली वाणी वैसी" प्रश्न यह है कि सहकारिता का आप किस प्रकार स्वागत करते हैं, यह आपके मन की भावना से सम्बन्ध रखता है। यदि आपकी मान्यता यह है कि सहकारिता का एक समाजवादी राष्ट्र के निर्माण की दृष्टि से सामाजिक तबका है, उसके आर्थिक उत्थान की दृष्टि से आवश्यक है तो आपके सोचने का तरीका वैसा ही होगा। यदि आप ऐसे चंगुल में फंसे हुए हैं, ऐसे घेरे में घिरे है। जैसे मकड़ी के जाले की बात यहां की गई है तो मैं आप से कहना चाहता हूं कि मकड़ी के जाले में, उसमें कांग्रेस का कार्यकर्त्ता फंसा हुआ नहीं हैं, मकड़ी के जाले में सहकारिता में विश्वास रखने वाला फंसा हुआ नहीं है। मकड़ी के जाले में वह फंसे हुए हैं तो सामन्ती प्रक्रियावादी शक्तियों से ग्रस्त हैं और चारों ओर से उनको ऐसी शक्ति घेरे हुए हैं। इसलिये यदि कोई मकड़ी के जाले की बात कहकर और लच्छेदार शब्दों में बात कह कर यदि इस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाना चाहते है तो मैं इस बात को स्पष्ठ करना चाहता हैं कि कांग्रेस अपनी नीति से नहीं डिगेगी, कांग्रेस की नीति सहकारिता को मजबूत करना है। कांग्रस की नीति सहकारिता के द्वारा समाज के पिछड़े वर्ग को आगे लाना है। इस दृष्टि से हम डिगने वाले नहीं हैं। यह सही है कि सहकारिता की दृष्टि से हमें काफी परिवर्तन करना है, और काफी निर्णय लेने हैं। कुछ निर्णय हमने लिये हैं और कुछ कदम हमें उठाने हैं। अभी दो ढाई महीने का समय हुआ है और हमारा प्रयत्न यह

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)
होगा कि आगामी सत्र में हम मिलें उस समय आपको सहकारिता के सम्बन्ध में काफी प्रक्रिया मिले ।

मैं सूचना के लिये आपको निवेदन करना चाहता हूं सहकारिता के जो केसेज़ हैं उनको निपटाने के लिए हमने काफी व्यवस्था में परिवर्तन किया है । हमने इस बात का प्रयत्न किया है कि विभाग के द्वारा जितने केसेज चल रहे हैं वह सहायक रजिस्ट्रार अनिवार्यता आगामी 3–4 महीनों के अन्दर निपटा दें । इस सम्बंध में आवश्यक आदेश भी हम प्रसारित करने जा रहे हैं । साथ ही स्पेशल आडिटर्स के द्वारा अंकेक्षण ऑडिट रिपोर्ट दी गई है । उनके सम्बन्ध में भी धारा 74 के अन्दर तीन महीने में जो उनको कार्यवाही करनी हो वह कर लें । इसके साथ जो जोइन्ट रजिस्ट्रार हैं उनको भी धारा 124 की शक्तियां देना चाहते हैं, उनको भी हम धारा 124 की जो शक्तियां हैं, वह देने रहे हैं जिसकी वजह से आज की तारीख में जो हजारों केसेज इन्क्वायरी के पैंडिंग हैं वह इन्क्वायरी किसी तरीके से आगामी 6 महीने में निपटा दी जाय जिसकी वजह से जो बार-बार कहा जा रहा है कि राजनैतिक संरक्षण दिया जा रहा है या भ्रष्टाचार बढ़ाया जा रहा हैं, हम ऐसी स्थिति को साफ करना चाहते हैं । क्योंकि मैंने आपसे कहा, सहकारिता हमारा जीवन दर्शन है । जो सहकारिता हमारा जीवन दर्शन है उसमें यदि किसी प्रकार की शंका होती है तो उन्हें हमें निपटाना होगा ।

(सांय 6.14 बजे)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष पदासीन)

सहकारिता की प्रगति की दृष्टि से मैं कुछ तथ्य भी सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं । जहां तक सदस्यता का प्रश्न है 70 प्रतिशत किसान परिवार आज के महीने तक सहकारिता के क्षेत्र में आ चुके हैं । 70 प्रतिशत . . .

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था 75-76 और 77 में भरतपुर कोआपरेटिव बैंक गबन के बारे में । डेढ़ करोड़ रुपये का गबन है । उसके बारे में क्या सी. बी. आई. से जांच करने की कोशिश करेंगे . . . . .

एक माननीय सदस्य : आपने क्या कराया ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हमने जांच करने की कोशिश की 147 लाख का घोटाला पकड़ा । चालान किये । इन्होंने वापस ले लिया । डेढ़ करोड़ की खरीदी जा रही है ।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य ।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : भरतपुर केन्द्रीय कोऑपरेटिव बंक की बात आपने कही । मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिस भरतपुर सैन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक से सम्बन्धित व्यक्तियों के सम्बन्ध में चर्चा आपने की कांग्रेस की पराजय के बाद जनता पार्टी का राज आने के बाद, केवल इतना कहना चाहता हूं कि वह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे । वह जनता पार्टी की गोद में जाकर बैठे थे, जनता पार्टी की शरण में जाकर बैठ थे ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उस समय कांग्रेस के समय भ्रष्टाचार किया था जनता

(162)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
पार्टी के समय में इन्क्वायरी बैठी ।

(व्यवधान)

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : वे कांग्रेस के सदस्य होंगे । आपसे मैंने कहा है कि आपके पास ढाई साल का समय था, पर आपने कुछ नहीं किया . . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बाधा उपस्थित न करें। माननीय सदस्य । आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज ।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : आप कर सकते थे ।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूं कि डिबेट चल रही है । मंत्री जी बोल रहे हैं । इसलिए आप बीच में हस्तक्षेप न करें ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ।

श्री गोपाल पचेरवाल : मैं एक बात कहना चाहता हूं जो हमने मुद्दे रखे हैं उनका जवाब दें । मुद्दों का जवाब नहीं मिलेगा तो फायदा क्या होगा ।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि वह. . .

श्री गोपाल पचेरवाल : कोआपरेटिव बैंक की इन्कवायरी कराइये ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मुझे क्या करना है ? राज्य सरकार को करना है, डिक्टेशन देने की किसी माननीय सदस्य को आवश्यकता नहीं है ।

श्री गोपाल पचेरवाल : दूध का दूध, पानी का पानी हो जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मैंने आपके पहले ही आपसे कहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी हम करना चाहते हैं और निश्चित रूप से करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य ।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : करने का तरीका कौन सा होगा, करने की प्रक्रिया कौन सी होगी, यह राज्य सरकार को तय करना है । दूध का दूध, पानी का पानी अवश्य करेंगे । इतना मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें बड़ा घोटाला हुआ है। रैली में गाड़ी गई, गाड़ी के सारे पैट्रोल का खर्चा सहकारी समितियां की जेब से गया. . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, कृपया बैठ जायें।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर: उसके साथ-साथ मैं अल्पकालीन ऋण के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। अल्पकालीन ऋण के लिए अब तक व्यवस्था थी कि हर सदस्य को प्रति वर्ष अपनी सीमा निर्धारित करनी पड़ती थी साख सीमा, किन्तु अब उस साख सीमा को एक वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष तक करने जा रहे हैं जिससे अल्पकालीन ऋण के लिए किसानों को हर वर्ष साख सीमा निर्धारित नहीं करानी पड़े, तो यह हम एक...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज। शांत रहें माननीय सदस्य।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर: इसके साथ-साथ मैंने आपको बताया कि अल्पकालीन जो ऋण है उसके लिए जो कमजोर वर्ग है उसके लिए 35 प्रतिशत और मध्यकालीन का 25 प्रतिशत निर्धारित है। उसको हम चालू रखना चाहते हैं। इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते, बल्कि चाहते हैं जहां तक राशि का सम्बन्ध हम 90 करोड़ रुपया 80-81 के अन्दर इसके लिए रखने जा रहे हैं।

इसके साथ-साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जहां तक प्रश्न है उसको हम और मजबूत करना चाहते हैं, प्रयत्न करना चाहते हैं कि उपभोक्ता भंडार, केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार जो हमारा संघ है, वह और उसकी जो शाखायें हैं वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंदर अपना महत्वपूर्ण भाग दें, क्योंकि मेरी मान्यता है कि आज बाजार में जिस तरह से वस्तुयें मिलती हैं और जिन भावों पर मिलती है उसको यदि हमें नियंत्रित करना है तो सहकारिता के माध्यम को अपनाना होगा। जो कुछ वस्तुयें सहकारी समितियां दे रही हैं किन्तु वे जीवनोपयोगी सामग्री की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है। हमारा प्रयत्न है कि दाल, चावल और जिस तरह से खाद्य पदार्थ हैं उनको हम उपभोक्ता प्रणाली के माध्यम से, सहकारिता के माध्यम से जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग है उस तक पहुंचायें। इस दृष्टि से जो भी प्रयत्न होंगे वे प्रयत्न किये जायेंगे।

इसके साथ-साथ ग्रामीण गोदामों की व्यवस्था सहकारी माध्यम से करने जा रहे हैं। अब तक 3521 गोदामों की बात हैं किन्तु इस वर्ष एक हजार गोदाम और बनाने का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है।

इसके बाद गृह निर्माण की दृष्टि से करीब 10 करोड़ रुपये का आधार इस वर्ष निश्चित किया गया है जब कि गत वर्ष इसके लिए केवल तीन करोड़ के आसपास व्यय हुआ हैं। इस वर्ष हम 10 करोड़ रुपया तय करने जा रहे हैं।

इसके साथ-साथ कुछ महत्वपूर्ण उद्योग जैसे आपने गुलाबपुरा स्पिनिंग मिल का कहा, फतेहनगर प्लांट की बात कही और कुछ उद्योग हैं उनके विकास के लिए काफी योजनायें हम क्रियान्वित करने जा रहे हैं। एक प्रश्न गुलाबपुरा के संबंध में, कपास के घोटाले के संबंध में और सामान की खरीद के बारे में माननीय सदस्य ने सदन को सूचित किया है। मैं इस संबंध में निश्चित रूप से इतना विश्वास दिलाकर चलना चाहता हूं कि इसकी पूरी जानकारी की जाएगी, जांच की जाएगी और जांच करने के बाद जो परिणाम आयेंगे उनके अनुकुल कार्यवाही की जाएगी। आखिर जब विधान सभा के सदन

(164)

(**श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर**)

में यहां पर जो कुछ बातें अधिकृत रूप से कही जायं तो राज्य सरकार का फर्ज है कि लाखों के जहां घोटाले की बात हो, उसकी जांच करवाई जाए, उसकी जांच करने की व्यवस्था. ..

श्री **दाऊ दयाल जोशी** : करोड़ों के जहां घोटाले हैं भरतपुर में उसकी जांच की आप स्वीकृति नहीं देते हैं। जहां लाखों की बात है....

(व्यवधान)

भरतपुर जहां से मुख्य मंत्री आ रहे हैं...

श्री **अध्यक्ष** : कृपया बैठ जाइए, माननीय सदस्य।

श्री **दाऊ दयाल जोशी** : वहां से चुनाव लड़ रहे हैं...

श्री **श्रीराम गोटेवाला** : आपके घोटाले ज्यादा होंगे।

श्री **दाऊ दयाल जोशी** : सब की जांच करायें।

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज।

श्री **ईश्वर लाल सेनी** : ये सुनना नहीं चाहते।

श्री **रतनलाल ताम्बी** : गुलाबपुरा की बात को लेकर वहां...

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण करें।

माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी माननीय सदस्य सीधे आपस में बात न करें। जिन किन्हीं माननीय सदस्यों को बोलना हो, डिबेट के बीच में आपत्ति उठानी हो, तो आसन को संबोधित करके उठायें। यह नहीं कि सिर नीचे कर दिया, उधर देख लिया, हल्ला मचाते रहे, यह प्रवृत्ति बिलकुल ठीक नहीं है और इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। जो कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें, कुछ कहना चाहें, आपत्ति उठाना चाहें, पाइंट आफ आर्डर उठाना चाहें, आसन के सम्मुख होकर, उसके बाद बात करें। यह मेरा नम्र निवेदन है।

श्री **रतनलाल ताम्बी** : मेरा पाइंट आफ आर्डर है। गुलाबपुरा पर चर्चा हो रही है उससे संबंधित बात है...

श्री **अध्यक्ष** : उसकी इजाजत नहीं दी जाएगी, आर्डर प्लीज।

श्री **यदुनाथ सिंह** : आन ए पाइंट आफ इन्फार्मेशन...

श्री **अध्यक्ष** : पहले नियम कोट करें। उनको पढ़ने की कृपा करें।

श्री **यदुनाथ सिंह** : हमारे साथ अन्याय हो रहा है।

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, मंत्रीजी।

श्री **हनुमान प्रसाद प्रभाकर** : ऋण भुगतान के संबंध में काफी भ्रष्टाचार की बातें.....

श्री **अध्यक्ष** : आप भी आसन को संबोधित करके बोलें।

श्री **हनुमान प्रसाद प्रभाकर** : अब तक ऋणों के भुगतान के संबंध में काफी शिकायतें प्राप्त होती रही हैं। लोगों का कहना यह रहा है कि जो नकद भुगतान किया जात

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

उसमें काफी भ्रष्टाचार होता है । इसको दूर करने की दृष्टि से सहकारिता विभाग की ओर से भुगतान-पत्रक की व्यवस्था की गई है जिसकी वजह से बैंक में जाकर सीधे जिसको ऋण दिया जाता है वह जाकर वहां से ले लें। करीब-करीब 90 प्रतिशत भुगतान-पत्रकों के द्वारा हो रहा है केवल 10 प्रतिशत ऐसा है जहां भुगतान-पत्रक की व्यवस्था नहीं हो सकी है, कुछ कठिनाइयां हैं वहां नकद भुगतान की व्यवस्था अभी है । बाकी सब जगह भुगतान-पत्रक की व्यवस्था को लागू कर दिया गया है । इसके कारण जो भ्रष्टाचार होने की संभावनायें थीं वे धीरे-धीरे मिटती जा रही हैं ।

इसके साथ-साथ जैसा मैंने कहा कि सहकारिता एक आंदोलन है और सहकारिता विभाग में काम करने वाले, सहकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले सहकारी समितियों में काम करने वाले कई साथियों को सहकारिता के संबंध में उसकी प्रक्रिया के संबंध में, नियमों के सबंध में कोई जानकारी नहीं है और न ही हमारे पास ऐसा मैन्युअल है जिसकी वजह से वे सब जानकारी प्राप्त कर सकें। तो मैंने सहकारी विभाग से कहा है कि तीन महीने में एक मैन्युअल तैयार करें जो सहकारी क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्त्ता और पदाधिकारियों के लिए और विभाग के कर्मचारियों के लिए एक दिशा निर्देशक का काम करे । इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था के आदेश दे दिए गए हैं और करीब तीन-चार महीने में मैन्युअल तैयार होकर आ जाएगा ।

इसके साथ-साथ जैसा मैंने आपसे कहा सहकारिता के संबंध में सदस्यता के संबंध में सहकारिता कार्यक्षेत्र के संबंध में और सहकारी औद्योगिक प्रतिष्ठानों के संबंध में सहकारी समितियों के भ्रष्टाचार के संबंध में सहकारी जो भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं और आज जो पेंडिंग हैं उनको हम शीघ्रातिशीघ्र कैसे दूर करें इसकी व्यवस्था के संबंध में, सहकारी मैन्युअल के संबंध में इन सब प्रश्नों पर संक्षेप में मैंने सारी बातें बताई ।

इसके बाद जन-जाति का जहां तक प्रश्न है....

श्री हंसराज शर्मा : अब मेरा निवेदन है कि ....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री हंसराज शर्मा : बहुत महत्वपूर्ण है......

श्री अध्यक्ष : डिबेट के बीच में केवल पाइंट आफ आर्डर के माध्यम से कोई प्रश्न उठाया जा सकता है ।

श्री हंसराज शर्मा : जनता के हित के लिए है । एक मिनट केवल ।

श्री अध्यक्ष : कृपया, स्थान ग्रहण करें ।

श्री हंसराज शर्मा : भूमि विकास बैंक......

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

कृपया, स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य । ऑर्डर प्लीज ।

(१८५)

(श्री अध्यक्ष)

कृपया, बैठ जायं। ग्रार्डर प्लीज। कृपया, सहयोग करें।

मैंने बार बार आपसे निवेदन किया कि इस तरह से शासन के आदेश की अवहेलनां नहीं होनी चाहिए।

आर्डर प्लीज।

श्री नन्द लाल मीणा : आन ए पांइट आफ ऑर्डर।

श्री अध्यक्ष : कौनसे नियम के अन्तर्गत ?

श्री नन्द लाल मीणा : नियम तो आपको मालूम है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा, आर्डर, आर्डर। आप वरिष्ठ सदस्य हैं सदन के, आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, इस तरह से इजाजत नहीं दूंगा।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : जनजाति के कल्याण की दृष्टि से मैंने प्रारंभ में निवेदन किया था कि राजस्थान में आदिवासयों के कल्याण की योजनाओं को मूर्त रूप देना होगा और इसके लिए कठिन परिश्रम व साधना करनी होगी। आज 12½ प्रतिशत करीब जनसंख्या आदिवासियों की है और मुझे खुशी है कि राजस्थान का आदिवासी अधिकांशत: निश्चित रूप से देश की प्रगतिशील शक्तियों के साथ है।

इन चुनाव परिणामों ने यह सिद्ध कर दिया कि इस देश की सामन्ती और प्रतिक्रियावादी शक्तियों के साथ आदिवासी भाई नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, यह प्रतिक्रियावादी शक्तियां इनकी सहानुभूति प्राप्त करने के लिये, केवल उनका ध्यान आकर्षित करने के लिये आदिवासियों की समस्या को प्रचारात्मक माध्यम के द्वारा फैलाने की कोशिश करें तो मैं उन्हें इतना ही कहना चाहता हूं कि आज राजस्थान का आदिवासी बहुत समझदार हो गया है, वह अच्छी तरह समझ गया है कि उसके हितों की रक्षा किसके साथ रहने से है और किसके साथ रहने से नहीं है ? अध्यक्ष महोदय, यही कारण है कि आज उदयपुर जिले की 6 तहसीलें और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ पूरा, प्रतापगढ़ और सिरोही जिले की आबू तहसील और दूसरे कुछ भाग हैं उनको मिला कर उनमें जो रहने वाले आदिवासी भाई हैं उनके कल्याण के लिये एक सर्वांगीण योजना का निर्माण किया गया है। अध्यक्ष महोदय, जब यह अनुभव किया गया कि इन क्षेत्रों के अलावा भी कुछ आदिवासी ऐसे हैं जिनके विकास की दृष्टि से, उनके कल्याण की दृष्टि से, राज्य सरकार को और अधिक विचार करना चाहिये तो राज्य सरकार ने कुछ अलग-अलग क्षेत्रों को मिलाकर जहां पर कम से कम दस हजार आदिवासियों की संख्या हो वहां पर मिनी ब्लाक बनाने का फैसला किया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि राजस्थान में ऐसे 36 मिनी ब्लाक काम कर रहे हैं। इस तरीके से राजस्थान का जो आदिवासी भाग है, वह इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आ जाता है।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ इस

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

विभाग के साथ सिंचाई की दृष्टि से स्कूल्स की दृष्टि से, दवाखानों की दृष्टि से, औद्योगिक दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, छात्रावृत्ति की दृष्टि से और खेती की दृष्टि से मतलब यह है कि मानव जीवन की दृष्टि से जो भी समस्यायें हो सकती हैं उन समस्याओं के हल के लिये जो भी कार्य हो सकते हैं उनको इसके अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले वर्षों में इस संबंध में काफी परेशानियां आई और जितना निश्चित रूप से काम होना चाहिये था, उतना नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात को स्वीकार करने में भी कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु जो आर्थिक स्थितियां हैं उन आर्थिक स्थितियों को देखते हुए योजना का प्रारूप तैयार किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, जितने हमारे आर्थिक साधन होंगे उन आर्थिक साधनों के आधार पर योजनायें बनाई जायेंगी। अध्यक्ष महोदय, मेरी यह व्यक्तिशः मान्यता है कि आदिवासी भाइयों के विकास के लिये काफी मेहनत करने की आवश्यकता है। आज भी कई आदिवासी क्षेत्र ऐसे रहे हैं जिनमें कि निश्चित रूप से आदिवासी भाइयों को 12 महीने खाने के लिये अनाज की व्यवस्था नहीं हो सकती, उनके रहने को मकान नहीं है, उनके बालकों के लिये शिक्षा का कोई इन्तजाम नहीं है तथा उनके परिवार वालों की स्वास्थ्य रक्षा का इन्तजाम नहीं है। इन सब समस्याओं को मैं स्वीकार करके चलना चाहता हूं किन्तु धीरे-धीरे गये तीस वर्षों में हमने, जो कुछ किया है उसके परिणाम आज निश्चित रूप से हमारे सामने आये हैं। अध्यक्ष महोदय, जो इन क्षेत्रों में रहते हैं वह यह जानते हैं कि उन आदिवासी क्षेत्रों में जहां पहुंचना मुश्किल था, जहां रोशनी नहीं थी, कोई शिक्षा नाम की चीज नहीं थी, जहां चिकित्सालयों का नामोनिशान नहीं था, आज सिंचाई के साधन बड़ी तादाद में आपको मिलेंगे, शिक्षा के कई स्कूल आपको वहां पर खोले हुए मिलेंगे, इसके साथ-साथ कई सेन्टर आपको देखने को मिलेंगे, वहां पर कई सड़कों का निर्माण हुआ है। न केवल इतना ही, बल्कि आदिवासी बालकों की शिक्षा की दृष्टि से होस्टल और आश्रम छात्रावास के कार्य को हाथ में लिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरी यह मान्यता है आदिवासी कल्याण की दृष्टि से जो कुछ इस वर्ष लेना सम्भव था, वह हमने इस बजट में लिया है। यह बात सही है। अध्यक्ष महोदय, पहले मैं यह कहना भूल गया था और इस बात को दुबारा दोहरा देना चाहता हूं कि किसी काम को करने के लिये जन-प्रतिनिधियों का होना अत्यन्त आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सहकारी समितियों का चाहे प्रश्न हो, चाहे आदिवासी निगम का प्रश्न हो, आज की स्थिति में उनमें जो जन-प्रतिनिधि होने चाहिये उनका अभाव रहा है। इन निगमों की देखभाल सरकारी अधिकारियों द्वारा की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, सहकारी बैंक हो, चाहे भूमि विकास बैंक हो, या कोई संगठन हो, वहां पर जन-प्रतिनिधियों का अभाव है। राज्य सरकार का निश्चित रूप से इस दिशा में प्रयत्न होगा। यह स्थिति अब ज्यादा दिन तक नहीं बनी रहने दी जा सकती इसके लिये कोई रास्ता हो, कोई न कोई रास्ता हमें निकालना पड़ेगा जिसकी वजह से इन कार्यक्रमों में जन-प्रतिनिधियों, चुने हुए जन-प्रतिनिधियों का और दूसरे

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

जन-प्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त किया जाय, क्योंकि अधिकारी लोग उनकी मन की पीड़ा को उतनी नहीं समझ सकते हैं जितनी कि जन-प्रतिनिधि समझ सकते हैं। दूसरी एक बात यह भी है कि सरकारी अधिकारियों के पास उतनी जानकारी नहीं होती है उनके बारे में जितनी कि जन-प्रतिनिधियों को जानकारी होती है। यह मान्यता है कि सहकारी समितियों और आदिवासी निगम के सम्बन्ध में शीघ्र ही ऐसा निर्णय लिया जायेगा जिससे जन-प्रतिनिधियों का इसमें महत्वपूर्ण रोल हो सके।

अध्यक्ष महोदय, जनजाति कल्याण समिति के अलावा एक आदिवासी निगम और बना हुआ है। मैंने जैसा आपसे कहा कि आदिवासी भाइयों का सदियों से शोषण आर्थिक रूप से हो रहा है। इसको समाप्त करने के लिये, अध्यक्ष महोदय, एक निगम का गठन किया गया है जिसके माध्यम से उन क्षेत्रों की चाहे वन सम्पदा हो, चाहे मच्छी का काम हो या और जो छोटे-मोटे उद्योग हैं उनको हम इनका माध्यम बना कर चलना चाहते हैं। उनकी वन सम्पदा को यह निगम खरीदता है और उनसे खरीद करके उस वन सम्पदा को वह निगम बेचता है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि आदिवासी लोग इस वन सम्पदा को अब तक तो उनके शब्दों में सूदखोर और मुनाफाखोर को बेचते थे और उनके जाल में फंस जाते थे, धीरे-धीरे मकड़ी का जाला बनता जाता है और आदिवासी भाई उसमें फंसते जाते हैं। अब इस निगम के माध्यम से हम उन मुनाफाखोरों और सूदखोरों के मकड़ी के जाल को तोड़ सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, इन सभी में आपका सहयोग होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, वन सम्पदा का उचित मूल्य आदिवासियों को नहीं मिल रहा है, यह कहा गया। अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं भी पहले इस धारणा का था कि आदिवासियों को वन सम्पदा का उचित मूल्य नहीं मिलता है लेकिन जब वास्तविक व्यापारिक दृष्टि से जानकारी की गयी तो यह देखा गया कि इस निगम को कोई आर्थिक विशेष लाभ हो वह बात नहीं है इसके पास लाभ करीब 23 लाख रुपये का है जो कि बहुत बड़ा लाभ नहीं कहा जा सकता। अध्यक्ष महोदय, आज जो निगम पर्चेज कर रहा है उसके हिसाब से एक आदिवासी को करीब 9 रुपये, 10 रुपये, 11 रुपये और 12 रुपये तक मिल जाते हैं। इस प्रकार उसकी वन सम्पदा से उसको अच्छे पैसे मिल जाते हैं, उसे आर्थिक सहायता ठीक मिल रही है।

इसके साथ-साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि चाहे सहकारिता के क्षेत्र में हो, चाहे निगम के क्षेत्र में हो, जब हम व्यापारिक प्रयोग करने जाते हैं तो एक वर्ग विशेष ऐसा है जो उसको असफल करने की कोशिश करता है। यह प्रयत्न जहां उपभोक्ता भंडार काम करते हैं वहां होता है और आदिवासी निगम के द्वारा पर्चेजिंग करते हैं वहां भी करते हैं। मैंने आपसे कहा, यह तो एक चुनौती है, हमें उन्हें चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिये। कल भी जब मैं अधिकारियों से चर्चा कर रहा था तब यह प्रश्न मेरे सामने आया था कि एक नया काम हम प्रारम्भ करते हैं तो हमको नुकसान उठाना पड़े तो कोई बात नहीं, हमें उसका मुकाबला करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि एक बार जनता

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर) :

उपभोक्ताओं का झुकाव सहकारिता के माध्यम की ओर हो जावे या हमारे आदिवासी निगम की तरफ हो जाय। यह प्रयास हमारा है और इस प्रयास में मैं समझता हूं, काफी सफलता मिली है।

अध्यक्ष महोदय, जन कल्याण के बारे में काफी गलतफहमियों की बातें हो रही हैं। यह भी कहा जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी नहीं किया जा रहा है। मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं आज आदिवासी क्षेत्र में जगह जगह नये स्कूल खोले जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अब ज्यादा दिन बाकी नहीं हैं, सबसे अधिक उनकी तरफ ध्यान दिया जायेगा। मेरी यह मान्यता है कि शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूल खोले जायें वे तो खोले ही जायें। उनके साथ अगर आदिवासी निगम के द्वारा भी कुछ स्कूल वहां खोले जायें तो उनका ज्यादा उपयोग हो सकेगा। अध्यक्ष महोदय, यह भ्रम धारणा है कि आदिवासी क्षेत्र के अन्दर शिक्षा का विकास नहीं हो रहा है। यह भ्रम है कि वहां कुछ नहीं हो रहा है। मेरी मान्यता है कि आज डूंगरपुर, बांसवाड़ा, खेरवाड़ा व सराड़ा के क्षेत्र में जो स्थिति सन् 47 के पहले जो शिक्षा का प्रतिशत था उसको दूसरे भागों की तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो स्थिति बहुत ही संतोषजनक है। यह ठीक है कि हम जितना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते थे वह नहीं कर पाये हैं। अध्यक्ष महोदय, यह हमारा दुर्भाग्य रहा है कि हम 6 से 11 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा नहीं दे सके, 11 से 16 वर्ष के बच्चों को ज्यादा संख्या में शिक्षा नहीं दिला सके और जितना अधिक प्रशिक्षण उनको मिलना चाहिये था वह नहीं मिल सका। इसकी हमारे मन में पीड़ा है और हम इसलिये आदिवासी क्षेत्र में उनके कल्याण के लिये और सहकारिता के पवित्र मंदिर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिये जितना भी सरकार से हो सकेगा वह अधिक से अधिक करेगी। लेकिन, अध्यक्ष महोदय एक बात मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि इसमें राजनीति का प्रवेश नहीं हो, उतना ही अच्छा है क्योंकि अगर एक बार राजनीति का प्रवेश हो जाता तो उसमें कई कठिनाईयां पैदा हो जाती हैं। इस सबके लिये मैं आप सभी का सहयोग चाहूंगा। अन्त में, मैं सभी माननीय सदस्यों को जो उन्होंने अपने भाषण में उपयोगी सुझाव दिये हैं उसके उन्हें बधाई देता हूं और साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा जो भी उपयोगी सुझावों को राज्य सरकार कर सकेगी, वह करेगी इसमें किसी तरह का आपको सन्देह नहीं होना चाहिये। अन्त में एक बार और जो आपने सदन में सुझाव दिये उनके लिये धन्यवाद। मैं, माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव दिये हैं उनको अस्वीकार करता हूं और मांगों को पारित करने की सदन की अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्रम मंत्री जी।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न था कि जैसे महाराष्ट्र की सरकार ने हरिजनों के कर्ज माफ किये उसके बारे में मंत्री महोदय ने कुछ नहीं बताया कि वह भी इस प्रकार का कोई विचार रखते हैं। मैं चाहूंगा कि इस पर माननीय मंत्री महोदय अपने विचार रखें। बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए सरकार को कदम उठाना चाहिए हरिजनों का कर्जा माफ करवाने के लिए।

श्री अध्यक्ष : ठहरिये, कुछ माननीय सदस्य स्पष्टीकरण चाहते हैं। बहुत ही संक्षिप्त में होना चाहिए।

श्री **रामसिंह विश्नोई**: अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय भूमि विकास बैंक और अपेक्स बैंक दोनों का एकीकरण करने के लिए मैंने सुझाव दिया था वह गवर्नमेन्ट के विचाराधीन हैं। आपके रिज़र्व बैंक की सहमति हो गयी है उसमें आपका क्या विचार है ?

श्री **हनुमान प्रसाद प्रभाकर**: हजारे कमेटी की रिपोर्ट है उसको मैंने पढ़ा है उस हजारे कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मेरे मन में पक्ष और विपक्ष दोनों आ रहे हैं। एकीकरण किया जाय या नहीं किया जाय, दोनों बातें हैं जो सरकार के सामने खुली हुई हैं। जब राज्य सरकार कभी निर्णय कर लेगी तब इस संबंध में मैं बता सकूंगा।

श्री **सी. पी. जोशी**: अध्यक्ष महोदय, कुम्भलगढ़ और नाथद्वारा की विकास पंचायतों में 70 प्रतिशत से ज्यादा आदिवासी रहते हैं और मिनी ट्राइबल सब-प्लान है वह नाथद्वारा और कुम्भलगढ़ के आदिवासियों पर भी लागू किया जायगा ऐसी सरकार की मंशा है या नहीं ?

श्री **हनुमान प्रसाद प्रभाकर**: मैंने निवेदन किया था कि जुड़ी हुई ऐसी जनसंख्या जहां 10 हजार कम से कम आदिवासी उपलब्ध हैं वहां मिनी ब्लाक बनाया जा सकता है और ऐसे जितने मिनी ब्लाक बनाये जाते हैं उसमें राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। मैंने आधार जो भारत सरकार द्वारा दिये हुए हैं उसको देखते हुए उस तरह की सारी व्यवस्था बना दी जायगी। उसमें राज्य सरकार को कहीं कोई आपत्ति नहीं है मानने में।

श्री **अध्यक्ष**: श्री ताम्बी।

श्री **रामसिंह विश्नोई**: अध्यक्ष महोदय, मैंने यह भी कहा था कि जो सोसाइटीज डिफेक्ट हो गयी थीं और मेम्बर्स पर पुराने कर्जे थे वह नहीं चुकाने की वजह से वह डिफेक्ट हो गयी थी और रिजर्व बैंक पैसा देता है पंचायत समिति को लेकिन मेम्बर के खाते में जमा नहीं होने से वह डिफाल्ट में आ गये और वापस पैसे उठाने के काबिल नहीं रहे हैं। और वह वही मेम्बर है जो कि गरीब हैं और आज तक चुका नहीं सके। उनको नया कर्ज नहीं मिल सकता जब तक नहीं चुकायें तो आप इस पर विचार करें

श्री **हनुमान प्रसाद प्रभाकर**: सोसाइटी डिफेक्ट होना अलग प्रश्न है। अगर मेम्बर्स डिफाल्टर्स नहीं हैं तो उनको कर्जा मिलने में कठिनाई नहीं है।

श्री **रामसिंह विश्नोई**: मेम्बर्स के कारण सोसायटी डिफाल्टर है, और दस बीस साल हुए व्यापारी वर्ग था जबकि सोसाइटी नयी-नयी बनी थी और वह हावी थे, और कर्जा लेने के लिए पैसा जमा कराया, उनकी वजह से सोसाइटी फेल हो गयी और दस बीस साल से सोसाइटी डिफाल्ट पड़ी हुई है। रिज़र्व बैंक के पैसे दे दिये और अब मेम्बर्स के पैसे जो कि सोसाइटी में बाकी हैं उनके बारे में यह पूछा है।

श्री **हनुमान प्रसाद प्रभाकर**: मैं समझ गया हूं। अभी इस संबंध में बताने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री **रतनलाल ताम्बी**: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही आश्वासन मंत्री महोदय से चाहूंगा कि 1978 में राजस्थान का बहुचर्चित बनेड़ा उप-चुनाव हुआ था और तत्कालीन मुख्य मंत्री के खास चहेते श्री कल्याण

(श्री रतनलाल ताम्बी)
सिंह जी कालवी ने वहां से चुनाव लड़ा था तो लगभग 450 जीप और गाड़ियां वहां उपलब्ध थीं ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ...

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं भूमिका बता रहा हूं। दो मिनट लूंगा ।

श्री अध्यक्ष: आर्डर, आर्डर ।

श्री रतनलाल ताम्बी : दो मिनट में कहूंगा अपनी बात को ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं माननीय सदस्य

(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी: मामला बड़ा सीरियस है। मैं दो मिनट में ही कह दूंगा । भूमिका नहीं बोलूंगा ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री रतनलाल ताम्बी : बहुत महत्वपूर्ण है ।

श्री अध्यक्ष : समय नहीं दूंगा । मैं अन्य विषय की इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री रतनलाल ताम्बी : गुलाबपुरा मिल का मामला सामने आया है

श्री अध्यक्ष : आप थोड़ा माइक से दूर रहें।

श्री रतनलाल ताम्बी : गुलाबपुरा मिल में दो काटन व्यापारी जिनका मैं नाम बताना चाहूंगा—श्री हस्तीमल चौधरी और डांगी कॉटन फैक्ट्री बनेड़ा, इन दोनों से जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय ने कपास खरीदा बहुत नीची क्वालिटी का और काफी एतराज के बाद भारी कीमतें दी । इसकी बड़ी शिकायत हुई थी। क्या मंत्री महोदय कालवी जी को काफी चन्दा दिया ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। कटौती प्रस्ताव से संबंधित नहीं है । आर्डर प्लीज, इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही आश्वासन चाहता हूं कि कन्ट्रोल्ड कमोडिटीज सहकारी समितियों के द्वारा ही वितरित होनी चाहिए । केवल 'ही' शब्द जोड़ना है ।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है तो उनको निश्चित रूप से प्राथमिकता दी जायेगी। वह लेने के लिए सक्षम हैं तो पहले उनको मिलेगा। यह मानकर चलें । यदि कहीं सहकारी समितियों की स्थिति ऐसी नहीं है तो वहां वितरण की व्यवस्था का दूसरा आधार करना पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष : गांव वाले आधा-आधा बंटे हुए है और नहीं चाहते हैं, उस स्थिति में क्या होगा ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, आर्डर आर्डर ।

श्री मेघराज तावड़ : महाराष्ट्र सरकार ने और बंगाल की सरकार ने गरीब आदिवासियों के कर्जे जिस तरह से माफ किये, क्या जन जाति

(श्री मेघराज तावड़)

क्षेत्रों में आप इस तरह से उनके कर्जे माफ करने के लिए कुछ सोचते हैं क्या ?

श्री **हनुमान प्रसाद प्रभाकर** : अभी इस संबंध में कोई विचार नहीं है ।

श्री **नन्दलाल मीणा** : मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं ।

श्री **शिवराम शर्मा** : दो घंटे लग जायेंगे इस तरह से तो ।

श्री **अध्यक्ष** : आखिरी प्रश्न है । पूछ लीजिए ।

(व्यवधान)

कृपया, स्थान ग्रहण कीजिए । मैं एक-दो माननीय सदस्यों को यदि इजाजत दे दूं स्पष्टीकरण के लिए तो यह नहीं है कि फिर सभी माननीय सदस्यों का अधिकार हो गया और डिबेट फिर शुरू हो जाय । ऐसा नहीं होना चाहिये । . आर्डर प्लीज । श्री नन्दलाल एक प्रश्न पूछेंगे और उसके बाद इस पर चर्चा समाप्त होगी ।

(व्यवधान)

यह डिबेट तो इस तरह से कभी खतम होने वाली नहीं है । आर्डर, आर्डर श्री नन्दलाल ।

श्री **नन्दलाल मीणा** : क्या राज्य सरकार ट्राइबल सब-प्लान एरिया में जो आश्रम स्कूल भवन बन चुके हैं वहां पर इस वर्ष छात्रों को प्रवेश हेतु चालू करवाना चाहते हैं ? दूसरा सवाल यह है कि जिन आदिवासियों को सहकारी समितियों के माध्यम से जो कर्जा नहीं दिया गया और फिर भी उनके नाम पर लिख दिया गया है ऐसे केसेज राज्य सरकार के पास विचाराधीन हैं ? क्या ऐसे केसेज के बारे में जो वसूली हो रही है उसको स्थगित करने के लिए जांच करवाना चाहती है सरकार ?

श्री **हनुमान प्रसाद प्रभाकर** : जिन छात्रावासों का निर्माण हो चुका है वहां पर छात्रों को प्रवेश देने में आपत्ति नहीं है और प्रवेश दिया जा सकेगा । जहां तक यह प्रश्न आया कि कर्जा मिला ही नहीं और वसूल हो रहा है तो मैंने पहले निवेदन किया कि रजिस्ट्रार, सोसायटीज को इस बात के लिए कहा गया है कि वह चार महीने में सारे केसेज को निपटा दें, और आडिटर्स को कहा गया है कि आडिट रिपोर्ट चार महीने में फाइनलाइज करें और जो इस तरह के केसेज पड़े हैं और रजिस्ट्रार के पास हैं तो जो रीजन्स में बैठे हुए हैं उनको कहा गया है कि वह केसेज निपटा दें । कर्जा लिया गया है या नहीं लिया गया है इसका तो बाद में फैसला होगा । नहीं दिया गया है तो किससे वसूल किया जाये यह तो आधार तय करना पड़ेगा ।

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष**: आर्डर, आर्डर । इसमें आगे इजाजत नहीं दूंगा । श्रम मंत्री जी उत्तर देंगे ।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर कृपया स्थान गृहण करें ।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर कृपया स्थान गृहण करें ।

श्री **अध्यक्ष** : कृपया स्थान गृहण करें, माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

आर्डर, आर्डर

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल ...

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज ।

श्री हंसराज शर्मा : मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर : कृपया स्थान ग्रहण कीजिए ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें । आर्डर प्लीज । श्रम मंत्री जी ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुझे कहा गया था ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । अब मेरी मजबूरी है ।

श्री हंसराज : महत्वपूर्ण ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । मैं महसूस करता हूं मैंने गलती की है । डिबेट के बारे में किन्हीं एक दो माननीय सदस्यों को आशंका हुई उसके निवारण के लिये इजाजत दे दी, इसको एक लम्बा विषय बना दिया, दुबारा डिबेट खोली जाय ... स्पष्टीकरण करने के लिये एक दो माननीय सदस्यों को कोई प्रश्न उठाना हो, कोई तकलीफ हो, इमें इजाजत नहीं दे सकता । श्रम मंत्रीजी ।

श्री हंसराज शर्मा : महत्वपूर्ण प्रश्न है ...

श्री अध्यक्ष : सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं । कृपया स्थान ग्रहण कीजिए ।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, सदन का समय 7 बजे तक का है । इसको मांगें पारित होने तक के लिये बढ़ा दिया जाये ।

श्री अध्यक्ष : सदन की अनुमति से सदन का समय 7-30 बजे तक के लिये बढ़ाया जाता है ।

श्रीमती कमला (श्रम मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आज माननीय सदस्यों ने अपने कटौती प्रस्तावों के माध्यम से समाज कल्याण विभाग के कार्यक्रमों के बाबत श्रम और रोजगार से सम्बन्धित मुद्दों पर चर्चा की है । कुछ कमियां भी बताई हैं कुछ सुझाव भी दिये हैं और सरकार की तरफ से किये जाने वाले कुछ कदमों को उठाये जाने का आग्रह किया गया है । विशेषतौर से समाज कल्याण विभाग के तहत चलाये जाने वाले छात्रावासों, गृहों और दूसरी संस्थाओं के संचालन में जो कमियां और कुव्यवस्था है उसके बारे में आम तौर पर माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को मानती हूं कि जितनी उत्तम व्यवस्था और सन्तोषजनक व्यवस्था इन तमाम संस्थाओं में होनी चाहिये उसमें काफी कमियां हैं, और उन कमियों का कारण कुछ आज का जो आम राष्ट्रीय चरित्र है, मानस है, उसके स्तर से भी सम्बन्ध रखते हैं । चाहे संस्था को चलाने वाले पदाधिकारी हों, चाहे देख-रेख करने वाले अधिकारी और कर्मचारी हों, और उसको सामान सप्लाई करने वाले

(श्रीमती कमला)

व्यापारी और दूसरे लोग हों, सभी की मनोभावना जिस प्रकार से आज के समय में कमजोरी है, उसका रिफलेक्शन ऐसी सारी व्यवस्थाओं पर पड़ता है। इसके अलावा मैं यह भी मानती हूं कि विभाग द्वारा जितनी तत्परता से समय समय पर तकाजे के साथ, अचानक निरीक्षण और मार्गदर्शन होता रहना चाहिये उसमें भी कुछ कमी रहती रही है, और इसके अलावा इस बात की भी कमी है कि स्थानीय जागरूक समाज और स्थानीय जन-प्रतिनिधियों ने समय समय पर यद्यपि किन्हीं फोरम के माध्यम से इन बातों को उठाया है, लेकिन निरन्तर उन कमियों की ओर ध्यान आकर्षित करना उनकी जांच करना, उनके खिलाफ एक्शन करवाना, इन मामलों में कुछ जन-जागरण की कमी रही है। जहां तक इन तमाम बातों का ताल्लुक है हम कोशिश करेंगे कि समाज कल्याण विभाग के तहत चलायें जाने वाले छात्रावास महिला गृह; शिशु गृह, बाल गृह और दूसरी जो संस्थायें हैं वे समाज कल्याण विभाग के लिये आपत्ति की बात न होकर, एक जिम्मेदारी की बात साबित हों। उनके इन्तजाम की, उनकी व्यवस्था की, कार्यक्रमों की, वहां के बच्चों की महिलाओं की देख रेख अच्छी रहे इसलिये हम सख्ती से और तत्परता से काम करने का मन रखते हैं।

पोषाहार केन्द्रों के बारे बहुत सारी शिकायतें हैं, बहुत सारी सही भी हैं, उनको बहुत को पकड़ा जाना सम्भव भी नहीं और बहुतों को पकड़ा जाना सम्भव भी है, कुछ फुल प्रूफ सिस्टम किया जाये कि कम से कम कमियां हों। इसके लिये भी कोशिश की गई है, लेकिन अब भी उसमें कमियां हैं, और इसके लिये भी हम यह कोशिश करेंगे। मैंने विभाग के अधिकारियों की बैठक भी बुलाई थी और डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारियों और कर्मचारियों से निवेदन किया है कि इस विभाग के ऊपर जो बहुत बड़ा दोष है। समाज के बहुत बड़े कमजोर तबके, पिछड़े हुए अंगों को, महिलाओं और बच्चों को और दूसरे कमजोर और इसी प्रकार निस्सहाय और असहाय तबका है उसके लिये यह समाज काम करता है और फिर उसी में से निकालने की हम चेष्टा करें यह समाज के लिये, सभी के लिये बहुत ही विचारणीय स्थिति है। मैं समझती हूं इस बाबत विभाग के लोग भी सोचेंगे और जो सम्बन्धित संस्थायें हैं उनके ऊपर भी हम दबाव डालेंगे, निरीक्षण द्वारा, उनकी बराबर जांच पड़ताल के जरिये, हम लोगों ने जांच पड़ताल भी की। कुछ दोषी अधिकारियों को मैंने निलम्बित भी किया है, और आस-पास के क्षेत्र में उसका कुछ असर भी हुआ है। मैं समझती हूं इसी प्रकार से यदि हम कुछ करेंगे तो कुछ सुधार हो सकेगा।

भिक्षावृत्ति और भिखारियों के बारे में कई माननीय सदस्यों ने कहा है। विभाग के जरिये से उनको रोजगार देकर स्वावलम्बी बनाकर, कुछ और दूसरे मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेन्ट देकर इस वृत्ति को छुड़ाया जा सके। इसके लिये प्रयत्न किये गये और सरकार की तरफ से बैगर होम चलाया गया, लेकिन उसका कोई विशेष असर इस प्रवृत्ति को रोकने में नहीं पड़ा, क्योंकि आम तौर से ऐसा देखा गया है कि भिखारी जिस तरह नाटकीय ढंग से, आसानी से जितना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं मेहनत करके, कशमकश करके, उतना नहीं मिल पाता है या उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति भी नहीं है। इन सारी बातों के सन्दर्भ में इसको किस प्रकार बन्द किया जाय, कानूनी तरीके से किया जाय, इस मामले में मैं यह

(श्रीमती कमला)

विचार रखती हूं कि केबिनेट के सामने इस मुद्दे को रखूं। किस प्रकार से, दरअसल में बहुत ही घिनौनी और कलंक जैसी व्यवस्था हमारे समाज में मौजूद है जैसा बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि बाहर से आने वाले लोगों के आगे पीछे वे लोग इस प्रकार फिर जाते हैं कि उनको शायद न जयपुर की सुन्दरता दिखाई देती है, न जयपुर का उद्योग दिखाई देता है, न जवाहरात दिखाई देते हैं। सबसे पहले आने वाले को वही दिखाई देता है। उनका रूप भी विकृत उनके सामने प्रस्तुत होता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी खामियां इस विभाग के संचालन में हैं लेकिन बहुत सारे विभाग ने काम किये हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समाज कल्याण विभाग किसी वर्ग विशेष के लिये ही काम नहीं करता। आम धारणा यह है कि शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राईब्स के लिये ही काम करता है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि यह विभाग, समाज कल्याण विभाग, वह विभाग है जो कि हमारे देश की एक प्रस्तावित नीति के अन्तर्गत सामाजिक और आर्थिक क्रांति को लाने के लिये एक बहुत ही दृढ़ आधार से सम्पादन करने के लिये काम कर रहा है। इस देश में, इस समाज में जब तक गरीब रहेगा, जब तक पिछड़ा हुआ रहेगा, जब तक कमजोर रहेगा, जब तक भूखा रहेगा, जब तक नंगा रहेगा, तब तक चाहे कितना ही सुन्दर कपड़ा पहन लें, कितना ही सुन्दर रहन सहन करलें, 2 प्रतिशत आदमी इस समाज के अन्दर बना लें, यह देश और समाज कभी सुन्दर और स्वस्थ नहीं बन सकता। इसलिये यह देश और समाज तभी सुन्दर और स्वस्थ कहलायेगा। जब इस देश का आम आदमी न सिर्फ सुन्दर और स्वस्थ होगा बल्कि आदर्श भारतीय नागरिक के तौर पर अपना जीवन व्यतीत करने लगेगा। तभी हम सोशियो इकानामिक ट्रांसफार्मेशन और सोशियोलिज्म की बात करते हैं वह पूरी हो सकेगी। इस प्रकार इस विभाग के ऊपर बहुत मेहती और बड़ी जिम्मेदारी है। इसीलिये न सिर्फ शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राईब्स के लिये बल्कि आम पिछड़े वर्ग के लिये, महिलाओं और कमजोर बच्चों के लिये, यह विभाग काम करता है। जिससे कि आम तौर पर सामूहिक तौर से इस समाज के गरीब और पिछड़े कमजोर वर्ग का उत्थान हो सके। यह विभाग इस प्रकार से नियोजित ढंग से पिछले काफी अर्से से काम करता चला आ रहा है और आपको इस बात का ज्ञान भी है कि पिछले 30-35 वर्षों के पहले हिन्दुस्तान के स्वरूप को देखें तो उसमें और आज में काफी परिवर्तन मिलेगा। जिस तरह की जाति-पांति की प्रथा और जिस तरह से इनके साथ अत्याचार और जिस प्रकार की कमजोरी की स्थिति, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक स्थिति में देश की आजादी से पहले यह वर्ग था, उसके मुकाबले में काफी कुछ तरक्की हुई है। राजनैतिक क्षेत्र में काफी हुई है। सामाजिक क्षेत्र में कुछ कम हुई है, आर्थिक क्षेत्र में और भी कम हुई है। उसको और भी तेजी से करने की जरूरत है लेकिन एक भावना, एक विचार और सोचने का दृष्टिकोण समाज का बदला है और उसके बदलने के जरिये से हम यह सोचने लगे हैं कि आम समाज में रहने वाला शिक्षित आदमी को जीने का हक इस हिन्दुस्तान में है। उसको भी राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकार है और वे उसको प्राप्त होने चाहिये।

(२६)

(श्रीमती कमला)

आज उसके बोलने की क्षमता भी बढ़ी है और क्षमताओं व गुणों को प्रस्फुटित करते हुए अपना योगदान देकर वास्तव में ... और अच्छा समाज बनाने में उन्होंने अपना काम किया है। जितना होना चाहिये उसमें बहुत कमी है। लेकिन मैं समझती हूं हम जितना प्रयत्न करते जायेंगे और आगे प्रगति करते जायेंगे उतना ही इसका विकास होता जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विभाग के माध्यम से तीन प्रकार के कार्यक्रम नियोजित ढंग से समाज के कमजोर वर्ग को उठाने के लिये किये जाते हैं। सबसे पहले तो समाज की पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिये किया जाता है और उसके अन्तर्गत दो-तीन प्रकार के कार्यक्रम चलाये जाते हैं। सबसे पहले शैक्षणिक विकास का है। हम इस बात को जानते हैं आर्थिक विकास भी जरूरी है, सामाजिक विकास भी उसकी प्रतिष्ठा को बनाने के लिये जरूरी है लेकिन ज्ञान और शिक्षा के बिना केवल हम पैसा ही देंगे तो उसका उतना असर और प्रभाव नहीं होगा जितना उसको शिक्षा के द्वारा प्राप्त होगा और शिक्षा से ही वह आर्थिक और सामाजिक स्थान पा सकेगा इसलिये शैक्षणिक विकास हेतु पिछड़ी जातियों के लिये छात्रावासों की सुविधायें तकनीकी ज्ञान की सुविधायें, कन्या छात्रावासों के निर्माण आदि के जरिये पूर्व में भी की जाती रही हैं और की जा रही हैं। इनकी बच्चियों और बच्चों को इस प्रकार के लोगों के साथ आगे बढ़ाने के लिये आर्थिक संकट का मुकाबला नहीं करना पड़े क्योंकि आर्थिक संकट मनुष्य को पंगु बना देता है और समाज में अन्य सुविधायें उपलब्ध होते हुए भी आर्थिक कमजोरी के कारण वे पूरा लाभ नहीं ले सकते हैं इसलिये आर्थिक कमजोरी महसूस नहीं करें और शैक्षणिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिये भी काफी प्रयास किये गये हैं। इस साल भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के छात्रावास खोले जा रहे हैं और इसके विस्तार ज्यादा से ज्यादा किया जा सके, इसके भी प्रयत्न किये जायेंगे लेकिन वित्तीय प्रावधानों की कमी से जितनी मांग है और जितनी जरूरत है यद्यपि हम एक साल में पूरी नहीं कर सकते है लेकिन प्रयत्न यही रहेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा वित्तीय प्रावधान रखें और पिछड़े वर्ग के लिये ज्यादा से ज्यादा छात्रावास खोल सकें। इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन कमजोर वर्गों के आर्थिक विकास के लिये एक बहुत महत्वपूर्ण योजना इस विभाग द्वारा संचालित की जाती रही है और इस वर्ष कुछ विशेष योजनाओं का प्रावधान किया गया है। आर्थिक विकास हेतु एक अनुसूचित जाति एवं जन-जाति विकास निगम की स्थापना की गई है। इस निगम का उद्देश्य पिछड़े वर्ग के द्वारा सेल्फ एम्लायमेंट की योजना हाथ में ली है और इसके अन्तर्गत कोई मार्जिनल मनी देने की जरूरत पड़े तो उस मार्जिनल मनी को प्रोवाइड करने के लिये इस निगम की स्थापना की गई है और इस हेतु 50 लाख रुपया इस योजना मद में रखा गया है और आने वाले समय में जैसे जैसे वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी और अधिक प्रावधान किया जायेगा ताकि सेल्फ एम्लायमेंट स्कीम को ज्यादा से ज्यादा टेकअप कर सकें। साथ ही इन लोगों को कृषि ह्रास के पुनर्भरण, बेरोजगारों को भत्ता देने, खनन पट्टों के लिये अनुदान दिया जाना आदि कामों के लिये भी प्रावधान किया गया है। खनन पट्टे को देने से काम नहीं चलने वाला है क्योंकि यदि उसके पास इन्वेस्टमेंट करने के साधन नहीं होंगे तो

(श्रीमती कमला)

वह कभी भी उस काम को नहीं चला सकता है। इसलिये इस कार्य हेतु भी कुछ अनुदान का प्रावधान किया गया है।

इसी प्रकार शैक्षणिक ज्ञान और तकनीकी ज्ञान के लिये भी केन्द्र खुले हुए हैं और खोले जायेंगे ताकि वे कमजोर वर्ग के लोग उनमें ट्रेनिंग ले सकें और सेल्फ एम्पलॉयमेंट के लिये तैयार हो सकें। एक और स्कीम तैयार की गई है इस सदन में भी, अखबारों में भी, और बाहर भी हरिजनों पर, कमजोर वर्गों पर जो पिछड़े तबके के लोग हैं उनमें चाहे जमीन के मामले हो, चाहे और कोई मामले हों जिस प्रकार दूसरी जाति के लोग दबाते हैं, अनाचार और अत्याचार करते हैं उसमें उनको परेशानी और नुकसान होता है उसको मीट आउट करने के लिये समय-समय पर सरकार ने सहायता के लिये पांच लाख का प्रावधान किया है और भारत सरकार भी पांच लाख रुपये देगी। मैं समझती हूं 10 लाख के अन्तर्गत बहुत से ऐसे काम कर सकेंगे और बहुत से ऐसे लोगों को मदद कर सकेंगे जिनका नुकसान होने के बावजूद प्रावधान नहीं रखा गया था लेकिन अबकी बार किया गया है।

इसके अलावा कम्पोनेन्ट प्लान जो इस सहयोग के लिये बनाया जा रहा है उसमें तमाम विभागों को निवेदन किया गया है, कि वे अपने-अपने विभाग में कुछ राशि इस प्रकार की निर्धारित करें जो खास तौर से कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये हो। चाहे बिजली विभाग हो, चाहे नल विभाग हो, चाहे उद्योग विभाग हो वे सब अपने-अपने विभागों में इन पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिये, इनके इन्तजाम के लिये इनकी मदद के लिये जरूरतों को पूरा करने के लिये अपने बजट में इस प्रकार का प्रावधान रखें। मुझे खुशी होती है यह कहने में कि इस कम्पोनेन्ट प्लान में 27 करोड़ की योजना अब तक कर चुके हैं। चार-पांच करोड़ और रख पायेंगे ताकि सर्वांगीण विकास की दृष्टि से हम काम कर सकेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष में विशेष केन्द्रीय सहायता के मद में बहुत सामान्य राशि उपलब्ध होती रही है लेकिन हमको इस बार यह कहते हुए खुशी है कि सन् 1980-81 विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में अब तक 61 लाख 75 हजार प्राप्त हो चुके हैं और इसके अलावा हमारी माननीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के सहयोग के लिये उनके विकास के लिये उनकी मदद के लिये जो विशेष सहायता प्रोग्राम जारी किया है उसमें हमको यह उम्मीद है कि चार करोड़ 93 लाख सम्भवतः राजस्थान को यह प्रावधान मिलेगा और यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी ताकि हम काफी कार्यक्रम इन पिछड़ी जाति के लिये ले सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विभाग के द्वारा जो अन्य जातियां पिछड़ी हुई हैं यद्यपि सामाजिक तौर से नहीं हो सकती हों लेकिन आर्थिक तौर से काफी कमजोर हैं उन सामान्य श्रेणियों के लिये भी इस विभाग में जो कार्यक्रम लिये जाते हैं तो उन्हें हम समाज कल्याण योजनाओं के नाम से कहते हैं इसके अन्तर्गत जो शिक्षा और कल्याण के कार्य हैं जिसमें विकलांगों के खास काम हैं उसको भी सुदृढ़ता से लिया जा रहा है। छोटी अवस्था में बालकों के जो अपराध होते हैं उनको भी ठीक प्रकार से सुरक्षा पहुंचे, इसका भी प्रबन्ध किया जा रहा है साथ ही महिलाओं के कल्याण के कार्यों को भी चलाया

(श्रीमती कमला)

जा रहा है। इसके अन्तर्गत मानसिक पीड़ित महिलाओं के लिये भवन की अलग व्यवस्था की जा रही है और उसके लिये पांच लाख का प्रावधान रखा है। पूरा भवन बनने में पांच लाख की लागत का अनुमान है जिसके लिये हमारे पास पूरा प्रावधान है। इसी प्रकार प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में एक कृत्रिम अंग बनाने का कार्यक्रम विकलांगों के लिये किया जा रहा है जिसमें विकलांगों के लिये कृत्रिम अंग तैयार किये जायेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं विकलांग सब प्रकार से सक्षम होने के बावजूद भी शारीरिक रूप से अपने लिये और समाज के लिये उपयोगी नहीं होता है इसलिये तमाम मेडिकल कॉलेजों में इस प्रकार की स्थापना की जा रही है जिससे इनके लिये इस प्रकार का काम किया जा सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बाल वर्ष के अन्तर्गत यह भी तय किया गया है कि बच्चों की सुविधा के लिए, उनके विकास के लिए, एक जो जैक्लन हॉस्पिटल है, इसके साथ में एक पोषाहार सेन्टर खोला जाय, उसमें एक थियेटर बनाया जाय, पालना गृह और बाल पुस्तकालय आदि की स्थापना की जाय जिससे उनको सभी प्रकार से मनोविनोद के लिए, मानसिक विकास के लिए, शारीरिक तरक्की के लिए भी कुछ इस प्रकार की योजनाएं तैयार हो सकें और इस प्रकार कुछ लाभ मिल सके। इसी प्रकार से, माननीय अध्यक्ष महोदय, बाल अधिनियम अभी हमारे राज्य में कुछ जिलों के अन्दर ही है, इसलिए बाकी के जिलों के अन्दर इसका लाभ हमको नहीं मिल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि छटी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सारे राज्य में इस अधिनियम से हम बाल अपराधों को रोकने या उनको मनोवैज्ञानिक ढंग से ट्रीट किया जाय, उनको सहयोग किया जाये इसकी बाबत लागू हो जायेगा। इसके अतिरिक्त जो तीसरा कार्यक्रम इस विभाग की तरफ से चलाया जा रहा है, वह समन्वित बाल विकास योजनाएं हैं और पोषाहार केन्द्र हैं, जिसके बारे में आप स्वंय काफी जानते हैं और इसके जरिये से मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि इस विभाग की तरफ से यह कोशिश जारी है कि जो कमियां हैं, उनको दूर किया जाय और आगे से आगे, ज्यादा से ज्यादा स्थानों में अधिक से अधिक बच्चों, महिलाओं, कमजोर वर्गों के लोगों को इस विभाग द्वारा सहयोग करें ताकि वे तरक्की कर सकें और उठ सकें और समाज में बराबर भागीदारी से काम कर सकें। इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। इस समय माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 2-3 बातों की ओर खास तौर से निवेदन करना चाहूंगी कि पूर्व में तमाम राज्य के जितने भी नगर और ग्राम हैं उनके लिए एक योजना चालू की थी कि जितने भी शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिडयूल्ड कास्ट और दूसरे कमजोर वर्गों के लोगों की बस्तियां हैं जहां कहीं भी राज्य में इलैक्ट्रिफिकेशन होगा, जहां कहीं भी नल लगाये जायेंगे, उनमें सबसे पहले इन कमजोर वर्ग के लोगों की बस्तियों में इलक्ट्रिफिकेशन होगा और नल लगाये जायेंगे। यह पीछे कुछ वर्षों के बीच में बन्द हो गया, उसके कारण से इस समुदाय के लोगों को काफी तकलीफ हुई और जगह-जगह आज भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अपने इलाकों में गये होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि ग्राम बस्तियों के अन्दर तो नल और बिजली है लेकिन इन कमजोर वर्गों

(श्रीमती कमला)

की बस्तियों में नल बिजली की बहुत परेशानी है। क्योंकि उनका खर्च वहन करने के लिए संस्थाएं नहीं हैं। पंचायतों की स्थिति बहुत कमजोर है इसलिए इसको पुन: चालू करने के लिए सरकार विचार कर रही है जिससे उन बस्तियों का खर्च, उनका समाधान या उनका नियोजन सरकार कर सके और उनके अन्दर कोई कमी नजर नहीं आये। इसी प्रकार से जो सबसे गम्भीर बात है जिन किन्हीं कमजोर वर्ग के लोगों को जमीन दी जाती है, निवास के लिए प्लाट दिये जाते हैं या और कोई साधन सुविधा दी जाती है, राज्य की तरफ से या समाज की तरफ से उपलब्ध होने वाली होती हैं, उनको बराबर तकलीफ होती रहती है। किसी की जमीन छीनी जाती है किसी पर मुकदमें लग जाते हैं, और किसी की मारपीट हो जाती है और पिछले इन ढाई-तीन वर्ष में निर्भय समाज के निर्माण के समय में तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति हो गयी थी कि पुराने जमाने में आजादी से पहले जो स्थिति थी कि गरीब तवके, कमजोर वर्ग का, शिड्यूल्ड कास्ट का, शिड्यूल्ड ट्राइब्स का कोई भी दूल्हा घोड़ी पर नहीं बैठ सकेगा, बारात सजाकर नहीं जा सकेगा, इस तरह की घटनायें हुई हैं और अभी कुछ दिनों पहले मेरे इलाके में कुछ इस प्रकार की घटनायें हुई हैं कि कुछ ताकतवर लोगों ने गरीब लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया, इधर के कुछ इलाकों में भी हुई हैं और अभी भी होती चली आ रही हैं और कांग्रेस के बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत जो जमीनें इन लोगों को अलाट की गयी थीं; खेती की जमीन और रिहायशी भू-खंड, उनके अन्दर तो जनता पार्टी के राज में व्यापक तौर पर इतना अतिक्रमण हुआ और ताकतवर लोगों ने इनसे जमीनें छीनीं, आज उनको प्राप्त करने के लिए अनेक मुकदमें चल रहे हैं बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं, इसको देखते हुए सरकार की तरफ से यह सोचा गया है कि इन लोगों के ऊपर होने वाले अत्याचार या इनके साथ होने वाली ज्यादतियां या इनके साथ होने वाली इस प्रकार की हक मारने वाली वारदातों, से निपटने के लिए, मुकदमों को विशेष तौर से तत्परता से निपटाने के लिए ही हो, विशेष न्यायालयों की स्थापना की जाय और वे न्यायालय इन्हीं के लिए हों जिससे इनको वर्षों तक परेशान नहीं होना पड़े। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इन समाज कल्याण विभाग की मांगों के लिए निवेदन करूंगी कि माननीय सदस्य इसको आगे बढ़ाने के लिए और इसके कारगर कदमों को उठाने के लिए स्वीकृत करेंगे।

इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रम विभाग के बाबत भी माननीय सदस्यों ने कुछ विचार प्रकट किये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो श्रम विभाग अपने आप में छोटा सा विभाग नजर आता है लेकिन इसके काम और उपयोगिता को हम अगर देखें तो इसको आप अच्छी तरह से महसूस करेंगे कि वैसे तो इसका काम औद्योगिक शान्ति को कायम रखना है, विवादों का निपटारा करना है और श्रमिकों के कल्याण के लिए देख-रेख करना है। जो श्रम कानून बने हैं, उनको मुस्तैदी से लागू करवाने का काम है लेकिन इस बात को देखें कि अगर ये श्रम विभाग मुस्तैदी से काम करता है तो जहां औद्योगिक शान्ति इस प्रदेश में और सारे देश में कायम रखते हैं तो उनका एक बहुत बड़ा दूरगामी प्रभाव

(180)

(श्रीमती कमला)

यह होता है कि देश के तमाम उद्योग अपने आपमें पूरी क्षमता के साथ निरन्तर अपना उत्पादन करते रहते हैं। इसलिए औद्योगिक शान्ति उत्पादकता के साथ जुड़ी हुई है और उत्पादन इस आर्थिक सुदृढ़ता का अपने आपमें एक बहुत बड़ा आधार है इसलिए श्रम विभाग का अपने आपमें देश के आर्थिक विकास में, देश की सुदृढ़ता में, औद्योगिक शान्ति और सद्भावपूर्ण वातावरण बनाये रखने में और फुल कैपेसिटी से अपना काम करें, उत्पादन करें जिससे चीजों की कमी नहीं हो, चीजों की कमी नहीं हो तो भावों की बढ़ोत्तरी न हो और देश में अमन और शान्ति रहे। इसलिए यह विभाग अपने आपमें एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। इसी दृष्टि से बराबर इस बात की कोशिश की जाती रही है कि जितने भी उद्योगों के अन्दर विवाद आयें, उनको तत्परता से ज्यादा से ज्यादा तादाद में निपटाया जाय और इस सन्दर्भ में आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि पिछले वर्षों के अन्दर चालू वर्ष जो है, इसमें 3,588 मामले श्रम विभाग में विभिन्न कार्यालयों द्वारा निपटाये गये और श्रम न्यायालय और न्यायाधिकरण में एक हजार मामले निपटाये गये। दूसरे वेतन भुगतान है, कर्मकार पूर्ति अधिनियम में 2,588 निर्णित किये गये जिसमें 42.71 लाख रुपये के भुगतान के आदेश भी दिये गये। इसी के साथ यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसका निवेदन करना जरूरी समझती हूं श्रम विभाग के निरीक्षकों द्वारा 35,781 इन्स्पेक्शन किये जाकर 6,864 चालान प्रस्तुत किये गये जिसमें कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी और इस बात की कोशिश की गयी कि संस्थान निरन्तर शान्ति के साथ बिना किसी बाधा के अपना काम करते रहें। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो श्रम और श्रमिक के बाबत में आपके जरिये से और माननीय सदस्यों के जरिये से समय-समय पर आती रही हैं, उसमें एक खास बात यह है कि श्रमिक और मालिक के बीच में जब विवाद खड़ा हो जाता है, उस वक्त उसको तत्परता से टेक अप करके उसकी उलझन को समझना और उसको सुलझाने के लिए तत्परता से कार्य करना। कभी-कभी मालिक की तरफ से इसलिए उसका इन्ट्रेस्ट कुछ दूसरा होता है और इस कारण से श्रमिकों को भी परेशानी होती है और कुछ ऐसे भी मामले हैं जहां कि श्रमिक के नाम पर हम सिर्फ एक बात समझते हैं कि जो उद्योगों में काम करते हैं वही श्रमिक हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों के मुकाबले में जो अन-आर्गेनाइज्ड लेबर इस धरती के ऊपर हैं और उनके साथ जितनी ज्यादतियां हो रही हैं व आर्गेनाइज्ड लेबर के साथ नहीं हो रही है क्योंकि आर्गेनाइज्ड लेबर संघर्ष करके अपने हक प्राप्त करती हैं लेकिन जैसे आपकी कैजुअल लेबर है, कन्स्ट्रक्शन लेबर है, बन्धक मजदूर हैं, कृषि मजदूर हैं। ये सारे के सारे मजदूर इतने बड़े पैमाने पर हैं कि इनकी सुरक्षा लिए, इनके हितों की रक्षा के लिए बहुत कम ध्यान दिया गया इसलिए श्रम विभाग की तरफ से और खास तौर से पिछले अर्से में श्रम मन्त्रियों की जो दिल्ली में कान्फ्रेंस हुई, उस सन्दर्भ में इस बात की चेष्टा करेंगे कि जो इस प्रकार के मजदूर बिखरे हुए हैं, अन-आर्गेनाइज्ड हैं, जिसको मालिक अपनी

(श्रीमती कमला)

मन मर्जी से, ठेकेदार अपनी मन मर्जी से, एक्सप्लायट करते हैं साधन सुविधा की चेष्टा नहीं करते और उससे ज्यादा काम लेते हैं, उनको हम बराबर देख सकें। इसके लिए भी सरकार बराबर प्रयत्नशील रहेगी।

इसी प्रकार से इस बात की भी कोशिश की जा रही है कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सभी विभागों के अन्दर और तमाम जितने भी इस विभाग से सम्बन्धित और सम्भाग हैं, उनको एक जगह पर संयोजित किया जा सके और उसके माध्यम से जगह-जगह पर जिनकी जरूरत पड़ती है, छठी पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार का भवन बनाने की कोशिश की जा रही है।

दूसरी बात, जो बहुत बड़ी है वह यह है कि आम तौर पर हमारे कानून बने हुए हैं और बहुत सारी तोड़नायें भी, और बहुत सारी सावधानी भी हम मालिकों को करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद मिल मालिक हो और चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो तो उनकी यह स्थिति है चाहे सेमी गवर्नमेंट कारपोरेशन हो उसमें भी यही स्थिति है कि वह मजदूरों को जो सामान्य सुविधायें हैं, चाहे उनके मेडिकल की हों चाहे उनके साफ सफाई की हों, चाहे उनकी सामान्य जरूरतों की पूर्ति के लिए हों, उनके लिए ये बराबर सचेष्ट नहीं रहते। इसलिए यह कोशिश की जा रही है कि बारबार इस प्रकार के कानूनों का पालन करें और जो सामान्य सुविधायें उनको दी जानी हैं उन सुविधाओं की पूर्ति के लिए हम उनको पाबन्द करें, उनकी अनुपालना करायें।

इसके अलावा सबसे बड़ा श्रम विभाग का काम है वह यह है कि पिछले वक्त में बीस सूत्री कार्यक्रम माननीय इन्दिरा गांधी ने प्रधान मंत्री की हैसियत से चालू किया था और आज भी पुनः चालू किया गया है, वह यह है कि जो दौलत देश में पैदा हो रही है, देश के जिन हाथों से पैदा की जा रही है, जिसकी ताकत से पैदा हो रही है, जिसके श्रम और पसीने से पैदा हो रही है आज उस दौलत में उसकी बहुत कम भागीदारी है और वह कितनी दौलत पैदा हुई उसका कितना हिस्सा किसके पास गया उसकी भी जानकारी नहीं है। इसलिए सामाजिक न्याय की दृष्टि से यह जरूरी है कि जो उत्पादन आज देश में हो रहा है, देश में दौलत बनी है और बन रही है उसका उत्पादन करने वालों का भी उसके मैनेजमेन्ट में भागीदारी हो। तो पिछले दिनों में यह कार्य प्रारम्भ किया गया था लेकिन वह पूर्णतया लागू नहीं हो सका। हमारा यह प्रयत्न होगा कि इस वक्त में कानून के तौर पर इस भागीदारी को हम कायम करें और किस आधार पर उनका पर्सेंटेज भागीदारी का रहेगा, आने वाले समय में श्रम मन्त्रियों की कमेटी है वह इसे तय करेगी। लेकिन हम इस बात पर कटिबद्ध हैं कि यह कानून के तौर पर लागू किया जाना चाहिए जिससे श्रमिकों का अपना हिस्सा कायम रहे और उसको अपना संस्थान समझ कर उसमें काम करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप यह समझेंगे कि विषय तो बहुत छोटा है और बहुत बातें कह रही हैं लेकिन एक बात...

श्री अध्यक्ष : छोटा नहीं है। मुझे शंका है कि इसका बजट 59,49,57,000) का है क्या? या फिगर गलत है मुझे कुछ डाउट है।

श्रीमती कमला : यह फिगर गलत है ।

श्री अध्यक्ष : 59 करोड़ इसमें लिखा है, आप देख लें ।

श्रीमती कमला : इसका बजट तो इतना नहीं है, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है ।

श्री अध्यक्ष : इसमें बजट राशि क्या है ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, साढ़े सात बजे तक का समय बढ़ाया गया था, मैं निवेदन करूंगी कि मांगें पारित होने तक समय बढ़ाया जावे ।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में बन्धक मजदूरों की एक बहुत बड़ी समस्या रही है । बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान में उनको आइडेंटीफाई करने का, और उनको रीहैबिलिटेड करने का, और उनको किस प्रकार से आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का कार्यक्रम काफी अच्छी प्रगति से हाथ में लिया गया था । जैसा कई माननीय सदस्यों ने बताया कि अभी भी इस क्षेत्र में काफी बड़ी तादाद में बन्धक मजदूर राजस्थान में हैं । इसलिए एक हमने 33 लाख और 76 हजार की योजना इस प्रकार की बनाई है जिससे कि एक डिपेंडेंट एजेंसी ऐसी बने जो इसका सर्वेक्षण करें, इसको आइडेंटीफाई करे और इसके अलावा उनके पुनर्वास का काम करे । इस प्रकार से बहुत सारी योजनाएँ, बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारे कानूनी मुद्दे, श्रम विभाग से सम्बन्धित हैं . .

श्री अध्यक्ष : 33 लाख गरीबों को यों ही दे दो मशीनरी के बजाय तो ज्यादा फायदा होगा ।

श्रीमती कमला : मशीनरी पर ही नहीं है, अध्यक्ष महोदय, पुनर्स्थापना के लिये भी उनको दिया जाएगा । सिर्फ सर्वेक्षण के लिए कोई संस्थान या और ऐसा कोई ओर्गेनाईजेशन बनायें जो कि इसके लिए काम करे ।

तो इस प्रकार से काफी कार्य इस प्रकार हैं जो श्रम विभाग के तहत करने के है जिससे श्रमिकों के हकों की रक्षा हो और उत्पादन बराबर चलता रहे, अन-आर्गेनाइज्ड सैक्टर में जो लेबर हैं उनको मिनिमम वेजेज मिल सकें, उनके हकूक सुरक्षित रह सकें, इस प्रकार के कार्यक्रम इस विभाग में बराबर चल रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूं कि बराबर कार्य करते रहेंगे ।

अब मैं एक सैंटेंस नियोजन विभाग के बारे में भी कहना चाहूंगी । नियोजन विभाग जिस प्रकार से कार्य कर रहा है उसके बाबत नहीं कहना चाहती, उसको आप सभी लोग जानते हैं । वैसे मैं दो बातों के बारे में निवेदन करना चाहती हूं । एक तो विशिष्ठ कार्यक्रम जो विभाग की तरफ से लिया जाना है वह यह है कि विकलांगों के लिए मुख्यालय पर एक पृथक प्रकोष्ठ कायम किया जाएगा, जिसमें उनका अलग से इन्द्राज होगा और उनको अलग से डीलविथ किया जाएगा । इस प्रकार से जयपुर में केन्द्रीय सरकार की कोचिंग कम गाइडेंस सेंटर की स्थापना की जाएगी जिससे हम रोजगार के इच्छुक लोग उनको यह सलाह दे सकें कि आप कौन सा सेल्फ

(श्रीमती कमला)

एम्पलॉयमेंट या दूसरे क्षेत्र में एम्प्लायमेंट ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा स्टेनोग्राफी प्रशिक्षण हेतु जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर हेतु महानिदेशालय को प्रस्ताव भेजे गए हैं। मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार हमारी कुछ स्कीमें मंजर करेगी। ये बहुत ही उपयोगी कार्य हैं विशेष तौर पर महिलाओं के लिए जो रोजगार लेना चाहती हैं। इसलिए ये काफी अवसर खुलेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगी कि विभाग की गतिविधियां काफी अपने आप में उपयोगी होते हुए कमियां भी हैं फिर भी आगे से आगे का कार्यक्रम सुदृढ़ बनायेंगे और मैं उम्मीद करती हूं कि माननीय सदस्य इन मांगों को पारित करेंगे।

मांग संख्या 36, 33, 30 व 23 का पारण

मांग संख्या 36

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 36— सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 25,80,22,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(व्यवधान)

आॅर्डर प्लीज। मांगों पर मतदान कराते समय, कृपया बाधा उपस्थित नहीं करें।

मांग संख्या 33

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 33— सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 14,91,46,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 36

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 30— जन-जाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 16,95,65,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 23

इसमें फिगर करेक्ट किया जावे।

(विराम)

इतनी बहस की, किसी को मालूम ही नहीं है कि वाकई में 59 करोड़ ही है।

(विराम)

(श्री अध्यक्ष)

श्रम और रोजगार ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 23-श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 59,49,57,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

सदन की बैठक कल दिनांक 21 अगस्त, 1980 को प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की बैठक रात्रि 7.28 बजे, बृहस्पतिवार, दिनांक 21 अगस्त, 1980 को म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।)

(185)

परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न सं. 578 की सूची

ग्रामों की सूची

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड नं.	जन-संख्या (1971)
1.	वज़ेड़ा	223	424
2.	थाना	104	773
3.	घेवर	11	748
4.	मोरोड़ी खुर्द	45	359
5.	कामेटी	183	450
6.	नासोल	31	391

(186)

परिशिष्ट 2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं पूछे जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

विजय नगर थाने की चाहर दीवारी का निर्माण

583. **श्री सुनील कुमार विश्नोई** (सूरतगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या अजमेर जिले के विजयनगर थाने में पंखों की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो पंखे कब तक लगा दिये जायेंगे ?

(2) क्या यह सही है कि विजयनगर थाना के बाहर, चाहर दीवारी नहीं है, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ? यदि हां, तो चाहर दीवारी का निर्माण कब तक करवा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) विजयनगर थाने में अभी एक पंखा उपलब्ध है। वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर अतिरिक्त पंखे लगाये जा सकेंगे।

(2) जी हां। वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर चाहर दीवारी का निर्माण कराया जावेगा।

भारत-पाक युद्ध से सम्बद्ध शरणार्थियों का पुनर्वास

584. **श्री चन्द्र वीर सिंह,** (जैसलमेर) व **श्री भूपाल सिंह** (निम्बाहेड़ा) : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन 1971 के भारत-पाक युद्ध के समय कितने शरणार्थियों ने राजस्थान में प्रवेश किया था और उनमें से कितने शरणार्थी वापस पाकिस्तान चले गये ?

(2) कितने शरणार्थी शिविरों में रह कर सहायता प्राप्त कर रहे हैं और कितने शरणार्थी परिवार शिविरों से बाहर हैं ?

(3) क्या यह सही है कि 3000 शरणार्थी परिवारों को राजस्थान नहर परियोजना पर बसाना प्रस्तावित था ? यदि हां, तो उन्हें अब तक क्यों नहीं बसाया गया है ?

(4) शिविरों से बाहर रह रहे शरणार्थियों को कब तक स्थाई रूप से बसाया जायेगा ?

उत्तर

(1) 1971 भारत-पाक संघर्ष के समय 57,344 सदस्य आये व 10,713 व्यक्ति वापस पाकिस्तान चले गये।

(2) 4,460 परिवार शिविरों में रह कर सहायता प्राप्त कर रहे हैं तथा 403 परिवार शिविरों से बाहर विभिन्न जिलों में रह रहे हैं।

(3) शरणार्थियों को राजस्थान नहर परियोजना में बसाने के आर्थिक पहलुओं पर भारत सरकार से बातचीत चल रही है। अभी तक यह प्रश्न अनिर्णित है।

(4) शिविरों से बाहर के विस्थापितों को बसाये जाने के लिये सहायता देने के लिये भारत सरकार, राज्य सरकार के

(पुनर्वास मन्त्री)
प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं। तथापि भारत सरकार को पुनः लिखा गया है।

अलवर सार्वजनिक अस्पताल में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत नर्सिंग स्टाफ

585. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

अलवर जिले में नर्सिंग स्टाफ के कितने कर्मचारी अपने पदस्थापन के स्थान पर न होकर अलवर जनरल अस्पताल में डेप्यूटेशन पर कार्य कर रहे हैं ? कृपया, सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

अलवर जिले के 16 नर्सिंग स्टाफ कर्मचारी अलवर जनरल अस्पताल में डेप्यूटेशन पर कार्य कर रहे हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

जनरल अस्पताल, अलवर में डेप्यूटेशन पर कार्यरत

कर्मचारियों की सूची–

क. सं.	नाम कर्मचारी व पद	मूल पदस्थापन स्थान	अलवर अस्पताल में कार्य करने के आदेश व दिनांक
1	2	3	4
1.	श्री वीरेन्द्र कुमार मुकाल, मेल नर्स श्रेणी–2	मेल नर्स श्रेणी–2, रा. चि., गवालदा	7-11-79
2.	श्री लक्ष्मी नारायण यादव, मेल नर्स श्रेणी–2	रा. चि., गवालदा	30-4-80
3.	श्रीमती पुष्पादेवी गुप्ता, प्रसाविका	रा. चि., गवालदा	23-9-78
4.	श्रीमती विद्यादेवी, स्टाफ नर्स	आर. आर. अस्पताल, वड़ौद	13-5-80
5.	श्रीमती सारक्षमा ए. जी., प्रसाविका	प्रा. स्वा. केन्द्र, मांजरी कलां उप-केन्द्र, जैनपुर	8-9-78
6.	श्रीमती शान्तिदेवी, प्रसाविका	रा. चि., जोड़िया	24-11-78
7.	श्रीमती राज कुमारी, प्रसाविका	एड पोस्ट, प्रतापपुर	26-7-80
8.	श्रीमती कलावती नेवराज, प्रसाविका	प्रा. स्वा. केन्द्र, माजरी कलां उप-केन्द्र, बिचपुरी	28-7-80

(88)

(चिकित्सा मन्त्री)

1	2	3	4
9.	श्रीमती किरण देवी, प्रसाविका	प्रा. स्वा. केन्द्र, रामपुर, उप-केन्द्र मोठूका	11-9-79
10.	श्रीमती लीला एम., प्रसाविका	एडपोस्ट, सान्तो	29-12-77
11.	श्रीमती राजरानी रघुवीर प्रसाद शर्मा, प्रसाविका	प्रां. स्व. केन्द्र, कठूमर, उप-केन्द्र मकाना	7-8-79
12.	श्रीमती रामदुलारी, प्रसाविका	प्रा. स्वा. केन्द्र, मन्डावा, उप-केन्द्र नागलउदिया	18-8-79
13.	श्रीमती कान्तिदेवी, प्रसाविका	प्रा. स्वा. केन्द्र, मालाखेड़ा, उप-केन्द्र मड़काल	28-1-80
14.	श्रीमती सुशीला देवी, प्रसाविका	प्रा. स्वा. केन्द्र, कठूमर, उप-केन्द्र जटवाड़ा	29-7-80
15.	श्रीमती कान्ता टोगड़ा, प्रसाविका	प्रा. स्वा. केन्द्र, गोविन्दगढ़, उप-केन्द्र मोलिया	27-7-80
16.	श्रीमती डोलीग्रेस, प्रसाविका	प्रा. स्वा. केन्द्र, गोविन्दगढ़, उप-केन्द्र खोरा मांवली।	20-8-79

भूतपूर्व अतिरिक्त श्रम आयुक्त का जे.के. सिन्थेटिक्स कोटा में नियोजन

586. **श्री रघुवीरसिंह कौशल** (बारां) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भूतपूर्व अतिरिक्त श्रम आयुक्त श्री पी. एन. भार्गव ने रिटायरमेंट लेकर जे. के. सिन्थेटिक्स, कोटा में नौकरी कर ली है ?

(2) क्या श्री भार्गव के पास जे. के. सिन्थेटिक्स का पंच निर्णय के लिये किसी श्रमिक का केस था ? यदि हां, तो उस केस में श्री भार्गव ने क्या निर्णय दिया और इस निर्णय के कितने दिन पश्चात् उन्होंने जे. के. सिन्थेटिक्स, कोटा में नौकरी की ?

(3) क्या श्री पी. एन. भार्गव ने जे. के. सिन्थेटिक्स, कोटा के श्रमिकों के केसेज को लगभग दो वर्षों तक पैंडिंग रखा ?

(4) क्या श्रम आयुक्त व उद्योग-

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

पतियों की इस प्रकार की सांठ-गांठ के सम्बन्ध में सरकार कुछ करने का विचार रखती है ?

(5) क्या सरकार समझौता वार्ता असफल होने से लेकर, श्रम न्यायाधिकरण के अन्तिम फैसले तक की अवधि निश्चित करने का विचार रखती है ?

(6) ऐसे निर्णयों की गत पांच वर्षों में औसत अवधि क्या रही है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां । दो श्रमिकों-श्री राधेश्याम तथा श्री दुर्योधन सिंह के सम्बन्ध में पंच-निर्णय के लिए सुपुर्द किया गया था । इसमें से श्री दुर्योधन सिंह ने श्री भार्गव को लिखित में दिया था कि श्री भार्गव को उनके विवाद को सुलझाने हेतु पंच बनाने की सहमति उनसे नहीं ली गई थी, अतः श्री भार्गव ने उनके सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं दिया था । अन्य श्रमिक श्री राधेश्याम के सम्बन्ध में श्री भार्गव ने, उनको हड़ताल में भाग लेने का दोषी पाया है जो कि निर्विवाद तथ्य है, अन्य श्रमिकों को अवैधानिक हड़ताल में भाग लेने हेतु प्रोत्साहन करने के दूसरे आरोप के सम्बन्ध में पंच फैसले में श्री राधेश्याम को दोषी नहीं पाया गया है । श्री भार्गव ने यह निर्णय दिया कि श्रमिक के विरूद्ध अवैधानिक हड़ताल में भाग लेने के दोष पर नियोजक उनके स्थाई आदेशों के अनुसार कार्यवाही कर सकता है । श्री भार्गव ने अपने निर्णय में श्रमिक को न तो सजा दी है और न ही सजा के लिए कोई प्रस्ताव किया है । श्री भार्गव ने निर्णय देने के 12 दिन बाद जे. के. सिन्थेटिक्स, कोटा में नौकरी जोइन की ।

(3) जी नहीं ।

(4) श्रम आयुक्त व उद्योगपतियों के बीच किसी प्रकार की सांठ-गांठ नहीं है । अतः इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(5) यह राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न है एवं भारत सरकार इस सम्बन्ध में विचार कर रही है ।

(6) पिछले पांच वर्षों में विवादों के असफल समझौता प्रतिवेदन के पश्चात् राज्य स्तर पर निर्णय में औसतन छः माह तथा औद्योगिक न्यायालय/ न्यायाधिकरण में औसतन एक वर्ष छः माह का समय लगा है ।

सर्किट हाउस व विधायक निवास कार्यालयों के कनिष्ठ लिपिकों की वरिष्ठता का निर्धारण

587. **श्री नाथू सिंह (बांदीकुई)** : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राज्य में सर्किट हाउस व विधायक निवास कार्यालयों में कार्य कर रहे कनिष्ठ लिपिकों की कोई वरिष्ठता सूची तैयार की गई है ? यदि हां, तो कब से कब तक ? कृपया, प्रति सदन की मेज पर रखें । यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

जी नहीं ।

राज्य सरकार द्वारा कनिष्ठ लिपिक/

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

वरिष्ठ लिपिक/लेखा लिपिक आदि की अन्तिम (टेन्टेटिव) वरिष्ठता सूची सन् 1969 में प्रकाशित की गई। उस पर प्राप्त आपत्तियों की जांच करने व प्रस्तावित सूची में अनेक कमियां पाने पर विभाग से राय प्राप्त करके यह निर्णय लिया गया कि नये तौर से विश्राम भवन अधीनस्थ सेवा नियम बनाये जाकर उनके अंतर्गत विभिन्न कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारित की जाय। राजस्थान विश्राम भवन अधीनस्थ सेवा नियम दिसम्बर, 1979 में प्रसारित हुए हैं, जिसके अंतर्गत सम्बन्धित कर्मचारियों के विकल्प-पत्र प्राप्त हो रहे हैं। विकल्प-पत्र प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जाकर वरिष्ठता सूची प्रकाशित की जावेगी।

जयपुर की ट्रीटमेन्ट प्लान्ट योजना

588. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर की ट्रीटमेन्ट प्लान्ट योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो वह क्या है? कृपया, ब्लू प्रिन्ट सदन की मेज पर रखें। क्या उत्तरी क्षेत्र की योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है?

(2) उक्त योजना में विभिन्न मदों में किस-किस मद में अभी तक कितना-कितना द्रव्य खर्च हुआ है? कृपया, सूची मद सहित, सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या इस योजना की क्रियान्विति की दिशा में आशानुकूल प्रगति हुई है? यदि नहीं, तो विलम्ब के लिये कौन दोषी है?

उत्तर

(1) जयपुर की भूमिगत जल निस्सारण योजना के अन्तर्गत उत्तर तथा दक्षिण की ओर दो ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाना प्रस्तावित थे। जल निस्सारण व्यवस्था दो भागों में विभाजित है, जिसमें से उत्तरी क्षेत्र में 1.65 करोड़ की योजना का कार्य प्रगति में है। दक्षिणी क्षेत्र की योजना के प्रथम चरण, जिसकी अनुमानित लागत 7.719 करोड़ रु. है, के कार्य का आरम्भ विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित है। नगर की सम्पूर्ण योजना की अनुमानित लागत 1973-74 के अनुमानों के अनुसार 14.95 करोड़ रु. थी। ब्लू प्रिण्ट सदन की मेज पर रख दिया गया है। उत्तरी क्षेत्र की योजना का कार्य, जिसमें मुख्य लाइनें डालने व ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के कार्य सम्मिलित हैं को लगभग पूर्ण किया जा चुका है। इस क्षेत्र में अभी विभिन्न मोहल्लों में छोटी लाइनें डालने का कार्य शेष है जिसे विश्वबैंक परियोजना के अन्तर्गत क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है।

(2) उत्तरी क्षेत्र की 1.65 करोड़ की योजना के क्रियान्वयन पर किये गये खर्च का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी हां। योजना के प्रथम चरण को लगभग पूर्ण किया जा चुका है तथा दक्षिणी क्षेत्र के प्रथम चरण का कार्य चालू वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है।

(ब्लू प्रिण्ट विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया।)

(चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री)

उत्तरी क्षेत्र की योजना पर किये गये खर्च का विवरण

1. सीवर लाइन	39.44 लाख
2. ट्रीटमेन्ट प्लान्ट	48.99 लाख
3. भवन, सड़क तथा अन्य सम्बन्धित कार्य	20.20 लाख
4. मशीनें व औजार इत्यादि	3.39 लाख
5. अन्य व्यय	28.34 लाख

कुल योग : 140.36 लाख

वन सम्पदा का संरक्षण

589. श्री **दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सन् 1952 में राजस्थान को कितनी भूमि पर जंगल था व सन् 1980 में अब कितना जंगल है ? क्या यह सही है कि राज्य में वन सम्पदा तेजी से समाप्त हो रही है ? भारत सरकार की वन नीति के अंतर्गत राज्यों की कितनी भूमि में जंगल होना चाहिए ? क्या उस लक्ष्य से हम अत्यन्त पिछड़े हुए हैं ? यदि हां, तो उस लक्ष्य को कब तक प्राप्त कर लिया जायेगा व उसके लिए सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

सन् 1952 में राजस्थान में 37,796.9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन थे, वर्ष 1980 में 35, 981 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन है।

जनसंख्या के दवाव व वन उपज की बढ़ती हुई आवश्यकता के कारण वन सम्पदा की मांग बढ़ी है, जिसके फलस्वरूप वनों पर दवाव अधिक हो गया है ।

भारत सरकार की वन नीति के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत क्षेत्र में वन होना आवश्यक है । राज्य में वर्तमान में 10.5 प्रतिशत क्षेत्र में वन है ।

राज्य सरकार द्वारा वनों के सुधार एवं संवर्धन के साथ ही वैज्ञानिक रूप से कृषि अयोग्य क्षेत्र जैसे मरू भूमि, मुख्य मार्ग नहरों के किनारे, चयनित चरागाहों तथा नंगी पहाड़ियों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का कार्य क्रियान्वित किया जा रहा है । चालू वित्तीय वर्ष 1980-81 में वन विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए कुल 11.60 करोड रुपयों का प्रावधान रखा गया है, जिसके फलस्वरूप 37,100 मि. हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं चरागाह विकास तथा 29 लाख पौधे कृषि वानिकी में लगाने का लक्ष्य रखा गया है । छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 57 करोड़ रुपये व्यय करके लगभग, 1,50,00 मि. हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं चरागाह विकास तथा 172 लाख पौधे कृषि वानिकी में लगाने का लक्ष्य है ।

फार्मेसीज का पंजीयन

590. श्री **कनकराज महता** (सांचौर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान फार्मेसी कौंसिल, जयपुर ने फार्मेसीज के पंजीयन हेतु दफा 32 के तहत आवेदन-पत्र मांगने की विज्ञप्ति किसी स्थानीय-पत्र में नवम्बर, 1979 में विज्ञापित की थी ?

(2) क्या सत्य है कि उक्त दफा के अनुसार पंजीयन 31 अगस्त, 1980 तक होना आवश्यक है ?

(192)

(श्री कनक राज मेहता)

(3) क्या यह भी सत्य है कि उक्त विज्ञप्ति के संदर्भ में हजारों आवेदन-पत्र आज दिन तक पेश हो चुके हैं व उनका आज दिन तक निर्णय रजिस्ट्रार कौंसिल ने नहीं दिया है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां ।

(3) जी हां ।

3 सदस्यीय चयन समिति ने अपना कार्य 24-5-80 से चालू कर दिया है।

पुष्कर क्षेत्र की कृषि उपज मंडी की टूटी हुई सड़कों की मरम्मत

591. श्रीमती सूरज देवी (पुष्कर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पुष्कर क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी की टूटी हुई सड़कों को ठीक कराने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

(2) क्या इन सड़कों को बनाने के लिए कभी टेण्डर मांगे गए थे ? यदि हां, तो अभी तक कोई काम क्यों नहीं हुआ ?

उत्तर

(1) पुष्कर क्षेत्र में टूटी हुई सड़कों को ठीक कराने के लिये निविदायें आमन्त्रित कर ली गई हैं और कार्यवाही जारी है। एक सड़क पर कार्य की मरम्मत का कार्य विभागीय स्तर पर पूरा कराया जा रहा है। शेष चार सड़कों का कार्य पूर्ण हो चुका है ।

(2) जिन सड़कों के लिये निविदायें (टेण्डर) आमन्त्रित की गई थीं उन पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

काश्तकारों से सिंचाई की बकाया राशि के ब्याज की वसूली रोकना

592. श्री गोकुल चन्द शर्मा (सुमेरपुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जवाई बांध कमाण्ड क्षेत्र में काश्तकारों से सिंचाई की बकाया राशि पर ब्याज वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो काश्तकारों के नामों सहित, वसूल किये जाने वाले ब्याज की राशि की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या सिंचाई विभाग को किन्हीं नियमों के अन्तर्गत बकाया राशि पर ब्याज वसूल करने का अधिकार है ? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत, और नहीं, तो ब्याज की नियम विरुद्ध वसूलियां कैसे व क्यों की जा रही हैं ?

(3) क्या सरकार गरीब काश्तकारों को राहत पहुंचाने के लिए उक्त ब्याज की वसूली बन्द करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं । नियमों के अन्तर्गत सिंचाई कर पर ब्याज लाग नहीं होता यह पेनल रेट (जुर्माना) है जो कि जल कर नहीं जमा कराने पर लगता है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता है।

बड़ी सादड़ी में कृषि उपज मंडी की स्थापना

593. श्री कमलेन्द्र सिंह (वल्लभनगर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कृषि उपज मंडी बड़ी सादड़ी को बनाने के सम्बन्ध में विज्ञप्ति कब-कब राज-पत्र में प्रकाशित की गयी है ?

(2) क्या यह सही है कि जिलाधीश, चित्तौड़ ने कृषि उपज मंडी बोर्ड बनाने में विलम्ब किया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, बड़ी-सादड़ी के लिये सर्व प्रथम मण्डी बनाने के आशय की घोषणा हेतु अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत विज्ञप्ति दिनांक 4-4-75 को प्रसारित की गई ।

इसके पश्चात् मण्डी के प्रस्तावित क्षेत्र के बारे में निर्णय करने में कुछ समय लगा। बाद में कृषि उपज मण्डी समिति, बड़ी सादड़ी के गठन की घोषणा सम्बन्धी विज्ञप्ति दिनांक 21-1-80 को प्रसारित की गई, जिसका प्रकाशन राज-पत्र, दिनांक 13-3-80 में हुआ ।

(2) जिलाधीश स्तर पर कोई विलम्ब नहीं हुआ ।

गांधी सागर बांध के जल भराव क्षेत्र में अनधिकृत बांधों का निर्माण

594. श्री अनंग कुमार जैन (झालरा-पाटन): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार के बीच हुए समझौते के विपरीत मध्य-प्रदेश सरकार द्वारा गांधी सागर बांध के कैचमेंट क्षेत्र में कुछ बांध बनाये गये हैं? यदि हां, तो सरकार इनको तुड़वाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

अधिकृत रूप से मध्य प्रदेश सरकार से इस विषय में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। मिली सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार ने गांधीसागर के कैचमेंट में कुछ परियोजनाएं बनाई हैं अथवा प्रस्तावित हैं । इसके विरोध में राजस्थान सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार एवं अन्तर्राज्यीय सिचाई एवं विद्युत नियंत्रण मंडल की बैठकों में आपत्ति उठाई गई है एवं केन्द्रीय सरकार को भी इस विषय में अनुरोध किया है ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोडक (कोटा)

595. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी) व श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोडक (कोटा) में गत वर्ष से दवाईयों का बजट कम करने के कारण मरीजों को पूरी तरह दवाईयां नहीं मिल पाई ? यदि हां, तो सरकार द्वारा आगे क्या व्यवस्था की जा रही है ?

उत्तर

जी नहीं ।

शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है ।

(194)

सुनेल कस्बे के बच्चा कांड के दोषी व्यक्तियों को सजा

596. श्री बाल चन्द्र आर्य (डग): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि झालावाड जिले के सुनेल कस्बे में दिनांक 25 अगस्त, 1977 में एक बच्चा कांड हुआ था? यदि हां, तो वह केस किस स्तर पर चल रहा है और उस केस में कौन-कौन दोषी पाये गये और उनको क्या दण्ड मिला?

उत्तर

इस अभियोग में बच्चा बरामद किया जाकर अभियुक्ता मु.स. जैनब व जरीना का चालान न्यायालय में दिनांक 13-3-78 को किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है।

पुलों के निर्माण हेतु जमा राशि के प्रकरणों की जांच.

597. श्री महेन्द्रसिंह (संगरिया): क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मंडी समिति संगरिया द्वारा सिंचाई विभाग में निम्नलिखित पुलों के निर्माण हेतु धनराशि जमा करवाई गई है:—

(क) एन. जी. डी. माईनर रु० 3,000/- दिनांक 29-3-80

(ख) एन. के. माईनर रु. 8,980/- दिनांक 31-3-77

(ग) एन. के. माईनर रु. 6,000/- दिनांक 12-5-80

(घ) वी. के. डब्ल्यू. रु. 6,300/- दिनांक 9-3-78

(च) वी. के. डब्ल्यू. रु. 1,500/- दिनांक 12-5-80

यदि हां, तो निर्माण कार्य सिचाई विभाग द्वारा क्यों सम्पन्न नहीं करवाये गये?

(2) क्या सरकार उपरोक्त मामलों की जांच करवाने की व्यवस्था करवायेगी? यदि हां, तो कब तक?

(3) अब कब तक कार्य आरम्भ कर दिये जायेंगे, और कब तक पूर्ण हो जावेंगे?

उत्तर

(1) (क) जी हां। परन्तु धनराशि व दिनांक जो दर्शायी गई है उसमें कुछ अन्तर है जो निम्न है, 30,000/- रुपये दिनांक 18-4-80.

(ख) 8,980/- रुपये दिनांक 5-4-77 व रुपये 1,500/- दिनांक 22-5-80 कुल रुपया 10,480/-.

(ग) एन. के. आर. के लिये नहीं, वी. के. डब्ल्यू. के लिये प्राप्त हुई. (घ) में दर्शाई गई है।

(घ) 6,300/- रुपये दिनांक 17-3-78 व 6,000/- रुपये दिनांक 22-5-80 कुल 12,300/- रुपये प्राप्त हुए।

(सिंचाई मंत्री)

(ङ) जी नहीं। यह रकम एन.के. आर. के लिये जमा हुई है जो (ख) में दर्शाई गई है। निर्माण कार्य कुल तीन के लिये रकमें प्राप्त हुई थीं। परन्तु पूरी रकमें तखमीने के अनुसार प्राप्त नहीं होने से कार्य शुरु नहीं कराये जा सके हैं। एन. के. आर. का तखमीना कुल 16,170/- रुपये का है, परन्तु राशि 10,480/- ही प्राप्त हुई है।

(2) पूरी राशि प्राप्त नहीं होने से कार्य शुरु नहीं कराये जा सके हैं। एन. के. आर. पर कार्यवाही पूरा पैसा जमा होने पर की जावेगी तथा शेष रोगों पर कार्य शुरु किया जावेगा।

(3) कार्य इसी वर्ष शुरु कर शीघ्र पूरे कर दिये जावेंगे।

श्री बृजमोहन सर्राफ राजकीय मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, मण्डावा

598. श्री लच्छूराम (मण्डावा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) श्री बृजमोहन सर्राफ राजकीय मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, मण्डावा (झुंझुनू) की स्थापना कब हुई और अब तक कितनी कितनी अवधि तक वहां पर पुरुष/महिला डॉक्टर पदस्थापित रहे?

(2) क्या यह सही है कि उक्त केन्द्र पर काफी अवधि से कोई डॉक्टर, विशेषकर महिला डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं हुई है? यदि हां, तो कब से?

(3) वर्ष 1979-80 में सरकार का उक्त केन्द्र पर नियुक्त अन्य स्टाफ एवं दवाईयों पर कुल कितना व्यय हुआ?

उत्तर

(1) श्री बृजमोहन सर्राफ, राजकीय मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, मन्डावा की स्थापना जून, 1973 में हुई। जुलाई, 1975 से अगस्त, 1977 तक पुरुष एवं सितम्बर, 1977 से जून तक महिला डॉक्टर पदस्थापित रहे, उसके पश्चात् से पद रिक्त है।

(2) जी नहीं।

महिला डाक्टरों की समय-समय पर पोस्टिंग की गई परन्तु उनके कार्य ग्रहण नहीं करने के कारण अब दि. 11-8-80 को पुरुष चिकित्सक को लगाने के आदेश दे दिये हैं।

(3) वर्ष 1979-80 में स्टाफ व दवाईयों पर कुल 28,000/- रुपया खर्च हुआ।

कृषि उपज मंडी, धौलपुर के लिये अवाप्त भूमि

599. श्री बनवारी लाल (धौलपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कृषि उपज मंडी समिति, धौलपुर के लिये किस-किस खसरा नंबर की भूमि को अधिग्रहण करने के नोटिस दिये गये थे?

196

(श्री बनवारी लाल)

सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि इनमें से कुछ भू-स्वामियों की भूमि को अधिग्रहण करने से छूट प्रदान कर दी है । यदि हां, तो किन-किन कोष व किस आधार पर ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मंडी समिति, धौलपुर के लिये अधिग्रहण करने हेतु भूमि के खसरा नम्बरों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी हां । पूर्व में जो खसरा नं. अधिग्रहण करने हेतु घोषित किये गये थे उनमें वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा राज्य विपणन बोर्ड के स्तर पर ही कुछ खसरा नं. की भूमि को पूर्व घोषित विज्ञप्ति में से हटाकर पुनः अन्तिम रूप से विज्ञप्ति द्वारा भूमि अधिग्रहित करने की विज्ञप्ति दिनांक 25-1-80 के राजपत्र में प्रकाशित की गई । इन छोंडे गये खसरों के भूस्वामियों के नाम इस प्रकार हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	नाम खातेदार	खसरा नम्बर
1.	दमापुर	गोकुलसिंह पुत्र पातीराम कौम काछी सा. सराय नाना साहब कोठी, धौलपुर,	92 93
2.	दमापुर	पातीराम वल्द मोहनलाल काछी सा. देह खातेदार	89 91
3.	दमापुर	सुखा वल्द अन्तू कौम काछी सा. देह खातेदार	83
4.	दमापुर	माफी मंदिर श्री रामचन्द्र जी बांके बाड़ा नाना साहब व ह्. तमाम पुजारी रामचन्द्र	79 80
5.	दमापुर	बाबूलाल वल्द लक्ष्मीनारायण पिता मंजूलाल कौम बाहृमण सा. धौलपुर वहि व खातदार	90
6.	दमापुर	रामचरण वल्द रत्तिराम कौम वैश्य साकिन धौलपुर खातेदार	97

धौलपुर मंडी के लिये अधिग्रहित की जा रही भूमि का विवरण [धारा (1) के अन्तर्गत]

क्र.सं.	ग्राम	नाम खातेदार	खसरा संख्या	रकबा	
				बीघा	बिस्वा
1	2	3	4	5	6
1.	दमापुर	गोकल सिंह पुत्र पातीराम कौम	92	2	1
		काछी सा. सराय	93	2	3
		नाना साहब कोठी	94	2	5
		धौलपुर खातेदार	95	2	2
2,	दमापुर	पातीराम वल्द माहनलाल काछी	89	12	6
		सा. देह खातेदार	91	1	19
3.	दमापुर	सूखा वल्द अन्तू	83	21	6
		कौम काछी सा. देह खातेदार	84	–	11
			87	2	3

1	2	3	4	5	6
4.	दमापुर	कन्हैयालाल पुत्र बालमुकन्द कौम कायस्थ सा. देहू खातेदार	86	1	14
5.	दमापुर	मापने मंदिर श्री रामचन्द्रजी वांके डावा नाना साहब व ह० तमाम पुजारी रामचन्द्रन लाल वल्द लज्जा राम कौम बाहमण साकिन वाडा नाना साहब, धौलपुर	79 80 81 82 85	1 1 1 1 —	5 5 4 12 19
6.	दमापुर	बाबूलाल वल्द लक्ष्मीनारायण पिता मजूलाल कौम ब्राह्मण चा सा. धौलपुर, वहि. व खातेदार	90	—	2
7.	दमापुर	मनमोहन वल्द श्री गोपाल कौम ब्राह्मण (भार्गव) सा देह, खातेदार	88	8	14
8.	दमापुर	रामचरन वल्द रत्तीराम कौम वैश्य साकिन धौलपुर, खातेदार	97	5	8
9.	दमापुर	सरकार कुआ	96	—	3

धौलपुर मण्डी के लिये अधिगृहित की जा रही भूमि का विवरण धारा 17(2) के अन्तर्गत]

क्र.सं.	ग्राम	नाम खातेदार	खसरा संख्या	रकबा बीघा	रकबा बिस्वा
1	2		4	5	6
1.	दमापुर	गोकुलसिंह पुत्र पातीराम कौम काछी सा. नाना साहब कोठी, धौलपुर, खातेदार	94 95	2 2	05 02
2.	दमापुर	सूखा वल्द मोहन लाल काछी सा. देह, खातेदार	84 87	0 2	11 03
3.	दमापुर	कन्हैयालाल पुत्र बालमुकुन्द कौम कायस्थ सा. साकिन देह, खातेदार	86	1	14
4.	दमापुर	माफी मन्दिर श्री रामचन्द्रजी बांके वाडा नाना साहब व ह. तमाम पुजारी राम चरण लाल वल्द लज्जा राम कौम ब्राह्मण साकिन वाड़ा नाना साहब धौलपुर	85	0	19
5.	दमापुर	मन मोहन वल्द श्री गोपाल कौम ब्राह्मण (भार्गव) सा. देह, खातेदार	88	4	00
6.	दमापुर	सरकार कुआ	96	0	03
		योग ..		13	17

(120)

साचला फीडर वाया मान्डवला पर विद्युत कनेक्शन

600. श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जालोर ओ. एण्ड एम. से साचला फीडर वाया मान्डवला पर विद्युत कनेक्शन्स पर ओवर लोड होने के कारण 4 वर्ष पूर्व रोक लगायी गई थी? यदि हां, तो गत वर्ष इस फीडर पर दो सौ कनेक्शन किस कारण दिये गये?

(2) क्या यह भी सही है कि साचला 33 के.वी. ग्रिड स्टेशन पूर्ण हो जाने एवं साचला 33 के. वी. से भी इस फीडर को लोड देने के पश्चात् भी ओवर लोड है?

(3) क्या यह भी सही है कि केशवणा में 33 के. वी. ग्रिड स्टेशन बनने के पश्चात् ही इस फीडर पर लोड बढ़ाया जाना चाहिए था? यदि हां, तो इस अनियमितता का क्या कारण था? क्या दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां। सायला पर 33/11 के.वी. सब-स्टेशन बन जाने के पश्चात् 11 के. वी. जालोर सायला फीडर का भार जालोर एवं सायला पर स्थापित 33/11 के. वी. के सब-स्टेशनों में बंट जाने के फलस्वरूप उक्त फीडर पर नये कनेक्शन दिये जाना सम्भव हो सका।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। उपलब्ध क्षमता के अनुरूप ही नये कनेक्शन दिये गये।

जिला कृषि अधिकारी एवं समकक्ष पदों पर चयन

601. श्री सी. एल. कवंरिया (दूदू): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कृषि विभाग में जिला कृषि अधिकारियों एवं इनके समकक्ष पदों के लिये 117 स्थान रिक्त होते हुए भी जनवरी, 1980 में केवल 84 पदों के लिये विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाई गई? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि विभाग द्वारा इस विभागीय पदोन्नति समिति में विचारणीय क्षेत्र (Zone of Consideration) की सूची में 33 अयोग्य व्यक्तियों को भी शामिल कर लिया गया? यदि हां, तो क्यों और क्या इसके फलस्वरूप अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के 11 अधिकारियों के बजाय केवल 2 अधिकारी ही पदोन्नत हो सके?

(3) क्या इस अनियमित कार्यवाही से सम्बद्ध अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाकर प्रभावित व्यक्तियों को पदोन्नति का अवसर दिलवाया जायेगा? यदि हां, तो कब?

उत्तर

(1) जनवरी, 1980 में जिला कृषि अधिकारी एवं समकक्ष 84 पदों के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलायी गयी थी। इतने ही पद राजस्थान कृषि सेवा नियम, 1960 के अनुसार संवर्गीकृत थे। शेष पद उक्त नियमों में संवर्गीकृत नहीं होने से इन्हें नियमित पदोन्नति हेतु शामिल नहीं किया जा सका।

(श्री कृषि मंत्री)

(2) जी नहीं । विचारणीय क्षेत्रों में सम्मिलित किए गए सभी व्यक्ति राजस्थान कृषि सेवा नियमों के अन्तर्गत पदोन्नति के पात्र थे । तथा उसके अनुसार अनुसूचित जाति/जन-जाति के दो व्यक्ति ही योग्य माने गए ।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिजोलिया के शंभुपुरा क्षेत्र में अनधिकृत खनिज सैन्ड स्टोन कार्य हेतु लगाई गयी शास्ति

602. श्री **रतन लाल ताम्बी** (जहाजपुर): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अधीक्षक, खनिज अभियन्ता, कोटा ने बिजोलिया में शंभुपुरा क्षेत्र में अनधिकृत खनिज सैन्ड स्टोन कार्य के लिये 10 गुणी शास्ति का आदेश दिया था ? यदि हां, तो किस-किस को कितनी राशि का ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या शास्ति की रकम वसूल हुई है ? यदि हां, तो कितनी और नहीं, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जी हां । दिनांक 25-4-79 को अधीक्षण खनि अभियन्ता (कोटा क्षेत्र) उदयपुर में शंभुपुरा बाउन्ड्री का निरीक्षण किया था तथा अनाधिकृत खनन कार्य के तीन पंचनामे बनाये । इन तीनों पंचनामों के आधार पर दस गुणी रायल्टी की रकम तीनों पार्टियों के संलग्न सूची के अनुसार वसूल की जा चुकी है । सूची सदन की टेबल पर रखदी गई है ।

(2) जी हां । पैनल्टी के रु. 1,222 (अक्षरे रुपये एक हजार दो सौ बाईस) संलग्न तालिका के अनुसार वसूल किये जा चुके हैं ।

तारांकित संख्या 602 का विवरण

दिनांक 25-4-79 को श्री एस.के. शर्मा, अधीक्षण खनि अभियन्ता, उदयपुर वृत्त, उदयपुर के शम्भुपुरा दौरे के समय पाए गए अनाधिकृत खनन कार्य का विवरण

क्रम संख्या	पंचनामा बनाने की तिथि	क्षेत्र		अनाधिकृत कार्य करने वाले व्यक्ति का नाम	खनिज	मौके पर पाई गई खनिज की मात्रा	खनिज की 10 गुनी रायल्टी	रकम जमा होने की तिथि
1.	25-4-79	प्लाट नम्बर	925	श्री पूरन मल	सेन्डस्टोन	10.2 टन	307.80	2-5-79
2.	25-4-79	प्लाट नम्बर	869 870 को द.पेट	श्री राधाकिशन	"	9.1 टन	272.20	2-5-79
3.	25-4-79	प्लाट नम्बर	813 757 701	श्री सम्पत सिह	"	21.4 टन	642.00	27-4-79
						रुपये	1,222.00	

बांसवाड़ा क्षेत्र में कपास के उत्पादन का उचित मूल्य दिलाना

603. **श्री बहादुर सिंह (दानपुर) :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि जिला बांसवाड़ा में देशी कपास से लेकर लंबे रेशे की बढ़िया से बढ़िया कपास का उत्पादन होता है? यदि हां, तो कृपया सन् 1975 से आज तक प्रत्येक वर्ष का कपास का उत्पादन विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सच है कि इस क्षेत्र के आदिवासी किसानों को उनके कपास के उत्पादन का सही मूल्य नहीं मिल रहा है और बिचौलियों के माध्यम से खरीद के कारण किसानों का शोषण किया जा रहा है? यदि हां, तो सरकार इस शोषण को रोकने के लिये क्या कदम उठा रही है?

(3) क्या यह सच कि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया अथवा अन्य किसी भी सरकारी एजेन्सी ने इस वर्ष इस क्षेत्र में कपास की खरीद नहीं की है जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है? क्या सरकार ने आगामी कपास की फसल के बारे में कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया अथवा अन्य सरकारी एजेन्सी द्वारा कपास को उचित मूल्य पर खरीदने की व्यवस्था की है?

उत्तर

(1) जी हां। सन 1975-76 से 1979-80 तक वर्षवार कपास उत्पादन का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) बांसवाड़ा की नियमित मंडी (Regulated market) में नियमानुसार ही कपास का क्रय-विक्रय होता है।

(3) जी नहीं। वर्ष 1979-80 में नेशनल एग्रीकल्चर कोपरेटिव मारकेटिंग फेडरेशन (एन. ए. एफ. ई. डी.) राजस्थान स्टेट कोपरेटिव फेडरेशन (आर. ए. ज. एफ. ई. डी.) एवं क्रय-विक्रय सहकारी समिति द्वारा सम्मिलित रूप से 9815 क्वि. कपास (मूल्य लगभग 34,00,000 रु.) क्रय की गई। आगामी वर्ष में क्रय हेतु भारतीय कपास निगम को निवेदन किया जा चुका है।

"तालिका अ"

सन् 1975-76 से 1979-80 तक बांसवाड़ा जिले में कपास की पैदावार की तालिका—

कपास गांठों में (170 किलो प्रति गांठ)

वर्ष	देशी	राज. अमेरिकन	लम्ब रेशे वाली
1975–76	13,437	600	
1976–77	11,368	836	
1977–78	7,085	294	
1978–79	11,213	289	
1979–80	6,243	146	

डॉक्टर्स की नियुक्ति तथा पी.एम.टी. में आरक्षण का कोटा समाप्त करना

604. **श्री नरपत राम बरवड़ (सूरसागर) :** क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की

(श्री नरपतराम बरवड़) कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डॉक्टरों की नियुक्ति में सरकार ने 27 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति व जन-जाति के लिए सुरक्षित रखे हैं तथा पी. एम. टी. में केवल 5 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे हैं ? यदि हां, तो डॉक्टर्स की नियुक्ति तथा पी. एम. टी. के चयन में इतनी भिन्नता क्यों है ?

(2) क्या यह भी सही है कि अनुसूचित जाति/जन-जाति के छात्र मेरिट में आ जाते हैं उनके बावजूद भी उन छात्रों को अनुसूचित जाति के सुरक्षित स्थान में हीं लिया जाता है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

(3) क्या सरकार का पी. एम. टी तथा डॉक्टर्स की नियुक्ति का प्रतिशत बराबर करने का विचार है ? यदि हां, तो कब नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) डाक्टरों की नियुक्तियों में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के लिए क्रमश: 16 प्रतिशत व 12 प्रतिशत कुल 28 प्रतिशत स्थान सुरक्षित हैं। एम. बी. बी. एस. कोर्स हेतु 8 प्रतिशत अनुसूचित जाति के छात्रों व 6 प्रतिशत अनुसुचित जन जाति के छात्रों के लिए सुरक्षित हैं डाक्टरों की नियुक्ति एवं एम. बी. बी. एस. कोर्स के लिए नियमों में भिन्नता का कारण यह है कि एक रोजगार से संबंधित है जब कि दूसरा शिक्षा से ।

(2) हां, यह सही है कि अनुसूचित जाति व जन-जाति के छात्र जो पी.एम.टी. मेरिट लिस्ट में आते हैं उन्हें भी सुरक्षित स्थान में ही गिन लिया जाता है। प्रवेश नियमों में ऐसा ही प्रावधान है । इस सम्बन्ध में अब तक का अनुभव यह है कि ऐसे छात्रों को पी. एम. टी. मार्क्स में छूट देने के बाद भी निर्धारित सुरक्षित स्थान पूर्ण नहीं होते ।

(3) पी. एम. टी. तथा डाक्टरों की नियुक्ति का प्रतिशत बराबर करने का मामला राज्य सरकार के पास विचाराधीन नहीं है । क्योंकि डाक्टरों की नियुक्ति का मामला रोजगार से सम्बन्धित है और एम. बी. बी. एस. कोर्स में प्रवेश देना शिक्षा से सम्बन्धित मामला है । और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के छात्रों को पी.एम.टी. मार्क्स में छूट देने के बाद भी निर्धारित सुरक्षित स्थान पूर्ण नहीं हो पाते । अतः सुरक्षित स्थान का प्रतिशत बढ़ाने से कोई लाभ नहीं होगा ।

समाज कल्याण विभाग का कार्यालय भवन

605. श्री **माधव सिंह दीवान** (सोजत),
श्री **शिव दान सिंह** (जैतारण),
श्री **मान सिंह देवड़ा** (सरदार पुरा),
श्री **राम नारायण डूडी** (बिलाडा),
श्री **असलम खां** (बाली),
श्री **गोकुल चन्द शर्मा** (सुमेरपुर) व

श्री **सूरज पाल सिंह** (भीनमाल): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) पिछले दस वर्षों में समाज कल्याण विभाग का मुख्यालय किस-किस भवन में रहा है ? इन जगहों का किराया कितना-कितना था, खुली जमीन कितनी कितनी थी, कवर्ड एरिया कितना कितनी था ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(श्री माधवसिंह दीवान)

(2) निदेशालय को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के क्या कारण थे ?

(3) गत सरकार का केसरगढ से इस विभाग को हटाने का क्या प्रयोजन था ? क्या वर्तमान सरकार इस प्रश्न पर पुनर्विचार करेगी ?

उत्तर

(1) पिछले 10 वर्षों में समाज कल्याण विभाग मुख्यालय दिनांक 11 जनवरी, 1963 से दिसम्बर, 1978 के अन्त तक केसरगढ भवन में व जनवरी, 1979 से वर्तमान तक हिन्द होटल भवन में रहा है। केसरगढ भवन के किराये की सूचना सदन की मेज पर रखदी गई है तथा खुली जमीन व कवर्ड एरिया की सूचना भी उक्त सूची में दी गई है।

(2) निदेशालय, हिन्द होटल भवन जो एक सरकारी सम्पति है के आवंटन किए जाने के फलस्वरूप केसरगढ भवन से हिन्द होटल भवन में ले जाया गया।

(3) केसरगढ भवन किराये का भवन था तथा मालिक ने किसी पार्टी को बेच दिया था इसलिए उसे छोड़कर निदेशालय हिन्द होटल में लाया गया है। पुन: विचार का प्रश्न ही नहीं उठता है।

सूची केसरगढ भवन के किराये तथा क्षेत्र फल का विवरण

किराया :—

अवधि	**वार्षिक किराया**
दिनांक 11-1-63 से 7-2-63 तक	12,000 रु० प्रति वर्ष
दिनांक 8-2-1963 से 19-4-1971 तक	12,240 रु. प्रति वर्ष
दिनांक 20-4-1971 से 31-12-1978 तक	13,128 रु. प्रति वर्ष

क्षेत्रफल :

(अ) कवर्ड एरिया :

(1)	ग्राउन्ड फ्लोर	8553 वर्ग फीट
(2)	फर्स्ट फ्लोर	6352 वर्ग फीट
(3)	सैकिन्ड फ्लोर	267 वर्ग फीट
(4)	थर्ड फ्लोर	144 वर्ग फीट
(5)	खुला एरिया लगभग	7927 वर्ग फीट है।

हिन्द होटल भवन के ग्राउन्ड फ्लोर का कवर्ड एरिया लगभग 4652 वर्ग फीट है तथा इसमें तीन मंजिल और है जिनका एरिया विभाग ने नहीं लिया है क्यों कि यह सरकारी भवन है।

तहसील सरदारशहर के हरिजन मोहल्लों में पेयजल की व्यवस्था

606. श्री **मोहन लाल शर्मा** (सरदार शहर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सरदार शहर (चूरू) तहसील के कितने ग्रामों के हरिजन मोहल्लों में नल से पानी पहुंचाने की योजना है? यह योजना कब मंजूर हुई थी और कितने ग्रामों के हरिजन मोहल्लों में नल लगाये जा चुके है? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार ऐसे दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? सरकार गांवों के हरिजन मोहल्लों में अब नल लगाने

(श्री मोहनलाल शर्मा)
की योजनाओं को कब तक पूरी करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सरदार शहर तहसील में 6 ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं में सम्मिलित ग्रामों में हरिजन मोहल्लों में पेयजल उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। योजनाओं के नामों की सूची संलग्न है। इन योजनाओं में वर्ष 1978-79 व 1979-80 में बजट प्रावधान किया गया था। क्रियान्वयन हेतु पाइप व सम्बन्धित अन्य सामान प्राप्त किये जा चुके हैं तथा कार्य आरम्भ करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

(2) नल लगाने के कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

सूची

(1) क्षेत्रीय जल योजना, सरदार-शहर, आसपालसर

(2) क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना, जयसिंह सर

(3) जल योजना शिमला

(4) जल योजना फोगा

(5) जल योजना बन्धनेऊ

(6) जल योजना पुलासर

सरकारी भूमि पर निरन्तर काश्त करने वाले किसानों को भूमि का आवंटन

607. श्री भैरुलाल (उदयपुर ग्रामीण): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार ऐसे किसानों को जो सरकारी भूमि पर पिछले 8-10 वर्षों से काश्त करते रहे हैं और उस भूमि की पैनल्टी भी देते आ रहे हैं, उस भूमि का आवंटन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो उनके जीवन निर्वाह हेतु क्या अन्य भूमि आवंटन करने की योजना है।

उत्तर

जहां सरकारी भूमि गैर परियोजना क्षेत्र में खाली पड़ी है एवं कृषि योग्य है, उसका आवंटन राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के तहत होता है। जहां सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर लिया जावे, वहां वर्ष 1970 के उपरोक्त नियमों के नियम 20 के तहत नियमन किया जा सकता है परन्तु वह भूमिहीन होना चाहिए। परिपत्र क्रमांक: प. 6 (7) राज-ग्रुप-4177, दिनांक 14-4-77 द्वारा 1-7-1975 तक के अतिक्रमणों को नियमित करने के आदेश पूर्व में ही दिये जा चुके हैं। ऐसी दशा में 1-7-75 तक के नियम योग्य समस्त मामलों में उस परिपत्र के तहत कार्यवाही हो सकती है। ऐसे खेतीहर भूमिहीन व्यक्ति जिन्होंने सरकारी भूमि पर 1-7-1975 के बाद अतिक्रमण किया है, नियमित आवंटन के लिये नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं ऐसे मामलों में नियमन नहीं हो सकता। इस प्रकार की रोक अतिक्रिमण की प्रवृति को समाप्त करने के लिये जरूरी है। डी. पी. ए. पी. क्षेत्रों में दिनांक 1-1-71 तक के अतिक्रमण के मामलों का ही नियमन किया जा सकता है।

परियोजना क्षेत्र के लघु एवं मध्यम परियोजना क्षेत्र तथा चम्बल परियोजना।

(राजस्व मंत्री)

क्षेत्र में अनाधिकृत कब्जों का नियमन परिपत्र क्रमांक प. 24 (8) राज./उप./77, दिनांक 31-7-78 के द्वारा 1-7-75 तक करने की अनुमति है। आर. सी. पी. तथा भाखरा नांग कैनाल में ऐसा प्रावधान नहीं है।

बीकानेर जिले के राजस्व गांवों में पुन: कृषि भूमि का आवंटन

291. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर जिले के राजस्व गांवों में कृषि भूमि आवंटन कब से बन्द किया गया और क्यों ?

(2) जिन उद्देश्यों से आवंटन बन्द किया गया है उसकी गत वर्षों में कितनी उपलब्धि रही है ?

(3) क्या सरकार भूमि आवंटन वापिस खोलने पर विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले के राजस्व गांवों में 7 अन्य सूखा संभावित जिलों के साथ आवंटन पर रोक लगाने की प्रक्रिया दिनांक 11-9-74 से प्रारम्भ हुई तथा इसको अन्तिम रूप दिनांक 21-4-76 के आदेश द्वारा दिया गया। आवंटन के इस प्रतिबन्ध से निम्न मामलों में छूट दी गई है:—

1. एक हैक्टेयर से छोटे टुकड़ों का आवंटन किया जा सकता है।

2. अन्त्योदय कार्यक्रम के तहत चयनित परिवारों को भूमि का आवंटन किया जा सकता है।

3. सीलिंग कानून के अन्तर्गत अवाप्त संरक्षण भूमि के आवंटन पर रोक नहीं है। भूमि आवंटन का कार्यक्रम इसलिये बन्द किया गया कि वैज्ञानिकों का दृढ़ मत है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में जहां कि वर्षा बहुत कम होती है, रेतीले इलाके है और हवाओं द्वारा भूमि का कटाव बहुत अधिक होता है, उन क्षेत्रों की कमजोर भूमियों पर काश्त नहीं की जानी चाहिए और उन्हें वृक्षारोपण तथा घास आदि के विकास द्वारा उन्नत किया जाना चाहिये ताकि वहां की जलवायु में सुधार हो सके और भूमि की उपज शक्ति वापस प्राप्त हो सके। इन उद्देश्यों हेतु एक विस्तृत पैमाने पर राज्य सरकार द्वारा मरु विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। तथा कृषि हेतु भूमि आवंटन पर रोक लगा दी गई है।

(2) जिन उद्देश्यों से आवंटन बन्द किया गया है, उसके अन्तर्गत बीकानेर जिले में गत वर्षों में चरागाह तथा वन विकास का निम्न कार्य वन विभाग के माध्यम से किया गया है:—

1.	चरागाह विकास	15,750	हैक्टर
2.	नहरों के किनारे वृक्षारोपण	2,640	"
3.	सड़कों के किनारे वृक्षारोपण	430	"
4.	ईंधन की लकड़ी के लिए वृक्षारोपण	214	"
5.	फार्म फोरस्ट्री	1-25 लाख	पौधे
6.	सिलवी फेस्टरोल प्लान्टेशन	500	हैक्टर
7.	मिक्सल प्लान्ट ...	600	"

(राजस्व मंत्री)

इसके अलावा जिन चारागाहों में दो साल से अधिक अवधि पूर्व कार्य प्रारम्भ किया गया था उसमें मवेशियों को चरने हेतु दिया गया है। जहां जहां ईंधन लकड़ी तैयार हो गई है वहां उनकी कटाई भी समय पर प्रारम्भ की जावेगी ।

(3) ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

अलवर स्थित भारत फाउन्ड्री वर्क्स की भूमि

296. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अलवर स्थित 'भारत फाउन्ड्री वर्क्स' जिस भूमि पर चलाया जा रहा है, उक्त भूमि का, उद्योगपति द्वारा राजकीय शुल्क दिया जाकर, कृषि भूमि से उद्योग भूमि में परिवर्तित नहीं कराया गया है ?

(2) यदि हां, तो कौन अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं एवं उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) क्या उक्त उद्योग कई वर्षों से बन्द है ? यदि हां, तो कितने वर्षों से ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त भूमि पर अब खेती की जा रही है ?

(5) क्या यह भी सही है कि उद्योगपति ने उक्त भू-खण्ड का सब डिवीजन करके बेचने की अनुमति चाही है ।

उत्तर

(1) जी नहीं। मैसर्स भारत फाउन्ड्री एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी, अलवर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत घोषित औद्योगिक क्षेत्र की भूमि पर स्थित है।

(2) यह भूमि घोषित औद्योगिक क्षेत्र में होने के कारण किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

(3) यह उद्योग वर्तमान में कार्यरत है, भागीदारों के आपसी विवाद के कारण वर्ष, 1975 से जुलाई, 1979 तक बन्द रहा था ।

(4) गत तीन वर्षों की गिरदावरी में इस भूमि पर फैक्ट्री बताई गई है तथा विभागीय अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण पर भी इस भूमि पर खेती होना नहीं पाया गया है।

(5) उद्योगपति द्वारा उक्त भूखण्ड का सब-डिवीजन कर बेचने की अनुमति हेतु कोई आवेदन-पत्र जिलाधीश, अलवर के कार्यालय एवं उद्योग विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है।

परिशिष्ट–3

तारांकित प्रश्न संख्या 579 की सूची

स्वीकृत कार्य के ठेकेदारों की सूची

क्र. सं.	कार्य का विवरण	ठेकेदार का नाम	प्रारम्भ होने की तिथि	कार्य समाप्त होने की निर्धारित तिथि
1.	जोन "ए" कि.मी. 1 से 3	श्री राम स्वरूप गौतम	21-2-78	20-5-79
2.	जोन "बी" कि.मी. 4 से 6	श्री बजरंग लाल श्रीमाल	28-2-78	27-5-79
3.	जोन "सी" कि.मी. 7 से 9	श्री हरी नारायण राम गोपाल	14-2-78	13-5-79
4.	जोन "डी" कि.मी. 10 से 12	श्री लल्लू खां	14-2-78	13-5-79

208

परिशिष्ट-4

अतारांकित प्रश्न संख्या 464 का प्रतिवेदन

CORUNDUM, RUBY, EMERY ETC. DEPOSITE OF TONK DISTRICT (RAJASTHAN)

The word 'Corundum' is derived from 'Kuruvindum' the Sanskrit name of the mineral.

In Rajasthan, there has been no reported occurrence of corundum, emery, ruby cordierite etc., except minor occurrence of corundum reported by H. Crookshank, while examining Kyanite deposite near by Kishangarh. The corundum bearing area near village Juali (26.12' : 75.39') is about 46 Km. from Newai Railway station which is accessible by tarred road from Newai or Tonk, including 8 Km. of jeepable kachha track. The above area is part of toposheet No. 45 SE. The area has been leased out to M/s Annapuran Khanij Udyog, Tonk.

Corundum A 1/2 0/3, A = 52.9% is one of the hardest minerals (hardness=9) being second only to diamond. The crytallized varieties are essentially pure containing only a little ferric oxide and silica. The variations in colour are perhaps due to the presence of varying minute amounts of ferric, chronomic and manganese oxides. It's specific gravity is near 4 somewhat higher for a non-metallic mineral. Corundum occurs mostly in barrel shape or pyramidal crystals and also as massive and granular. Crystals usually rough and rounded occur ranging in size from ½cm. to 8cm. or even more. Corundum possesses no cleavage but rectangular parting or pseudo cleavage is generally seen. It is brittle who compact very tough. Colour of common, not transparent varieties, are grey, brown, reddish, nearly white and dull. The common open variety is good natural abrasive. But when transparent is become really precious. The well known red coloured ruby and blue colour sapphire are gem varieties of corundum. It is the colour which makes them attractive because since corundum has low dispersly lack fire. Both the stones are dichroic and exhibit differents of colour in different direction. Both stones possess a fair fibrous structure by which expert identifies their source. Ex fibrous structure gives star ruby and

star sapphire which? optical effect of six rays of light emanating from a Central amethyst, oriental emerald, and oriental topaz are purplish, green and yellow varieties respectively and these are also gem varieties of corundum. Lustre of corundum varies from virtreous to adamantine. It is not acted by acids.

The occurrence of natural emery, which is a mixture of corundum, magnetite with some hematite, has also come to light while making geological study of the area. Natural emery found to occur consists of inner core of corundum. and otershell of magnetite with minor amount of hematite.

Emery is ax greyish-black variety of corundum containing much admixed magnetite and hematite. It's hardness makes it natural abrasive. Feels and looks much like a fine grained iron ore, which it was long considered to be. There are gradations. from evenly fine grained emery, to kinds in which the corundum is indistinct crystals. Analysis of emery shows more or less impurity, chiefly magenetite. It is used for polishing hard surfaces, after it is crushed and powered. As loose grains, it is used inoptical grinding, on paper and cloth, and in form of abrasive wheels. Emery occurs as segregation in granular limestone and in metamorphosed argillaceous rocks (schist and greiss in this area).

There are fairly good possibilities of recovery of beautiful transparent, lustrous gem varieties of corundum, for example, ruby and sapphire. The occurrence of ruby corundum and sapphire has been noticed first time in Rajasthan. The deeps red ruby corundum is of translucent nature although there are good prospects frooccurrence of transparent tuby at depth. A blue colour transparent to translucent mineral ranging in hardness from 7 to 7.5 is also found to be associated with cordierite biotite greiss rock, which resembles very much with sapphire. It may probably also be blue coloured transparent cordierite or a gem stone called Katela.

Samples were chemically analyzed for sapphire, to test its titanium content which has established that Tio^2 varies from 0.08 to 0.24%. This proves the presence of sapphire like mineral in Juali area. The red

colour of ruby is supposed to be due to the traces of chromium and the blue of sapphire due to titanium.

Natural rubies have a deep red or blood red colour and show variation in colour in parallel or irregular rands. They can be distinguished from synthetic rubies under the microscope or by ultra-violet rays studies. (1) minute hexagonal cavities often elongated or angular but in systhetic stones cavities are never geometrical and are usually rounded (2) inclusions which are arranged in irregular or haphazerd fashion while those in artificial stones these are arranged in curves along lines of striations.

Natural rubies and sapphires have low dispersion and hence have no 'fire'.

Economics of corundum.—Common corundum is chiefly used as an rock like or boulder corundum. Larger crystals find better market than smaller ones. Certain physical characters which are noticed are admantine lustre, high specific gravity, absence of cleavage and inclusions.

The prevalent market sale value of these corundum crystals and grains varies from Rs. 1,800/- to 2,400/- per ton on F. O. R. basis. The sole purchasers of this corundum are M/s Stark and Co. and M/s Vitrilsil and Co. The cost of mining of this mineral including all overhead expenses comes about to Rs. 1,000/- per ton. No natural emery has been sold out from this area as the mine owners were not known of its occurrence before. It's occurrence has only been established now, after geological study of the area and it can fetch equally good market or even better market than corundum, as a high grade abrasive.

Mining.—Mining on small scale for corundum, emery etc. is being done by a private party of Tonk. These minerals are being dumped near by the mine site. Four pits and a few trenches have been done, except the installation of two pumping sets of 5 H. P. each of pump out underground water, which is readily available by mining at depth of a few feet. The mining operations are carried out by the help of manual labours. Concentration of corundum varies from 1.5% to 2% in this area. The average maximum depth of pits is 15 ft.

Production.—Total production of corundum from the execution of the lease in the year 1973, has been 2540 Kg. The daily production has been reported to be 10-12 Kg. per day. No efforts have been made by the party to increase the production which can be increased by many folds with little systematic and regular mining.

CHEMICAL ANALYSIS :—The chemical analysis of corundum from Juali mines shows following results :

Sample : 1	Contents	Percentage
	Alumina (Al_2O_3)	92.80
	Silica (SiO_2)	3.01
	Ferric oxide (Fe_2O_3)	0.40
	Phosphorous Penta oxide (P_2O_5)	0.07
	Titanium oxide (TiO_2)	0.01
	Loss on ignition	2.01

Sample : 2	Contents	Percentage
	Al_2O_3	93.85
	SiO_2	3.14
	Fe_2O_3	0.33
	Na_2O	0.11
	SO_3	0.32
	Cl	0.05
	TiO_2	0.08
	K_2O	0.09
	P_2O_5	0.04

In other samples, which were chemically analysed for titanium shows that titanium oxide (TiO_2) varies from 0.16 to 0.24% in samples. This proves the existence of transparent to translucent blue coloured sapphire.

Geology and Occurrence.—A very interesting suite of rocks found to occur near Juali in Tonk district contains corundum, cordierite, etc. associated with crystalline limestone, calc-silicates and cordierite-biotite gneiss. Corundum occurs as contituent of highly metamorphosed aluminous sediments. The emery occurs in granular limestone. The rubies occur insitu in cordierite-biotite gneiss which is devoid of any quartz.

Corundum of varying colours are found to occur as disseminated crystals and grains at the contact of limestone with Aravalli schists. These are intruded by apljtic and pegmatic rocks. Aravalli schists are highly folded contorted, sheared and weathered. Vermiculite mineralization in the form of veins is also found associated with micaceous Schists. The corundum bearing zone is extending in roughly N-S to NE-SW direction having width of approximately 20 M. or even more.

A very peculier rock type occurs in this area which has been identified as cordierite-biotite gneiss. Ruby corundum deep red in colour is found to be associated with this rock type. In the field, this rock can very easily be mistaken for a quartz bearing rock. But corundum, ruby, cordierite generally occur in a silica poor rock. The quartz can never occur in the vicinity of corundum bearing rock hence after careful examination this rock has been named as cordierite-corundum rock. Cordierite looks like quartz having specific fravity almost same of little more than quartz (2.6 to 2,7) and hardness is same or little more than quartz (2.6 to 2.7) and hardness is same or little more guished under microscop from quartz, as the cordierite is biaxial positive mineral, whereas quartz is uniazial negative. Chemically, cordierite is a silicate of Al, Mg & Fe having mormula $(Mg\ Fe)_2\ Al_3\ (Al^2\ Sl_5)\ Ol_8$. It is a transparent to translucent blue coloured mineral of various hades. It can very easily be confused with sapphire due to its blue colour and transparency.

Translucent ruby corundum crystale having well developed partings have been found to occur with cordierite biotite-corundum rock. Possibility of good gem variety ruby occurrence at depths are bright. Cordierite rod is of contact metamorphic regional metamorphic origin and is found to be associated with limestone, shists, pegmatites. Cordierite bearing rock has probable been formed by the contact metamornhism of high alumina bearing argillaceous sediments. A greater amount of corundum is found to occur at the contact of cordierite rock and limestone. The excess alumina in the instrusive and in the calcareous rocks has crystalized out as ruby and ordinary corundum. The general strike of the country rock. Aravalli Schist is N-S which changes to NE-SW in the narly area. The dip varies from 60° to even vartical due west.

Corundum is not found abundantly but it occurs in several ways. It is generally produced by the contact metamorphism of shales, and limestones. It is an original constitutent of various igneous rocks, such as syenite, as the Canada and in anorthosites, as in India It is a constituent of rocks rich in alumina but rather poor in silica such as Nenheline svenite. Common corundum is found in certain parts of the world such as Trensval in S. Africa, Canada, Turkey, Greece, Burma etc.

In Juali (Tonk Distt.) corundum occurs as disseminated grains and crystals and is probably formed by:—

(1) The contact metamorphism of highly aluminous argillaceous sediments into cordierite-biotite-corundum rock.

(2) The results of contact metamorphism of limestone due to the intrusive activity of pegmatite and aplite. Further desillication of pegmatites also took place.

Cordierite at places gives semi-precious look due to its blue transparent appearance and can easily be confused for sapphire. At present, sapphire has only been reported at Soomjam in Kashmir, at the elevation of 14,800 to 14,950 ft. above M S. L. in the Padar area of Zanskar range where it occurs in a pegmatitic dike intruding schist.

The finest ruby comes from Magok, Burma where ruby occur in a contact metamorphosed limestone intruded by silica and basic igneous rocks. In India, occurrences of ruby have been reported from states of Andhra Pradesh. Maharastra etc.. of these listed, the Pipra area in the Sidhi district of Madhya Pradesh gives the entire total production of India.. In Pipra area it is found in ancient metamorphic rock (schists) with which granites are associated.

Yield of corundum is only 1.5% to 2% on an average but no accurate estimate of probable reserves have been made. Mineral reserves are not possible to be assessed at this stage unless the ineralized zones are fully exposed after systematic prospecting and exploration.

(214)

Possibilities of occurrence of good gem variety ruby and sapphire are encouraging.

Emery in natural state occurs in pockets as lenses, in limestone in Juali area. It occurs as segregations in Aravali schist and as contact metasomatic deposit in limestone. The hardness and cutting equality of emery depends upon the amount od xorundum in the central core with outershall of megnetite and hematite. It chiefly used as grinding wheels, as emery cloth, as grains and flour for glass polishing. Emery looks to be of high grade. True emery has not been found to occur in India except some emery like rock which has been reported from Andhra Pradesh. But this finding of emery in Tonk distt. has thrown new light on its occurrence in India.

USES

Corundum is chiefly used as an abrasive. Corundum is crushed, powdered and screened into different sizes (coarse, medium and fine) required by the market. The material which is finer than 220 mesh size is known as flour of F grade. The finer grades of F9F, 2F and 4F) are made by suspending the powdered material in water and collecting sediments, which fall down after allotted time intervals, Corundum of fine and flour grades is used as loose grains for polishing gems and rock specimens and for grinding and bevelling glass. Corundum grains are also used in the manufacture of corundum cloth and corundum paper. The graded grain corundum is mixed with bonds and made into corundum wheels used for cutting and sharpening purposes. Finally ground corundum bonded with clay has lacs been used for making refractory crucibiles and for manufacturing sparkling plugs, muffles, special bricks for high temperature-furnace lining etc. Corundum is essential (strategic) mineral for grinding, polishing precision optical lenses, instruments for range finders, precision metal parts in aircraft engines etc.

Emery is used for fine polishing of hard surfaces. The percentage of corundum is emery varies from 10 to 75%.

परिशिष्ट-5

अतारांकित प्रश्न 471 का प्रार्थना-पत्र व निर्णय

ग्राम पंचायत कोलिया, पं. स. डीडवाना (नागौर)

प्रेषित—श्री कमिश्नर साहव,
आवकारी विभाग, उदयपुर (राज.)

विषय:—शरावबंदी ऐरिया में शराबियों की व नाजायज शराव का विक्रय करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग।

मान्यवर,

मेरी पंचायत नागौर जिले में है तथा यह क्षेत्र ड्राई एरिया है यानि मद्य निषेध एरिया होते हुए भी धड़ल्ले से शराव नाजायज निकाली जा रही है एवं पीयी जा रही है। कि आवकारी विभाग चुपचाप देख रहा है एवं शराबियों के पक्ष में दिखाई दे रही है। जहां तक मेरी जानकारी में आया है, निम्न व्यक्ति खुले आम शराव पीते हैं व निम्न व्यक्ति शराव नाजायज निकालते हैं एवं निम्न व्यक्ति नाजायज शराव लाकर फरोक्त करते हैं।

पीने वालों के नाम

1. श्री जीवनसिंह पुत्र श्री बुद्धाराम जाट, कोलिया
2. श्री गौरीशंकर पुत्र श्री छगनलाल, झंवर
3. श्री सोहनलाल पुत्र श्री नारायणराम सोनी
4. श्री नन्द किशोर पुत्र श्री मेती राम सोनी
5. श्री रतनलाल पुत्र श्री डालूराम खाती
6. श्री मोहनलाल पुत्र श्री रजूराम जेवलिया
7. श्री मांगीलाल पुत्र श्री वागाराम जाट

लाकर फरोक्त करने वाले

1. श्री मोहनलाल पुत्र श्री गंगाराम वावरी कोलिया — विचावा से लाकर
2. श्री रामदेव पुत्र श्री कलूसांसी कोलिया — " " "
3. श्री लिछमनसिंह पुत्र श्री वहादुरसिंह — विज्ञाना व कापड़ोद से लाकर

नायक नि. गोदरसा लाकर, गोदरास व रायसिंह पुरा से लाकर।

इत्यादि अनेक व्यक्ति खुले आम अपराध कर रहे हैं और आवकारी विभाग की जानकारी में होते हुए भी, कुछ नहीं कर रहा है।

कृपया, तत्काल अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशन दें कि वे कोलिया में अचानक मय डाक्टर के रात्रि के 9 बजे बाद चुपचाप घेराव करेंगे तो सैंकड़ों व्यक्ति बाजार, वावरियों के मौहल्ले, सांसियों के घरों में नशे में धूत पायेंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह माना जायेगा कि आपका विभाग इस तरह के अपराधियों को प्राथमिकता देकर अपराध करवा रहा है।

ह.
सरपंच, ग्राम पंचायत, कोलिया।

216

1. प्रतिलिपि. जिला आबकारी अधिकारी, स्टेशन के पास, नागौर।

2. आबकारी मंत्री जी, राजस्थान सरकार, जयपुर की सेवा में वास्ते आवश्यक कठोर कार्यवाही हेतु. सेवा में प्रेषित है।

ह.
सरपंच, ग्राम पंचायत, कोलिया।

कार्यालय आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, राज०, जोधपुर

क्रमांक प.7/स्थापना:- 79-80/389 दिनांक 31-5-79

आबकारी आयुक्त महोदय,
राजस्थान, उदयपुर।

विषय:—नाजायज शराब की रोकथाम बाबत।

प्रसंग:— आपका पत्र सं. प 19/जी/परि/आब/ 79/ 152, दिनांक 3-2-79 एवं दूसरी परिवाद प. 19/जोध/परि/आब/ 79/255, दिनांक 26-12 78।

महोदय,

उपरोक्त प्रसांगित पत्रों द्वारा भेजी गई परिवादों की जांच हेतु दि. 21-5-79 को गांव भांवला में शिकायत कुनिंदा श्री करनसिंह से मौके पर सम्पर्क करना चाहा पर वे उस दिन वहां न होकर किसी अन्य गांव गये हुए थे. ऐसा उनके भाई से पता चला एवं उस गांव में उस दिन रेड की गई तो वहां पर पांच अभियोग 1. मकना पुत्र चौथु कोम बावरी, 2. राजनिवास पुत्र मोहनराम बावरी, 3. हरिराम पुत्र भीमाराम बावरी, 4. भंवरा पुत्र भागीरथ बावरी 5. राज कुमार पुत्र अर्जुन बावरी के विरुद्ध बने सूचनार्थ रिपोर्ट ग्राम भांवला को रेड बाबत प्रस्तुत है।

दिनांक 23-5-79 को मय श्री तेजराज, सहायक आबकारी अधिकारी, नागौर श्री हरिसिंह, वृत निरीक्षक, डीडवाना, इरशाद अहमद, वृत निरीक्षक, मेड़ता व प्रहराधिकारी श्री नरेन्द्रसिंह एवं मय पार्टी के दौरान विशेष आबकारी धावों के गांव कोलिया पहुंचा गांव बड़ा होने के कारण विशेष आबकारी धावों के दौरा न ही इसकी जांच करना उचित समझा गया। वहां पहुंच कर सरपंच ग्राम पंचायत कोलिया से सम्पर्क करना चाहा परन्तु वे उस दिन वहां उपस्थित नहीं थे। अतः ग्राम पंचायत के सचिव श्री हनुमानसिंह से सम्पर्क स्थापित कर आप द्वारा ग्राम कोलिया की दोनों परिवादों को सचिव को बताकर पूछा गया कि क्या यह दोनों शिकायतें आपकी पंचायत से अलग-अलग आबकारी मंत्री एवं आबकारी आयुक्त, उदयपुर को भेजी गई है। उसके हां करने पर उसके बयान लिये जाकर उक्त परिवाद में दर्शाये गये व्यक्तियों के मकानों की नियमानुसार तलाशी ली गई तो किसी के वहां से कोई चीज काबिल एतराज आबकारी की बरामद नहीं हुई। अतः मौके पर रूबरू मोतबिरान उन सब की निल फर्द बनाई गई।

इसके बाद उस ग्राम में कुछ व्यक्तियों से आगे जानकारी की गई तो मालूम हुआ कि इस ग्राम के सरपंच एवं परिवाद में दर्शाये गये व्यक्तियों के आपस में द्वेष भाव हैं इसी कारण इस प्रकार की झूठी शिकायतें सरपंच करता रहता है। इसी वजह से जिनके घरों की तलाशी ली गई उन लोगों को यह एतराज हुआ कि यह सरपंच झूठी शिकायतें करता रहता है एवं उसकी शिकायत पर विभागों को हमारे खिलाफ केवल उसके कहने से ही इस प्रकार की कार्यवाही न

की जाव ता अच्छा हो एवं उन्होंने परिवाद की प्रतिलिपि चाही जो असल परिवाद पास नहीं होने से नहीं दी गई ।

सरपंच द्वारा की गई ऐसी झूठी कार्यवाहियों से असन्तुष्ट होकर उक्त व्यक्तियों ने जयपुर मंत्रियों एवं नागौर जिलाधीश को भी तार एवं लिखित आवेदन भी सरपंच के विरुद्ध भेजे हैं। जांच से ये परिवादें झूठी पाई गई। विस्तृत रिपोर्ट सूचनार्थ श्रीमान की सेवा में प्रस्तुत है ।

ह.
आबकारी अधिकारी (नि. दल०),
आबकारी, जोधपुर (राज.)

210

राजस्थान सरकार

ओर से,

आबकारी आयुक्त, राजस्थान,

उदयपुर।

वास्ते,

सचिव,

वित्त (ग्रुप-3) विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक प.19/2 जोध/परि/आब/79/1137 दिनांक 6-7-79

विषय:- शिकायत विरुद्ध आबकारी स्टाफ, नागौर के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- आपका पत्र क्रमांक प. 12/ 9/वित/आब/79, दिनांक 2-6-79

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि पूर्व में सरपंच पंचयत, कोलिया, जिला नागौर के पत्र क्रमाक 22 दिनांक 11-1.79 द्वारा यह शिकायत की गई थी शुष्क क्षेत्र नागोर में धड़ल्ले से अवैध शराब की बिक्री जा रही है, और निम्नलिखित व्यक्ति अवैध रूप से शराव का उपयोग करते हैं।

श्री जीवन सिंह, श्री गोरीशंकर, श्री सोहनलाला सोनी, श्री नन्दकिशोर सोनी, श्री रतन लाल खाती, श्री मोहनलाल जेबलिया एवं मांगीलाल जाट। अत: इस कार्यालय से तुरन्त प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश आबकारी अधिकारी, निरोधकदल, जोधपुर को दिये गये।

आबकारी अधिकारी निरोधकदल, जोधपुर ने रिपोर्ट की है कि शिकायत दिनांक 23-5-79 को रेड की गई तो विशेष धावों अभियान के अन्तर्गत परिवादकर्ता से संपर्क स्थापित किया गया पर वे वहां मोजूद नहीं मिले व पंचायत के सचिव से सम्पर्क किया जाकर परिवाद में दर्शाये गये व्यक्तियों के यहां पर तलाशी ली गई। तलाशी में कोई काबिल आबकारी ऐतराज की वस्तु नहीं मिली व निष्कर्ष मुर्तिब की गई।

इस संबंध में आगे पुन: जांच करने पर ज्ञात हुआ कि परिवाद में दर्शाये गये व्यक्तियों एवं सरपंच के आपसी द्वेष के कारण सरपंच झूंठी शिकायत करता रहता है। सरपंच को जिम्मेदार व्यक्ति समझ कर ही इसके द्वारा प्रस्तुत पत्र पर विभाग द्वारा कार्यवाही की गई है। जिससे असंतुष्ट होकर परिवाद में अंकित व्यक्तियों द्वारा विभिन्न मंत्री महोदयों एवं जिलाधीश, नागौर को शिकायत की है।

विभाग के विरुद्ध उनके द्वारा शिकायत झूंठी पेश की गई है जो समाप्ति योग्य है। अत: समाप्ति की पुष्टि भिजवाने का कष्ट करें

भवदीय
ह. सुरेशचन्द्र जैन
उपायक्त आबकारी विभाग,
राजस्थान, उदयपुर

219

परिशिष्ट-6

अतारांकित प्रश्न संख्या 478 की सूची

परमिट धारियों के लिये खोली गयी देशी मदिरा की दुकानों की सूची—

क्र. सं.		नाम दुकान
1	2	
	जयपुर शहर	
1.	स्टेशन जयपुर	प्राईवेट अनुज्ञाधारी द्वारा चलाई जा रही है।
2.	अजमेरी गेट	"
3.	घाट गेट	"
4.	समुन्द्र करण	"
	जयपुर, सीकर, व झुंझुनूं	
5.	आमेर	दुकान चालू नहीं की गई है।
6.	दौसा	प्राईवेट अनुज्ञाधारियों द्वारा चलाई जा रही है।
7.	शाहपुरा	"
8.	सांभर	"
9.	सीकर	"
10.	फतेहपुर	"
11.	नीम का थाना	"
12.	झुझुनु	"
13.	खेतड़ी	"
14.	नवलगढ़	"
15.	चौमू	"
16.	बांदीकुई	"
17.	फुलेरा	"
	अजमेर, भीलवाड़ा, व टौंक	
18.	स्टेशन अजमेर	प्राईवेट अनुज्ञाधारियों द्वारा चलाई जा रही है।
19.	ब्यावर	"
20.	केकड़ी	"
21.	किशनगढ़	"

1	2
22. भीलवाड़ा नं. 1	प्राइवेट अनुज्ञाधारियों द्वारा चलाई जा रही है।
23. भीलवाड़ा न. 2	"
24. मांडलगढ़	"
25. शाहपुरा	"
26. गुलाबपुरा	"
27. टोंक	"
28. मालपुरा	"
29. विजयनगर	"
30. देवली	"
31. निवाई	"
32. नसीराबाद	"
भरतपुर, अलवर व सवाई माधोपुर	
33. भरतपुर	"
34. डीग	"
35. बयाना	"
36. धौलपुर	"
37. अलवर	"
38. बहरोड	"
39. तिजारा	"
40. राजगढ़	"
41. सवाई माधोपुर	"
42. करोली	"
43. गंगापुर	"
44. हिन्डौन	"
बीकानेर व चूरू	
45. बीकानेर	
46. चूरू	"
47. राजगढ़	"
48. रतनगढ़	"
श्री गंगानगर	
49. गोल बाजार	
50. लकड़ मंडी	"
51. हनुमान गढ़ टाऊन	"
52. करणपुर	"
53. नोहर	"

221

1	2
54. रायसिंह नगर	प्राइवेट अनुज्ञाधारियों द्वारा चलाई जा रही है
55. भादरा	"
56. संगरिया	"
57. अनूपगढ़	"
58. सादु ल शहर	"
59. पदमपुर	"
60. श्री विजय नगर	"
61. पीलीबंगा	"
62. रावतसर	"
63. टीबी	"
64. सूरतगढ़ (जोधपुर, पाली, नागौर)	"
65. हनुमान गढ़ जंक्शन	"
66. जोधपुर नं. 1	"
67. जोधपुर नं. 2	"
68. फलौदी	"
69. बाली	"
70. जैतारण	"
71. सोजत	"
72. पाली	"
73. नागौर	"
74. डीडवाना	"
75. मेड़ता	"
76. कुचामन सिटी	"
कोटा, बूंदी, व झालावाड़	
77. कोटा नं. 1	"
78. कोटा नं. 2	"
79. छबड़ा	"
80. रामगंज मंडी	"
81. बांरा	"
82. बूंदी	"
83. केनवा	"
84. झालावाड़	"
85. अकलेरा	"
उदयपुर, व चित्तौड़गढ़	
86. चेतक सर्कल	"
87. जोगीवाड़ा	"
88. भीम	"
89. झाडोल	"

1		2
90.	राजसमंद	प्राइवेट अनुज्ञाधारियों द्वारा चलाई जा रही है।
91.	सलूम्बर	"
92.	बल्लभनगर	"
93.	चित्तौड़गढ़	दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड
94.	बेगूं	"
95.	कपासन	"
96.	निम्बाहेड़ा	"
97.	प्रतापगढ़	"
98.	रावतभाटा	प्राइवेट अनुज्ञाधारियों द्वारा चलाई जा रही है।
	जालौर	
99.	जालौर	"
100.	भीनमाल	"
	बाड़मेर	
101.	बाड़मेर	"
102.	बालोतरा	"
	जैसलमेर	
103.	जैसलमेर	"
104.	पोकरण	"
	सिरोही	
105.	सिरोही	"
106.	माउन्ट आबू	"
	बांसवाड़ा	
107.	बांसवाड़ा	दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड
108.	कुशलगढ़	"
	डूंगरपुर	
109.	डूंगरपुर	"

परमिटधारियों के लिए खोली गई देशी/विदेशी मदिरा के दुकानों की सूची—

क्रमांक	नाम तहसील/पंचायत समिति मुख्यालय एवं अन्य स्थान	मैसर्स गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा चलायी जाती है (देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकान एक साथ)	प्राईवेट अनुज्ञाधारी के द्वारा चलायी जाती है देशी मदिरा की दुकान
1	2	3	4
	अजमेर जिला		
1.	सरवार	—	एक
2.	श्रीनगर	एक	—
3.	पिसांगन	एक	—
4.	जवाजा	—	एक
5.	मसूदा	—	—
6.	भिनाय	—	एक
	जिला अलवर		
7.	वानसूर	एक	एक
8.	लक्ष्मनगढ़	एक	—
9.	राजगढ़	—	एक
10.	थानागाजी	—	एक
11.	किशनगढ़	एक	—
12.	मण्डावर	—	एक
13.	तिजारा	—	एक
14.	कोटकासिम	—	एक
15.	गोविन्दगढ़	एक	—
16.	कठूमर	—	एक
17.	रामगढ़	—	एक
18.	उमरैन	—	एक
19.	रायनी	—	एक
20.	नीमराना	—	एक
	जिला बांसवाड़ा		
21.	गढ़ी	—	एक
22.	घाटोल	—	एक
23.	बागीडोरा	—	एक
24.	सज्जनगढ़	—	एक
25.	पीपलखूंट	—	एक
26.	तलवाड़ा		एक

1	2	3	4
		जिला बाड़मेर	
27.	पचपदरा	—	एक
28.	सिवाना	—	एक
29.	चौहटन	—	एक
30.	धोरीमन्ना	—	एक
31.	बायतू	—	एक
32.	सिन्दरी	—	एक
		जिला भरतपुर	
33.	रुपवास	—	एक
34.	वैर	—	एक
35.	नदबई	एक	—
36.	कामां	एक	—
37.	नगर	एक	—
38.	बाड़ी	एक	—
39.	राजाखेड़ा	एक	—
40.	बसेड़ी	—	एक
41.	कुम्हेर	—	एक
42.	केवर	एक	—
		जिला भीलवाड़ा	
43.	माण्डल	एक	—
44.	सहारा	एक	—
45.	बनेड़ा	—	एक
46.	रायपुर	—	एक
47.	आसीन्द	एक	—
48.	हुरड़ा	—	एक
49.	कोटड़ी	—	एक
50.	जहाजपुर	एक	—
51.	सुवाना	—	एक
		जिला बीकानेर	
52.	लूनकरणसर	—	एक
53.	नोखा	एक	—
54.	कोलायत	—	एक
		जिला बून्दी	
55.	केशोराय पाटन	—	एक

1	2	3	4
56.	तालेड़ा	एक	—
57.	लाखेरी	एक	—
58.	हिन्डोली	—	एक
	जिला चित्तौड़गढ़		
59.	गंगरार	—	एक
60.	राशमी	—	एक
61.	बड़ी सादडी	एक	—
62.	छोटी सादड़ी	एक	—
63.	डूंगला	—	एक
64.	अचनेरा	—	एक
65.	भैंसरोडगढ़	—	एक
66.	भोपालसागर	एक	—
	जिला चूरू		
67.	सरदारशहर	—	एक
68.	तारानगर	एक	—
69.	डूंगरगढ़	एक	—
70.	सुजानगढ़	एक	—
71.	रतननगर	—	एक
	जिला डूंगरपुर		
72.	सागवाड़ा	—	एक
73.	सीमलवाड़ा	—	एक
74.	बिच्छीवाड़ा	—	एक
	जिला गंगानगर		
75.	मिरजेवाला	—	एक
76.	केसरीसिंहपुरा	—	एक
77.	रामसिंहपुरा	—	एक
78.	गजसिंहपुरा	—	एक
	जिला जयपुर		
79.	आमेर	एक	—
80.	जमुवा रामगढ़	—	एक
81.	बसवा	—	एक
82.	लालसोट	—	एक

1	2	3	4
83.	सिकराय	—	एक
84.	चाकसू	एक	—
85.	बस्सी	एक	—
86.	सांगानेर	एक	—
87.	वैराठ	एक	—
88.	दूदू	एक	—
89.	फागी	—	एक
90.	झोटवाड़ा	—	एक
91.	जोबनेर	—	एक
92.	गोविन्दगढ़	—	एक
93.	शाहपुरा	—	एक
		जिला जैसलमेर	
94.	साम	—	एक
		जिला जालौर	
95.	जसवन्तपुरा	—	एक
96.	सांचोर	—	एक
97.	सामला	—	एक
98.	रानीवाड़ा	एक	—
		जिला झालावाड़	
99.	खानपुर	एक	—
100.	गंगधार	—	एक
101.	झालरापाटन	—	एक
102.	पचपहाड़	—	एक
103.	पिड़ावा	—	एक
104.	डग	—	एक
105.	बकानी	—	एक
106.	मनोहर थाना	—	एक
107.	भवानी मण्डी	—	एक
		जिला झुंझुनूं	
108.	चिड़ावा	एक	—
109.	उदयपुरवाटी	एक	—
110.	अलसीसर	—	एक
111.	सुहाना	—	एक
112.	सूरजगढ़	—	एक
		जिला जोधपुर	
113.	बिलाड़ा	एक	—

1	2	3	4
114.	शेरगढ़	—	एक
115.	ओसियां	—	एक
116.	भोपालगढ	—	एक
117.	लूणी	एक	—
118.	बालेसर	—	एक
	जिला कोटा		
119.	किशनगंज	—	एक
120.	मांगरोल	—	एक
121.	भटरू	—	एक
122.	छीपाबड़ोद	एक	—
123.	सांगोद	—	एक
124.	दिगोद	—	एक
125.	अन्ता	एक	—
126.	सुलतानपुर	—	एक
127.	इटावा	—	एक
128.	कैथून	—	एक
129.	पीपल्दा	एक	एक
	जिला नागौर		
130.	लाडनूं	एक	—
131.	डेगाना	एक	—
132.	जायल	—	एक
133.	नावां	एक	—
134.	कुचामन सिटी	—	एक
135.	मूण्डवा	—	एक
136.	मकराना	—	एक
137.	मेड़ता रोड	—	एक
	जिला पाली		
138.	देसूरी	—	एक
139.	रायपुर	—	एक
140.	खारची	—	एक
141.	रानी स्टेशन	—	एक
142.	सुमेरपुर	एक	—
143.	रोहिट	—	एक

1	2	3	4
		जिला सवाई माधोपुर	
144.	वावनवास	—	एक
145.	नारोली	—	एक
146.	महुआ	एक	—
147.	टोडाभीम	—	एक
148.	सपोटरा	—	एक
149.	बोनेली	—	एक
150.	सयार	—	एक
151.	लच्छमनगढ़	एक	—
152.	श्री माधोपुर	एक	—
153.	दांता रामगढ़	—	एक
154.	खण्डेला	—	एक
155.	रामगढ़	—	एक
		जिला सिरोही	
156.	पिण्डवाड़ा	—	एक
157.	रेवदर	—	एक
158.	शिवगंज	—	एक
		जिला टोंक	
159.	टोडारायसिंह	—	एक
160.	उनियारा	—	एक
		जिला उदयपुर	
161.	देवगढ़	एक	—
162.	कोटडा	—	एक
163.	फलासिया	—	एक
164.	आमेट	—	एक
165.	कुम्भलगढ़	एक	—
166.	खोरवाड़ा	एक	—
167.	सदाड़ा	एक	—
168.	गोगुन्दा	—	एक
169.	नाथद्वारा	—	एक
170.	मावली	एक	—

परमिटधारियों के लिये खोली गई विदेशी मदिरा के दुकानों की सूची जो गंगानगर शुगर मिल्स एवं प्राइवेट अनुज्ञाधारियों के एसोशियेशन द्वारा चलाई जा रही है।

क. सं.	नाम जिला	विदेशी मदिरा की दुकानें जो गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा चलाई जा रही हैं।	योग	विदेशी मदिरा की दुकानें जो अनुज्ञाधारियों (एसोसियेशन) द्वारा चलाई जा रही हैं।
1	2	3	4	5
1.	बीकानेर	बीकानेर, रतनगढ़, चुरू व राजगढ़	4	एक
2.	जयपुर ग्रामीण	सांभर, नीमका थाना, फतेहपुर, दौसा, कोटपुतली, झुन्झुनूं, नवलगढ़, खेतड़ी, व सीकर।	9	—
3.	गंगानगर	गंगानगर, करणपुर, पदमपुर, रायसिंहनगर, अनुपगढ़, सूरतगढ़, हनुमानगढ़टाऊन, हनमानगढ़ जंक्शन, सादुलशहर व नोहर।	11	गंगानगर विजयनगर, पीलीबंगा, व भादरा
4.	जयपुर नगर	दो	2	चार
5.	कोटा	कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, रामगंजमंडी, अकलेरा व नैनवा।	7	एक
6.	जोधपुर	जोधपुर, फलोदी, नागौर, डीडवाना, कुचामन सिटी, मेड़ता सिटी, पाली, सोजत, जैतारण व बाली।	10	दो
7.	भरतपुर	अलवर, राजगढ़, बहरोड व किशनगढ़ बास, भरतपुर, डीग, बयाना, धौलपुर, सवाई माधोपुर, गंगापुर, करौली, व हिण्डोन।	12	—
8.	उदयपुर	उदयपुर, वल्लभनगर, राजसमन्द, भीम, चित्तौड़गढ़, बेंगू, निम्बाहेड़ा, कपासन व प्रतापगढ़।	9	एक
9.	अजमेर	अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, किशनगढ़, भीलवाड़ा, गुलाबपुरा, माण्डलगढ़, शाहपुरा, टौंक व मालपुरा।	10	अजमेर, ब्यावर, नसीराबाद व देवली
10.	उपायुक्त—(मद्यनिषेध)	पोकरण, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, बालोतरा, भीनमाल, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कुशलगढ़, सलूम्बर, झाडोल व आबू (आबूपर्यटन-विभाग द्वारा चलाई जा रही है)	13	—
			87	17

अप्रेल एवं मई, 80 में राजस्थान में जिलेवार देशी तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा का उपभोग (बल्क लीटर्स में)

क्रम संख्या	जिलों का नाम	देशी मदिरा का उपभोग	भा. नि. वि. मदिरा (बीयर सहित) का उपभोग
1	2	3	4
1.	अजमेर	24,357	48,665
2.	भीलवाड़ा	2,945	7,780
3.	टोंक	3,593	906
4.	भरतपुर	2,359	1,392
5.	अलवर	1,110	1,149
6.	सवाई माधोपुर	2,846	733
7.	जयपुर सिटी	39,400	2,73,389
8.	जयपुर ग्रामीण	4,170	2,255
9.	झुंझुनूं	820	1,665
10.	सीकर	627	720
11.	बीकानेर	7,181	4,949
12.	चुरू	1,207	279
13.	श्री गंगानगर	93,774	42,358
14.	जोधपुर	14,676	14,163
15.	पाली	7,202	2,165
16.	नागौर	2,180	675
17.	कोटा	11,891	82,450
18.	बून्दी	1,120	2,295
19.	झालावाड़	1,115	1,680
20.	उदयपुर	33,467	14,750
21.	चित्तौड़गढ़	2,006	2,530
22.	जैसलमेर	..	..
23.	बाड़मेर	..	..
24.	जालौर	..	3,663
25.	सिरोही	..	..
26.	डूंगरपुर	..	1,050
27.	बांसवाड़ा	..	2,064
28.	उदयपुर की तहसीलें	..	1,376
	योग ..	2,58,126	5,15,101

231

देशी शराब की किस्म व सरकार द्वारा उनकी निर्धारित दरें

क्रम. संख्या	नाम किस्म	सांद्रता	निर्गम मूल्य प्रति बल्क लीटर	विक्रय दर प्रति बोतल
1.	केशर कस्तूरी	5 यू. पी.	25.46 रुपये	36.00 रुपये
2.	गुलाब (हरे भूरे रंग की)	35 यू. पी.	14.96 रुपये	23.00 रुपये
3.	सादा (हल्के भूरे रंग की)	45 यू. पी.	12.53 रुपये	20.00 रुपये

नोट:—

(1) उपरोक्त विक्रय मूल्य में शराब का निर्गम मूल्य, बिक्री कर, चुंगी कर एवं अनुज्ञाधारी का तीन रुपये प्रति बोतल लाभ सम्मिलित है।

(2) निर्गम मूल्यों की दरों में आयात का मूल्य बिक्री कर, चुंगी कर सम्मिलित नहीं है।

232

परिशिष्ट—7

अतारांकित प्रश्न संख्या 479 की सूची

सूची 'अ'

जून, 1977 से फरवरी, 1980 तक ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्वीकृत योजनाओं में जिलेवार, तहसील/पंचायत समितिवार प्रस्तावित/स्वीकृत ग्रामों का विवरण।

क्र. संख्या	जिला	तहसील/पं.स.	प्रस्तावित/स्वीकृत ग्रामों की संख्या
1	2	3	4
1.	अजमेर	पीसांगन	15
2.	अलवर	रामगढ़	65
		किशनगढ़	60
		थानागाजी	1
			126
3.	बांसवाड़ा	भूखिया	102
		पीपलखूंट	135
			237
4.	बाड़मेर	सिदरी	2
		सिवाना	63
		बालोतरा	11
		धोरीमना	104
		बायतू	69
			249
5.	भरतपुर	कुम्हेर	104
		बसेड़ी	6
			110
6.	भीलवाड़ा	जहाजपुर	107
		माण्डल	125
		कोटड़ी	23
			255

1	2	3	4
7.	बीकानेर	लूनकरणसर	10
		नौखा	82
		बीकानेर	103
			195
8	बूंदी	नैनवा	149
		तालेड़ा	1
		हिन्डोली	118
			268
9.	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	101
		भोपालसागर	70
		निम्बाहेडा	24
		भैंसरोडगढ़	94
			289
10.	चूरू	राजगढ़	10
		रतनगढ़	10
		डूंगरगढ़	1
		सुजानगढ़	9
		सरदार शहर	4
			34
11.	डूंगरपुर	बिच्छीवाड़ा	102
12.	जयपुर	चाकसू	189
		बांदीकुई	109
		गोविन्दगढ़	4
			302
13.	जैसलमेर	जैसलमेर	8
		साम	2
		सांकड़ा	3
			13

234

1	2	3	4
14.	जालोर	सायला	53
		जसवन्तपुरा	50
		आहोर	101
		सांचोर	88
			292
15.	झुन्झुनूं	झुन्झुनूं	73
		सूरजगढ़	33
		बुहाना	22
			128
16.	झालावाड़	खानपुर	128
		झालरापाटन	6
			134
17.	जोधपुर	ओसियां	70
		बिलाड़ा	32
		शेरगढ़	26
		फलौदी	9
		लूणी	2
		मण्डोर	2
		बालेसर	5
		बाप	53
			199
18.	कोटा	शाहबाद	236
		किशनगंज	198
		बारां	72
		अन्ता	85
		इटावा	216
			807

1	2	3	4
19.	नागौर	कुचामन	45
		जायल	10
		परबतसर	41
		डीडवाना	13
			109
20.	पाली	देसूरी	65
		रोहट	73
		खारची	8
		रायपुर	3
		बाली	7
		राणी	3
			159
21.	सवाईमाधोपुर	नादोती	101
		हिन्डौन	75
		बोंली	159
		करौली	7
		बामनवास	88
			430
22.	सीकर	नीमकाथाना	75
		पीपराली	14
		दांतारामगढ	3
			92
23.	श्री गंगानगर	पदमपुर	13
		नोहर	10
			23
24.	उदयपुर	झाडोल	60
		कोटडा	165
		गोगुन्दा	48
		फलासिया	57
			330
	समस्त जिलों का योग:-		4,878

236

जून, 1977 से मार्च, 1980 तक विद्युतिकृत गांवों की जिलेवार सूची

क्र.सं	जिला	कुल आबाद गांवों की संख्या 1971 की जनगणना के अनुसार	जून, 77 से मार्च, 78 तक विद्युतिकृत गांव	अप्रेल, 78 से मार्च, 79 तक विद्युतिकृत गांव	अप्रेल, 79 से मार्च 80 तक विद्युतिकृत गांव	माह जून, 77 से मार्च 80 तक कुल विद्युतिकृत गांव
1	2	3	4	5	6	7
1.	अजमेर	954	68	29	9	106
2.	अलवर	1869	59	109	54	222
3.	बांसवाड़ा	1439	76	39	10	125
4.	बाड़मेर	837	—	8	10	18
5.	भरतपुर	1868	77	82	20	179
6.	भीलवाड़ा	1508	125	165	80	370
7.	बीकानेर	540	3	54	46	103
8.	बून्दी	729	22	29	74	125
9.	चित्तौड़गढ़	2123	75	129	109	313
10.	चूरू	850	11	35	17	63
11.	डूंगरपुर	825	32	88	46	166
12.	जयपुर	2683	202	111	91	404
13.	जैसलमेर	432	—	5	9	14
14.	जालोर	595	47	63	38	148
15.	झालावाड़	1441	13	65	53	131
16.	झुंझुनूं	693	57	71	64	200
17.	जोधपुर	702	16	44	32	92
18.	कोटा	1905	80	181	100	361
19.	नागौर	1216	58	98	18	174
20.	पाली	824	146	132	24	302
21.	सवाई माधोपुर	1531	63	201	75	339
22.	सीकर	810	80	105	157	342
23.	सिरोही	423	90	114	32	236
24.	श्री गंगानगर	2386	55	113	190	358
25.	टोंक	1006	22	25	6	53
26.	उदयपुर	3116	133	242	164	539
	कुल	33305	1610	2345	1528	5483

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 482 की सूची

काबिल काश्त सूची पंचायत वाइज तहसील प्रतापगढ़, जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)

क्र.सं.	नाम पंचायत	रेकार्ड के आधार पर काबिल काश्त भूमि बीघा	बिस्वा	मौके पर उपलब्ध काबिल काश्त भूमि बीघा	बिस्वा
1	2	3	4	5	6
1.	कुलमीपुरा	18	10	18	10
2.	गादोला	5	15	5	15
3.	घडा	89	—	89	—
4.	मथुरातालाब	150	—	150	—
5.	वारां वरदा	37	15	37	15
6.	रठांजना	36	—	36	—
7.	नारायण खेडा	95	5	95	5
8.	बरडिया	287	10	287	10
9.	धमोत्तर	75	—	75	—
10.	अच्लेश्वर	98	—	98	—
11.	कसोटिया	263	—	263	—
12.	कुम्भी (कुणी)	24	—	24	
13.	खेरोट	55	—	55	—
14.	झांरड़ी	17	15	17	15
15.	बसेरां	207	—	207	—
16.	बसाड़	16	—	16	—
17.	मनोहर गढ़	38	—	38	—
18.	अमलावद	26	—	26	—
19.	अचलपुर	38	—	38	—
20.	देवगढ़	1779	—	123	—
21.	सुहागपुरा	62	—	62	—
22.	रामपुरिया	1220	—	153	—
23.	बीरपुर	172	—	172	—
24.	पंडावा	884	—	133	—
25.	अरनोद	1	10	1	10
26.	अचलावदा	130	—	130	—
27.	जांजली	5	05	5	05
28.	अम्बीरामा	231	—	231	—
29.	दलोट	13	—	13	—
30.	रायपुर	1363	—	221	—
31.	उठेल	130	—	130	—
32.	कोठीसांयली	22	—	22	—

1	2	3	4	5	6
33.	सामलगढ़	266 –	—	266 –	—
34.	लैबना	124 –	—	124 –	—
35.	घलुण्ड़ा	85 –	—	85 –	—
36.	निनौर	67 –	—	67 –	—
37.	दिवाला	285 –	—	285 –	—
		8417 –	05	3801 –	5

परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 483 का आदेश

प्रतिलिपि पत्र संख्या प. 6/1/ राज. ग्रुप/4/78 दिनांक 8-3-80 ओर से उप-शासन सचिव राजस्व/ग्रुप-4/ विभाग, जयपुर वास्ते समस्त जिलाधीश।

निर्देशानुसार लेख है कि जहां-जहां पटवारी ने आवंटित भूमि पर कब्जा गलत खसरा नम्बर में दिखला दिया है। वहां भूमि के खसरा नम्बर का परिवर्तन कर सही कर दिया जावे, यदि ऐसा भूमि चरागाह या रास्ते की न हो।

कार्यालय जिलाधीश, कोटा

क्रमांक : राजस्व 3646-3667 दिनांक 25-4-78

प्रतिलिपि पालनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. अतिरिक्त जिलाधीश व परियोजना अधिकारी, कोटा।

2. समस्त अधिनस्थ अधिकारीगण, नायव तहसील इन्द्रगढ़।

हस्ता.
जिलाधीश, कोटा

परिशिष्ट 1

अतारांकित प्रश्न संख्या 330 की सूची–झालामण्ड से गुडा विश्नोईयान को सड़क भूमि अवाप्ति के बाकी भुगतान की सूची

सूची "ब"

खसरा नं.	कास्तकार का नाम गुडा विश्नोई	रकबा जमीन जिसका भुगतान पहले किया गया। रकबा	रकम	रकबा जमीन जिसका वास्तव में भुगतान किया जाना है। रकबा	रकम	रकबा जमीन जिसका ज्यादा भुगतान किया गया व वसूली करनी है। रकबा	रकम	रकबा जमीन जिसका भुगतान अब करना है। रकबा	रकम
298	1 अर्जुन पुत्र गोकुल विश्नोई 2 सुखा राम पुत्र गोकुल विश्नोई	18.14	588/–	2.00	1,100/–	8.14	4,784/–	..	..
473	1 हरि राम पुत्र छोगा राम	4.8	..	4.6	2,420/–	..	..	4.6	2,420/–
	2 मांगी लाल पुत्र अर्जुन	3.6	..	3.6	1,815/–	..	..	3.6	1.815/–
474	1 नवजा राम पुत्र सरवुराम	8.10	275/–	8.10	275/–	..	..	..	..
	2 अर्जुन राम	..	..	1.4	660/–	..	..	1.4	668/–
480	1 किशना राम पुत्र सोमा राम 2 भाकर पुत्र किशना प्रहलाद	4.00	2,200/–	5.5	2888/–	..	..	1.5	688/–
366	1 राम सिंह पुत्र हरि सिंह खेजड़ली	..	..	3.12	..	..	..	3.12	4,042/–
367	1 राम सिंह पुत्र हरि सिंह खेजड़ली	..	..	3.15	..	..	..	3.15	..

सूची –"अ"

भूमिधारियों के भुगतान की सूची

क्र.सं.		अ	ब
1.	किसना पुत्र सोमा राम भाकर पेलाद पि. किसना वि.	4	2200.00
2.	अर्जुन पुत्र गोकल सुखाराम पुत्र गोकल	1011 (4)	2942.00
			2942.00
3.	हापुडा मंगलीया पेलाद पि. गंगाराम	" 3	325.00
	छोगा पुत्र काना 1/2	"	825.00
4.	धानीया, मुजाराम, भानाराम चीमिया हरीया पि. नरीग भेरिया पुत्र रुघीया विश्नोई	1/1	688.00
5.	गंगाराम पुत्र हमीरा विश्नोई	1	138.00
6.	अबलाला राम पुत्र मूला राम विश्नोई	111/1	440.00
7.	हीरा राम पुत्र मूला राम	111/1	440.00
8.	चौखा, छोगा पि. तेजा विरूद्ध	101/1/1	5940.0
9.	अला बक्स, इब्राहिम हुसैन हकीया नैना पि. फाजल खां छीपा	(4)	110.00
10.	गुलीया पुत्र सवाई कोलोपा पुत्र हरजी विश्नोई	5111/3	1622.50
			1622.50
11.	किशना पुत्र मूला विश्नोई	31/1	1815.00
12.	सोनीया पुत्र काना राम विश्नोई	6	3300.00
13.	करोतिया पुत्र छोटू राम विश्नोई	1/4	660.00
14.	काना पुत्र गोकल	61/3	1760.00
15.	गोकल राम पुत्र सोराम विश्नोई	1/	28.00
16.	पेमा पुत्र उमा विश्नोई	31/4	1898.00
17.	थानीया पुत्र नरीम विश्नोई	611/3	3658.00
18.	हापुराम पुत्र थानाराम	3/1	1788.00
19.	शेरा राम पुत्र भूराराम	111/1	440.00
20.	वताराम जागीया पि. रामू विश्नोई	211/	1375.00
21.	खेराज पुत्र अर्जुनराम विश्नोई	1/1	275.00
	खींवदास पुत्र कुशालदास साद	1/2	275.00
22.	शेरीया पुत्र उमरा, जोगा पुत्र लच्छू	1/3, 61/2	1164.33
	शेरीया हमीर पुत्र पोखा	1/3 "	1164.34
	गंगाराम पुत्र हमीर, दौला पुत्र छेला	1/3, "	1164.33
23.	भाणु पुत्र छोगा भाम्दी	111/1	440.00
24.	चीमीया पुत्र पन्ना विश्नोई	3	1650.00
25.	मानाराम पुत्र सुखाराम विश्नोई	11	275.00
26.	दौला राम, मीराम, बाबू राम विश्नोई मगाराम विश्नोई	2/2	1150.00

242

क्र. स.	अ	ब
27. भेरा राम पुत्र राधेश्याम	41/3	2428.00
28. नवला राम पुत्र लालु राम	11	275.00
29. मुताबिक रेवेन्यू रेकार्ड	111/1	440.00
योग..	90111/-	49915.00

ग्राम:—खेजड़ली कलां, तहसील जोधपुर जिला जोधपुर:-

30. बिरधा पुत्र सरगरा	2	1100.00
31. बोरबा राम पुत्र भीया राम विश्नोई	3	1650.00
32. कानसिंह पुत्र जबर सिंह राजपूत	111/3	495.00
33. अर्जुन पुत्र शिम्भु विश्नोई	1	550.00
34. हिम्मत सिंह, अमर सिंह राजपूत	1	550.00
35. खीमा राम पुत्र अमरा राम	1	133.00
36. राम सिंह पुत्र हरि सिंह राजपूत	111/1	440.00
37. भीमा राम पुत्र गोरधन राम विश्नोई	0/2	65.00
38. पोकर पुत्र किराना वि.	311	1925.00
39. सोबता पुत्र मोया राम वि.	111/1	440.00
40. मंगला पुत्र लीछमण जाटा सा. गुडा चुतर पुत्र नैना विश्नोई सा. गुडा	2111/3	1595.00
41. मुताबिक रैवन्यू रेकार्ड योग	111	413.00
योग..	16	9351.00

	ग्राम वार	ग्रोण वारी
1. गुडा विश्नोई	90111	49915.00
2. खेजड़ली कलां	16	9351.00
योग .	107111/-	59266.00